खण्ड-406, अंक-7
मंगलवार, 22 वैशाख, शक संवत् 1914
(12 मई, 1992 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(ग्यारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1992)

खण्ड 406 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1992

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क
नियम 311 की सूचनायें लिये जाने की मांग ..	1
प्रश्नोत्तर	1-89
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	89-90
जनपद बांदा की तहसील कर्बी के गांवों में गम्भीर पेयजल संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	90
जिला विद्यालय निरीक्षक, बदायूं के संरक्षण में नकल होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	90-91
नगरपालिका, बस्ती में सड़क प्रकाश व्यवस्था में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	91
जनपद उत्तरकाशी की स्वीकृत विकास योजनाओं के लिये धन आवंटन करने के संबंध में नियम 301 के अन्तगंत सूचना ..	91
जनपद गाजियाबाद के ग्रेटर नोएडा में यमुना नदी पर मंझावली पुल के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	92
जनपद गाजियाबाद के नोएडा क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों के मजदूरों द्वारा की जा रही क्रमिक भूख हड़ताल के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	92
जल प्लावन के बचाव हेतु रायबरेली के ग्राम मंशापुर एवं सिरसहा आदि के बीच पुलों के बनवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	92-93
जनपद बलिया के दौलतपुर ग्राम में मगई नदी पर प्रस्तावित पुल बनवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	93
जनपद गाजीपुर के कतिपय ग्रामों में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित मार्गों को पक्का कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	93-94
बस्ती मण्डी समिति द्वारा स्वीकृत मार्गों के निर्माण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	94
बांदा नगर की जीर्ण-शीर्ण गलियों को सुधारने के संबंध में नियम 301 के अन्तगंत सूचना	94
आजमगढ़ शहर में गम्भीर पेयजल संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	94-95
जनपद लखीमपुर खीरी में पट्टेदारों को कब्जा दिलाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	95
शारदा सहायक खण्ड 52, आजमगढ़ की दोहरी घाट लिंक नहर की पटरी पर खडंजा बिछाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	95

लखनऊ के इन्दिरा नगर निवासी डा० गजेन्द्र कुमार पर हुए प्राणघातक हमले के अभियुक्तों को गिरफ्तार किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 96

विकास खण्ड मुरादाबाद सदर की ग्राम सभा गौधी में जवाहर रोजगार योजना में ग्राम प्रधान द्वारा धन हड़पने की जांच कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 96-97

जनपद उन्नाव के मौरावां, गुलरिया, गुरुबक्शगंज तथा जनपद रायबरेली के बछरावां मार्ग का निर्माण पूरा कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 97

जनपद बांदा में मटियारा एवं गडरा नदी पर पुल बनवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 97-98

कालपी कालेज, कालपी, जनपद जालौन में हिन्दी एवं संस्कृत विषयों में एम० ए० कक्षा की मान्यता न देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 98

जनपद बलिया के सोनवरसा के उच्चीकृत हास्पिटल में विद्युत, पानी तथा स्टाफ की व्यवस्था के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. 98

जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्रामों में चकबंदी कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 99

जनपद देवरिया में बांधों के निर्माण में हुए कथित भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 99

टाण्डा, जनपद फैजाबाद के विद्युत स्टेशन में लगी आग से हुई क्षति एवं विद्युत संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. 99-100

स्वास्थ्य विभाग के अभियन्ताओं के उत्पीड़न के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 100

बांदा जनपद के विकास खण्ड जसपुरा, तिंदवारी व बड़ोखर खुर्द में प्राथमिक पाठशालायें खुलवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 101

टिहरी गढ़वाल की ग्राम सभा चौपड़ियाल के किसानों को फसल बीमा राशि का भुगतान कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 101-102

बहराइच के भिन्गा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त भारवला सेतु का साइड बांध पुनर्निर्मित कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. 102

अलीगढ़ जनपद के मण्डी क्षेत्र सिकन्दराराऊ में निर्माणाधीन मार्गों के निर्माण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .. 102-103

जनपद जौनपुर की मड़ियाहूं तहसील में बिजली के खम्भों के गायब होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 103

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	103
प्रश्नों के स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	104–106
प्रथम सत्र 1992 के छठे गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 195 के उत्तर के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में औचित्य का प्रश्न	106–107
श्री पवन कुमार पाण्डे, विधायक के परिवार की सुरक्षा के संबंध में आश्वासन दिये जाने के बावजूद कोई कार्यवाही न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	107–108
नियम 301 के अन्तर्गत स्वीकार की गयी सूचना का उत्तर न आने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	108–110
प्रथम सत्र 1992 के प्रथम बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 127 का सही स्पष्टीकरण प्राप्त न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ..	110
प्रथम सत्र, 1992 के दूसरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 68 के उत्तर के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	110–111
दिनांक 10-4-92 को दी गयी कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर कार्यवाही न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ..	111–112
गन्ना किसानों के गन्ने का मूल्य भुगतान एवं पूरे गन्ने की खरीद न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	112–116
विशेषाधिकार की सूचना पर लिये गये निर्णय के संबंध में औचित्य का प्रश्न	116–118
दिनांक 24 अप्रैल, 1992 को श्री मुलेन्द्र सिंह की हत्या के संबंध में सरकार को दिये गये निदेश का पालन न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	118–122
विपक्षी सदस्यों के क्षेत्रों के विकास कार्य को रोक दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	123–124
भ्रष्ट अधिकारियों को उनके आचरण के लिये दण्डित किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	124–126
नजूल भूमि से संबंधित पट्टों पर मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये भाषण के संबंध में औचित्य का प्रश्न	126
कतिपय अधिकारियों द्वारा जनता को परेशान किये जाने का मामला उठाने का प्रयास	126–127
जनपद हरदोई के मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी)	127
जनपद हरदोई के मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र की तहसील बिलग्राम में विद्युत लाइनों का जीर्णोद्धार कराये जाने के संबंध में याचिका (उपस्थित की गयी)	127

विषय	पृष्ठ-संख्या
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	127–167
जनपद मेरठ में मोदी रबर लिमिटेड में श्रमिकों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज व फायरिंग होने के संबंध में शासन का ध्यानाकर्षण ..	167–168
श्री राम किशन तहसीलदार के विरुद्ध नियम 56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना	168
जनपद बलिया के थाना रसड़ा के चौकी इंचार्ज द्वारा श्री रमेश सिंह निवासी ग्राम सोतुपुर की पिटाई के मामले की जांच कराये जाने की मांग ..	169
जनपद जालौन में दिनांक 30-4-92 को परिवहन विभाग की बस द्वारा एक जीप में टक्कर मारने से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजा दिये जाने की मांग	169-170
श्री भृगुनाथ पाण्डेय निवासी ग्राम मठिया जिला गाजीपुर के यहां पड़ी डकैती के अभियुक्तों को पकड़े जाने तथा पीड़ितों को सहायता दिये जाने की मांग	170–171
उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1992 (अस्वीकृत)	171–177
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1992 (अस्वीकृत)	177–180
उत्तर प्रदेश नारी कल्याण विधेयक, 1992 (अस्वीकृत) ..	181–188
बढ़ती हुई महंगाई से प्रदेश के बुनकरों के समक्ष उत्पन्न भुखमरी की स्थिति के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा ..	189–193
जनपद मऊ में जिला प्रशासन द्वारा किये जा रहे उत्पीड़न के विरुद्ध आयोजित सभा पर लाठीचार्ज से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा	194–198
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें ..	198
जनपद मऊ के नत्थूपुर क्षेत्र के अन्तर्गत दोहरीघाट से मधुबन बाजार तक जाने वाली सड़क के जर्जर होने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	199–200
जनपद उन्नाव के पुरवा क्षेत्र के अन्तर्गत अवर अभियन्ता (अनुरक्षण) द्वारा अवैध विद्युत कनेक्शन दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य	200
जनपद टिहरी गढ़वाल में अर्द्धनिर्मित दुगड्डा चौकी-पिपलीधार डागर मोटर मार्ग को पूरा कराये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य	200–201
प्रदेश में ऊर्जा विभाग द्वारा एल० टी० लाइन पर एक्सटेंशन में प्रतिबन्ध लगा दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य	201
जनपद बदायूं सहसवान तहसील के अन्तर्गत ग्राम सभा सिरासौल के प्रधान द्वारा परती एवं आबादी हेतु सुरक्षित भूमि को अवैध रूप से विक्रय किये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य ..	202–203

जनपद फैजाबाद में टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना, टाण्डा से प्रभावित किसान परिवारों के सदस्यों को राजकीय सेवा में समायोजित किये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य .. 203–204

नियम 51 के वक्तव्यों के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग .. 204–205

जनपद आगरा में यातायात की समस्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा 205–209

भारतीय चिकित्सा परिषद्, लखनऊ, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित आयुर्वेदिक एवं यूनानी प्रशिक्षणार्थियों की वर्ष 1990-91 की परीक्षा न कराये जाने के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा 209

जनपद आगरा के पश्चिमी क्षेत्र में सीवर की समस्या तथा खराब हैण्ड पम्पों को तुरन्त ठीक कराने विषयक दिनांक 28-2-92 के अतारांकित प्रश्न संख्या 50 के संबंध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा .. 209–211

जनपद मऊ के कस्बा मधुबन को टाउन एरिया बनाये जाने के प्रस्ताव पर शासन की स्वीकृति विषयक दिनांक 21-2-92 के अतारांकित प्रश्न संख्या 170 के संबंध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा .. 211–212

जनपद मेरठ के बरनावा क्षेत्र में जलस्तर अत्यन्त नीचे जाने की समस्या विषयक दिनांक 28-2-92 के नत्थी 'घ' के तारांकित प्रश्न संख्या 4 के संबंध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा 212–214

नत्थियां..... 215–225

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 12 मई, 1992

विधान सभा की बैठक, सभा-मण्डल लखनऊ, में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा	बृजेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री	फर्रुखाबाद
अशोक कुमार, श्री	लखनऊ	भारत सिंह रावत, श्री	गढ़वाल
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	मदन भैया, श्री	मेरठ
इस्लाम साबिर, श्री	बरेली	मस्तराम, श्री	उन्नाव
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर	मारकण्डेय चन्द्र, श्री	गोरखपुर
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़	मारकण्डेय, श्री	बलिया
कृष्ण वीर सिंह सिरोही, श्री	गाजियाबाद	मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
गंगा भक्त सिंह, श्री	हरदोई	रणजीत सिंह जूदेव, श्री	झांसी
घुरहू, श्री	बलिया	रमाकान्त यादव, श्री	आजमगढ़
चन्द्र शेखर सिंह, श्री	बस्ती	राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
छोटे लाल मिश्र, श्री	हमीरपुर	राम कुमार शुक्ल, श्री	लखनऊ
दुलारे लाल, श्री	मिर्जापुर	राम सिंह, डा०	अलीगढ़
धनराज यादव, श्री	सिद्धार्थनगर	लालचन्द्र, श्री	जौनपुर
धर्मपाल यादव उर्फ		लालजी वर्मा, श्री	फैजाबाद
डी० पी० यादव, श्री	बुलन्दशहर	विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
नरेश अग्रवाल, श्री	हरदोई	शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
नारायण दत्त तिवारी, श्री	नैनीताल	श्रीनिवास, श्री	देवरिया
नेतराम, श्री	शाहजहांपुर	समीउल्ला, श्री	गोण्डा
परमानन्द दण्डी स्वामी, श्री	रामपुर	सुखवीर सिंह गहलौत, श्री	गाजियाबाद
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर	सुधीर कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
पृथ्वी सिंह, श्री	हरिद्वार	सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
प्यारे लाल संखवार, श्री	कानपुर देहात	हरक सिंह रावत, श्री	गढ़वाल
बाबूराम एम० काम०, श्री	जालौन	हरद्वार दुबे, श्री	आगरा
बालेश्वर त्यागी, श्री	गाजियाबाद	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नियम 311 की सूचनाएं लिये जाने की मांग

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में अभूतपूर्व बिजली और पानी का संकट हो गया है । गांवों में विद्युत आपूर्ति नष्ट हो गयी है और पानी सिंचाई के लिये उपलब्ध नहीं है । (व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री विजय पाल सिंह तोमर–

मान्यवर, मोदी नगर में मजदूरों पर लाठी-गोली चलायी जा रही है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठ जायं और व्यवधान न पैदा करें । (व्यवधान)

जो भी सूचनायें है वह समय पर ली जायेंगी । जब समय आयेगा तो उनको सुना जायेगा । आप लोग बैठ जायें ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सांसदों / विधायकों आदि की सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में सरकारी नीति

**1–श्री हृदय नारायण दीक्षित, श्री अरविन्द प्रताप सिंह तथा श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या मंत्रियों की सुरक्षा व्यवस्था में गत दिनों सुरक्षा कर्मियों की तादाद बढ़ाई गयी है ? यदि हां, तो सांसदों/विधायकों/पूर्व मंत्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

प्रदेश में बढ़ती हुई आतंकवादी गति विधियों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय मंत्री गण की सुरक्षा व्यवस्था में सामान्य अस्थाई बृद्धि (एक गनर, एक वाचर) (नागस्कि पुलिस कांस्टेबिल) और एक स्कोर्ट (एक हेड कांस्टेबिल, 3 कांस्टेबिल) की गयी है ।

माननीय सांसदों व विधायकों को उनकी मांग पर तत्काल एक अंगरक्षक उपलब्ध कराया जाता है । आतंकवाद प्रभावित जनपदों के माननीय सांसदों व विधायकों को उनके अनुरोध पर अंगरक्षक के अतिरिक्त एक गनर दिये जाने के आदेश भी दिये गये हैं । पूर्व मंत्रियों को भी उनके वास्तविक जीवन भय, जीवन भय का कारण व अन्य आवश्यक सूचनाओं के आधार पर आवश्यकता पाये जाने पर समुचित सुरक्षाव्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, सरकार ने माननीय मंत्रियों की सुरक्षा में काफी फोर्स और तीम-झाम लगा दिया है जबकि माननीय विधायकों की रोजाना की कार्य प्रकृति ऐसी है कि क्षेत्र की जनता के बारे में यहां सदन में और बाहर भी बोला जाता हैं जिसके कारण, जो विचार रोजाना व्यक्त किये जाते हैं उसके कारण, तमाम ऐसे

लोग नाराज हो जाते है .जो माननीय विधायकों के जीवन के लिये बड़ा प्राणघाती सिद्ध होता है । लेकिन सरकार ने मा० विधायकों सांसदों की सुरक्षा के सम्बन्ध में इतना ही बताया है कि इनकी मांग पर तत्काल एक अंगरक्षक दे दिया जाता है । इस प्रकार माननीय विधायकों की कार्य प्रकृति जटिल है इसलिये इनकी ज्यादा सुरक्षा होनी चाहिये, मैं मंत्रियों की ही तरह, सूची के अनुसार नहीं, परन्तु विधायकों के लिये अतिरिक्त अंगरक्षक और गनर की सुविधा देने पर क्या मंत्री जी विचार करेंगे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, 282 माननीय सदस्यों को अंग रक्षक की सुविधा प्रदान की गयी थी ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मेरा यह सवाल नहीं था ।

श्री अध्यक्ष–

उत्तर तो आ जाने दीजिये ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, जैसा कि प्रश्न पूछा गया था कि आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था माननीय मंत्रियों की, की गई और मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट बताया कि यह व्यवस्था अस्थायी है । यह कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है । वर्तमान में प्रदेश में मौजूदा आतंकवादी गतिविधियों को देखते की गई है । माननीय दीक्षित जी ने जैसा कि अभी कहा है कि विधायकों की तरफ से भी कुछ चीजें खड़ी हो जाती हैं उसके लिये क्या व्यवस्था कर रहे हैं । मान्यवर, मैंने अभी बताया है कि 282 माननीय सदस्यों को सुरक्षा प्रदान की गयी है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मेरे सवाल का उत्तर नहीं आया है । मैं दूसरा सवाल नहीं कर रहा हूं वरन् पहले सवाल पर बल दे रहा हूं । मैंने यह पूछा था कि माननीय विधायकों की कार्य प्रकृति को देखते हुए जिस पर कि आपने मुझे टोका भी था । क्या विधायकों के लिये सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? मान्यवर, मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं आया है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

ऐसा कोई प्रस्ताव मान्यवर, विचाराधीन नहीं है ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि ऐसे क्षेत्र जो आतंकवाद से ज्यादा ग्रस्त हैं और तराई क्षेत्र का खासतौर से जिक्र किया है । उन क्षेत्रों को सही है कि ज्यादा सुरक्षा सुविधा दी जाय लेकिन ऐसे जिले, जहां आतंकवाद का कोई प्रवेश नहीं हैं । लखनऊ, जहां आतंकवाद नहीं है, उस तरह का जिस तरह के आतंकवाद को लेकर सुरक्षा दी जाती है । तो क्या मंत्री जी ऐसे मंत्रियों को, जो लखनऊ में दौरा करते हैं या उनकी गाड़ी चलती है उसके पीछे जो स्कोर्ट मिलता है उस स्कोर्ट को लखनऊ पर समाप्त करदें क्योंकि उससे खर्च पर असर पड़ेगा ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जो हमने सुरक्षा की व्यवस्था की है, एक हेड कान्सटेबिल की, तीन कान्सटेबिल की । इसलिये यह व्यवस्था की है क्योंकि पुलिस विभाग के पास अपने संसाधन तो वैसे ही कम हैं इसलिये माननीय मंत्रियों को कहा गया है कि अपने सम्बन्धित विभाग से एक वाहन की व्यवस्था करा लें । सम्बन्धित विभागों को निर्देश भी दिये गये हैं इस सम्बन्ध में । जिन विभागों ने ऐसी व्यवस्था की है उन्हीं के साथ स्कोर्ट चलता है । यही जिले के दौरों के समय जायेगा । पहले दौरों के समय बाराबंकी जाने पर भी स्कोर्ट की व्यवस्था की जाती थी वह इस व्यवस्था के होने से शिथिल हो गयी है ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, मैं, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आतंकवादियों के डर से कितने मंत्रियों के लिये कितनी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई । वह कौन-कौन से मंत्री हैं जिनके लिये आतंकवादियों के डर से सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है । इसी के साथ दूसरा प्रश्न यह है कि आप आतंकवादियों के डर से उनके परिवार जनों के लिये भी सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था की है ?

श्री अध्यक्ष–

दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिये, पहले की आवश्यकता नहीं समझता ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, कुछ मंत्रियों को ऐसी सुरक्ष प्रदान की गई है लेकिन साधारणतया माननीय मुख्य मंत्री जी और अतिरिक्त (गृह राज्य मंत्री) बाकी सब को वही सुरक्षा प्रदान की गई है जिसके बारे में मैंने बताया है । कुछ मंत्रियों के परिवारजनों के जीवन भय की आशंका व्यक्त की गई है उसके लिये सुरक्षा व्यवस्था की गई है ।

श्री विजय सिंह राणा–

कौन-कौन से ऐसे मंत्री हैं, उनके नाम तो बता दें । उनकी सूची बता दें ?

श्री अध्यक्ष–

कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनके परिवारों को खतरा है उनको सुरक्षा दे दी गई है । अब आप यह संकेत क्यों करना चाहते हैं कि वह कौन-कौन से मंत्री हैं । सुरक्षा की दृष्टि से भी आवश्यक नहीं है कि किन मंत्री के परिवार के लोगों को खतरा है, यह बताया जाय ।

डा० बृजभान यादव–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है उससे राज्य सरकार पर कितना अधिक व्यय भार पड़ा है ?

श्री अध्यक्ष–

कितना अधिक व्यय भार पड़ा है, बता दें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

इसके लिये तो अलग से सूचना की आवश्यकता होगी । यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री इजहार आलम खां–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मंत्रियो के परिवारजनों को भी सुरक्षा व्यवस्था दी जाती है । मैं एक खास बात यह बताना चाहता हूं कि एक साहब हैं, कन्डक्टर रोडवेज में, वह किसी मंत्री के ही रिश्तेदार हैं और उनके घर पर गार्ड रहता है और उनके साथ दो अंगरक्षक रहते हैं । मेरा कहने का मतलब यह है कि एक तरफ तो इस प्रकार से सुविधा दी जाती है और एक तरफ जो भूतपूर्व विधायक हैं, उनको कोई सुविधा नहीं दी जाती है ।

उन लोगों को मना कर दिया जाता है कि कोई सुविधा नहीं दी जायगी । आप चाहें तो मैं नाम बता सकता हूं ?

श्री अध्यक्ष–

नहीं, नाम देने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

ठाकुर वीरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं मंत्री जी ने बताया जिन क्षेत्रों को आतंकवाद ग्रसित क्षेत्र माना गया है उसमें कुछ विधायकों को सुविधा दी गई है । मैं सहारनपुर जनपद के बारे में जानना चाहता हूं अगर इस जनपद को आतंकवाद ग्रसित क्षेत्र माना गया है तो क्या वहां भी विधायकों को सुरक्षा देने का काम करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं जिन माननीय विधायकों ने, सांसदों ने अनुरोध किया है उनको अंगरक्षक प्रदान करने की कार्यवाही की गई है, तो क्या मंत्रीगण ने भी अपनी सुरक्षा के लिये अनुरोध किया है ? ऐसे कितने मंत्री हैं जिनको आतंकवादियों ने धमकी दिया है, इसलिये उनको सुरक्षा दी गई है ऐसे कितने भूतपूर्व मंत्री हैं, सांसद हैं जिन्होने अंगरक्षक प्रदान करने का अनुरोध किया है ?

श्री अध्यक्ष–

आपका प्रश्न तो बहुत विस्तृत है ।

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, अंगरक्षक तब प्रदान किया जाता है जब जान की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए । मंत्रीगण की कार के पीछे जो गाड़ी चलती है यह परम्परा कभी नही रही है यह पहली सरकार है कि स्कोर्ट पर चल रही है लखनऊ शहर के अन्दर अन्य लोगों के अनुरोध पर सुरक्षा प्रदान की जा रही है मंत्रीगणों ने आतंकवादी गतिविधियों से डरकर सुरक्षा की मांग की है या उनको स्वयं उपलब्ध करायी जा रही है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, आतंकवाद गतिविधियों को देखते हुये पंजाब में चुनाव हुए तो सेना तैनात कर दी गई थी उसकी वजह से पलायन उत्तर प्रदेश की सीमा में आतंकवादियों का हुआ था। यह जो व्यवस्था की गई है यह अस्थायी की गई है। मैं कहना चाहता हूं अनेक मंत्रियों ने अपनी स्कोर्ट सुरक्षा व्यवस्था को वापस कर दिया है। मैं उनके नाम का जनहित में उल्लेख नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अनेक मंत्रियों ने सुरक्षा व्यवस्था को वापस कर दिया है। जैसा कि मैंने बताया कि यह अस्थाई व्यवस्था है स्थाई व्यवस्था नहीं की गई है।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

माननीय मंत्री जी ने मूल उत्तर दिया है उसमें अन्तिम पैरे में है "पूर्व मंत्रियों को भी उनके वास्तविक जीवन भय, जीवन भय का कारण व अन्य आवश्यक सूचनाओं के आधार पर आवश्यकता पाये जाने पर समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है" तो पूर्व मंत्रियों के वास्तविक जीवन भय का क्या तात्पर्य है और पूर्व मंत्रियों के संदर्भ में कहा गया है तो पूर्व मंत्रियों के वास्तविक जीवन में वास्तविक जीवन से क्या तात्पर्य है ?

श्री अध्यक्ष–

आप वास्तविक जीवन का तात्पर्य समझ सकते हैं।

(अल्प सू० ता० प्र० सं०–2 पुकारे जाने पर)

डा० बृजभान यादव–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायगा।

डा० बृजभान यादव–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायगा।

स्थानान्तरण नीति का विभागों द्वारा अनुपालन

**2-श्री भोला शंकर मौर्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो स्थानान्तरण नीति कार्मिक द्वारा बनाई गयी है, इस नीति का अनुपालन सभी विभागों के द्वारा किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सभी विभागों को निर्देश देने का कष्ट करेंगे कि कार्मिक विभाग द्वारा बनाई गयी स्थानान्तरण नीति का अनुपालन शासन के सभी विभागों द्वारा कड़ाई से किया जाये ?

नोट:–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

सिंचाई, न्याय तथा विधायी मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां । ऐसे आदेश दिये जाते हैं/दिये जायेंगे ।

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, कार्मिक विभाग द्वारा जो स्थानान्तरण नीति निर्धारित की गयी है उसके मुख्य-मुख्य बिन्दु क्या हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, यह नीति अभी विचाराधीन है इसलिये अभी इस पर अंतिम रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है । जब अंतिम रूप से निर्णय हो जायेगा तो सभी बिन्दु स्पष्ट कर दिये जायेंगे ।

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने कहा है, जी हां । तो बतायें कि मुख्य बिन्दु क्या हैं ?

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, कार्मिक विभाग मंत्री जी के आने के बाद से तो काम नहीं कर रहा है, यह तो पहले से काम कर रहा है । स्थानान्तरण की नीतियां जो अब तक रही हैं वह क्या हैं और उसमें मुख्य-मुख्य परिवर्तन क्या किये जा रहे हैं, यह बता दें ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, मैंने बताया कि स्थानान्तरण नीति पिछले साल शासन विधिवत् नहीं बना पाया था । इस बार नये सिरे से स्थानान्तरण नीति बन रही है जो विचाराधीन है । इस पर शीघ्र ही निर्णय होने वाला है । हर साल शासन की स्थानान्तरण नीति बनती है । एक-दो दिन में नीति तय हो जायेगी सभी बिन्दु सामने आ जायेंगे ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, कार्मिक विभाग द्वारा जो स्थानान्तरण नीति अब तक है वह बता दें । इस नीति में आपने क्या-क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन किये हैं वह भी बताने की कष्ट करें । जिस नीति के अंतर्गत पिछले 11 महीनों में आपने स्थानान्तरण किये हैं उसके मुख्य-मुख्य बिन्दु बता दें ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, अगर पिछले वर्ष की स्थानान्तरण नीति के बारे मे माननीय मंत्री जी जानना चाहते हैं तो वह 3-4 पेज की है, कहिये तो मान्यवर, पढ़ दूं ।

श्री विजय सिंह राणा–

मुख्य बिन्दु बता दें ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, कुछ बिन्दु बताऊंगा, कुछ रह जायेंगे तो विशेषाधिकार का प्रश्न आ जायगा, सदन को गुमराह करने का आरोप लग जायगा ।

(ता० प्र० सं०–1 पुकारे जाने पर)

श्री इकबाल महमूद–

मान्यवर, सदन के अंतिम क्षण चल रहे हैं । अगर कोई माननीय सदस्य प्रश्न करना चाहते हैं तो उनको अनुमति दें दें ।

श्री अध्यक्ष–

मेरी भी इच्छा है कि अधिक से अधिक प्रश्नों की इजाजत दूं ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस वर्ष भी स्थानान्तरण नीति विचाराधीन है । गतवर्ष भी किसी नीति के तहत स्थानान्तरण हुआ था । मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या इस वर्ष, गत वर्ष की तुलना में, गत वर्ष की भांति इस वर्ष की स्थानान्तरण नीति में पहले की नीति से कोई विशेष अन्तर है । इस साल जो स्थानान्तरण नीति विचाराधीन है, उसमें शासन क्या किसी खास पहलू पर विचार कर रहा है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, पूरी नीति विचाराधीन है । कितना अन्तर है और कितना नहीं और पिछली नीति का कितना पालन करेंगे, यह बताना अभी संभव नहीं है । लेकिन इतना जरूर आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस साल की नीति सुनिश्चित और स्पष्ट होगी ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मंत्री जी की परेशानी यह है कि बच्चा पैदा नहीं हुआ, नाम कैसे बता दें ?

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, स्थानान्तरण नीति की प्रति दिलवा दें ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, स्वामी नाथ जी सही कह रहे हैं । आपने जो स्थानान्तरण नीति निर्धारित की है, हम लोगों को उसकी एक-एक प्रति उपलब्ध करवा दें ।

श्री अध्यक्ष–

यह जो स्थानान्तरण की नीति आप पढ़ना चाहते थे, इसकी एक प्रति माननीय सदस्य को दे दें ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जो पुरानी नीति है ?

श्री अध्यक्ष–

जो अभी आप पढ़ना चाहते थे ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी कह रहे हैं कि पुरानी वाली उपलब्ध करवा देंगे । सदस्यों को पुरानी वाली नहीं चाहिये । नयी चाहिये । आप सभी सदस्यों को नयी·वाली नीति की प्रति दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष–

नयी नीति बन जायगी तो मिल जायगी ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, पुरानी तो भेजेंगे ही, आप निर्देश दे दें कि सभी सदस्यों को नयी नीति की प्रति उपलब्ध करा दे ।

श्री अध्यक्ष–

नयी भेज दें ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

बरेली स्टेशन पर घटित आपराधिक घटनाओं का प्रकरण

*1–श्री देवेन्द्र पाल सिंह (अनुपस्थित)––

क्या मुख्य मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि बरेली रेलवे स्टेशन पर जी० आर० पी० पुलिस तथा असामाजिक तत्वों की सांठ-गांठ से आये दिन अटैची चोरियां तथा रेलवे स्टेशन पर अनेक प्रकार से अपराधों की घटनायें होती हैं ? क्या इसी संदर्भ में दिनांक 6-7 नवम्बर, 91 की रात्रि में चन्दौसी (मुरादाबाद) के अमर नाथ नामक व्यक्ति ने 70-80 हजार रुपये माल की चोरी की रिपोर्ट थाना जी० आर० पी० बरेली जंक्शन पर दर्ज कराई है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में मंत्री जी सी० आई० डी० से जांच कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो उक्त मामले में पुलिस की जानकारी में मुल्जिम होते हुए उन्हें गिरफ्तार न करने का क्या कारण है ?

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

विभिन्न रेलवे स्टेशनों की भांति बरेली स्टेशन पर भी ऐसी अपराधिक घटनाओं की संभावना रहती है किन्तु ऐसी घटानायें जी० आर० पी० तथा असामाजिक तत्वों की सांठ-गांठ से होने की सूचना नहीं है ।

दिनांक 7 नवम्बर, 1991 को श्री अमर नाथ ने जी० आर० पी० बरेली जंक्शन पर दो सूटकेश (जिसमें विभिन्न वस्तुयें व सोने के कुछ जेवर थे) के चोरी होने की रिपोर्ट लिखाई थी । उसमें कीमत का उल्लेख नहीं था । क्षेत्राधिकारी द्वारा वास्तविकता का पता लगाने का प्रयास जारी है अतः सी० आई० डी० से फिलहाल जांच कराने का औचित्य नहीं बनता ।

प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी अभियुक्त का नाम नहीं था । वास्तविकता का पता लगाने का प्रयास जारी है अतः गिरफ्तारी का मामला सम्प्रति अपरिपक्व है ।

आतंकवाद के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर बनायी गयी योजना की जानकारी तथा प्रदेश सरकार को प्राप्त संसाधनों का विवरण

*2–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आतंकवाद के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर योजना बनाये जाने तथा संयुक्त कार्यवाही करने हेतु हाल ही में मुख्य मंत्रियों की दिल्ली में हुई बैठक में क्या निर्णय लिये गये तथा किन बिन्दुओं पर कार्य प्रारम्भ हो गया है ? क्या प्रदेश के लिये मांगे गये आवश्यक संसाधन केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे हैं ? यदि हां, तो उनका विवरण क्या है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

यह केन्द्र सरकार से संबंधित है ।

प्रदेश के लिये मांगे गये आवश्यक संसाधनों में से आंशिक रूप से कुछ संसाधन ही केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं जिसमें केन्द्रीय बलों की 43 कम्पनियां एवं कुछ शस्त्रादि सम्मिलित हैं ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, जहां एक ओर प्रदेश में बढ़ रहे आतंकवाद और आतंकवादी गतिविधियों के कारण पूरे प्रदेश में चिंता का वातावरण व्याप्त है, वहीं दूसरी तरफ यह भी घोर चिंता का विषय है कि केन्द्र सरकार, कारगर ढंग से इन आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा जो आवश्यक संसाधन मांगे गये, उनकी पूर्ति नहीं कर रही है । यह निश्चित रूप से भेदभाव पूर्ण है । मैं जानना चाहूंगा कि इस संबंध में जो दिल्ली में एक आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित मुख्य मंत्रियों की बैठक हुई, उसमें हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री जी द्वारा इन आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिये कौन से सुझाव दिये गये और कौन से शस्त्र मांगे गये और उस संबंध में केन्द्र सरकार का क्या रुख रहा ? किन बातों पर केन्द्र सरकार सहमत हुई ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जब तक केन्द्र सरकार की भेदभाव मूलक नीति है और वह प्रदेश की आतंकवादी गतिविधियों के प्रति संवेदनशील नहीं है, तब तक उस परिस्थिति में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि प्रदेश की स्थिति को देखते हुये और केन्द्र की भेदभाव मूलक स्थिति को देखते हुये क्या वह कोई वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जो अपने संसाधन हैं, जो अपने बल हैं, उनको विशेष ट्रेनिंग देकर शस्त्रों से सज्जित करने की व्यवस्था सरकार कर रही है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने दिल्ली में मुख्य मंत्री के हुए सम्मेलन में जो गृह मंत्री, भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया था, उसमें राज्य सरकार के और मुख्य मंत्री ज़ी द्वारा दिये गये सुझावों के बारे में पूछा गया था । उस संदर्भ में मुख्य मंत्री जी ने इस बात पर बल दिया था कि आतंकवाद से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाई जानी चाहिये । सभी आतंकवाद से प्रभावित राज्यों के मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन समय-समय पर बुलाना चाहिये और प्रभावित राज्यों के प्रमुख अधिकारियों की बैठकें होनी चाहिये और जो सूचनाएं आतंकवाद के संबंध में राज्यों के पास नहीं हैं, उनका अध्ययन प्रदेश में भी समय-समय पर किया जाना चाहिये, जिससे आतंकवादी गतिविधियो के संबंध में संलग्न लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही की जा सके ।

दूसरा माननीय मुख्य मंत्री जी ने जैसा अनुरोध किया था कि आतंकवादियों से निपटने के लिए एक समान रणनीति बननी चाहिये, टुकडों-टुकड़ों में आतंकवाद की समस्याओं से नहीं निपटा जा सकता है। इसलिये केन्द्र सरकार पहल करके इसके बारे में समान रणनीति बनाये। समान रण-नीति का उल्लेख करते समय उन्होने कहा था कि पंजाब के चुनाव के समय वहां पर मिलिट्री का आपरेशन किया गया था, लेकिन पड़ोस के राज्यों को विश्वास में न लिये जाने के कारण जब वहां पर पुलिस और सेना का दबाव पड़ा तो वहां से आतंकवादी निकल कर पड़ोसी राज्यों में चले गये। उसे राज्य सरकारों को विश्वास में लेकर और समान रण-नीति लागू कर वहां आपरेशन हो, तो आतंकवाद पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिये समयबद्ध कार्यक्रम बनाये जानै पर बल दिया गया। इन तीन प्रमुख मुद्दों के साथ-साथ जो राज्य की आवश्यकता है, उसके अन्दर हमने 80 कम्पनी केन्द्रीय बल की मांग की थी, पहले 53 थी, केन्द्र सरकार ने पंजाब चुनाव के लिये 10 कंपनी वापस ले लिया था और आश्वस्त किया था कि चुनाव के बाद वह वापस कर देंगे, लेकिन कतिपय कारणों से वापस नहीं हो सकी। इस समय 43 कंफ्नी केन्द्रीय बल की है,जबकि हमारी डिमांड 80 कम्पनी की है। अपने प्रदेश की कंपनी को सुसज्जित करने के लिये हमने आधुनिक शस्त्रों की भी मांग की थी और अग्नेयास्त्रों और उपकरणों की भी मांग की थी। जनहित में यह बताना उचित नहीं समझता कि कितनी मांग की थी और कितनी उपलब्ध हुई थी।

(व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, राज्य सरकार केन्द्र के नाम पर रोती नहीं रहेगी, बल्कि आतंकवाद पर नियंत्रण करेगी। मान्यवर, राज्य सरकार ने अपनी ओर से 36 करोड़ की प्रथम चरण की योजना बनाई है, जिसमें 11 करोड़ की वित्तीय स्वीकृत जारी करते हुए मैंने आधुनिक उपकरण और वायरलेस सेट आदि खरीदे हैं और इसके साथ मैंने केन्द्र सरकार के समक्ष माननीय मुख्य मंत्री ने यह भी अनुरोध किया था कि उत्तर प्रदेश का हम आधुनिकीकरण कर रहे हैं और यह 36 करोड़ की योजना बनाई है, इसमें केन्द्र की आधे की साझेदारी है, लेकिन अभी उसकी स्वीकृति नहीं मिली है, लेकिन फिर भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आतंकवाद से निपटने के लिये वित्तीय संसाधन की कमी नहीं आने पायेगी और जो हमारी प्रथम चरण की योजना है, उसे पूरा करने के लिये हम सुदृढ़ संकल्प हैं, उसको पूरा करेंगे।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, मै यह जानना चाहता हूं कि आतंकवाद के पीछे कोई न कोई पोलिटिकल फिलासफी होती है, जैसे पंजाब में ख़ालिस्तान बनाने की, कश्मीर में उसको लिबरेट कराने की और आसाम में भी यही है और आन्ध्र प्रदेश में भी यही है। तो उत्तर प्रदेश के तराई एरिया में जो आतंकवाद दिखाई दे रहा है, उसके पीछे क्या फिलासफी है ? यह जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वह ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन के कारण है। इसमें केन्द्र को बीच में लाना ठीक नहीं है। आतंकवाद को समाप्त करने के सिलसिले में क्या कदम उठाये गये हैं ? चूंकि स्टेट के ला एण्ड आर्डर का मामला सेपरेट है और दिल्ली का बिलकुल अलग है। इसके पीछे पोलिटिकल फिलासफी क्या है, मैं यह जानना चाहता हूं।

(उत्तर के लिये मंत्री का नाम नहीं पुकारा गया)

श्री भागवत पाल–

मान्यवर, अभी प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया है और इसके पहले भी माननीय मंत्री जी उत्तर देते रहे हैं और जब भी उत्तर दिया है यह बात कही है कि आंतकवाद से सख्ती से निबटा जायेगा और अभी माननीय मंत्री जी ने केन्द्र से शस्त्रों की मांग की बात कही है । पंजाब में तमाम फोर्स भेज दिया लेकिन आतंकवाद रुका नहीं और उसका हस्र क्या हुआ कि पूरे देश में आतंकवाद फैल गया, केन्द्र सरकार भी उसको नहीं रोक पायी । आतंकवाद से सख्ती से निबटने की बात कही जा रही है, लेकिन आतंकवाद की कुछ पृष्ठ भूमि हो सकती है, सख्ती से निबटने की बात कही जाती रही है, लेकिन जबान से निबटाने की बात कभी नहीं कही गयी । मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार ने आतंकवादियों के साथ कभी कोई ऐसी बैठक आयोजित की है जिसके कारण उनका पक्ष सामने आया हो ? हो सकता है कि सरकार की कहीं पर कोई कमी रही हो । क्या कभी किसी वार्ता की शुरूवात की गयी है ?

श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

मैंने पोलिटिकल फिलासफी की बात जाननी चाही थी, उसका उत्तर नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष–

आतंकवादी की पोलिटिकल फिलासफी आपका दल या सत्तारुढ़ दल कैसे बता सकता है ? अगर इसकी आवश्यकता होती तो मैं उत्तर दिलवा देता ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, आतंकवाद उत्तर प्रदेश की अपनी समस्या नहीं है । यह एक बाहर से आयातित समस्या है । इसकी माननीय सदस्यों को जानकारी रखनी चाहिये । इसकी पृष्ठभूमि कहीं अन्यत्र से है और इसके बारे में केन्द्र सरकार ही पहल कर सकती है ।

श्री भागवत पाल–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । सरकार ने सख्ती से निबटने के अलावा और क्या रास्ते अपनाये हैं । यह मंत्री जी बता दें । शांतिपूर्ण रास्ता कौन अपनाया ?

श्री अध्यक्ष–

आप यह बता दें कि आतंकवाद से निबटने के लिये दूसरा कौन सा रास्ता अपनाया है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

हमारी सरकार केन्द्र से संपर्क बनाये हुये है और प्रयास कर रही है कि इस तरह की समस्या का समाधान हो जाये और इसमें पहल केन्द्र सरकार को ही करनी है ।

श्री भागवत पाल–

मान्यवर, आप सारी चीजों के जानकर हैं मुझे आपका संरक्षण चाहिये ।

श्री अध्यक्ष–

अभी आप बैठे ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मांननीय अध्यक्ष जी, पाल साहब के प्रश्न का उत्तर नही आया और जो मैं चाहता हूं असल सवाल ही यह है कि ताकत से तो निपट ही लेंगे । पिछले दिनो आतंकवादियों ने जिन्हें लोग आतंकवादी या सोकाल्ड आतंकवादी कहते हैं उन्होंने हाइवे रोके रखा और संवा घंटे तक गाड़ियों की तलाशी लेते रहे और कुछ लोगों को अगवा करके ले गये और कुछ को मार दिया उसका रिएक्शन यह हुआ कि तराई क्षेत्र के एक बड़े आदमी जिनकी कई इंडस्ट्री है, चीमा की, उनके बेटे को उठा लिया, जाहिर है कि पंडित जी का उनका भी बेटा उठाया गया था, पहले पंडित जी के बेटे की लाश मिली फिर चीमा साहब के बेटे की लाश मिली । पुलिस ने यह कहा कि हम चीमा के बेटे के कातिलों को इसलिये नहीं पकड़ेंगे क्योंकि पंडित जी का बेटा भी मारा गया है, यह पाल साहब का सवाल था । तो मान्यवर, उन्होंने सवा घंटे हाइवे रास्ता रोके रखा और जहां हमारी चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था है वहां सख्ती से, सख्ती से, सख्ती से निपटेगें, कहीं कुछ किया गया, फिर भी निपटेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करें ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैं एक बात यह जाननः चाहता हूं कि ऐसे जो वाक्यात होते हैं, आज भी थाने के पास बम फटा है, थाने की दीवार पर बम फटा है, दो लोग मारे गये हैं, ऐसी जगह पर जहां बम फटता है तो इसे सख्ती से निपटने की बात कर रहे हैं, जो लोग खुद आर्म्ड हैं और जो लोग खुद दूसरों की हिफाजत करने के लिये तैनात हैं वह अपनी ही हिफाजत क्यों नहीं कर पा रहे है यह बता दें और दूसरा प्रश्न यह है कि मुख्य मंत्रियों की मीटिंग में जो सुझाव रखे गये, जो चौधरी साहब का बुनियादी सवाल था और जो मांग की उन्होंने और जो बिन्दु उठाये उन्होंने कि यह केन्द्र की ओर से मिलना चाहिये तब हम सुरक्षा कर सकेंगे तो क्या इसका मतलब कही निकला कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार आतंकवाद को खत्म करना चाहती है , भयमुक्त समाज कायम करना चाहती है लेकिन केन्द्र सरकार उसमें सहयोग नहीं कर रही है तो मैं मंत्री जी से सीधे यह जानना चाहता हूं कि यह बात आज बिल्कुल साफ होनी चाहिए उत्तर प्रदेश की जनता में कि केन्द्र सरकार क्या यहां पर आतंकवाद को बढ़ाने के लिये किसी तरह का सहयोग न देकर यहां की निहत्थी और बेगुनाह जनता को मरवाने का कार्य कर रही है या यह सिर्फ एक इल्जाम है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, पहले वाले प्रश्न का उत्तर दे दें दूसरे प्रश्न को जो आपके संसद सदस्य हैं उनसे लोक सभा में करायें ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, हम भी जानते हैं भाजपा के सदस्य ने यह सवाल क्यों किया है, हम भी जानते हैं, हम इतना नये नहीं हैं । यहां जो कहा गया है इस पर बहस हो कि यहां मुख्य मंत्री बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन केन्द्र सरकार कोई सहायता नहीं कर रही है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

केन्द्र की मंशा क्या है यह केन्द्र बतायेगी ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, भाजपा का सदस्य सवाल करे और भाजपा का मंत्री जवाब दे और मैं बैठा मुंह ताकता रहूं।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैं यह स्पष्ट कर दूं कि राज्य सरकार को केन्द्र सरकार की नीयत पर किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार बड़े भाई के रूप में कार्य कर रही है। केन्द्र सरकार होने के कारण यह भी उत्तरदायित्व साथ में लगा हुआ है बड़े भाई के नाते हमने अपना अनुरोध भेजा है उसमें जो सम्भव हो सका उन्होंने स्वीकार भी किया है। मैंने कभी यह नहीं कहा कि केन्द्र सरकार प्रदेश में आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। न कोई ऐसी मंशा है केन्द्र सरकार की। यह माननीय सदस्य का अपना भ्रम है। मैं चाहूंगा कि इसका निवारण कर लें। जिस विशेष प्रकरण का उल्लेख किया है, वह हालांकि मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है फिर भी बताना चाहूंगा कि कभी पुलिस ने ऐसा नहीं कहा कि पंडित के लड़के को गिरफ्तार नहीं करेंगे।

श्री प्रमोद तिवारी–

पहली बात तो यह है कि भाटी जी ने जो प्रश्न किया था, महत्वपूर्ण है। यहां जो आतंकवाद है, पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था का प्रश्न है। इससे निपटना प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार इस बात को भी ध्यान में रखे कि जब पंजाब में चुनाव के लिये सेना बुलायी गयी तो राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में कोई आतंकवादी गतिविधियां नहीं थीं लेकिन यहां आतंकवादी गतिविधियां हुई हैं। भारत सरकार के गृह मंत्री ने संसद में सूचित किया है कि 50 कम्पनियां मांगी गयी थीं, उन्होंने 53 दी हैं। क्या यह सही नहीं है कि जहां-जहां इन कम्पनियों को लगाने के लिये कहा गया था, वहां उन्हें नहीं लगाया गया और इस प्रकार जो संसाधन दिये गये थे, उनका सही उपयोग नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष–

मैंने केन्द्र सरकार पर आरोप नहीं लगाने दिया। विधान सभा एक सरकार के द्वारा दूसरी सरकार पर आरोप लगाने के लिये नहीं इस्तेमाल की जायगी।

श्री प्रमोद तिवारी–

एक प्रश्न का जवाब तो दिलवा दें। मेरा यह कहना है कि जब पंजाब में बहुत आतंकवाद बढ़ गया था, आसाम में बढ़ गया था, वहां की सरकार जब मुकाबला नहीं कर पायी तो हट गयी थी। मैं अनुरोध करूंगा कि पिछले 11 महीनों में 500 लोग मार दिये गये, पिछले महीने 45 लोग मार दिये गये, आप अक्षम साबित हो गये हैं तो क्या अपनी सरकार को हटाकर प्रदेश केन्द्र सरकार को सौंप देंगे ?

श्री अध्यक्ष–

यह अनुपूरक प्रश्न के रूप में नहीं है, इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्रीमती ज्ञानवती सिंह–

इस आतंकवाद से निपटने के लिये क्या सरकार ने कोई विशेष नीति बनायी है ? महाराष्ट्र में गढ़चरौली जैसा एक जिला है, जो आन्ध्र प्रदेश से मिला है। वहां नक्सलवादियों की गतिविधि होती थी, उससे निपटने के लिये महाराष्ट्र सरकार ने एक नई नीति बनायी थी। उस समय वहां के जो डाइरेक्टर

जनरल (पुलिस) थे उन्हीं के सहयोग से नीति बनी थी । उसके बाद वहां का इलाका शान्तिपूर्ण हो गया । क्या आपने ऐसी कोई रणनीति बनायी है ? जो पुलिस कर्मी होते हैं, अगर उन्हें संरक्षण या आगे की उन्नति का आश्वासन नहीं मिलता है, तो वह अपनी जान जोखिम में डालने के लिये तैयार नहीं होते हैं। अतः ऐसे अंधिकारियों को चुन-चुनकर वहां भेजा जाय जो आतंकवाद से निपटने के लिये कटिबद्ध हों और उनको यह आश्वासन दिया जाय कि आगे की नियुक्तियां उनके मनमाफिक होंगी । अगर ऐसी कोई नीति आपके शासन ने बनायी हैं, अगर आप कहते हैं कि कटिबद्ध हैं तो खाली शब्दों से काम नहीं चलायें, उस पर कोई रणनीति नहीं बनायेंगे तो काम नहीं चलेगा आप काम करके दिखायें जैसा कि दूसरे प्रदेशों की सरकार ने किया है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीया ज्ञानवती जी, आपके प्रश्न से तीन बातें निकलती हैं । एक–यह मूल प्रश्न की परिधि से बाहर है, दूसरे– जब गृह विभाग की अनुदान मांगों पर विचार हुआ था तो उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने आतंकवाद से निपटने के लिये अपनी नीति को बताया था । आपने जो सुझाव दिया, आपके सुझाव की ओर मा० गृह राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं ।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, आपने बहुत सही मार्गदर्शन दिया । केवल एक बात कहना चाहता हूं, आतंकवाद की गतिविधियों को रोकने के लिये क्या कदम उठाये हैं केन्द्र सरकार से क्या बातें हुई हैं उसकी बाबत माननीय राज्य मंत्री ने बताया है । मान्यवर, जो रणनीति और उपाय योजना की बात है, यह पूरा सदन इस बात से सहमत होगा कि इस पर सार्वजनिक चर्चा नहीं करनी चाहिए । माननीय नेता सदन ने जो घोषणा की थी उसको दोहराते हुए कहना चाहता हूं कि हम प्रतिपक्ष की एक बैठक इस संबंध में बहुत शीघ्र ही आयोजित कर रहे हैं और भी बहुत सी बातों पर उसमें परामर्श करके विचार करेंगे । आदरणीय सदन इस बात से सहमत होगा कि रणनीति और उपाय योजना सार्वजनिक हित में ज्यादा उचित नहीं होगी ।

श्री प्रमोद तिवारी–

आप छः महीने के लिये हट जायं, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने दें, सेना तैनात हो जायेगी, यह सब ठीक हो जायेगा ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, यह जो बात आयी है, हथियारों की पूरी संख्या बता देंगे, रणनीति और पुलिस संख्या को बता देंगे, किस प्रकार से सुरक्षा में पुलिस को रात-दिन कहां-कहां लगाया है, तो क्या यह सब बातें गोपनीयता का अंग नहीं थीं । मैंने उस दिन कहा भी था कि इनकी गोपनीयताओं को आप अपने पास रखें । अभी जैसा माननीय गुप्त जी ने कहा कि जो रणनीति का अंग है वह गोपनीय है तो हथियारों का प्रकार, हथियारों की पूरी संख्या कितना सुरक्षा बल कहां-कहां लगाया गया है, वह गोपनीयता का अंग नहीं था ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

प्रश्न हुआ, माननीय अध्यक्ष ने अनुमति दी, उत्तर देना स्वाभाविक था । कुछ सुनने के बाद मैंने हस्तक्षेप करना उचित समझा ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट था ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने कहा कि इस संबंध में ज्यादा सार्वजनिक करना जनहित में उचित नहीं होगा, हम नेताओं की बैठक में इस पर विचार-विमर्श कर लेंगे ।

श्री प्रमोद तिवारी–

हम वहां सुझाव दे देंगे । लेकिन आप पहले छः महीने के लिये हट जायं राष्ट्रपति शासन यहां हो जाय, सेना लग जाय तो आतंकवाद समाप्त हो जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि मा० प्रमोद तिवारी के ऊपर हम यह उपकार नहीं करेंगे ।

श्री प्रमोद तिवारी–

यह नहीं करेंगे, तो हम ही को करना पड़ेगा यह उपकार ।

श्री ऊदल–

माननीय अध्यक्ष जी ने प्रश्न को स्वीकार कर लिया, आपने कहा कि उत्तर देना पड़ा, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि ऐसे भी बहुत से प्रश्न स्वीकार हो जाते हैं, लेकिन हमारी यह मान्य परम्परा रही है कि जो प्रश्न इस प्रकार के होते हैं जिनका जनहित में उत्तर देना सम्भव नहीं है तो यह लिखकर ही काम चल सकता था कि प्रश्न का उत्तर देना जनहित में सम्भव नहीं है । आपने तो मा० अध्यक्ष के लिये कह दिया ।

श्री राज़ेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, हमने मा० अध्यक्ष पर कोई टिप्पणी नहीं की, मा० अध्यक्ष ने इसे स्वीकार किया और जो-जो आवश्यक था उत्तर दिया गया । माननीया सदस्या ने एक सवाल किया रणनीति और उपाय योजना के बारे में तो हमने कहा कि कदाचित सदन इस बात से सहमत होगा कि हमारी रणनीति और उपाय योजना पर सार्वजनिक चर्चा नहीं होनी चाहिए । प्रतिपक्ष के नेताओं के साथ बैठकर हम विचार-विमर्श करने वाले हैं । लेकिन अगर सदन में जिज्ञासा होगी, माननीय अध्यक्ष अनुमति देंगे, तो हम उत्तर देंगे ।

लखनऊ नगर महायोजना में संशोधनों के समय कृषि भूमि को मुक्त करने की मांग

*3–श्री श्याम लाल रावत–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ नगर महायोजना को संशोधित करते समय हर बार शहर के समीपवर्ती सैकड़ों गांवों की कृषि भूमि को आवासीय भूमि घोषित कर दिया जाता है जिससे वह भूमि नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम, 1976 के प्राविधानों के अन्तर्गत आ जाती है और बिना किसी भार के राज्य सरकार में निहित हो जाती है ? क्या यह सही है कि इस विसंगति से हजारों किसान भूमिहीन हो रहे हैं और उनके सामने जीविकोपार्जन की समस्या खड़ी हो रही है ? यदि हां, तो ऐसी भूमि जो उक्त अधिनियम लागू होने के पूर्व कृषि भूमि थी और वर्तमान में राजस्व अभिलेखों में कृषि भूमि के

रूप में अंकित है और उस पर खेती हो रही है, ऐसी समस्त भूमि को, किसानों का हित देखते हुए, तत्काल उक्त अधिनियम के प्राविधानों से मुक्त किये जाने के आदेश जारी किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कटियार)–

नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम एक केन्द्रीय अधिनियम है जो दिनांक 17-2-76 से लखनऊ में लागू है उस दिनांक को महापालिका की जो सीमा थी उसकी 5 कि० मी० की परिधि के ही अन्तर्गत यह अधिनियम लागू है और इसका क्षेत्र महापालिका की सीमा बढ़ने से अप्रभावित रहता है । महायोजना के अन्तर्गत आने वाले समस्त ग्रामों में यह अधिनियम स्वतः ही लागू नहीं होता है । महायोजना में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसके फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों का भू-उपयोग इंगित किया जाता है और उस भू-उपयोग के अनुकूल ही विकास एवं निर्माण कार्य होता है । ऐसी भूमि जो राजस्व अभिलेखों में कृषि दर्ज है और जिस पर कृषि हो रही है तथा जिसका भू-उपयोग कृषि अथवा हरित पट्टी है वह भूमि इस अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार मुक्त है । अधिनियम के अन्तर्गत सामान्य छूट की व्यवस्था नहीं है, किन्तु धारा-20 के अन्तर्गत कृषि हेतु, प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर छूट देने की व्यवस्था है ।

श्री श्याम लाल रावत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का जो उत्तर आया है, यद्यपि उसमें बहुत विरोधाभास है, फिर भी मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि वह भूमि जो इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व कृषि योग्य भूमि थी और आज उस पर खेती हो रही है और राजस्व के अभिलेखों में वह कृषि योग्य भूमि अंकित है तो ऐसी भूमि को उक्त प्राविधानों से निकालने के आदेश देने की व्यवस्था करेंगी ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, उत्तर में स्पष्ट है कि ऐसी सभी भूमि, जो अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत है जिसमें कृषि हो रही है, कृषि 1976 में भी हो रही थी और आज भी हो रही है, और महायोजना के अनुसार भू-उपयोग कृषि भूमि है, वह इस अधिनियम से मुक्त है ।

श्री ऊदल–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी लखनऊ और दूसरे महानगरों में वाराणसी में, कानपुर में, मेरठ में और गोरखपुर में एक योजना लागू की गयी थी उस योजना की रूप रेखा मंगा करके उसकी समीक्षा करेंगी जिसमें यह लिखा है कि इस जमीन में खेती होती है रेवेन्यू रिकार्ड में कृषि भूमि अंकित है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, जहां तक समीक्षा और प्रतीक्षा की बात है अन्य महानगरों की भी व्यवस्था को निश्चित रूप से देखा जायेगा लेकिन एक व्यवस्था ऐसी है कि कोई भी भूमि जो हमारी अपनी आवास की दृष्टि से महायोजना में शामिल है उसमें इस योजना के अन्तर्गत ली हुई पूरी जमीन की एक मुश्त आवश्यकता नहीं होती, जहां तक आवश्यकता होती है उस पर हम अपनी योजनायें चलाते हैं बाकी जमीन जो कृषि के लिये उपयोग हो रही है उसमें धारा 20 है, उसे हम लागू करते हैं, किसानों के ऐसे प्रार्थना-पत्र पर उसे कृषि के लिये अनुमति देते हैं ।

श्री सुरेन्द्र नाथ–

माननीय अंध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की जानकारी में है कि अधिनियम के अव्यवहारिक होने के कारण विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा अर्जित भूमि पर, एक एकड़ की भूमि पर भी कब्जा प्राप्त नहीं हो पाता है और इस कारण केन्द्र सरकार इस वित्तीय वर्ष में इस अधिनियम में संशोधन करने जा रही है । संशोधन का प्रारूप तैयार हो चुका है और माननीया मंत्री जी कह देंगी कि नया नगर अधिनियम केन्द्र सरकार की अनुमति से आयेगा, इसलिये मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब तक नया नगर अधिनियम का प्राविधान होकर नया स्पष्ट स्वरूप नहीं आ जाता, तब तक क्या माननीया मंत्री जी भू-उपयोग की छूट देने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, मैंने पूर्व में ही निवेदन किया है कि यह आवासीय व्यवस्था के लिये महायोजनायें होती हैं और आवासीय व्यवस्था भी हमारी आवश्यक आवश्यकताओं में से एक है । दुर्भाग्य से प्रत्येक चीज मानव द्वारा निर्मित हो जाती है, मानव को भी ईश्वर निर्मित कर देता है, लेकिन जमीन एक ऐसी चीज है, जिसे कोई निर्मित नहीं कर पाता । आवासीय योजना के लिये ऐसी कृषि योग्य भूमि ली नहीं जाती और यदि आवश्यकता के अनुसार हम लेते हैं, तो हमारी योजना एकदम से लागू नहीं होती । जहां तक इस प्रश्न के संदर्भ में लखनऊ के बारे में बताना चाहती हूं कि महायोजना में शामिल भूमि की केवल आधी से भी कम पर हम अपनी योजना क्रियान्वित करने की व्यवस्था कर रहे हैं, बाकी जमीन कृषि उपयोग में है और कृषि हो रही है ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, जैसा कि माननीया मंत्री जी ने बताया कि आवासीय योजना के लिये जमीन का अधिग्रहण करना इनकी आवश्यकता बन गयी है । मैं जानना चाहता हूं कि जब आप इन योजनाओं के लिये गांव के किसानों की जमीन अधिग्रहण करना शुरू कर देती हैं, तो उसमें विसंगति अपने आप पैदा हो जाती है । जहां आपके विकास प्राधिकरण हैं, वह नगर की सीमा से बाहर जाकर किसान की कृषि भूमि का अधिग्रहण करना शुरू कर देते हैं । आगरा में नगर महापालिका की सीमा से कम से कम 6-7 कि०मी० बाहर विकास प्राधिकरण ने अपनी सीमा बढ़ा दी है, तो एक तरफ आप नगरीय सुविधायें ग्रामीणों को देना नहीं चाहती हैं, ग्रामीण जनता को सुविधाओं से वंचित रखना चाहती हैं, उनको अछूत समझती हैं, तो विकास प्राधिकरणों को नगरमहापालिका की सीमा से बाहर तक जाने की क्या आवश्यकता है ? दूसरी बात जानना चाहता हूं कि विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद्, जो किसानों की कृषि भूमि ले लेते हैं, लेकिन नगर महापालिका की सीमा के बाहर शहरी सुविधायें नहीं देते हैं, तो क्या वहां की जनता को पहले नगरीय सुविधायें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, उसके बाद, जमीन अधिग्रहण की योजना क्रियान्वित करें, क्या इस पर विचार करेंगी ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, माननीय सदस्य का जो पहला प्रश्न था, उसके बारे में बताना चाहती हूं कि हमारे महानगरों में जो महायोजनायें हैं, उनका आधार सामान्यतया आवश्यकता होता है । हम लखनऊ में ही देख सकते हैं कि किसी छोर की सीमा ऐसी होगी, जहां डिमान्ड कम होगी और डिमान्ड कम होने के नाते हम उस तरफ के क्षेत्र को कम शामिल करते हैं । जैसे कानपुर रोड ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा है,

अलीगंज में भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे, जहां हम आगे नहीं बढ़े, उसके पीछे मुख्य बात आवश्यकता होती है । यह सत्य है कि विकास प्राधिकरण ने इन सीमाओं के बाहर भी अधिग्रहण किया है उसका भी आधार आवश्यकता ही होता है । मैं यह भी स्पष्ट करना चाहती हूं कि इसके पीछे कहीं से भी किसानों को कठिनाई में डालना नहीं होता है । उसमें स्पष्ट प्राविधान है कि किसानों के द्वारा कृषि के लिये उपयोग में आने वाली जमीन, जो सीलिंग से मुक्त क्षेत्र हो, का अधिग्रहण जो भी विकास प्राधिकरण आवासीय योजना के नाते करेंगे, उन्हें बाजार भाव के हिसाब से मुआवजा देंगे । बहुत दिन नहीं हुए हैं, अभी तीन दिन पहले ही इस आदरणीय सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह स्पष्ट किया था कि ऐसी भूमि जो किसानों से प्राप्त की जायेगी, उसके लिये ऐसा प्राविधान करने जा रहे हैं कि उस भूमि में से एक प्रतिशत, यह दस प्रतिशत भी हो सकता है, भूमि की सीमा के अनुसार हो सकता है, विकसित की गयी भूमि किसानों को देंगे । हमारी सरकार के लिये किसानों का हित सर्वोपरि है । किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए हमें आवास कीभी आवश्यकता है, जिसे हमें पूरा करना होता है ।

श्री श्याम लाल रावत–

माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसके संदर्भ में मैं पूछना चाहता हूं कि जिस आवास व्यवस्था हेतु जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है, उस जमीन की कीमत आपके द्वारा निर्धारित होती है और जो किसानों से जमीन अधिग्रहीत की जाती है, उस जमीन की कीमत के निर्धारण में क्या अन्तर है । क्या इस अन्तर से संबंधित विसंगति को समाप्त करनेकी आप कृपा करेंगी ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, माननीय सदसय ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है । दोनों में विसंगति है । मैंने पहले ही निवेदन किया कि जो भूमि किसानों से सीधे ली जाती है, इसका बाजार भाव पर उन्हें मुआवजा दिया जाता है और जो 1976 के अधिनियम के अन्तर्गत आती है, उसका रेट का निर्धारण उस ऐक्ट के अनुसार तय होता है । उसमें और इसमें अन्तर है । पहले भी इस बिन्दु पर यहां चर्चा हो चुकी है । यह अधिनियम केन्द्र सरकार के द्वारा बनाया गया है । अब जिसमें पुनर्विचार और उसकी आवश्यकता पर चर्चा विचाराधीन है । उत्तर प्रदेश शासन ने अपना पक्ष भी रख दिया है । मैं अब इस अवसर पर इससे ज्यादा इस पर कुछ नहीं कह पाऊंगी ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, विकास प्राधिकरणों ने ऐसी जमीन भी ले रखी है, जिसमें लिखा गया है कि खेती नहीं होती है । श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी की सूचना के लिये बता रहा हूं, जैसा कि श्री ऊदल जी ने भी कहा है, बनारस विकास प्राधिकरण ने लालपुर से बनियापुर तक जो जमीन है, राम नगर के पास जो जमीन है और शिवपुरी के पास जो जमीन है तथा उमराहा-चौबेपुर के पास जो जमीन है, यह सब जमीन कृषि योग्य है । आप रिकार्ड मंगवाकर देख लीजिये । आप इसकी जांच कराकर तथा सर्वेक्षण कराकर किसानों को कम से कम उक्त जमीन का नये रेट से मुआवजा दिलाने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, मैंने यह कभी नहीं कहा कि विकास प्राधिकरण के द्वारा किसानों की जमीन नहीं ली जाती है । मैंने बहुत ही स्पष्ट रूप में कहा कि आवास व्यवस्था के लिये आवश्यकता के अनुरूप योजना

जिस क्षेत्र में प्रभावी होती है या लागू होती है, वहां पर आवश्यकता के अनुरूप किसानों की जमीन को अधिग्रहीत किया जाता है और इसका उन्हें बाजार भाव से मुआवजा दिया जाता है । इस प्रकार की हमारी व्यवस्था है ।

श्री अध्यक्ष––

माननीय सदस्यों ने इस संबंध में अपनी जो भावना व्यक्त की है और जो सूचना दी है, उसका आप परीक्षण करवा लें ।

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने जो सूचना दी है, उसका निश्चित रूप से मैं परीक्षण करवा लूंगी ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

उत्तर प्रदेश के पिछड़े भाग पूर्वांचल के विकास हेतु जनपद गोरखपुर/जौनपुर में औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना

*1–श्री बलराम यादव–

क्या उद्योग मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश के सर्वाधिक पिछड़े भाग पूर्वांचल के सबसे पिछड़े जनपद बलिया, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र में कितने-कितने उद्योग राज्य सरकार द्वारा संचालित चल रहे हैं ? कितने उद्योग सहकारी क्षेत्र में चल रहे हैं ? तथा उद्योग विभाग में पंजीकृत ऋण प्राप्त कर कितने उद्योग प्राइवेट क्षेत्र में चल रहे हैं ? क्या सरकार पूर्वांचल उ० प्र० के औद्योगिक पिछड़ेपन को दृष्टिगत रखते हुए इस बेरोजगार बाहुल्य इलाके में उद्योग विकास के लिये ठोस कार्यक्रम चलाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु उद्योग राज्य मंत्री (श्री मयंकर सिंह)–

राज्य सरकार द्वारा सीधे कोई उद्योग संचालित नहीं किया जा रहा है अपितु राज्य सरकार के निगमों के माध्यम से जनपद बलिया में एक, देवरिया में 8, मऊ में 1, आजमगढ़ व गाजीपुर में शून्य, मिर्जापुर में 1 एवं सोनभद्र में 2 उद्योग संचालित किये जा रहे हैं ।

सहकारी क्षेत्र में निम्नलिखित उद्योग चल रहे हैं :––

जनपद बलिया में 1, देवरिया में शून्य, मऊ में 1, आजमगढ़ में 1, गाजीपुर में 2, मिर्जापुर तथा सोनभद्र में शून्य ।

ऋण प्राप्त पंजीकृत निम्न उद्योग प्राइवेट क्षेत्र में चल रहे हैं :––

बलिया में 251, देवरिया में 513, मऊ में 242, आजमगढ़ में 1021, गाजीपुर में 279, मिर्जापुर में 48, सोनभद्र में 28 ।

पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के विकास हेतु जनपद गोरखपुर में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण एवं जनपद जौनपुर में सथरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना की गयी है । पूर्वांचल के पिछड़े श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले जनपदों को राज्य पूंजी उपादान एवं तहसील तथा ब्लाक स्तरीय पायनियर इकाइयों को विशेष राज्य पूंजी उपादान उपलब्ध कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, पूर्वांचल की गरीबी और पिछड़ापन किसी से छिपा नहीं है । माननीय मंत्री जी के उत्तर के पहले पैरा में कहा है कि निगमों के माध्यम से पूर्वांचल के कुछ जिलों में उद्योग चलाये जा रहे हैं । इसी पैरा में आगे कहा गया है आजमगढ़ तथा गाजीपुर में कोई भी उद्योग निगमों के माध्यम से तो नहीं लेकिन सहकारिता के आधार पर एक चीनी मिल आजमगढ़ में चल रही है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी निगमों के द्वारा आजमगढ़ और गाजीपुर में कोई उद्योग स्थापित करने की घोषणा करेंगे ?

श्री मयंकर सिंह–

अगर कोई निजी उद्यमी उस क्षेत्र में उद्योग लगाना चाहे तो सरकार पूरा सहयोग करेगी ।

श्री बलराम यादव–

सरकारी सहकारी क्षेत्र में लगाने की बात कर रहा हूं ।

श्री मयंकर सिंह–

अभी कोई विचार नहीं है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह---

श्रीमन्, प्रश्नकर्ता माननीय बलराम यादव जी ने जिन जनपदों का नाम अपने मूल प्रश्न में किया है उसमें मेरा जनपद तो नहीं आता है लेकिन उसी से संबधित प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी अपने ससुराल बस्ती की तरफ भी ध्यान देंगे जो बहुत गरीब जिला है, कोई उद्योग वहां लगायेंगे ?

श्री मयंकर सिंह–

मान्यवर, दिन की मैं नहीं जानता लेकिन पूरी रात भर राजासाहब की बहुत चिन्ता करते हैं ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

श्रीमन्, पूर्वांचल सर्वाधिक पिछड़ा और गरीब है इसीलिये बार-बार यह मांग भी उठी है कि पूर्वांचल का अलग प्रदेश बना दिया जाय । मैं जानना चाहता हूं कि पूर्वांचल की सर्वाधिक गरीबी और पिछड़ेपन को देखते हुए क्या हर संसाधन पूर्वांचल में लगाने पर विचार करेंगे । बलिया, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, देवरिया, मिर्जापुर, सोनभद्र इन तमाम जनपदों में सहकारी या सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र में एक-एक कारखाना स्थापित करने की स्पष्ट घोषणा इस सदन में करेंगे ?

श्री मयंकर सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने बहुत सही बात कही और पूर्वांचल की गम्भीर स्थिति, पिछड़ापन और उसकी पीड़ा को देखते हुए सरकार ने बहुत बृहद् योजना गोरखपुर के लिये गीडा और जौनपुर के लिये सीडा लगाये गये हैं । इससे पूर्वांचल का निश्चित रूप से विकास होगा । सार्वजनिक क्षेत्र के जो परिणाम आ रहे हैं, बार-बार यहां पर बात आती है जो मिलें सरकारी क्षेत्र में जैसे प्रतापगढ़ का हाल आप देख रहे हैं, सीमेन्ट फैक्ट्री का हाल आप देख रहे हैं, जिनकी बड़ी दुर्दशा है । तो मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि पूर्वांचल में निजी उद्यमियों को आगे लायें उसमें सरकार पूरा सहयोग करेगी जो पूर्वांचल का पिछड़ापन दूर करने का प्रयास करेंगे ।

श्री रवीन्द्र प्रताप–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले 44 वर्षों में जितनी सरकारें रही हैं चाहे वह किसी पार्टी की हों।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करें।

श्री रवीन्द्र प्रताप–

(व्यवधान) देवरिया जनपद में बहुत से ऐसे औद्योगिक आस्थान बनाये गये हैं, वहां पर सारे उद्योगों की स्थापना की गयी है, लेकिन ऊर्जा के अभाव के कारण और अन्य बहुत सी कमजोरियों के कारण लम्बित पड़े हैं, वहां पर उद्योग की स्थापना हो सके और गन्ने की पेराई हो सके, उसके लिये क्या वहां ऐसी व्यवस्था करने का कष्ट करेंगे कि वहां का पिछड़ापन दूर हो सके ?

श्री मयंकर सिंह–

जिन औद्योगिक आस्थानों की बात की गयी है कि वहां पर बिजली के अभाव में उद्यमी उद्योग नहीं चला पा रहे हैं, यदि ऐसा है तो वहां के लिये पूरी तरह से छूट दी जाती है कि जनरेटर सेट लगाकर वह अपना उद्योग चला सकते हैं। इसमें किसी किस्म की बाधा नहीं है।

श्री भरत सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार अभी मंत्री जी ने कहा गोरखपुर और ज़ौनपुर में औद्योगिक विकास प्राधिकरण के माध्यम से योजनायें लागू की गयी हैं, तो क्या बलिया में भी वैसे ही योजनायें आप लागू करेंगे ? वहां एक शुगर मिल सहकारी क्षेत्र में है, उसके अलावा कोई भी कल-कारखाना नहीं है और पूर्वी बलिया में बलिया का सबसे पिछड़ा इलाका गौरा विधान सभा क्षेत्र है और आजादी के बाद अब तक उद्योग विभाग या किसी अन्य विभाग के माध्यम से वहां पर कोई भी उद्योग संबंधी कार्य नहीं किया गया है। इसके अलावा जो दूसरा उद्योग की दृष्टि से शून्य इलाका है वह जवा विधान सभा क्षेत्र है ..... (व्यवधान) तो क्या वहां पर आप कोई उद्योग लगाने की घोषणा करेंगे ?

श्री मयंकर सिंह–

मान्यवर, 'गीडा' और 'झीडा' के पूर्ण रूप से लागू हो जाने के बाद मैं उनके सुझाव पालन करने का पूरा-पूरा प्रयास करूंगा।

श्री सुखदेव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जहां पर यह कहा कि वहां पर सरकारी या सहकारी उद्योग नहीं हैं और बलिया में भी नहीं हैं, तो क्या इस जनपद आजमगढ़ को आप उद्योग शून्य जिला घोषित करने का कष्ट करेंगे ?

श्री मयंकर सिंह–

इस सदन में जिस समय उद्योग का बजट पेश हुआ था, उस समय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि अब विकास खण्ड मानक होगा पिछड़ेपन का। तो वहां पर कई ऐसे ब्लाक उद्योग शून्य होंगे। उसमें हो जायेगा आपका काम।

श्री रवीन्द्र प्रताप–

वहां के लिये किसी किस्म का कोई उद्योग नहीं दे पा रहे हैं तो अच्छा हो कि मंत्री जी वहां पर एक सतुवा फैक्ट्री लगवा दें, तो सबका काम हो जायेगा ।

(हंसी)

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, इस मामले में आपने पिछड़े जिलों के पिछड़े लोगों को पहले रिकग्नाइज किया, उसके लिये धन्यवाद । यहां पर जिन जनपदों के नाम इसमें आये हैं, वह पिछड़े हुए हैं और पिछड़ों को बहुत दिनों तक पिछड़ा नहीं रखा जा सकता है और इसमें कई प्रकार के राजनैतिक संकट पैदा हो सकते हैं । तो ऐसी परिस्थिति में मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछड़ेपन के कारण जो एक आर्थिक विस्फोट होने जा रहा है, उसको बचाने के लिये पूरे पूर्वांचल में कोई विशेष प्रकार की योजना आप लागू करेंगे, जिससे वहां का पिछड़ापन दूर हो सके ।

श्री मयंकर सिंह–

मान्यवर, पूर्व नगर विकास मंत्री जी से हम अपेक्षा करते थे कि वह वर्तमान नगर विकास मंत्री से प्रश्न करेंगे लेकिन वह हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं । तो मैं बताना चाहता हूं कि मा० सदस्य की ज़िज्ञासा बहुत ही उचित प्रतीत होती है और वहां के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये वर्तमान सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये उद्योग की नई नीति शुरू किया है और वहां उद्योग स्थापित करने हेतु जो आगे आयेगा उसको सुविधा दी जायेगी जिससे वहां का पिछड़ापन दूर हो ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, उत्तरांचल उद्योग की दृष्टि से पिछड़ा है और इसमें देहरादून काफी पिछड़ा है.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपका प्रश्न पूर्वांचल से संबंधित नहीं है, इसलिये मैं इजाजत नहीं देता हूं । आप विषयांतर हो रहे हैं ।

श्री भागवत पाल–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि उद्योग नीति क्या है ? मेरे जिला मिर्जापुर को उद्योग शून्य घोषित नहीं किया है । मिर्जापुर में एक मोहनपुर पहाड़ी है जहां 5 बार प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार ने उद्योग लगाने की बात किया और कभी स्लीपर उद्योग लगाने एवं कभी खाद का कारखाना लगाने की योजना बनायी गयी लेकिन अभी तक वहां कोई उद्योग क्यों नहीं लगाया जा सका ? क्या मंत्री जी उस स्थल का निरीक्षण करायेंगे और वहां 20-25 सालों में योजना बनाने में कितना पैसा खर्च किया गया ? (व्यवधान)

श्री मयंकर सिंह–

मान्यवर, इसमें कोई सत्यता नहीं है लेकिन मा० सदस्य लिखकर देंगे तो जांच करवा लेंगे । (व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे जिससे व्यवधान हो गया)

श्री भागवत पाल–

लिखकर दिया है, इसलिये क्या मंत्री जी सर्वेक्षण की घोषणा करेंगे ?

(कई सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें । आप लोग बैठ जायं । प्रश्नकाल समाप्त हुआ । प्रश्न माननीय बलराम यादव जी का था । मैं एक अन्तिम अनुपूरक पूछने की अनुमति देकर प्रश्नकाल समाप्त कर रहा हूं ।

(कई सदस्यों द्वारा अपनी-अपनी बात बोलते रहने पर घोर व्यवधान)

श्री ह्रेन्द्र सिंह–

हम लोग पश्चिमी जिलों के हैं । प्रदेश का सारा बजट पूर्वी प्रदेश के नाम पर खर्च हो जाता है । पश्चिम का विकास रोक दिया गया है । आप स्वयं देख लें पश्चिम से जिस प्रकार के राजस्व की प्राप्ति होती है उस हिसाब से पश्चिम का विकास नहीं हो पा रहा है । पूर्वांचल के विकास के नाम पर हमारा शोषण करना बन्द कर दें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अगर आप लोग मुझे अपनी बात कहने का अवसर नहीं देंगे तो हम कैसे आपको अवसर देंगे । आप लोग बैठ जायं ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे मऊ जनपद को भी पश्चिम जिलों में शामिल किया गया है । यहां पर हथकरघा उद्योग होता है । खासकर के कस्बे का महत्वपूर्ण उद्योग है । इस उद्योग को और अधिक विकसित करने के लिये मऊ जनपद में योजनायें चलायो जा रही हैं ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य की जिज्ञासा मऊ जनपद के बारे में है ।

श्री मयंकर सिंह–

हथकरघा का और विकास किया जायेगा और उसके बारे में योजनायें चल रही हैं । आपके यहां पैसे का भी भुगतान किया जा चुका है ।

एक सदस्य–

मान्यवर, प्रश्नकाल अभी समाप्त नहीं हुआ है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने पांच मिनट बढ़ा दिया है ।

श्री अब्दुल ए० सलाम–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आजमगढ़ जनपद में एक कस्बा मुबारकपुर है वहां रेशम की इन्डस्ट्री खोली जानी प्रस्तावित थी । लेकिन जब से यह सरकार आयी है उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है ।

श्री मयंकर सिंह–

मान्यवर, यह रेशम इन्डस्ट्री के बारे में कह रहे हैं । आप अलग से लिखकर दे दें । मैं सूचना दे दूंगा ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि प्रश्न के उत्तर में लिखा गया है कि देवरिया जनपद में 8 उद्योग हैं । मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि वह कौन-कौन उद्योग हैं, किन-किन स्थानों पर स्थित हैं और इसी तरह दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि 1977 में जब माननीय राम प्रकाश जी वित्त मंत्री थे । उनके जमाने में सलेमपुर में कागज का कारखाना प्रस्तावित था । क्या सरकार उसे भी रोकने का विचार कर रही है ?

श्री मयंकर सिंह–

यू० पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन बेतालपुर है, यू० पी० स्टेट वर्कर शुगर कारपोरेशन देवरिया सदर, और तीसरी.....

श्री स्वामी नाथ यादव–

शुगर कारपोरेशन के बारे में यह बता रहे हैं मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप कोई नया उद्योग लगाने पर विचार कर रहे हैं ? अगर कोई नयी योजना बनायी हो तो उसके बारे में बतायें ।

श्री अध्यक्ष–

कोई नयी योजना हों तो बता दें ।

श्री मयंकर सिंह–

नये उद्योग लगाने की बात विचाराधीन है लेकिन अगर कोई उद्योग लगायेगा तो उसको सहयोग दिया जायेगा ।

श्री बलराम यादव–

माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन-कौन से जिले हैं जो इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं ? जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर के अन्तिम पैरे में बताया है ।

श्री अध्यक्ष–

अगर बता सकें तो बता दें ।

श्री मयंकर सिंह–

मिर्जापुर, बलिया, गाजीपुर, बस्ती, आजमगढ़, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, देवरिया, बहराइच, यमुना पार इलाहाबाद में कुछ हिस्सों को छोड़कर 20 प्रतिशत का अनुदान देने का प्राविधान है । इसमें 20 लाख पर 20 प्रतिशत अनुदान है । इसमें ए० बी० सी० श्रेणी उद्योग की सूची बनानी पड़ेगी । ए श्रेणी में 20 लाख पर 20 प्रतिशत का अनुदान है । बी श्रेणी में 15 प्रतिशत है 15 लाख पर, सी श्रेणी में 10 प्रतिशत है दस लाख पर और पर्वतीय जनपदों के लिये 20 प्रतिशत पूंजी का उपादान है । पूर्वांचल के समस्त जिलों में इकाइयां स्थापित करने के लिये पांच वर्ष बाद 20 प्रतिशत अनुदान विद्युत पर है । पायनियर इकाई पूर्वांचल में स्थापित होगी । पांच लाख से अधिक की इकाई होगी, उसमें दस लाख का उपादान होगा ।

(प्रश्नों का समय समाप्त)

[मंगलवार, दि० 12 मई, 1992 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

* 1–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[दि० 31-3-92 को अता० प्र० सं०–2 द्वारा उत्तरित]

---

* नोट :–नत्थी 'ग' के तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हुआ ।

*2–श्री सुरेश प्रताप गांधी–

[14वें सोमवार में ता० प्र० सं०–3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*3–श्री राम आसरे वर्मा–

[मा० उपाध्यक्ष होने के कारण हटाया गया]

प्रदेश में बढ़ती हुई आतंकवादी गतिविधियों को रोकने हेतु समस्त थानों को स्वचालित शस्त्र उपलब्ध कराया जाना

*4–श्री राम ललित चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती हुई आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए प्रदेश की पुलिस को चुस्त दुरुस्त करने के लिये स्वचालित शस्त्रों को थानों पर उपलब्ध कराने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां।

प्रश्न ही नहीं उठता।

*5–श्री श्याम देव राय चौधरी–

[दि० 28-4-92 को ता० प्र० सं० 5 द्वारा उत्तरित]

*6–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

[दि० 10-3-92 को ता० प्र० सं० 16 द्वारा उत्तरित]

*7–डा० दिनेश जौहरी–

[दि० 31-3-92 को ता० प्र० सं० 52 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में दहेज उत्पीड़न को रोकने हेतु शासन द्वारा निर्देश

*8–श्री राम लखन–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जुलाई, 91 से दिसम्बर, 91 तक दहेज के कारण कितनी महिलाओं के मारे जाने की रिपोर्ट दर्ज हुई ? गत वर्ष इसी अवधि में ऐसी रिपोर्टों की संख्या कितनी थी ? क्या सरकार दहेज उत्पीड़न रोकने हेतु कोई कारगर कदम उठाने जा रही है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

माह जुलाई, 1991 से दिसम्बर, 1991 तक दहेज के कारण 698 महिलाओं के मारे जाने की रिपोर्ट दर्ज हुई। गत वर्ष इसी अवधि में ऐसी रिपोर्ट्स की संख्या-519 थी।

ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिये शासन द्वारा कड़े निर्देश निर्गत किये गये हैं जिनमें, विवाह के प्रथम दस वर्षों की अवधि में हत्या के प्रयास या संदिग्ध अवस्था में मृत्यु की घटनाओं की उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी से तत्परता से जांच, महिला सहायता प्रकोष्ठ की स्थापना, पोस्टमार्टम/शल्य परीक्षण दो चिकित्सकों की ,टीम द्वारा किया जाना तथा पोस्टमार्टम किये जाने अथवा पुलिस द्वारा "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" दिये जाने के उपरान्त ही अन्तिम संस्कार की अनुमति, अनापत्ति प्रमाण-पत्र

तब तक न देना जब तक कि मृतक महिला के शव को अभिभावकों या घनिष्ठ सम्बन्धियों द्वारा देख न लिया जाय आदि हैं ।

उ० प्र० सचिवालय सेवा के अधिकारियों का वेतन सम्बन्धी विचाराधीन मामला

*9–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रु० 4500–5700 का वेतनमान सचिवालय सेवा के अधिकारियों को अभी तक नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा के कतिपय पद-धारकों का वेतनमान रुपये 4500–5700 किये जाने का मामला वर्तमान में शासन के विचाराधीन है ।

जनपद मिर्जापुर की तहसील चुनार के ब्लाक सीखड़ के ग्राम सुरसी के साड़ी बुनकर मजदूरों पर सम्पत्ति कर न लगाया जाना

*10–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर तहसील चुनार के अन्तर्गत ग्राम सुरसी ब्लाक सीखड़ साड़ी बुनकर मजदूरों पर जिला परिषद् मिर्जापुर द्वारा सम्पत्ति कर लगाया जा रहा है जबकि वाराणसी, गाजीपुर एवं मऊ में यह कर नहीं लगाया जाता है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी जनपद मिर्जापुर ब्लाक सीखड़ ग्राम सुरसी के साड़ी बुनकर मजदूरों पर से सम्पत्ति कर समाप्त करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज राज्य मंत्री (श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य)–

जी नहीं । जनपद मिर्जापुर तहसील चुनार के अन्तर्गत ग्राम सुरसी ब्लाक-सीखड़ में साड़ी बुनकर मजदूरों पर जिला परिषद् द्वारा कोई सम्पत्ति कर नहीं लगाया गया है ।

उपनिरीक्षक से निरीक्षक सशस्त्र पुलिस में प्रोन्नति का प्राविधान न होना

*11–श्री विजय पाल सिंह तोमर–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि नागरिक पुलिस में उप निरीक्षक से निरीक्षक बनाने हेतु केवल साक्षात्कार होता है जबकि आर्म्ड पुलिस में उपनिरीक्षक से निरीक्षक बनाने हेतु लिखित आउट डोर एवं इनडोर परीक्षा तथा बाद में साक्षात्कार होता है ? यदि हां, तो उक्त दोहरी नीति का औचित्य क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्राप्त सूचनानुसार निरीक्षक नागरिक पुलिस पद पर प्रोन्नति उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के साक्षात्कार के आधार पर दी जाती है, परन्तु आर्म्ड पुलिस में उप प्रतिसार निरीक्षक (आर० एस० आई०) के चयन हेतु उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस प्लाटून कमाण्डर तथा उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस जो अपेक्षित अर्हता पूर्ण करते हैं, का नामांकन प्राप्त करके उनकी लिखित, आउट डोर, इनडोर परीक्षा एवं साक्षात्कार लिया जाता है । उप प्रतिसार निरीक्षक कोर्स उत्तीर्ण करने के पश्चात् उनके ज्येष्ठताक्रम में प्रतिसार निरीक्षक के पद पर यथासमय प्रोन्नति प्रदान की जाती है । उप निरीक्षक से निरीक्षक सशस्त्र पुलिस में सीधे प्रोन्नति का कोई प्राविधान नहीं है ।

प्रदेश के समस्त जनपदों में ग्रामीण स्टेडियम बनाने की योजना के अन्तर्गत जनपद आगरा के किरावली में निर्माणाधीन स्टेडियम

*12–श्री विजय सिंह राणा–

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों मे खेलों को बढ़ावा देने के लिये वहां स्टेडियम बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो प्रदेश के किन-किन जनपदों के ग्रामीण अंचलों में स्टेडियम बनाये जाने की सरकार की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन, सांस्कृतिक कार्य, युवा कल्याण एवं खेलकूद मंत्री (श्री केदार सिंह फोनिया)–

जी हां ।

प्रदेश के प्रत्येक जनपद में ग्रामीण स्टेडियम बनाने की योजना है । अभी केवल तत्कालीन मा० मुख्य मंत्री महोदय द्वारा स्वीकृत एक स्टेडियम किरावली जनपद आगरा में निर्माणाधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद इलाहाबाद के वरिष्ठ एडवोकेट श्री राम कृष्ण शुक्ल व अंगरक्षक श्री कामेश्वर नाथ की हत्या के अभियुक्त श्री संदीप सेंगर के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जाना

*13–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 29 नवम्बर, 1989 को इलाहाबाद के वरिष्ठ एडवोकेट, श्री राम कृष्ण शुक्ल व उनके सरकारी अंगरक्षक हेड कान्सटेबिल श्री कामेश्वर नाथ की हत्या कतिपय हमलावरों द्वारा बम फेंक कर की गयी थी ? यदि हां, तो क्या इस घटना की नामजद रिपोर्ट, अपराध संख्या 1213/89, अन्तर्गत धारा–302, 307 भा० दं० वि०, थाना कर्नलगंज, इलाहाबाद में दर्ज की गयी थी ? यदि हां, तो नामजद रिपोर्ट होते हुए भी अपराधियों की गिरफ्तारी न हो पाने के क्या कारण हैं ? अपराधियों के विरुद्ध पुलिस की ओर से क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्नगत मामले में चार अभियुक्त नामजद किये गये थे जिनके नाम है–संदीप सेंगर, रमेश सेंगर, गोपाल एवं गौरी शंकर । इनमें से रमेश सेंगर, गोपाल एवं गौरी शंकर पुलिस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं । चौथा अभियुक्त संदीप सेंगर फरार है, जिसके विरुद्ध कुर्की की कार्यवाही करके आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है ।

अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के सम्बन्ध में सभी विवादों को हल करने हेतु राज्य सरकार का प्रयत्न

*14–श्री नरेश अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि मन्दिर मस्जिद विवाद अयोध्या को शान्ति पूर्वक निपटाने के लिये सरकार ने तमाम धार्मिक संगठनों से बात की है ? यदि हां, तो बातचीत अभी किन-किन संगठनों से हुई तथा यह विवाद कब तक समाप्त हो जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह–

अयोध्या में श्री राम मन्दिर निर्माण की दिशा में सभी विवादों का शान्ति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत के जरिये हल करने के लिये राज्य सरकार सतत् प्रयत्नशील है ।

जनपद फर्रुखाबाद की सहकारी कताई मिल कम्पिल को पुनः चलाये जाने हेतु कार्यवाही

*15–श्री इजहार आलम खां–

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि सहकारी कताई मिल कम्पिल, जिला फर्रुखाबाद विगत 6 महीनों से बन्द पड़ी है और कर्मचारी भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं ? यदि हां, तो उसे पुनः चलाये जाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि कार्यवाही नहीं की जा रही है, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सहकारी कताई मिल कम्पिल विगत 6 माह से धनाभाव के कारण बन्द है । मिल को पुनः चलाया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद मऊ के नगर मऊनाथ भंजन स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष सड़क पर आयोजित सभा पर पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग का प्रकरण

*16–श्री अंगद सिंह यादव–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है जनपद मऊ के नगर मंऊनाथ भंजन स्थित जिलाधिकारी, मऊ के कार्यालय के समक्ष मुख्य सड़क पर हुई सभा पर दिनांक 25 जनवरी, 92 को पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किसके आदेश से हुआ था तथा पुलिस को किस निर्देश के कारण छात्र युवा नेता कृष्ण कुमार पाण्डेय (के० के० पाण्डेय) व सुवास यादव को नंगा करके पिटाई करनी पड़ी ? क्या सरकार इस प्रकरण की सी० आई० डी० या प्रदेश मुख्यालय से आई० जी० स्तर के अधिकारी को भेजकर जांच करायेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

दिनांक 25-1-92 को जिलाधिकारी मऊ के कार्यालय के समक्ष मुख्य सड़क पर हुई सभा में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु नगर मजिस्ट्रेट, मऊ के आदेश से पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग किया गया था ।

यह कहना असत्य है कि किसी निर्देश के अन्तर्गत पुलिस द्वारा श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय व श्री सुवास यादव की नंगा करके पिटाई की गयी । वस्तुतः गिरफ्तारी के दौरान पुलिस से हाथापाई करने एवं भागने के प्रयास में श्री के० के० पाण्डेय के कपड़े फट गये थे और उन्हें साधारण चोटें भी आयी थीं । भागदौड़ में कुछ अन्य व्यक्तियों के भी चोटें आयी थीं ।

आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।

*17–श्री संत बक्श रावत–

[अस्पष्टता के कारण निरस्त]

बरेली जंक्शन के पूर्व थानाध्यक्ष (श्री चरन सिंह) के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

*18–श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व थानाध्यक्ष (श्री चरन सिंह) बरेली जंक्शन के विरुद्ध वर्ष 1991 में सामान लाने वाले मर्चेन्ट्स की शिकायत पर क्षेत्राधिकारी मुरादाबाद (श्री बाल किशन राघव) द्वारा जांच की गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? उक्त थानाध्यक्ष को दोषी पाये जाने

के बावजूद उनके विरुद्ध मुकदमा कायम न किये जाने का क्या कारण है ? क्या मुख्य मंत्री जी इसके लिये उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

भूकम्प पीड़ित राहत कोष में प्राप्त धन के उपयोग का विवरण

*19–श्री शिवेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके कार्यालय में स्थापित भूकम्प पीड़ित राहत कोष में विभिन्न प्रकार से कुल कितना धन आज की तिथि तक प्राप्त हो गया है ? क्या यह भी बतायेंगे कि उक्त तिथि तक उसमें से कितना धन उपयोग में लाया जा चुका है ? इस कोष से सहायता हेतु धन खर्च करने की क्या प्रक्रिया/मानक तथा प्राथमिकतायें निर्धारित की गयी हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

दिनांक 30 अप्रैल, 92 तक भूकम्प पीड़ितों के सहायतार्थ रु० 10,77,58,077.18 की धनराशि "मुख्य मंत्री का पीड़ित सहायता कोष" में प्राप्त हुई है ।

दिनांक 30 अप्रैल, 92 तक भूकम्प पीड़ितों के सहायतार्थ रु० 1,04,16,000.00 की धनराशि उक्त कोष से अवमुक्त की जा चुकी है ।

इस कोष में से सहायता धनराशि की स्वीकृति समय-समय पर प्राप्त प्रस्तावों पर विचारोपरान्त विशिष्ट राहत कार्यों के लिये दी जाती है ।

जनपद गढ़वाल की कतिपय नदियों पर पुल निर्माण विषयक लम्बित मामले

*20–श्री भारत सिंह रावत–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल जनपद में स्थान महादेव सैण व डांग में नयार नदी पर झूला पुल, स्थान ओखलिया व वजादेवी मनदाल नदी पर झूला पुल तथा कली नदी पर स्थान पटोरिया झूला पुल की मांग जनता वर्षों से कर रही है ? क्या यह सही है कि उपरोक्त झूला पुलों के आगणन लोक निर्माण विभाग में वर्षों से लम्बित हैं ? यदि हां, तो इन लम्बित मामलों में कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री पूरन चन्द्र शर्मा)–

इन कार्यों की मांग की गयी है । केवल मंदाल नदी पर, झुण्डई ग्राम के पास ओखलिया में 30 मीटर स्पान के पैदल सेतु तथा दुगड्डा-रघुवाढाव मोटरमार्ग के कि०मी० 54 में बन्जादेवी के पास मन्दाल नदी पर 106 मीटर स्पान झूला पुल के प्रारम्भिक आगणन माह फरवरी, 1992 में प्राप्त हुए थे ।

धनाभाव/सीमित वित्तीय संसाधनों के अभाव में इन कार्यों की स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकी है।

अतारांकित प्रश्न

उ० प्र० पुलिस विभाग में उप पुलिस निरीक्षकों के आरक्षित पदों के चयन की कार्यवाही

1–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० पुलिस विभाग में अनुसूचित जाति जनजाति का कोटा उप पुलिस निरीक्षकों पद हेतु क्या पूर्ण नहीं है ? यदि हां, तो कितने पद रिक्त हैं ? यह पद कब तक पूरे कर लिये जायेंगे ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्राप्त सूचनानुसार वर्तमान में उक्त कोटे के 190 पद रिक्त हैं । इन पदों पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों की चयन की कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद लखनऊ में स्थित फायर स्टेशनों पर स्वीकृत गाड़ियों का विवरण

2–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद में कितने फायर स्टेशन हैं तथा वहां प्रत्येक पर कितनी आग बुझाने की गाड़ियां हैं ? क्या प्रत्येक फायर स्टेशन पर स्वीकृत गाड़ियों से कम गाड़ियां हैं ? यदि हां, तो यह कमी कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद लखनऊ में 5 फायर स्टेशन यथा (हजरत गंज, चौक, आलमबाग, बक्शी का तालाब, एस० जी० पी० जी० आई० है । प्रत्येक फायर स्टेशन पर स्वीकृत/उपलब्ध गाड़ियों का विवरण संलग्न तालिका में उपलब्ध है । प्रत्येक पर गाड़िया कम नहीं है किन्तु कुछ फायर स्टेशनों पर गाड़ियां कम है तो कुछ फायर स्टेशनों पर अधिक भी है ।

कारण यह है कि अग्नि सुरक्षा एवं अन्य प्रशासनिक दृष्टिकोणों से गाड़ियों को स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर अस्थायी रूप से रखना पड़ता है । वर्तमान समय में जनपद लखनऊ के फायर स्टेशनों पर 5 गाड़ियां कम हैं जिसमें से एक गाड़ी अग्निशमन प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव भेजी गयी है, जिसके वापस लौटने पर उसे संबंधित फायर स्टेशन पर रख दी जायेगी तथा 4 गाड़ियां निष्प्रयोज्य हो गयी है जिसके प्रतिस्थापन हेतु कार्यवाही प्रचलित है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 215 पर)

प्रदेश के पुलिस विभाग में रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही

3–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सब-इन्सपेक्टर, हेड कान्सटेबिल तथा कान्सटेबिल के स्वीकृत रिक्त स्थानों को शीघ्र भरा जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? लखनऊ में थानावार कितने स्थान उपरोक्त पदों पर स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने रिक्त हैं ? लखनऊ नगर में बढ़ते हुए अपराधों को देखते हुए इन रिक्त स्थानों की पूर्ति कब तक की जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

सूची संलग्न है ।

रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की कार्यवाही प्रचलित है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 216 पर)

जनपद बाराबंकी के थाना लोनीकटरा के ग्राम सरैय्या निवासी श्री जंगली पुत्र स्व० श्री सूर्यपाल के मकान पर अवैध कब्जा के संबंध में कार्यवाही

4–श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा–

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री जंगली पुत्र स्व० श्री सूर्यपाल, निवासी ग्राम–सरैय्या, थाना–लोनीकटरा, जनपद बाराबंकी के मकान पर गांव के ही श्री लल्लन सिंह पुत्र स्व० द्वारिका प्रसाद निवासी उपरोक्त ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है जिसकी रिपोर्ट थाना-लोनीकटरा में दर्ज करायी गयी है ? यदि हां, तो अभियुक्तों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मकान स्वामी श्री जंगली को उसका मकान दिला दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रहमत अली आदि निवासी ग्राम महुआ, जनपद फैजाबाद के यहां पड़ी डकैती के अभियुक्तों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही

5–श्री सैय्यद कासिम हसन–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–135 के उत्तर के संदर्भ में क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि नामित अभियुक्त श्री नान्हू कोरी तथा श्री सरजू प्रसाद तिवारी को न्यायालय में आत्म समर्पण के बाद पूछ ताछ के लिये पुलिस रिमाण्ड पर लिया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिये दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

गवाहानों के बयानात तथा विवेचना व माल बरामदगी से अभियुक्तगण पर जुर्म पूर्णतः सिद्ध होने के कारण नान्हू कोरी तथा सरजू प्रसाद तिवारी को पुलिस रिमाण्ड पर नहीं लिया गया । वर्णित स्थिति में किसी पुलिस कर्मी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

6–श्री फतेह बहादुर सिंह–

[मा० सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग में आरक्षण कोटा पूरा करने की मांग

7–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14-10-91 उन्हें प्राप्त हुआ और वह मुख्य मंत्री कार्यालय से पत्रांक–सी० एम० वि० को० एम०-3-41-229/91-आ० के माध्यम से 14-10-91 को मुख्य सचिव को आख्या प्राप्त करने के लिये भेजा गया ? यदि हां, तो उसमें पुलिस विभाग से आख्या प्राप्त हो गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार पुलिस विभाग में पदोन्नतियों के संबंध में हुई अनियमितताओं की कब तक जांच करायेगी ? क्या सरकार को ज्ञात है कि पुलिस विभाग उ० प्र० में इन्सपेक्टर, डिप्टी एस० पी० एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों का अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्गों का आरक्षण कोटा पूरा नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उनका कोटा पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मैनपुरी के थाना बेवर/भोगांव के निवासी राम किशुन एवं मुन्ना की हत्या के सम्बन्ध में श्री राम प्रसाद की रिपोर्ट पर सी० आई० डी० से जांच की मांग

8–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद मैनपुरी के थाना बेवर में दिनांक 9-7-91 को फर्जी मुठभेड़ दिखाकर राम किशुन निवासी पूरनपुर, थाना भोगांव एवं मुन्ना निवासी गढ़िया किसनपुर थाना बेवर, जिला मैनपुरी को मारा गया था ? क्या यह सच है कि इस प्रकरण में उक्त मृतकों के विरुद्ध कायम अपराध संख्य–417-91 थाना बेवर में शासन के आदेश से सी० आई० डी० द्वारा तफ्तीश की जा रही है ? क्या यह सच है कि मृतक मुन्ना के भाई राम प्रसाद पुत्र पूसेलाल ने दिनांक 9-7-91 को ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी को एवं 9-9-91 को मुख्य मंत्री जी को तथा फरवरी, 91 में गृह सचिव को भानुप्रताप सिंह पुत्र ओंकार सिंह, धर्म प्रताप सिंह व उदयभान सिंह पुत्रगण नरेन्द्रभान सिंह व ओम प्रकाश पुत्र नत्थू सिंह के विरुद्ध कत्ल का मुकदमा पंजीकृत कराने के प्रार्थना-पत्र दिये थे ? यदि हां, तो उसमें अभी तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त राम प्रसाद की रिपोर्ट पर भानुप्रताप सिंह आदि के विरुद्ध मुकदमा कायम करवाकर अ०सं०–417-91 के साथ सी० आई० डी० द्वारा तफ्तीश करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बदायूं के थाना रजपुरा के ग्राम गवां की श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व० श्री बृजकिशोर गुप्त की हत्या की जांच

9–श्री राम खिलाड़ी –

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के थाना रजपुरा के अन्तर्गत ग्राम गवां में दिनांक 13/14 जुलाई, 91 की रात को श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व० बृज किशोर गुप्त की हत्या के संबंध में प्रश्नकर्ता ने दिनांक 18-9-91 को विधान सभा में नियम-301 के अन्तर्गत मामला उठाया था और जिसके संबंध में संसदीय कार्य मंत्री ने अपने अर्ध शा० प० संख्या–7194री/छः-12-62एक्यू/91, गृह

गृह (पुलिस) अनुभाग-1, दिनांक 26 अक्तूबर, 91 के द्वारा बताया था कि जांच की जा रही है ? यदि हां, तो 8 माह गुजर जाने के बाद अपराधी अभी तक क्यों नहीं पकड़े गये ? क्या यह सही है कि उक्त हत्याकाण्ड में एक निवर्तमान वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एवं क्षेत्रीय पुलिस कर्मी भी शामिल है ? यदि हां, तो अभियुक्तों की गिरफ्तारी न होने के क्या कारण हैं ? इन अपराधियों को कब तक गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत मामले की विवेचना विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा कराई गयी । पुलिस द्वारा अभियुक्तों का पता लगाये जाने का प्रयास किया गया लेकिन अभियुक्तों का पता न लगने पर विवेचक द्वारा अन्तिम रिपोर्ट संख्या-8 दिनांक 3-4-92को समाप्त की जा चुकी है । अभियुक्तों का पता नहीं चल पाया ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

10–श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा–

[9वें गुरु में अता० प्र० सं०-139 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद उन्नाव के थाना कोतवाली पुरवा के अन्तर्गत ग्राम टीकर खुर्द के निवासी मेडे के पुत्र के अपहरण के अभियुक्त श्री किशन को कारागार भेजा जाना

11–श्री लालचन्द्र मौर्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के थाना कोतवाली पुरवा के अन्तर्गत ग्राम टीकर खुर्द निवासी मेडे हरिजन ने गवाही के शपथ-पत्र सहित अपने पुत्र शीतल को अपहरण करने का प्रार्थना-पत्र दिनांक 27 जनवरी, 92 को पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी, उन्नाव तथा थाना कोतवाली पुरवा को दिया है ? यदि हां, तो क्या नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

इस पर जांचोपरान्त थाना पुरवा, जनपद उन्नाव में दिनांक 27-4-92 को मु० अ० सं०–121/92 धारा 364/506 भा० दं० वि० के अन्तर्गत किशन पुत्र बली पासी निवासी टीकर खुर्द के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया । अभियुक्त किशन को दि० 28-4-92 को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क के समीप टेनिस काम्पलेक्स हेतु आवंटित भूमि पर नये-पुराने कपड़ा विक्रेता समिति का अनाधिकृत कब्जा

12–श्री राजेन्द्र सिंह (एटा)–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1984 में बेगम हजरत महल पार्क के पास चालीस हजार वर्ग फुट भूमि प्रदेश के टेनिस काम्पलेक्स बनाने हेतु आवंटित की गयी थीं ? यदि हां, तो क्या

यह सही है कि उक्त भूमि पर अराजक तत्वों ने कब्जा कर लिया है ? भूमि को खाली कराने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । शासन के खेलकूद विभाग को ।

प्राप्त सूचनानुसार उक्त भूमि पर नये पुराने कपड़े विक्रेताओं ने एक समिति बनाकर अनाधिकृत कब्जा कर रखा है और इस समिति ने मुंसिफ दक्षिणी के न्यायालय में वाद संख्या 524/90 विकास प्राधिकरण के विरुद्ध वाद दायर कर दिया है । चूंकि उक्त भूमि खेलकूद विभाग को आवंटित की जा चुकी है अतः अनाधिकृत कब्जेदारों से भूमि रिक्त कराये जाने एवं न्यायिक परामर्श प्राप्त कर उनके विरुद्ध कार्यवाही हेतु मुकदमा दायर किये जाने हेतु खेलकूद विभाग को निर्देशित किया जा चुका है ।

जनपद बुलन्दशहर के खुर्जा कस्बे में पोट्री उद्योग के लाइसेन्सदारों द्वारा अवैध रूप से कोयला बेचना

13–श्री राजेन्द्र सिंह (एटा)–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के कस्बा खुर्जा में पोट्री उद्योग से संबंधित कितनी इकाइयों के वर्तमान में लाइसेन्स हैं ? उसमें वर्तमान समय में कितनी उद्योग इकाइयां कार्यरत हैं ? कितनी उद्योग इकाइयां उत्पादन न करके सरकार द्वारा आवंटित सस्ते मूल्य का कोयला अवैध रूप से बेच रही हैं ? ऐसी इकाइयों के खिलाफ जांच करके कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद बुलन्दशहर के कस्बा खुर्जा में पोट्री उद्योग से संबंधित कुल 486 इकाइयां पंजीकृत हैं ।

वर्तमान में 397 इकाइयां कार्यरत हैं ।

कोई भी कार्यरत इकाई आवंटित कोयले को अवैध रूप से बेंच नहीं रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ के किंग जार्ज मेडिकल कालेज के मेडवाइफरी भवन हास्टल में चोरी की रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही

14–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज गांधी स्मारक एवं संबंधित चिकित्सालय लखनऊ के मेडवाइफरी भवन हास्टल के कमरा नं०–2 में दिनांक 2-7-91 को ताला तोड़ कर चोरी हुई थी जिसकी एफ० आई० आर० दिनांक 17-7-91 को थाना चौक में दर्ज करायी गयी थी ? यदि हां, तो उक्त एफ० आई० आर० पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी । यदि नहीं, तो क्यों?

क्या उक्त घटना में अब तक जांच न करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दण्डित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां, दिनांक 17-7-91 को श्रीमती प्रसन्ना राय वी० पी० एच० ट्यूटर मेडिकल कालेज लखनऊ ने थाना चौक पर लिखित सूचना दी कि के० जी० मेडिकल कालेज के मेडवाइफरी भवन के कमरा नं०-2 का ताला तोड़कर अज्ञात लोगों द्वारा दिनांक 21-5-91 से 8-7-91 के मध्य चोरी की गयी । इस सूचना पर मु० अ० सं०–255/91 धारा 457/380 भा० दं० वि० पंजीकृत किया गया । उक्त मामले की

विवेचना की गयी परन्तु पर्याप्त प्रयासों के बाद भी किसी अभियुक्त का पता नहीं चल सका । अतः विवेचना बजरिये अन्तिम रिपोर्ट समाप्त की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शकील अहमद निवासी ग्राम घुघेरा, जिला हरदोई की हत्या के संबंध में दर्ज रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही

15–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व० श्री शकील अहमद, निवासी–ग्राम-घुघेरा, थाना–कासिमपुर, जिला–हरदोई की हत्या दिनांक 11-2-92 ग्राम–हिया के पास पुल पर कर दी गयी जिसकी रिपोर्ट कासिमपुर थाने में उसी दिन की गयी थी और मु० अ० सं०–27/92 धारा-302, 325, भा० दं० वि० के अन्तर्गत दर्ज है ? यदि हां, तो क्या रिपोर्ट में दर्ज नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक इस प्रकरण में कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

मृतक श्री शकील अहमद की हत्या दिनांक 11-2-92 को नहीं अपितु दिनांक 10-2-92 को शाम 6.30 बजे की गयी थी जिसकी रिपोर्ट मृतक की मां की सूचना पर दिनांक 11-2-92 को मु० अ० सं० 27/92 धारा 302, 323 भा० दं० वि० के अन्तर्गत दर्ज की गयी ।

जी हां । मामले में नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 10-3-92 को आरोप पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के नौका घाटों की नीलामी के संबंध में हुई राजाज्ञाओं का अनुपालन

16–श्री श्रीराम–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में निषाद मल्लाह बिन्द ढीमर कहार आदि के जीविकोपार्जन हेतु नौका घाटों की नीलामी से संबंधित कोई शासनादेश है ? यदि है तो कौन सी राजाज्ञायें निर्गत की गयीं ? क्या उन राजाज्ञाओं का अनुपालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

जिला परिषदों के प्रबन्धाधीन नौका घाटों की नीलामी में मल्लाहों की पंजीकृत सहकारी समितियों/मल्लाह समुदाय के सदस्यों को वरीयता प्रदान किये जाने के संबंध में निम्नलिखित प्रमुख शासनादेश निर्गत किये गये हैं :–

(1) शासनादेश संख्या–4501ग/33-3 32 सी (170/77, दिनांक 21 अगस्त, 1988

(2) शासनादेश संख्या–6778ग/33-3-32सी(17)/77, दिनांक 4 नवम्बर, 1981

(3) शासनादेश संख्या–5992ग/33-3-32सी(17)/77, दिनांक 16 अक्टूबर, 1982

(4) शासनादेश संख्या–463ग/33-3-32सी(17)/77, दिनांक 19 फरवरी, 1990

इन राजाज्ञाओं का अनुपालन किया जाता है तथा कहीं से अनुपालन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर आवश्यक जांचोपरान्त समुचित कार्यवाही की जाती है ।

सूचना विभाग द्वारा ''हिन्दुस्तान समाचार'' को टेलीप्रिन्टर सेवाओं का दोहरा भुगतान

17–श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सूचना विभाग में ''हिन्दुस्तान समाचार'' की अप्रैल, 1982 से मार्च, 1987 तक की टेलीप्रिन्टर सेवाओं के लगभग डेढ़ लाख रुपये के प्रि-आडिट बीजक का दोहरा भुगतान किया गया ? यदि हां, तो इस वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के लिये किन-किन दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दण्डित किया गया ? क्या इस बीजक के दोहरे भुगतान के लिये जिम्मेदार तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी को भी दण्डित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

''हिन्दुस्तान समाचार'' को अप्रैल, 82 से मार्च, 87 की अवधि में टेलीप्रिन्टर सेवाओं का रुपये 1,52,500.00 का कुल भुगतान दो बीजकों के माध्यम से किया गया जिसमें मार्च, 86 का भुगतान रुपये 2,500 प्री-आडिट था । दोहरा भुगतान मात्र रुपये 69,274.20 तथा रुपया 50,725.80 गैर सेवा अवधि का था । शेष रुपया 30,000.00 भुगतान सही एवं देय था ।

इस वित्तीय अनियमितता के लिये तत्कालीन प्रवर वर्ग सहायक, श्री बी० पी० गुप्ता, श्री अशोक मिश्र, टेलीप्रिन्टर सुपरवाइजर, श्री कमलेश नाथ शुक्ल, सहायक लेखाकार तथा श्री बी० डी० पुरी, प्रवर वर्ग सहायक को दण्डित किया गया ।

जी नहीं ।

क्योंकि जांच के दौरान तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी को दोषी नहीं पाया गया था ।

श्री रामधारी निवासी ग्राम रम्मोपुर जिला आजमगढ़ को प्रताड़ित करने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही

18–श्री बी० आर० वर्मा तथा श्री सुखदेव–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामधारी राम पुत्र जगदेव, निवासी ग्राम–रम्मोपुर, थाना-दीदारगंज, जनपद आजमगढ़ को फर्जी तौर पर थानाध्यक्ष दीदारगंज, जनपद आजमगढ़ व थानाध्यक्ष बेता सराय, जनपद जौनपुर द्वारा गत 5 फरवरी, 91 को पकड़कर प्रताड़ित किया गया ? यदि हां, तो दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी है, तो क्या भविष्य में की जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ की कानपुर रोड नगर प्रसार योजना में श्रीमती कान्ता शुक्ल की अधिग्रहीत भूमि का फर्जी भुगतान एवं कृत कार्यवाही

19–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-4 के खाता नं० 224 जो कि कु० कान्ता पुत्री श्री शिव कुमार के नाम है, अधिग्रहण किया गया है ? यदि हां, तो क्या

अधिग्रहण की धनराशि 22 लाख का भुगतान उन्हें कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या 5 लाख का भुगतान फर्जी व्यक्ति को अधिकारियों द्वारा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शीघ्र ही अधिग्रहण की धनराशि कु० कान्ता वर्तमान में श्रीमती कान्ता शुक्ल को दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी नहीं, प्रतिकर का भुगतान जिलाधिकारी के अन्तर्गत आने वाले एस० एल० ओ० कार्यालय से किया जाता है ।

श्रीमती कान्ता ने मुआवजा पाने के लिये प्रथम बार प्रार्थना-पत्र दिनांक 1-7-91 दिया तथा इससे पहले इन्होंने कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया था ।

एक फर्जी औरत ने कुछ वकीलों के सहयोग से फर्जी साक्ष्य प्रस्तुत करके विभाग को धोखा देकर 5 लाख रुपये का भुगतान ले लिया है ।

फर्जी भुगतान से संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिये निदेशक, भूमि अध्याप्ति राजस्व परिषद् को अवगत कराया गया है । इसके अतिरिक्त थाना अलीगंज में एफ० आई० आर० गलत मुआवजा लेने वाले व्यक्तियों एवं उनकी पहचान करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ लिखाई गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विवादित धनराशि को रोक कर शेष धनराशि का भुगतान शीघ्र करने हेतु जिलाधिकारी, लखनऊ को आदेशित किया गया है ।

तहसील मुख्यालय पर निर्वाचन विभाग के वरिष्ठ एवं कनिष्ठ लिपिकों के पदों के सृजन का प्रकरण

20–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी तथा श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील मुख्यालय पर निर्वाचन विभाग के वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक के पदों के सृजन का प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस प्रकरण में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

तहसील मुख्यालय के स्थान पर जिला मुख्यालय पर वरिष्ठ लिपिक एवं कनिष्ठ लिपिक के पदों के सृजन हेतु वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

खादी प्रशिक्षण केन्द्र फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव के अपूर्ण पड़े भवन के निर्माण की मांग

21–श्री गोपी नाथ दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि खादी प्रशिक्षण केन्द्र, फतेहपुर चौरासी, जनपद उन्नाव का भवन विगत 4 वर्ष से अपूर्ण पड़ा है और किराये के भवन में चल रहा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त भवन को पूर्ण कराये जाने के आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मयंकर सिंह–

जी हां ।

केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन खादी आयोग बम्बई से पर्याप्त धन उपलब्ध न होने के कारण खादी प्रशिक्षण केन्द्र फतेहपुर चौरासी, जनपद उन्नाव का भवन अधूरा पड़ा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव के अन्तर्गत संचान कोट को बौद्ध तीर्थ के रूप में विकसित किये जाने की मांग

22–श्री गोपी नाथ दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उन्नाव जनपद के अन्तर्गत संचान कोट (सातन राजा कोट) को बौद्ध तीर्थ के रूप में विकसित करने हेतु तत्कालीन मुख्य मंत्रियों श्री वीर बहादुर सिंह एवं श्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा क्रमशः 5 लाख एवं 1 लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी किन्तु उस पर अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो उक्त परियोजना को क्रियान्वित किये जाने के बारे में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केदार सिंह फोनिया–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कु० पुष्पा निवासी सट्टी की मड़य्या जनपद कानपुर देहात की मौत की जांच

23–श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 28-1-91 को कु० पुष्पा पुत्री मथुरा चमार निवासी सट्टी की मड़य्या, थाना सट्टी, कानपुर देहात को शिवराम सिंह व साहब सिंह आदि ने जहर देकर मार दिया, जिसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी ? क्या इस संबंध में प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक तथा डी० आई० जी० उ० प्र० शासन को दिये गये ? यदि हां, तो क्या इसके बाद भी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं, कुमारी पुष्पा की मृत्यु बीमारी के कारण हुई थी । इस संबंध में मृतका के पिता अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई सूचना थाने पर दर्ज नहीं कराई गई है, न ही कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत होता है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

मड़य्या सट्टी जनपद कानपुर देहात में कथित राहजनी की रिपोर्ट

24–श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 14-12-91 को मड़य्या सट्टी कानपुर देहात के पास राहजनी हुई थी ? क्या मुद्दई से थाना सट्टी में प्रार्थना-पत्र ले लिया गया परन्तु रिपोर्ट नहीं लिखी गयी ? उपरोक्त घटना में पुलिस के विरुद्ध रिपोर्ट न लिखने पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार उपरोक्त घटना की सी० आई० डी० द्वारा जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत घटना से संबंधित कोई सूचना उक्त थाने पर अंकित नहीं है और न ही किसी व्यक्ति ने कोई प्रार्थना पत्र अथवा सूचना अंकित कराई है । थाना स्तर पर भी ऐसी घटना का घटित होना नहीं पाया गया है । अन्य प्रश्न नहीं उठते ।

ग्राम बेरी, जिला कानपुर देहात में पड़ी डकैतियां एवं कृत कार्यवाही

25–श्री शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनांक 16/17 जनवरी, 1992 को जिला कानपुर देहात के थाना सजेती चौकी ग्राम कुआंखेड़ा से 1 कि०मी० दूर ग्राम बेरी में श्री बुद्धू यादव के यहां डकैती पड़ी ? यदि हां, तो घटना के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि ग्राम बेरी में ही दिनांक 11/12 जनवरी, 1992 को डकैतों का गैंग डकैती डालने गया था किन्तु ग्रामवासियों के सावधान हो जाने के कारण डकैती नहीं डाली जा सकी, परन्तु बदमाशों ने श्री रघुनाथ व रामऔतार को बुरी तरह मारा जिससे राम औतार का जबड़ा टूट गया था ? यदि हां, तो इस पर पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां, घटना के संबंध में मु० अ० सं० 23/92 धारा 395/397 भा० दं० वि० पंजीकृत किया गया। प्रकाश में आये अभियुक्त सरोज सचान ने न्यायालय में आत्म समर्पण कर दिया है तथा अभियुक्त वीरेन्द्र उर्फ कल्लू शुक्ल एवं रज्जन उर्फ राम सेवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है । विवेचना प्रचलित है ।

जी हां, मामले में एन० सी० आर० सं० 13 धारा 323 भा० दं० वि० विरुद्ध 3-4 आदमी नाम पता अज्ञात कायम किया गया है ।

ग्राम कोटरा जिला कानपुर देहात में श्री बलवन्त सिंह के यहां पड़ी डकैती एवं कृत कार्यवाही

26–श्री शिव नाथ सिंह कुशवाहा–

क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कानपुर देहात के थाना सजेती के अन्तर्गत ग्राम कोटरा में दिनांक 26/27 दिसम्बर, 91 को श्री बलवन्त सिंह के यहां कोई डकैती पड़ी ? यदि हां, तो घटना की रिपोर्ट क्या है और उसमें मुल्जिमानों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

घटना के संबंध में मु० अ० सं० 267/91 धारा 395/397 भा० दं० वि० पंजीकृत किया गया । अभियुक्त छोटे सिंह के घर से डकैती का माल बरामद हुआ उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया जो जमानत पर है । अभियुक्त बनौला उर्फ शिव बालक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । शेष अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचना प्रचलित है ।

ग्राम जशोदरपुर, जिला गढ़वाल में औद्योगिक ग्रोथ सेन्टर हेतु अध्याप्त भूमि एवं निर्माण कार्य

27–श्री भारत सिह रावत–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल जनपद के ग्राम जशोदरपुर, कोटद्वार के लिये स्वीकृत औद्योगिक ग्रोथ सेन्टर के लिये कितनी भूमि अध्याप्त की जा चुकी है ? उक्त सेन्टर का निर्माण कब से आरम्भ कर दिया जायेगा और कब तक उक्त सेन्टर कार्य करना आरम्भ कर देगा ?

श्री पूरन चन्द्र शर्मा–

पौड़ी गढ़वाल जनपद के ग्राम जशोदरपुर में ग्रोथ सेन्टर अवस्थापना विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उ० प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा 81.96 एकड़ भूमि अध्याप्त की जा चुकी है । उक्त सेन्टर का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है तथा सड़कों, नालियों, पुलियों के निर्माण कर समस्त भूमि विकास कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं एवं सामान्य सुविधा केन्द्र भवन का 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त प्राथमिक अवस्थापना सुविधाओं का विकास करके आवंटन प्रक्रिया भी आरम्भ की जा चुकी है ।

पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि संरक्षण कार्यों हेतु धन आवंटन की प्रक्रिया

28–श्री भारत सिंह रावत–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को जानकारी है कि उत्तरांचल विकास अनु०–7 के पत्र संख्या 4478(1)/28-7-2-(2)7/91, दिनांक 22-10-91 द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में वर्ष 1991-92 की जिला योजना के अन्तर्गत भूमि संरक्ष कार्यों हेतु आवंटित धनराशि जिलाधिकारी के नियंत्रणाधीन रखी जाती थी किन्तु उक्त कार्यों हेतु धनराशि सीधे भूमि संरक्षण अधिकारियों को आवंटित कर दी गयी है ? यदि हां, तो उक्त शासनादेश जारी किये जाने तथा धनराशि सीधे आवंटित कर दिये जाने का क्या औचित्य है ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि धनराशि सीधे आवंटित कर दिये जाने से उक्त शासनादेश की अपेक्षाओं के अनुरूप पर्वतीय क्षेत्र में भूमि संरक्षण कार्यों में जनप्रतिनिधियों का योगदान शून्य रहा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी धनराशि सीधे आवंटित करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री पूरन चन्द्र शर्मा–

पर्वतीय क्षेत्र की भूमि संरक्षण योजना, जो एक जिला योजना है, के निमित्त धनराशि पर्वतीय क्षेत्र के भूमि संरक्षण अधिकारियों को सीधे आवंटित की जाती है । यह धनराशि जिलाधिकारियों को कभी भी आवंटित नहीं की गयी है । तद्नुसार वर्ष 1991-92 में भी प्रश्नगत योजना की धनराशि विगत वर्षों की भांति शासनादेश सं०–4248/28-7-2(2)7/91, दि० 5-10-91 द्वारा सीधे भूमि संरक्षण अधिकारियों को आवंटित की गयी है चूंकि इस आवंटित धन के भूमि संरक्षण विभाग के द्वारा दुरुपयोग की सम्भावना की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, इसलिये शा० सं०-4470 (1)28-7-2(2)7/91, दि० 22-10-91 द्वारा

पर्वतीय क्षेत्र के जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे भूमि संरक्षण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि को अपने नियंत्रण में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि/विधायकों से विचार विमार्श करके चयनित कार्यों पर ही व्यय किये जाने की व्यवस्था करें । इसी आशय से एक रेडियोग्राम दि० 4-2-92 को पर्वतीय क्षेत्र के समस्त जिलाधिकारी तथा आयुक्तों को भेजा गया था ।

भूमि संरक्षण अधिकारियों को सीधे धन आवंटित किये जाने से शा० सं०-4478(1)/28.7.2(2)7/91 दि० 22-10-91 में निहित अपेक्षाओं की कोई अवहेलना नहीं हुई है । क्योंकि यह शासनादेश तथा रेडियोग्राम भ्रष्टाचार को रोकने के उद्देश्य से अतिरिक्त व्यवस्था हेतु जारी किये गये थे, वैसे भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम, 1963 के तहत प्रत्येक जनपद के लिये गठित भूमि एवं जल संरक्षण समिति, जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी तथा सदस्य क्षेत्रीय सांसद विधायक, ब्लाक प्रमुख एवं जन प्रतिनिधि तथा अन्य विभागों के अधिकारीगण होते हैं, के अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही परियोजना क्षेत्रों में कार्य आरम्भ कराये जाते हैं । इसलिये जन प्रतिनिधियों का योगदान शून्य कहा जाना गलत है । इस प्रकार कोई अनियमितता न होने के कारण सीधे भूमि संरक्षण अधिकारियों को धनराशि आवंटित करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

मत्स्य निदेशक पद पर आई० ए० एस०/पी० सी० एस० की तैनाती की मांग

29–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद तथा श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० के समस्त विभागों में निदेशक पद पर आई० ए० एस०, पी० सी० एस० अधिकारी रखे जाते हैं ? यदि हां, तो क्या उसी प्रकार क्या मत्स्य निदेशालय, उ० प्र० लखनऊ में आई० ए० एस०, पी० सी० एस० अधिकारी निदेशक पद पर सरकार रखेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं । समस्त विभागों में निदेशक के पदों पर आई० ए० एस०/पी० सी० एस० अधिकारियों को नियुक्त नहीं किया जाता है । निदेशक मत्स्य का पद तकनीकी प्रकृति का है और इस पर विभागीय अधिकारी ही तैनात किये जाते रहे हैं । इस व्यवस्था में वर्तमान में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है ।

जौनपुर में श्री राजेश्वर गुप्त की कार के अपहरण की विवेचना

30–श्री किशोरी लाल यादव–

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाड़ी मालिक रत्नेश्वर प्रसाद पुत्र श्री बद्री प्रसाद शाहगंज, जौनपुर को दिनांक 10-3-92 की शाम 7.30 बजे जौनपुर शहर में एस० पी० के बंगले के 2 कि० मी० दूर तथा जफराबाद थाने से 1 कि०मी० पूर्व सड़क पर सफेद रंग की मारुति कार कट्टे की नोक पर अपहृत कर ली गयी ? यदि हां, तो एस० पी० को इसकी सूचना 20 मिनट के अन्दर मिलने के बावजूद पुलिस प्रशासन ने उस कार की बरामदगी के लिये क्या किया ? इस प्रकार के बढ़ते अपराधों की रोकथाम के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां, श्री रत्नेश्वर प्रसाद नहीं अपितु श्री राजेश्वर गुप्त पुत्र श्री बद्री प्रसाद गुप्त की कार अपहृत की गयी ।

घटना की सूचना मिलते ही जनपद के सभी थानों एवं सीमावर्ती जनपदों को कार की तलाश एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु सूचना दी गयी किन्तु कार की बरामदगी एवं अपराधियों की गिरफ्तारी में सफलता न मिल सकी । थाना जफराबाद पर मु० अ० सं० 74/92 धारा 392 भा० दं० वि० पंजीकृत किया गया । विवेचना प्रचलित है ।

अपराधों की रोक-थाम के लिये जनपद के मुख्य मार्गों पर प्रभावी पुलिस पेट्रोलिंग/पिकेट्स की व्यवस्था की गयी है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवनों का निर्माण कार्य

31–श्री भारत सिंह रावत–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1991-92 में पौडी गढ़वाल जनपद में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवनों का निर्माण कार्य स्वीकृत था ? स्वीकृत भवनों में से कितने भवनों का निर्माण कार्य आरम्भ किया गया तथा निर्माण कार्य की प्रगति क्या है ?

श्री पूरन चन्द्र शर्मा–

वित्तीय वर्ष 1991-92 के अन्त तक जिला पौड़ी गढ़वाल में 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण कार्य स्वीकृत था । इसमें 2 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा शेष 8 का निर्माण कार्य कतिपय कारणों से प्रारम्भ नहीं हो सका ।

उ० प्र० सीमेन्ट निगम में समूह 'ग' के दैनिक वेतन कर्मचारियों को नियमित किये जाने की मांग

32–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी तथा श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० सीमेन्ट निगम में कितने कर्मचारी समूह "ग" के दैनिक वेतन पर कार्यरत थे ? क्या उनको नियमित (रेगुलर) किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

रुदौली, जनपद बाराबंकी में मोटर साइकिलों की टक्कर से लगी आग तथा पुलिस की भूमिका

33–श्री राम देव आचार्य–

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि कस्बा रुदौली, जनपद बाराबंकी में रुदौली से अमानीगंज की सड़क पर ललुआपुर के पास दिनांक 15-2-92 को दो मोटर साइकिलों की टक्कर में आग लगने से चार व्यक्तियों के जल कर मरने और लगभग 50 हजार रुपया घटनास्थल पर पड़े रहने की घटना प्रकाश में आयी है ? यदि हां, तो घटना का पूरा विवरण क्या है ? क्या यह सही है कि घटना के प्रत्यक्ष दर्शी गवाहों तथा जख्मी व्यक्तियों के बयानों के अनुसार पुलिस की भूमिका संदिग्ध प्रतीत होती है ?

श्री कल्याण सिंह–

दिनांक 15-2-92 को रुदौली से अमानीगंज की सड़क पर ललुआपुर के पास दो मोटर साइकिलों की टक्कर में आग लगने से दो व्यक्तियों की घटना स्थल पर तथा दो घायल व्यक्तियों की चिकित्सालय ले जाते समय मृत्यु हो गयी । घटना स्थल पर 50,000 रुपये नहीं वरन् रु० 6,720 के जले हुए नोट मौके पर बरामद हुए थे ।

हाजी साबिर निवासी कस्बा व थाना रूदौली ने दूरभाष पर सूचित किया कि उनके ग्राम ललुआपुर के सामने रुदौली–अमानीगंज सड़क पर करीब 6.00 बजे सायं एक मोटर साइकिल जो रुदौली की तरफ से अमानीगंज की तरफ जा रही थी पर दो सवार बैठे थे तथा दूसरी मोटर साइकिल जो अमानीगंज की ओर से रुदौली की ओर आ रही थी, एक दूसरे से टकरा गयी । दूसरी मोटर साइकिल पर भी दो सवार बैठे थे । दुर्घटना से अचानक दोनों मोटर साइकिलों में आग लग गई । घटना में मरने वाले व्यक्तियों के नाम निम्नवत् हैं :—

1–विजय कुमार शुक्ला, 2–गुरू प्रसाद, 3–राधेश्याम तथा 4–नकछेद

घटना स्थल सें दो मोटर साइकिलें डी० एल० एक्स० 7540 (राजदूत) तथा यू० जी० आर० 5253 (सुजुकी) सड़क पर बिखरे हुए रु० 6,720/- के अधजले नोट बरामद हुए ।

जी नहीं ।

प्रदेश के नवसृजित जनपदों में जिला परिषदों का गठन तथा जिला परिषद् मऊ के कर अधिकारी द्वारा की गयी कथित तहबाजारी की नीलामी में अनियमितता

34–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश स्तर पर नवसृजित जनपदों के जिला परिषदों का गठन कर दिया गया है ? क्या उसमें मऊ जनपद का भी नाम शामिल है ? यदि हां, तो जिला परिषदों के गठन का गजट किस तिथि को किया गया है ? क्या यह सही है कि जिला परिषद् मऊ के कर अधिकारी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की तहबाजारी की गयी है ? यदि हां, तो क्या इस प्रकार की अनियमितताओं के विरुद्ध मंत्री जी कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

महराजगंज जिले को छोड़कर सभी नवसृजित जिला परिषदों का गठन शासन की अधिसूचना संख्या–6854बी/33-3-32जी०/88. दिनांक 21 दिसम्बर, 1991 द्वारा कर दिया गया है जिसमें मऊ जनपद की जिला परिषद भी शामिल है ।

जिला परिषद् मऊ के कर अधिकारी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की तहबाजारी की नीलामी नहीं की गयी है बल्कि एक समिति (जिसमें अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी एवं वित्तीय परामर्शदाता शामिल थे) के समक्ष नीलामी की कार्यवाही की गयी है जिसमें कोई अनियमितता नहीं है ।

थाना परौर, जनपद शाहजहांपुर में थानाध्यक्ष आदि के विरुद्ध लिखयी गयी रिपोर्ट पर कार्यवाही

35–श्री राम मूर्ति सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना परौर, जनपद शाहजहांपुर में दिनांक 21-1-90 को मु० अ० सं० 14व 15/90 धारा 359/171ग/436 आई० पी० सी० पर थानाध्यक्ष राजपाल सिंह तथा

चार सिपाहियों व अन्य अराजक तत्वों के खिलाफ पंजीकृत हुआ था ? यदि हां, तो अभी तक अभियुक्तों के लाइसेन्स निरस्त न करने का कारण क्या है ? उन्हें अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

संदर्भित अभियोगों की विवेचना अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग को सौंपी गयी थी । अपराध शाखा की जांच से यह पाया गया कि प्रश्नगत अभियोगों से वादी ने अपने को मु० अ० सं०–114/89 धारा 379 भा० दं० वि० एवं 39 विद्युत अधिनियम से बचाने के लिये थानाध्यक्ष एवं अन्य कांस्टेबिलों के विरुद्ध झूठे आरोपों के आधार पर अपराध संख्या–14/90 एवं अपराध संख्या–15/90 थाना परौर पर पंजीकृत कराया । इस प्रकार अपराध सं० 14/90 धारा 395/171 भा० दं० वि० एवं 15/90 धारा 436 भा० दं० वि० में नामित अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया गया और न ही उनके लाइसेन्स निरस्त कराये गये ।

36–श्री लल्लू सिंह–

[9वें बुध में अता० प्र० सं० 14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री अवधेश नारायण दुबे, सूचना विभाग के विरुद्ध शिकायतों पर कार्यवाही

37–श्री राम स्वरूप वर्मा–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के प्रथम मंगलवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या 38 (जिसका उत्तर दिनांक 24-3-92 को दिया गया) के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन के विचाराधीन प्रश्नगत विषय की जांच गत माह तक पूरी न होने का कारण क्या है और सरकार कब तक जांच पूरी करके दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने का कष्ट करेगी ? उक्त आरोपित व्यक्ति को उच्चीकृत पद नियोजन एवं मूल्यांकन अधिकारी वेतनमान रु० 2200–4000 की अनिवार्य अर्हता न रखने के बावजूद उक्त उच्चीकृत पद का लाभ क्यों दिया गया ? क्या श्री अवधेश नारायण दुबे को उक्त उच्चीकृत पद से हटा दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

शिकायतों के सम्बन्ध में उठाये गये बिन्दुओं की जांच की गयी । जांचोपरान्त वे निराधार पाये गये ।

सूचना विभाग में नियोजन एवं मूल्यांकन अधिकारी के पद को नियोजन विभाग में समकक्ष पद वेतनमान रुपये 2200–4000 में उच्चीकृत किया गया है । उक्त विभाग में मूल्यांकन अधिकारी के लिये पदोन्नति के मापदण्ड को आधार मानते हुए तथा इस विभाग में नियोजन एवं मूल्यांकन अधिकारी के वर्तमान पदधारक की लम्बी सेवाओं एवं अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए समुचित विचारोपरान्त पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य कराया गया ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

38–श्री राम प्रताप सिंह–

[दि० 24-3-92 को अता० प्र० सं०-152 द्वारा उत्तरित]

विधायक आवासों में वर्ष 90-91 में विद्युत सामग्री में हुआ व्यय

39–श्री राम प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1990-91 में विधायक आवासों में उपयोग मे लाये विद्युत सामानों पर कुल कितना व्यय हुआ है तथा बल्ब व ट्यूब लाइट पर कितना धन व्यय किया गया ?

श्री कल्याण सिंह–

वर्ष 1990-91 में विधायक निवासों में विद्युत सामानों, जिसमें लेबर चार्जेज भी सम्मिलित है, पर कुल रु० 6,98,187 का व्यय हुआ। इनमें बल्ब पर रु० 1,51,341.75 पैसे तथा ट्यूब लाइट पर रु० 1,58,575.00 का व्यय हुआ है।

लखनऊ की राजकीय कालोनी बादशाहनगर एवं दिलकुशा में वर्ष 89 से 91 में पुताई पर हुआ व्यय

40–श्री नरेश अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 में लखनऊ की राजकीय कालोनी बादशाहनगर एवं दिलकुशा कालोनी के किन-किन आवासों में अन्दरूनी रंगाई/पुताई का कार्य कराया गया था और उक्त कार्यों पर कितना भुगतान किया गया ?

श्री कल्याण सिंह–

वित्तीय वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 में बादशाहनगर कालोनी व दिलकुशा कालोनी के जिन आवासों में पुताई का कार्य कराया गया, उनका विवरण संलग्न है। उपरोक्त कार्य पर वर्ष 1989-90 व 1990-91 में क्रमशः लगभग 1,43,619 रुपये व 2,03,011 रुपये का भुगतान किया गया।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 218 पर)

वाराणसी में पी० सी० एस० (मुख्य) के परीक्षा केन्द्र की स्थापना की मांग

41–श्री महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री वाराणसी जनपद जोकि शिक्षा का महत्वपूर्ण केन्द्र है, उसके मुख्यालय पर पी० सी० एस० (मुख्य) परीक्षाओं के केन्द्र स्थापित करने की योजना पर विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में स्थापित केन्द्रों की संख्या, पारस्परिक दूरी आदि को दृष्टिगत रखते हुए सम्प्रति उनकी संख्या में अभिवृद्धि का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जनपद बांदा के पूर्व विधायक एवं कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को अंगरक्षक दिये जाने की मांग

42–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के पूर्व विधायक एवं अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी बांदा के पिता की हत्या मई, 86 में ग्राम जारी थाना कोतवाली, बांदा में हुई थी ? यदि हां, तो क्या उक्त विवाद के चलते एवं उनके जीवन को खतरा देखते हुए शासन से उन्हें अंगरक्षक प्रदान किया गया था ? यदि हां, तो अब उनके अंगरक्षक वापस लेने का औचित्य क्या है ? क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त को अंगरक्षक पुनः प्रदान करने हेतु जनपद के प्रमुख जनप्रतिनिधि सांसद/विधायक/सदस्य, विधान परिषद् एवं भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने प्रदेश सरकार को अपनी संस्तुतियां भेजी हैं ? यदि हां, तो क्या उन्हें अंगरक्षक उपलब्ध करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

जीवन भय पूर्ववत न होने के कारण अंगरक्षक वापस लिया गया ।

जी हां ।

जीवन भय संबंधी आख्या जनपद से पुनः मांगी गयी है । आख्या प्राप्त हो जाने पर तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

श्री रामदास, ग्राम सोहसा, जनपद बाराबंकी के यहां पड़ी डकैती तथा पुलिस की लापरवाही

43–श्री राम पाल सिंह सैनी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के ग्राम-सोहसा, थाना रूदौली के ग्राम प्रधान श्री राम दास अनुसूचित जाति के घर में मार्च, 1992 में कोई डकैती की घटना घटित हुई थी जिसमें गृहस्वामी व उसके परिवार के लोग गम्भीर रूप से घायल हुए थे ? क्या इस घटना की रिपोर्ट उपरोक्त थाना के पुलिस कर्मियों ने नहीं दर्ज की थी ? क्या पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना-पत्र देने पर चोटों का डाक्टरी मुआयने के साथ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो उक्त घटना की रिपोर्ट तुरन्त दर्ज न करने वाले रूदौली थाने के दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह–

श्री भागीरथ पुत्र श्री रामदास निवासी ग्राम सोहसा, थाना रूदौली, बाराबंकी ने दिनांक 18-3-92 को थाने पर लिखित सूचना दी कि दिनांक 7/8-3-92 की रात को वह तथा उसके बाबा घर के ओंसारे में सोये थे । करीब दो बजे रात चार व्यक्ति उसके घर पर आये और टार्च जलाने लगे तब वादी तथा उसका बाबा टार्च की रोशनी देखकर भाग गये । चारों व्यक्ति उसका दरवाजा तोड़कर घर में घुस गये और घर के अन्दर सो रही उसकी मां तथा दादी को लात मूकों से मारा तथा उसके पिता रामदास के बारे में पूछते रहे । वादी ने हल्ला कर के गांव वालों को जगाया तब उसके ऊपर बदमाश जान से मारने की नीयत से बन्दूक से फायर कर दिया परन्तु वादी को कोई चोट नहीं लगी । इस सूचना पर मु० अ० सं० 34/92 धारा 452/307/506 भा० दं० वि० का मुकदमा कायम किया गया । घटना में गृह स्वामी

को कोई चोटें नहीं आयी । वादी की दादी श्रीमती सीता को आलाकुन्द से एक साधारण चोट तथा उसकी मां शान्ती देवी को चार साधारण चोटें आयी थी ।

जी नहीं ।

थाना रूदौली के किसी पुलिस कर्मी का दोष नहीं प्रतीत होता । अतः कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम बरगवां में अधिग्रहीत खण्डहर में शराब की दुकान

44–श्री फागू चौहान–

क्या सरकार को जानकारी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के कानपुर रोड योजना सेक्टर बी व्यवसायिक केन्द्र के बीच में स्थित एक खण्डहर में देशी शराब की दुकान चलायी जा रही है ? यदि हां, तो उक्त खण्डहर किस भूमि संख्या पर स्थित है और क्या उक्त प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत की जा चुकी है ? यदि हां, तो उक्त स्थान पर शराब की दुकान प्राधिकरण के किस अधिकारी के आदेश से चलायी जा रही है और क्या खण्डहर उक्त शराब की दुकान के नाम आवंटित है ? यदि नहीं, तो क्या प्राधिकरण तत्काल उक्त शराब की दुकान व्यवसायिक केन्द्र से हटवायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

उक्त खण्डहर खसरा संख्या–427 स्थित ग्राम बरगवां के आंशिक भाग पर स्थित है जो प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत की ज़ा चुकी है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के किसी अधिकारी द्वारा दुकान चलाने की स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है और उक्त खण्डहर शराब की दुकान के नाम आवंटित भी नहीं है ।

खण्डहर की भूमि अभी तक हितबद्ध व्यक्ति के कब्जे में है क्योंकि अर्जित भूमि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 2472/77 विचाराधीन है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

45–श्री फागू चौहान–

[8वें सोम में अता० प्र० सं० 75 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना में सीवर एवं पानी लाइन का कथित फर्जी रूप से डालना दिखाया जाना एवं भुगतान

46–श्री जटा शंकर सिंह, श्री अंगद सिंह यादव, श्री सुरेन्द्र शुक्ला, श्री बची सिंह रावत, श्रीमती शारदा देवी तथा श्री कृष्ण चन्द्र–

क्या सरकार को जानकारी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के सेक्टर एच में स्थित भूखंड संख्या डी-1/179 से डी-1/241 के अध्यासियों की सुविधा हेतु सीवर लाइन व पानी की पाइप लाइन नहीं डाली गयी है परन्तु उक्त कार्य हेतु प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा संबंधित ठेकेदार को भुगतान कर दिया गया है और फर्जी दर में सीवर व पानी का पाइप डालना दिखा दिया

गया है ? क्या सरकार इस मामले की जांच करवाकर तुरन्त सीवर लाइन व पानी की पाइप लाइन डलवायेगी तथा फर्जी भुगतान कराने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ की कानपुर रोड योजना के सेक्टर एच स्थित भूखण्ड संख्या डी-1/179 से भूखण्ड संख्या डी-1/223 के सम्मुख सीवर लाइन पड़ी है तथा भूखण्ड सं० डी०1/224 से डी-1/241 के सम्मुख सीवर लाइन डालने की कार्यवाही की जा रही है । भूखण्ड संख्या डी-1/189 से डी-1/241 के सम्मुख पानी की लाइन पड़ी है तथा भूखण्ड संख्या डी-1/179 से डी-1/188 के सम्मुख पानी की लाइन डालने का कार्य प्रगति पर है । संबंधित ठेकेदारों को केवल किये गये कार्य का ही भुगतान किया गया है अतएव इस प्रकरण की जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

बुलन्दशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण के घोटालों की जांच

47–श्री राम गोविन्द चौधरी तथा श्री बलराम यादव–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के पहले मंगलवार के अता० प्रश्न संख्या 148 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत मामलों में बुलन्दशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण की जांच आख्या शासन को मिल गयी है ? यदि हां, तो जांच आख्या और उस पर अब तक की कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

खुर्जा-बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण को नियमानुसार कार्यवाही हेतु आदेश दे दिये गये हैं ।

प्रतापगढ़ स्थित पर्यटन स्थल बेला देवी के सौन्दर्यीकरण की योजना

48–श्री सुरेश भारती–

क्या पर्यटन मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर मुख्यालय जनपद प्रतापगढ़ स्थित अति प्राचीन तीर्थ एवं पर्यटन स्थल बेला देवी के सौन्दर्यीकरण हेतु सरकार क्या कर रही है ? यदि बेला देवी पर्यटन के सौन्दर्यीकरण की योजना सरकार बना रही है, तो वह क्या है ? यह कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री केदार सिंह फोनिया–

जनपद प्रतापगढ़ में स्थित बेला देवी के सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास हेतु एक योजना वर्ष 1990-91 में तैयार कर जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को प्रस्तुत की गयी थी, परन्तु इस योजना को धनाभाव के कारण जिला अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किया जा सका ।

वर्ष 1992-93 में जिला योजना के अन्तर्गत निम्न कार्य प्रस्तावित किये गये हैं :—

(1) पार्क का निर्माण एवं वृक्षारोपण

(2) बेन्चों का निर्माण

(3) पेयजल एवं विद्युतीकरण

(4) संकेत पट एवं सुलभ शौचालय का निर्माण

इसकी स्थिति धनराशि की उपलब्धता पर ही निर्भर होगी ।

सूचना विभाग में संयुक्त निदेशक के पद पर आरक्षण की मांग

49–श्री विश्वनाथ –

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का दिनांक 9 जनवरी, 1992 का पत्र (पत्रांक 75/वि०/92 दिनांक 9-1-92) जो सचिव, सूचना एवं निदेशक सूचना को पृष्ठांकित है, दिनांक 10 जनवरी, 1992 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि सूचना विभाग में संयुक्त निदेशक के दो पदों पर आरक्षण संबंधी शासनादेश की अवहेलना करते हुए सामान्य श्रेणी के ही दो व्यक्तियों की प्रोन्नति दिनांक 15 जनवरी, 1992 को की गयी ? यदि हां, तो इस प्रशासनिक अनियमितता के लिये सरकार ने संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की ? क्या उक्त दो पदों में एक पद पर सामान्य श्रेणी के व्यक्ति की प्रोन्नति सरकार निरस्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

सूचना विभाग में संयुक्त निदेशक के मात्र दो ही पद हैं जिन पर आरक्षण संबंधी कोटा नहीं बनता। अतः विभागीय चयन समिति की संस्तुति के अनुसार संयुक्त निदेशक के दोनों अस्थायी पदों पर सामान्य श्रेणी के पात्र अधिकारी की प्रोन्नति की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भूगर्भ जल विभाग के खण्ड द्वितीय फैजाबाद में अपने गृह जनपद में तैनात अवर अभियन्ता

50–श्री राम लखन –

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूगर्भ जल विभाग उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ कार्यरत खण्ड द्वितीय फैजाबाद में कौन-कौन अवर अभियन्ता अपने गृह जनपद में कार्यरत हैं ? क्या यह शासन की नीति के अनुरूप है ? यदि नहीं, तो इन्हें उक्त खण्ड से कब तक हटा दिया जायेगा तथा गलत स्थान पर नियुक्त किये जाने हेतु दोषी अधिकारी के विरुद्ध शासन कार्यवाही पर विचार करेगा ?

श्री कल्याण सिंह–

एक मात्र अवर अभियन्ता नामतः श्री एम० एच० खान अपने गृह जनपद में कार्यरत हैं ।

शासन की नीति की मूल भावना के अनुरूप है ।

हटाने का प्रश्न नहीं उठता क्यों कि संबंधित अवर अभियन्ता मुख्यालय/खण्ड से सदैव दूर रहता है तथा निरन्तर स्थानान्तरित होता रहता है । वर्तमान समय में इनका कार्यस्थल रिंग यूनिट साइट गुजेला, घाटमपुर, जिला कानपुर है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

भूगर्भ जल विभाग खण्ड द्वितीय फैजाबाद में 5 वर्ष से कार्यरत कर्मचारी

51–श्री राम लखन –

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जल विभाग खण्ड-2 फैजाबाद में कौन-कौन अवर अभियन्ता/प्राविधिक सहायक ऐसे हैं जिन्हें इस खंड में कार्य करते हुए 5 से 10 वर्ष हो चुके हैं ? क्या यह भी सही है कि उक्त खण्ड में कम पदों के विरुद्ध अधिक अवर अभियन्ता/प्राविधिक सहायकों को नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ? 5 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों को शासन कब तक हटा देगा ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

भुगर्भ जल विभाग के कतिपय स्थानान्तरित प्राविधिक सहायकों द्वारा चार्ज न दिया जाना

52–श्री राम लखन –

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश में श्री विनोद कुमार गुप्ता तथा श्री ए० के० सारस्वत प्राविधिक सहायकों का स्थानान्तरण विगत वर्ष में क्रमशः फैजाबाद (खण्ड) (द्वितीय) से इलाहाबाद, इलाहाबाद से खण्ड प्रथम लखनऊ किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इन प्राविधिक सहायकों द्वारा अपने पूर्व के खण्डों से अपने अभिलेख (स्टाक, टी० एंड पी० तथा माप पुस्तिकायें एवं लाग बुकें) आज तक हस्तान्तरित नहीं किये गये हैं ? नियमों के विरुद्ध कार्य करने वाले इन कर्मचारियों के विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सूचना विभाग में श्री अवधेश नारायण दुबे की प्रोन्नति का प्रकरण

53–श्री भगवन्त प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार के सूचना विभाग में नियोजन एवं मूल्यांकन अधिकारी के निसंवर्गीय पद पर श्री अवधेश नारायण दुबे के चयन एवं नियुक्ति हेतु कोई चयन समिति गठित की गई भी ? यदि हां, तो उक्त चयन समिति में कौन-कौन से सदस्य थे ? यदि नहीं, तो चयन समिति गठित न किये जाने का कारण क्या था ? इस पद पर नियुक्ति के लिए क्या लोक सेवा आयोग से कोई परामर्श किया गया ? यदि नहीं, तो इसे आयोग की परिधि से बाहर रखने का औचित्य क्या था और उसके लिए सरकार ने किस नियम का आधार लिया क्या यह सही है कि किसी भी राजपत्रित अथवा अराजपत्रित पद की नियुक्ति हेतु एक पद के लिए कम से कम तीन अभ्यर्थियों का साक्षात्कार में आना अनिवार्य है ? यदि हां, तो कौन-कौन से अभ्यर्थी उक्त साक्षात्कार में आये थे ? उनके नाम और पते क्या हैं ? शासनादेश सं०–2/उन्नीस-2-1193/84, लखनऊ दिनांक 8/15 मई, 1986 में वर्णित व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है ? यदि हां, तो क्या सरकार शासनादेश को निरस्त करने का निर्णय लेगी और नियोजन एवं मूल्यांकन अधिकारी के पद के सृजन, चयन और नियुक्ति से संबंधित पत्रावलियां सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार प्रश्नगत पद पर चयन हेतु सूचना विभाग तथा इसके अधीनस्थ सभी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों से प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किये गये थे । मात्र एक ही प्रार्थना-पत्र श्री अवधेश नारायण दुबे, सांख्यकीय सहायक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग से प्राप्त हुआ था । अतः चयन समिति गठन की आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

जी नहीं ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों एवं परिसीमन) नियमावली, 1954 के अनुच्छेद-3(ए) के अधीनं इस पद को आयोग की परिधि में रखा जाना अनिवार्य नहीं था ।

प्रश्नगत पद के लिये विभाग मे कार्यरत कर्मियों के प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किये गये । केवल एक ही प्रार्थना-पत्र श्री अवधेश नारायण दुबे का प्राप्त हुआ वे निर्धारित योग्यता रखते थे । अतः उनका चयन कर लिया गया ।

स्थिति ऊपर स्पष्ट की जा चुकी है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आवश्यकता नहीं ।

नियुक्ति नियम संगत है ।

श्री प्रेम कुमार श्रीवास्तव, कनिष्ठ सहायक, भूगर्भ जल निदेशालय का त्रुटिपूर्ण विनियमितीकरण

54–श्री अकबर हुसैन–

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री प्रेम कुमार श्रीवास्तव, कनिष्ठ सहायक, भूगर्भ जल निदेशालय, उ० प्र० जनगणना परिचालन निदेशक, लखनऊ के छटनीशुदा कर्मचारी है तथा उनका विनियमितीकरण भी इसी आधार पर किया गया है तथा क्या जनगणना विभाग से इनके छटनीशुदा कर्मचारी होने की पुष्टि कराई गयी एवं जनगणना विभाग ने यह सूचित किया है कि यह उनके विभाग के छटनीशुदा कर्मचारी नहीं हैं ? यदि हां, तो सरकार इनके विरुद्ध तथा इनके गलत विनियमितीकरण के लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

परीक्षण जारी है ।

परीक्षणोपरान्त श्री प्रेम कुमार श्रीवास्तव के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी । इनके गलत विनियमितीकरण के लिये दोषी तत्कालीन निदेशक के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि वे सेवा निवृत्त हो चुके हैं ।

प्रदेश में पुलिस हिरासत में हुई मौतों का विवरण

55–डा० बृजभान यादव–

क्या मुख्य मंत्री/गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत 8 महीनों में प्रदेश में पुलिस हिरासत में कितने लोगों की मौतें हुई हैं ? इन हत्याओं में कितने पुलिसकर्मी दोषी पाये गये तथा उन्हें क्या सजा दी गई ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

थाना मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 240/91 में कृत कार्यवाही

56–श्री सन्त बक्श रावत–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ में मु० अ० सं०–240/91 धारा 395/397 आई० पी० सी० के अन्तर्गत दि० 14-10-91 को कोई मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा वादी द्वारा रिपोर्ट के बाद दिनांक 24-10-91 तथा 20-2-92 के प्रार्थना-पत्र गृह मंत्री को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

उपरोक्त मुकदमे की गहनता से विवेचना की गयी । विवेचना के मध्य सुखराम, भूषण, कमलेश, जगदीश, पंचम, रामचरन एवं पप्पू उर्फ हरिश्चन्द्र प्रकाश में आये, जिनकी नियमानुसार शिनाख्त कार्यवाही की गयी परन्तु पंचम के अलावा किसी को नहीं पहचाना गया । अतः पंचम के अतिरिक्त सभी को धारा 169प्रा० दं० सं० से मुक्त करना पड़ा । पंचम का चालान आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया ।

दोनों प्रार्थना-पत्रों में अंकित बिन्दुओं की जांच पुलिस उपाधीक्षक स्तर से करायी गयी । जांच से आरोपों में सत्यता नहीं पायी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मृतक पुलिस कांस्टेबिल श्री राम भरोसे शुक्ला के आश्रित की नियुक्ति

57–श्री बनवारी लाल दोहरे–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि श्री राम भरोसे शुक्ला कान्स्टेबिल रायसत्ती पुलिस चौकी सम्भल, मुरादाबाद की मृत्यु 16 जुलाई, 1988 में ड्यूटी के दौरान हो गई थी ? यदि हां, तो क्या मृतक आश्रित के पुत्र को सेवा में ले लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि मृतक के परिवार को अब तक क्या सहायता प्रदान की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिये सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

मृतक आश्रित के पुत्र को चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद को निर्देश जारी कर दिये गये हैं ।

मृतक श्री शुक्ला के आश्रितों को भुगतान हेतु बीमा धनराशि रुपया 27.207 का बैंक ड्राफ्ट पुलिस मुख्यालय द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद को दिनांक 30-11-88 को भेजा जा चुका है तथा इनकी विधवा के पक्ष में असाधारण पेंशन रु० 1110.20 पैसा प्रतिमाह की दर से और उपादान रुपया 8881.60 का भुगतानादेश पुलिस मुख्यालय के पत्र दिनांक 28-8-90 द्वारा निर्गत किया जा चुका है ।

शेष प्रश्न ही नहीं उठता ।

लखनऊ से प्रकाशित समाचार पत्र 'प्रतिदिन' को सरकारी विज्ञापन कथित रूप से बन्द किया जाना एवं शासन के साथ समझौते का विवरण

58–श्री नरेश अग्रवाल, श्री श्याम नारायण तथा श्री प्रमोद तिवारी–

क्या मुख्य मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि एक जुलाई, 1991 से 31 मार्च, 92 तक लखनऊ से निकलने वाले रोजाना समाचार पत्रों से जिनका प्रसार 25000 कापियां रोजाना है को कितने करोड़ रुपये का शासन ने विज्ञापन दिया ? क्या यह सत्य है कि लखनऊ व सीतापुर से प्रकाशित "प्रतिदिन" अखबार को बिना कोई नोटिस के 1 दिसम्बर, 1991 से विज्ञापन देना बन्द कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

लखनऊ से प्रकाशित होने वाले जिन समाचार पत्रों की प्रसार संख्या–25000 है, उन पत्रों को सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा कुल रु० 6,13,599.50 पैसे मूल्य के विज्ञापन दिनांक 1-7-91 से 31-3-92 तक की अवधि में दिये गये हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

59–श्री नरेश अग्रवाल, श्री श्याम नारायण तथा श्री प्रमोद तिवारी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० शासन ने दिनांक 22-8-1988 को निष्पक्ष "प्रतिदिन" अखबार लखनऊ के बीच एक समझौता के आधार पर दस लाख रुपया लोन दिया गया था ? क्या यह भी सत्य है कि उस समझौते की धारा-1 के उपबन्ध (बी) के अनुसार इस ऋण की अदायगी सूचना विभाग द्वारा इस अखबार के विज्ञापन की धनराशि का आधा भाग काटकर वसूलना था ? यदि हां, तो शासन ने अब तक इस अखबार को समझौते के बाद कितने लाख रुपये के विज्ञापन दिये तथा उन विज्ञापनों के मिलने वाले रुपयों में से कितना रुपया काटा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

शासनादेश दिनांक 5 जून, 1988 द्वारा रुपया 5,00,000 एवं दिनांक 20-8-88 द्वारा रुपये 5,00,000 स्वीकृत किया गया था तथा अनुबन्ध उपरान्त यह धन दिया गया था।

जी हां।

अनुबन्ध की तिथि 22-8-88 के बाद से 31 मार्च, 1992 तक की अवधि में विभाग द्वारा रुपये 10,56,074.60 पैसे मूल्य के विज्ञापन जारी किये गये और रुपये 60,000 की एक किश्त तथा ब्याज के रुपये 2,01,000.80 की वसूली विज्ञापन बीजकों से की गयी।

श्री पुनई आदि निवासीगण रघुवर नगर थाना निघासन के प्रार्थना पत्र की जांच

60–श्री राम स्वरूप वर्मा–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1992 के पहले मंगलवार (दिनांक 24-3-92) के अतारांकित प्रश्न संख्या–17 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जांच अधिकारी किस दिनांक को किस समय मौके पर जांच हेतु गये थे और किन-किन व्यक्तियों के बयान लिये ? क्या उक्त लिये गये बयान को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री ये भी बतायेंगे कि संबंधित क्षेत्राधिकारी के जांच के समय उनके साथ कौन-कौन पुलिसकर्मी मौजूद थे ? क्या जांच स्थल पर जाने के पूर्व संबंधित क्षेत्राधिकारी ने किसी अभिलेख में घटना स्थल पर जाने हेतु अपनी रवानगी दर्ज कराई थी अथवा अपने वरिष्ठ अधिकारी को लिखित रूप में अवगत कराया था जिसका विवरण अभिलेख में अंकित है ? क्या उक्त विवरण को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री कल्याण सिंह–

श्री पुनई आदि निवासीगण ग्राम रघुवरनगर मजरा हरसिंगपुर थाना निघासन के प्रार्थना पत्र की जांच हेतु दिनांक 1-1-92 को समय 15.40 पर जांच अधिकारी ग्राम रघुवरनगर गये थे।

प्रार्थना-पत्र की जांच के मध्य गांव के कुछ लोगों ने मध्यस्थता करके दोनों पक्षों का सुलहनामा तैयार कराकर जांचकर्ता को दिनांक 1-1-92 को प्रस्तुत किया जिसमें अंकित था कि उभयपक्षों का झगड़ा काफी दिनों से चला आ रहा है, दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे को परेशान करने की नीयत से कार्यवाही एक-दूसरे के विरुद्ध की जा रही थी चूंकि दोनों पक्षों ने अपना समझौता पत्र जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया अतएव जांच अधिकारी द्वारा बयान लेने की आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई ।

क्षेत्राधिकारी द्वारा की गयी जांच की कार्यवाही के समय उनके स्टाफ के कर्मचारी एवं थाना निघासन का आरक्षी राम सिंह उपस्थित था । चूंकि राजपत्रित अधिकारी द्वारा आगणन व प्रस्थान का विवरण जनरल डायरी में अंकित नहीं किया जाता है अतएव क्षेत्राधिकारी द्वारा इस संबंध में प्रविष्टि किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है । जांच के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अमर नाथ सिंह यादव, ग्राम चौकी, जनपद इलाहाबाद के विरुद्ध कथित मुकदमा

61–श्री प्रमोद तिवारी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अमर नाथ सिंह यादव पुत्र श्री राम दुलार सिंह यादव, ग्राम चौकी थाना–मेजा, जनपद–इलाहाबाद धारा–409 भा० दं० वि० थाना चुनार, जनपद मिर्जापुर के मुकदमें में न्यायालय चतुर्थ, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी में अभियुक्त है ? क्या न्यायालय चतुर्थ, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी से अमरनाथ के विरुद्ध लगभग दो वर्ष से बगैर जमानती वारन्ट एवं कुर्की आ रही है और आज तक अमरनाथ को थाना–मेजा जनपद इलाहाबाद की पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या गृह मंत्री माननीय न्यायालय के आदेश का तुरन्त अनुपालन कराने की कृपा करेंगे ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम बिछवां, जनपद मैनपुरी में पुलिस चौकी का प्रस्ताव

62–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि विधान सभा क्षेत्र भोगांव, जनपद मैनपुरी में ग्राम बिछवां में एक नवीन पुलिस स्टेशन एवं एक पुलिस चौंकी का प्रस्ताव सरकार द्वारा स्वीकृत हो चुका है ? यदि हां, तो दोनों के निर्माण में विलम्ब क्यों है ? क्या सरकार ने उक्त के निर्माण हेतु कोई धन जिले को आवंटित कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो सरकार कब तक निर्माण कार्य सुनिश्चित करायेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद मैनपुरी में थाना भोगांव के अन्तर्गत ग्राम बिछवां में थाना की स्थापना विषयक प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है परीक्षणोपरान्त शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायेगा । इसके अतिरिक्त उक्त गांव में पुलिस चौकी की स्थापना से सम्बन्धित कोई भी प्रस्ताव शासन में विचाराधीन नहीं है ।

थाना/चौकी की औपचारिक स्वीकृति के उपरान्त ही भवन निर्माण का कार्य सम्पन्न किया जाता है ।

जी नहीं ।

प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात् धन आवंटित किया जाता है ।

सूचना निदेशक द्वारा पत्रों का उत्तर न दिये जाने की शिकायत

63–श्री विश्वनाथ–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश को दिनांक 12 मार्च, 1992 का पत्र (पत्रांक–105/वि०/92) उसी तिथि को प्राप्त हुआ तथा उसका अनुस्मारक दिनांक 24-3-92 (पत्रांक–130/वि०/92) भी उसी तिथि को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त का उत्तर सूचना निदेशक द्वारा क्यों नहीं दिया गया ? क्या यह शासनादेश संख्या–ओ०/1725/सी० एम०-2, दिनांक 21-7-1987 एवं संसदीय अनुभाग के शासनादेश संख्या–2275-सं०/17-81, दिनांक 10-4-1981 एवं वर्तमान सरकार के संसदीय कार्य अनुभाग–1के शासनादेश संख्या–3010/सत्रह-सं०-1-91-70 सं०/84, दिनांक 11 नवम्बर, 1991 की अवहेलना है ? यदि हां, तो क्या सरकार सूचना निदेशक के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

माननीय विधायक का पत्रांक–105/वि०/92. दिनांक 12मार्च, 92 विभाग में 13 मार्च, 1992 तथा अनुस्मारक दिनांक 24-3-1992. दिनांक 25-3-1992 को प्राप्त हुआ ।

माननीय विधायक के पत्र का उत्तर विभागीय अर्द्धशासकीय पत्र सं०–3055/सू० एवं ज० सं० वि० (प्रशा०)-73/91 दिनांक 9-4-92 द्वारा दिया जा चुका है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य संग्रहालय, लखनऊ के निदेशक की नियुक्ति का प्रकरण

64–श्री राम चन्द्र चौधरी–

क्या सांस्कृतिक कार्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उ० प्र० में मात्र एक ही राज्य संग्रहालय है ? क्या इस संग्रहालय के निदेशक पद को आरक्षित घोषित किया जा रहा है ?. यदि हां, तो क्यों ? क्या वर्तमान कार्यकारी निदेशक पहले ही कई अन्य संग्रहालयों के निदेशक हैं ? यदि हां, तो उन्हें वर्तमान पद निदेशक, राज्य संग्रहालय लखनऊ पर तैनात किये जाने का क्या औचित्य है ? एक ही व्यक्ति चार प्रदेशीय संग्रहालयों का कार्य क्यों और कैसे देखता है ?

श्री केदार सिंह फोनिया–

जी हां ।

जी नहीं ।

राज्य संग्रहालय, लखनऊ के वर्तमान कार्यकारी निदेशक, राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर के निदेशक नियुक्त हैं और उनको राजकीय संग्रहालय, झांसी के निदेशक का कार्य भी देखने का निर्देश दिया गया है । इस प्रकार, वर्तमान में निदेशक, राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर शासन के निर्देशानुसार राज्य संग्रहालय, लखनऊ तथा राजकीय संग्रहालय, झांसी का कार्य भी अतिरिक्त रूप से देख रहे हैं ?

राज्य संग्रहालय, लखनऊ के निदेशक, डा० एस० डी० त्रिवेदी की नियुक्ति भारत सरकार के अधीन इलाहाबाद संग्रहालय में हो जाने के फलस्वरूप राज्य संग्रहालय, लखनऊ में निदेशक का पद रिक्त हो गया था । अतः राज्य संग्रहालय के कार्य संचालन के हित में अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत शासन द्वारा दिनांक 8 अक्टूबर, 1991 को ये निर्देश दिये गये कि निदेशक, बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर राज्य संग्रहालय, लखनऊ का कार्य भी देखेंगे ।

65–श्री भागवत पाल–

[दिनांक 28-4-92 को अता० प्र० सं० 48 द्वारा उत्तरित]

सचिवालय के अनुभाग अधिकारी, उद्योग अनुभाग–8 के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप एवं कार्यवाही

66–श्री अरविन्द प्रताप सिंह, श्री राम सरन तथा श्री श्रीनिवास–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवाय प्रशासन द्वारा उद्योग विभाग के अनुभाग-8 में इस समय एक ऐसे अनुभाग अधिकारी को तैनात किया गया है जिसके विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं की जांच सतर्कता विभाग द्वारा की जा रही है तथा गम्भीर आरोपों में लिप्त होने के कारण कुल 13-14 वर्ष की सेवा में उसे 8-9 विभागों से हटाया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त अनुभाग अधिकारी कुछ माह पूर्व गम्भीर भ्रष्टाचार के आरोप के फलस्वरूप लोक निर्माण विभाग से अल्प अवधि में ही हटाया गया था ? यदि हां, तो आरोप क्या थे और उसके परिप्रेक्ष्य में उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं, उद्योग अनुभाग–8 में इस समय कार्यरत अनुभाग अधिकारी के विरुद्ध वर्तमान में कोई सतर्कता जांच नहीं की जा रही है । उक्त अनुभाग अधिकारी को उसकी कुल सेवा अवधि में प्रशासनिक आधार पर 5 विभागों से स्थानान्तरित किया गया । वे दिनांक 1-6-90 से दिनांक 16-2-91 तक लोक निर्माण विभाग में कार्यरत रहे । उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों के फलस्वरूप उक्त विभाग से नहीं हटाया गया वरन् लोक निर्माण विभाग की संस्तुति पर उनका स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर किया गया था । उक्त के परिप्रेक्ष्य में उक्त अनुभाग अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य सम्पत्ति अधिकारी को आवंटित भवन के परिवर्तन का औचित्य

67–श्री राम कुमार शुक्ल–

मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राज्य सम्पत्ति अधिकारी गुलिस्तां कालोनी में रह रहे हैं ? यदि हां, तो क्या उन्होंने बटलर पैलेस कालोनी में टाइप 4-9 भवन अपने नाम आवंटित कराया है? क्या इस भवन की मरम्मत कराई गयी है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ? क्या मुख्य मंत्री जी को यह भी जानकारी है टाइप 4-9 भवन बटलर पैलेस कालोनी. जो पहले श्री बी० सिंह के नाम आवंटित हुआ था उसे श्री आई० पी० सिंह को आवंटित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या श्री आई० पी० सिंह इस भवन के आवंटन के अधिकारी हैं ? यदि नहीं, तो यह भवन उन्हें क्यों आवंटित किया गया ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । राज्य सम्पत्ति अधिकारी गुलिस्तां कालोनी के आवास संख्या–15 में रह रहे हैं ।

गुलिस्तां कालोनी का आवास संख्या–15 आवंटित होने के पूर्व राज्य सम्पत्ति अधिकारी को बटलर पैलेस कालोनी के आवास संख्या–9,टाइप-4 का आवंटन किया गया था ।

क्योंकि यह आवास राजकीय कर्मचारियों के लिये ही निर्मित किया गया है तथा उक्त श्रेणी के आवास आवंटन हेतु राज्य सम्पत्ति अधिकारी पात्र थे ।

बटलर पैलेस के इस आवास में अन्य आवासों की भांति सिविल/विद्युत सम्बन्धी सामान्य अनुरक्षण कार्य कराया गया है ।

आवास की सुरक्षा एवं अध्यासी की सुरक्षा को देखते हुए सामान्य कार्य सम्पादित कराये गये ।

जी हां ।

श्री आई० पी० सिंह, वेतनमान के अनुसार इस आवास हेतु अर्ह हैं और आपसी सहमति के आधार पर 15 गुलिस्तां के परिवर्तन स्वरूप उन्हें यह आवास आवंटित किया गया है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यू० पी० ब्रास वेयर कारपोरेशन को पुनः चालू करने की मांग

68–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० ब्रास वेयर कारपोरेशन को बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो किस तिथि से ? क्या सरकार प्रदेश में उद्योग धन्धों को बढ़ावा देने के लिये इस पर पुनर्विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस कारपोरेशन को बन्द करने के कारण क्या हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

उ० प्र० राज्य ब्रासवेयर निगम को बन्द करने की कार्यवाही की जा रही है क्योंकि निगम के कार्यकलापों की समीक्षा वर्ष 1990 में की गई थी जिसमें यह पाया गया कि उ० प्र० राज्य ब्रासवेयर निगम की स्थापना जिन उद्देश्यों से की गयी थी, निगम उन उद्देश्यों की पूर्ति में असफल रहा । साथ ही निगम द्वारा संचालित नान फेरस रोलिंग मिल में भारी घाटा हो रहा था जिसके भविष्य में और बढ़ने की सम्भावना थी । उक्त के फलस्वरूप शासन द्वारा जनहित में दिनांक 17-11-1990 को ब्रासवेयर निगम के संविलीनीकरण/निजीकरण का निर्णय लिया गया है । अतः प्रकरण पर पुनः विचार करना सम्भव नहीं है ।

आगरा विकास प्राधिकरण में सहकारी विकास समितियों द्वारा जमा धन का विवरण

69–श्री किशन गोपाल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि आगरा विकास प्राधिकरण में सहकारी विकास समितियों द्वारा पिछले तीन वर्ष में (वर्ष 89 से 91 तक) बाहरी विकास शुल्क का लगभग पांच करोड़ रुपया जमा किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उपरोक्त धनराशि का कहीं भी विकास प्राधिकरण द्वारा व्यय नहीं दिखाया गया है और न ही विकास प्राधिकरण में मौजूद है ? क्या इस पांच करोड़ से अधिक धनराशि जो कि विकास प्राधिकरण के किसी खाते में नहीं है, की पूर्व जानकारी कर सरकार घोटाला करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

सहकारी आवास समितियों द्वारा विकास प्राधिकरण में वाह्य विकास हेतु वर्ष 89-91 में कुल 79.16 लाख रुपया जमा किया गया था ।

प्राधिकरण द्वारा इन आवास समितियों के वाह्य विकास पर जमा धनराशि रु० 79.16 लाख में से कुल 6.20 लाख रुपया व्यय किया गया । अवशेष रु० 72.88 लाख प्राधिकरण कोष में जमा है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

खलीलाबाद, जनपद बस्ती में श्री अजय उर्फ पप्पू की हत्या के संबंध में दिये गये ज्ञापन पर कार्यवाही

70–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बस्ती में चालू माह अप्रैल, 92 में समाजवादी पार्टी, जनता दल (ब), जनता दल (अ) सहित विभिन्न दलों/गैर राजनीतिक संगठनों ने खलीलाबाद में पप्पू नामक अनुसूचित जाति के युवक की हत्या में रोष व्यक्त करते हुए अनेक विशाल प्रदर्शन किये थे ? यदि हां, तो प्रदर्शनकारियों की मांगें क्या थीं ? अब तक उस पर कार्यवाही क्या की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रदर्शनकारियों द्वारा ब्रजभूषण चन्द्र भूषण, तहसीलदार श्री जगप्रसाद पाण्डेय व स्थानीय विधायक राम चरित्र कनौजिया का उक्त काण्ड में हाथ होने के कारण गिरफ्तारी की मांग की गयी थी ? दिनांक 26-3-92 को विपक्षी दलों द्वारा आयोजित सभा में एक ज्ञापन परगनाधिकारी, खलीलाबाद को दिया गया जिसमें मुख्य मांगें निम्नवत् थी :—

1–नामजद अभियुक्त श्री बृजभूषण चन्द्र भूषण, तहसीलदार, खलीलाबाद को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाय ।

2–परगनाधिकारी, खलीलाबाद, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली व उ० नि० दिग्विजय नाथ शुक्ला को थाना खलीलाबाद से तुरन्त स्थानान्तरित किया जाय । अपने दायित्वों के निर्वहन न किये जाने के संबंध में मुकदमा कायम किया जाय ।

3–अजय उर्फ पप्पू के मां-बाप को 5 लाख रुपया दिया जाय ।

4–पप्पू हत्याकाण्ड की जांच पुलिस या अपराध अनुसंधान शाखा से न कराकर सी० आई० डी० से करायी जाय ।

स्थानीय विवेचना से उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध साक्ष्य नहीं पाया गया । पप्पू हत्याकाण्ड में गिरफ्तार किये गये अभियुक्त संजय सिंह द्वारा अन्य किसी व्यक्ति का हाथ न होना बताया ।

परगनाधिकारी, खलीलाबाद व प्रभारी निरीक्षक आदि ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन उचित ढंग से किया जिसके फलस्वरूप अभियुक्त संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई और बी० सी० पी० तथा कैसेट बरामद किये गये । अतः शेष की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है ।

मृतक पप्पू के परिवारजनों को रु० 10.000 की राशि प्रदान की गयी है तथा रु० 750 अहेतुक सहायता भी दी गयी ।

प्रश्नगत हत्याकाण्ड की जांच दिनांक 6-4-92 को सी० आई० डी० को अभिदिष्ट की गयी ।

श्री गिरधर निवासी माणर मऊ कला, जिला लखनऊ को गोली मारने के आरोपी आरक्षी मोइनुद्दीन खां के विरुद्ध कार्यवाही

71–श्री सन्त बख्श रावत–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना गोसाईगंज, जनपद लखनऊ में मुकदमा अपराध संख्या–3190-धारा-307/506 आई० पी० सी० के अन्तर्गत दिनांक 5-1-90 को रघुवीर पुत्र बेचालाल निवासी माणर मऊ कला जो अनुसूचित जाति के हैं, ने यह रिपोर्ट अंकित करायी थी कि उसके छोटे भाई गिरधारी आयु 10 वर्ष को थाना गोसाईगंज के सवर्ण जाति के सिपाही ने अकारण गोली मार दी थी, जिसमें गिरधारी घायल हुआ और अस्पताल में उसका पैर काट दिया गया था, जिसके कारण वह विकलांग हो गया ? यदि हां, तो दोषी सिपाही के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

दोषी अभियुक्त आरक्षी मोइनुद्दीन खां के विरुद्ध आरोप सिद्ध पाये जाने पर आरोप पत्र संख्या 51/90 दिनांक 17-3-90 को न्यायालय प्रेषित किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है । अभियुक्त आरक्षी को तत्काल निलम्बित कर दिया गया था । वाद विचाराधीन होने के कारण आरक्षी अभी भी निलम्बित है ।

लखनऊ की इन्दिरा नगर कालोनी के भवनों में पानी के मीटरों का अभाव व जलकर वसूली

72–श्री राम खिलाड़ी–

क्या मुख्य मंत्री यह बतायेंगे कि लखनऊ स्थित एशिया महाद्वीप की विशालतम कही जाने वाली इन्दिरानगर कालोनी जो कि आवास एवं विकास परिषद्, उ० प्र० द्वारा निर्मित करायी गयी है ने कितने भवनों मे जलकर वसूली के लिये पानी के मीटर लगवाये हैं और कितने भवनों में यह कार्य किये बिना मार्च, 1989 में जल संस्थान को स्थानान्तरित किये गये ? क्या मुख्य मंत्री यह भी बतायेंगे कि पानी के मीटरों के अभाव में शेष आर्वटियों से किस दर से जल कर वसूला जा रहा है ? पानी के मीटर लगाने की धनराशि वसूल कर लिये जाने के बाद भी मनमाने ढंग से जलकर वसूली का क्या औचित्य है । मीटर न लगाने के लिये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

परिषद् द्वारा विकसित इन्दिरा नगर कालोनी की जल सम्पूर्ति व्यवस्था मार्च, 89 में जल संस्थान, लखनऊ को रखरखाव हेतु हस्तान्तरित की गयी । इस व्यवस्था के हस्तान्तरण के समय परिषद् द्वारा योजना में 9144 भवन निर्मित किये गये थे, जिनमें से 6475 भवनों में पानी के मीटर लगे थे तथा 2669 भवनों में मीटर नहीं लगे थे । जिन भवनों में मीटर नहीं लगे थे, उनमें से 1775 भवनों के आवंटियों से मीटर लगाने की धनराशि परिषद् द्वारा जल संयोजन के समय ली गयी थी, जिसे लखनऊ जल संस्थान को हस्तान्तरित कर दिया गया है । शेष 894 दुर्बल आय वर्ग भवन जो योजना के प्रारम्भ में बनाये गये थे उनके आवंटियों से मीटर लगाने हेतु परिषद् द्वारा कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गयी ।

आवास एवं विकास परिषद् द्वारा कोई जलकर नहीं वसूला जा रहा है ।

परिषद् द्वारा 1775 भवनों के आवंटियों से जल संयोजन के समय मीटर लगाने की धनराशि ली गयी थी परन्तु आवंटियों के अनुरोध पर ही उनके भवनों में परिषद् द्वारा मीटर नहीं लगाये गये तथा आवंटियों से प्राप्त की गयी धनराशि परिषद् द्वारा लखनऊ जल संस्थान को मीटर लगाने हेतु हस्तान्तरित की जा चुकी है, जिससे इन भवनों में मीटर न लगाने के लिये परिषद् का कोई कर्मचारी/अधिकारी दोषी नहीं है, अतः उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

अनिवार्य प्राविडेन्ट फण्ड की शर्त में लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों के पत्रकारों को मान्यता देने में छूट की मांग

73–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य मुख्यालय पर पत्रकारों को मान्यता देने में अनिवार्य प्राविडेन्ट फण्ड की शर्त लघु एवं मध्यम समाचार पत्र विशेषकर सहकारी क्षेत्र के समाचार पत्र नहीं पूरी कर सकते हैं और न उन पर लागू होती है ? यदि हां, तो उनके परिवारों को छूट देकर मान्यता जारी रखने अथवा देने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं ।

प्रेस मान्यता नियमावली में प्राविडेन्ट फण्ड (अनिवार्य) का प्राविधान है जिसके आधार पर राज्य स्तरीय मान्यता स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नियमानुसार पात्र न होने के कारण ।

श्रीमती शान्ती देवी द्वारा थाना बाजार खाला, जनपद लखनऊ में दर्ज रिपोर्ट पर कार्यवाही

74–श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एक अनुसूचित जाति की महिला श्रीमती शान्ती देवी द्वारा पुलिस अपराध संख्या–287/91 धारा 147/323/504/506/342आई पी० सी०/3 अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत थाना बाजार खाला जनपद लखनऊ में कोई मुकदमा दिनांक 12-9-91 को कायम किया गया है ? यदि हां, तो उक्त मामले की वर्तमान प्रगति स्थिति क्या है और इस मामले में कुल कितने मुल्जिमान हैं ? उनके नाम व विवरण क्या हैं ? क्या इन मुल्जिमानों में से एक मुल्जिमा पुलिस प्रभारी निरीक्षक भी है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इस मामले की गम्भीरता को देखते हुए श्रीमती शान्ती देवी तथा उसके परिवार को पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करेगी ताकि वे अपने उस मकान में जिसमें उन्हें उक्त मुल्जिमानों द्वारा बेघर कर दिया गया है, शान्तिपूर्वक एवं भयमुक्त होकर रह सकें ? यदि हां, तो कब और कैसे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है जो न्यायालय में विचाराधीन है। इस मामले में कुल 6 अभियुक्त हैं, जो निम्नवत् है :—

1–मुन्ना लाल साहू पुत्र श्री मैकू लाल, निवासी टिकैतगंज, लखनऊ।

2–जितेन्द्र कुमार उर्फ गुड्डू एवं (3) सतीश पुत्रगण मैकू लाल, निवासी टिकैतगंज, लखनऊ।

4–ज्ञान वर्मा पुत्र सुरेन्द्र नाथ वर्मा

5–जुगल किशोर पुत्र प्रभू।

6–अबरार खां पुत्र गुलाबी खां, निवासी टिकैतगंज, लखनऊ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती शान्ती देवी व उनके परिवार को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जा रही है। वर्तमान समय में श्रीमती शान्ती देवी अपने निजी मकान राजाजीपुरम में रह रही हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

पत्रकारपुरम कालोनी, गोमती नगर, लखनऊ में भवनों के निर्माण में हुई धांधली की जांच

75–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर लखनऊ में बनाई गई पत्रकारपुरम कालोनी में भवनों के निर्माण में हुई धांधली की शिकायत पर गत दिनों भवनों की नींव आदि के नमूने लिये गये थे ? यदि हां, तो उनकी जांच के क्या परिणाम आये हैं और इसके लिये किन-किन लोगों को दोषी पाया गया है ? घटिया स्तर की निर्माण सामग्री प्रयोग कर पत्रकारों से अधिक ली गई राशि उन्हें कब तक वापस दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां।

जांच के परिणाम अभी प्रतीक्षित हैं।

जांच के परिणाम आने पर ही निर्णय लिया जा सकेगा।

76–श्री रमेश पोखरियाल–

[8वें सोम में अता० प्र० सं० 68 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कर्णप्रयाग, जिला चमोली में इलेक्ट्रानिक फैक्टरी की मांग

77–श्री रमेश पोखरियाल–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को जानकारी है कि कर्ण प्रयाग विधान सभा क्षेत्र के स्थान उद्योग शून्य है ? यदि हां, तो क्या इस पिछड़े पहाड़ी धार्मिक क्षेत्र के आर्थिक उत्थान हेतु वहां पर कोई इलेक्ट्रानिक फैक्ट्री लगवायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पूरन चन्द्र शर्मा–

कर्णप्रयाग क्षेत्र (जिला चमोली) में लघु व कुटीर उद्योग विभाग द्वारा उद्योग स्थापना में उद्यमियों को वित्त पोषण की सहायता दी जाती है । जहां तक उक्त क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक फैक्ट्री स्थापित करने का प्रश्न है उ० प्र० सरकार द्वारा यू० पी० हिल इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन लि० (हिलट्रान) के माध्यम से उत्तरांचल के जनपदों में इलेक्ट्रानिक के क्षेत्र में ग्रामीण योजना के अन्तर्गत सहकारी समितियां स्थापित करने का निर्णय लिया गया है । हिलट्रान द्वारा माह नवम्बर, 1991 में निर्गत विज्ञापन में, शिक्षित बेरोजगारों को इलेक्ट्रानिक्स सहकारी समितियों को बनाने हेतु आमंत्रित भी किया गया था । किन्तु चमोली जिले एवं कर्णप्रयाग क्षेत्र से ग्रामीण उत्पादन योजना के अन्तर्गत सहकारी समितियों के माध्यम से उद्योग लगाने हेतु कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

जनपद सुल्तानपुर में विजेन्द्र या महावीर को पर्यटन केन्द्र बनाया जाना

78–श्री राम चन्द्र चौधरी–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र कादीपुर, जनपद सुल्तानपुर में विजेन्द्र या महावीर को पर्यटन केन्द्र बनाया गया था ? यदि हां, तो निर्माण कार्य हेतु पूर्व सरकार द्वारा कितना धन स्वीकृत किया गया ? यदि धन स्वीकृत किया गया तो उसका निर्माण कार्य क्यों रोक दिया गया ? यदि निर्माण कार्य पूरा होगा तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केदार सिंह फोनिया–

जी हां ।

रु० 18,22,000 (अट्ठारह लाख बाईस हजार मात्र) पूर्व सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जून, 1991 में कार्य पूर्ण हो गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

79–श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

जनपद लखनऊ सिविल पुलिस के कतिपय सिपाहियों को सशस्त्र पुलिस से वापसी की मांग

80–श्री राम औतार शाक्य–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के सिविल पुलिस के कुछ सिपाहियों को दिनांक 21-5-90 से 6 माह के लिये सशस्त्र पुलिस में भेजा गया था और 6 माह की अवधि समाप्त होने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ के आदेश सं० प-184, दिनांक 26 फरवरी, 1991 के द्वारा सशस्त्र पुलिस से सिविल पुलिस में स्थानान्तरित करने का आदेश दिया गया है ? यदि हां, तो इन सिपाहियों को अभी तक सिविल पुलिस में स्थानान्तरित क्यों नहीं किया गया है ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गोण्डा में ग्राम पंचायत अधिकारी के रिक्त पद को भरने की कार्यवाही

81–श्री राम प्रताप सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद में वर्तमान समय में ग्राम पंचायत अधिकारी के कितने पद रिक्त हैं ? सरकार उन पदों को भरने हेतु कब तक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

वर्तमान में जनपद गोण्डा में ग्राम पंचायत अधिकारी की केवल एक रिक्ति है ।

रिक्त पद को भरे जाने हेतु निर्देश दिये जा चुके हैं ।

मृतक कांस्टेबिल श्री रमापति कनौजिया की पत्नी श्रीमती लाली को चतुर्थ श्रेणी पर सेवायोजित किये जाने के निर्देश

82–श्री राम प्रताप सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 9-7-91 का मृतक कांस्टेबिल श्री रमापति कनौजिया के स्थान पर उनकी पत्नी की नियुक्ति के संबंध में गृह राज्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उनकी पत्नी को मृतक आश्रित के रूप में नौकरी दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । श्री कनौजिया की पत्नी श्रीमती लाली को चतुर्थ श्रेणी के पद पर सेवायोजित किये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक, बहराइच को निर्देश भेजे जा चुके हैं । नौकरी दे दिये जाने की निश्चित सूचना प्रतीक्षित है ।

83–श्री राम प्रताप सिंह–

[9वें गुरु में अता० प्र० सं० 137 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद वाराणसी के ब्लाक चिरई गांव के थाना चोलापुर के ग्राम सभा सरैया नम्बर एक के भूतपूर्व प्रधान श्री लाल बहादुर पटेल का चालान एवं प्रकरण की विवेचना

84–श्री ऊदल–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा सरैया नम्बर-एक, थाना चोलापुर, ब्लाक चिरई गांव, जिला वाराणसी के भू० पू० प्रधान श्री लाल बहादुर पटेल का चालान दिनांक 14-11-91 को थाना चोलापुर वाराणसी की एक फर्जी रिपोर्ट पर पुलिस ने किया है ? यदि हां, तो क्या भू० पू० प्रधान श्री लाल बहादुर सिंह पटेल ने दिनांक 4-2-92 को सूचना जिला पंचायत राज अधिकारी, वाराणसी एवं रजिस्टर्ड पत्र पंचायत राज मंत्री, उ० प्र० को व जिलाधीश, वाराणसी, परगनाधिकारी–उत्तरी, वाराणसी को भेज कर दी है ? यदि हां, तो क्या इस पर अब तक जांच की गयी ? क्या यह सही है कि जो प्रस्ताव गांव सभा का दिनांक 8-6-83 को पास किया गया था, उसमें मौजूदा प्रधान ने पच्चीस की जगह एक सौ पचास रु० बनाकर उसी के आधार पर थाने में रिपोर्ट दर्ज किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच किसी उच्चाधिकारी से करायेगी ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

वर्तमान प्रधान श्री श्याम कुमार सिंह ग्राम सभा सरैया नं०–1. थाना चोलापुर, ब्लाक चिरई गांव, जिला वाराणसी द्वारा भूतपूर्व प्रधान श्री लाल बहादुर पटेल के विरुद्ध थाना चोलापुर, वाराणसी में गबन के आरोप में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 14-11-91 को दर्ज करायी गयी जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या–290/91 धारा 406 आई० पी० सी० के अन्तर्गत दर्ज किया है ।

पूरे प्रकरण की विभागीय एवं पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है ।

जनपद अलीगढ़ के विकास खण्ड–सासनी, हाथरस और मुरसान में मिनी औद्योगिक आस्थान की स्थापना

85–श्री हरि शंकर माहौर–

क्या सरकार जनपद अलीगढ़ के सासनी, हाथरस और मुरसान विकास खण्डों में मिनी औद्योगिक आस्थान स्थापित करना चाहती है ? यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्ताव और बजट कब से विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों ? अब तक इस संबंध में क्या प्रयास हुए हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद अलीगढ़ के मिनी औद्योगिक आस्थान की स्थापना के संबंध में वर्तमान समय में स्थिति निम्नवत् है :––

सासनी–औद्योगिक आस्थान की स्थापना हेतु शासनादेश दिनांक 30-8-86 के द्वारा स्वीकृति दी गयी थी, जिसके अन्तर्गत ग्राम बिजहारी, तहसील व परगना हाथरस के गाटा संख्या-257 की भूमि अर्जित की गयी । भूस्वामी द्वारा उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लेने के कारण स्थापना नहीं की जा सकी, जब कि मुआवजे के रूप में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को बैंक ड्राफ्ट दिनांक 4-4-87 को भुगतान किया गया । माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त होने पर विकास खण्ड सासनी में ग्राम सासनी में ग्राम समाज की भूमि गाटा संख्या 244/48 को चयनित किया गया ।

शासन द्वारा लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में, जिन मिनी औद्योगिक आस्थानों पर विकास कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ, जिनमें सासनी भी सम्मिलित है, उनमें अग्रिम आदेश तक विकास कार्य स्थगित कर दिया गया जिससे अग्रेतर कार्यवाही नहीं की जा सकी ।

हाथरस–दिनांक 30-6-86 के शासनादेश द्वारा मिनी औद्योगिक आस्थान की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी थी ।

ग्राम कलवारी की भूमि गाटा संख्या–89 को चयनित कर भूमि अध्याप्ति अधिकारी, अलीगढ़ को दिनांक 4-4-87 द्वारा मुआवजा जमा किया गया था तथा भूस्वामी द्वारा मा० उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये गये थे ।

प्रश्नगत मामले में शासन द्वारा अग्रिम आदेश तक विकास कार्य स्थगित रखे जाने के आदेश दिये जाने के कारण अग्रेतर कार्यवाही नहीं की जा सकी ।

मुरसान–दिनांक 29 ६-89 के शासनादेश द्वारा मिनी औद्योगिक आस्थान की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी ासके अनुपालन में ग्राम दयालपुर में भूमि का सर्वेक्षण किया गया

परन्तु शासन द्वारा अग्रिम अग्रेतर आदेश तक विकास कार्य स्थगित रखे जाने के आदेश दिये जाने के कारण अग्रेतर कार्यवाही नहीं की जा सकी ।

जनपद वाराणसी के ब्लाक चिरईगांव का थाना-चोलापुर के ग्राम सभा-सरैया नम्बर एक के भू० पू० प्रधान श्री लाल बहादुर पटेल द्वारा धन के गबन की पुलिस द्वारा विवेचना

८६–श्री ऊदल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मु० अ० सं०–90/91, 406 आई० पी० सी० थाना चोलापुर, जिला वाराणसी में, भू० पू० प्रधान श्री लाल बहादुर सिंह पटेल, गांव सभा सरैया नं० एक, ब्लाक चिरई गांव, त० व जिला वाराणसी के खिलाफ घटना वर्ष 1983 के गांव सभा के धन के गबन के सिलसिले में दिनांक 14-11-91 को मौजूदा प्रधान श्री श्याम कुमार सिंह, प्रधान, सरैया नं० एक ने लिखायी है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि चोलापुर थाने की पुलिस ने बिना जांच पड़ताल किये डा० लाल बहादुर सिंह पटेल को गिरफ्तार करके चालान किया है ? क्या सरकार इस प्रकरण की जांच करायेगी कि 25 रु० की जगह दिनांक 8-6-83 के भूमि देने के प्रस्ताव में 150 रु० किस प्रकार बनाया गया है ? क्या सरकार जालसाजी करने के आरोप में मौजूदा ग्राम प्रधान श्री श्याम कुमार सिंह के विरुद्ध जांच सी० आई० डी० से करायेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी नहीं, इस संबंध में पंजीकृत मु० अ० सं० 290/91 धारा 406 भा० दं० वि० के अभियोग में पर्याप्त साक्ष्य मिलने के कारण अभियुक्त लाल बहादुर सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया ।

सिविल पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है । अभी सी० आई० डी० जांच की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।

87–श्री ऊदल–

[9वें सोम में अता० प्र० सं० 50 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

88–श्री अरविन्द प्रताप सिंह–

[गोपनीयता के आधार पर निरस्त]

जनपद व तहसील उन्नाव के अन्तर्गत ग्राम–सिधूपुर के निवासी श्री चन्द्र पाल तथा परिवार के मध्य भूमि संबंधी विवाद

89–श्री लालजी वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद तहसील व कोतवाली उन्नाव के अन्तर्गत ग्राम सिधूपुर निवासी चन्द्रपाल के जबरन फसल काटने विषयक प्रार्थनापत्र का पूर्व राज्य मंत्री राजस्व श्री संतबख्श रावत ने अपने पत्र सं० 1542/एस० एम० (आर)/91, दिनांक 1-4-91 तथा तत्कालीन विधायक श्री राम आसरे वर्मा ने अपने पत्र दिनांक 31-8-91 के द्वारा पुलिस अधीक्षक, उन्नाव एवं तत्कालीन नेता विरोधी दल, श्री कैलाश नाथ सिंह यादव ने अपने पत्रांक 642/ने० वि० द०/वि०स०/विधान भवन, लखनऊ दिनांक 28-8-91 का जिलाधिकारी, उन्नाव को भेजा था उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जांच से यह तथ्य प्रकाश में आया कि श्री चन्द्र पाल व उनके परिवार के बीच भूमि का विवाद है जिसके संबंध में मुकदमा चल रहा है । जांच से किसी हस्तक्षेपीय अपराध का होना तथा शान्ति भंग होने की सम्भावना नहीं है । अतः इन कारणों से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा की श्रीमती मन्तुर पत्नी श्री गिरधारी काछी के संबंध में प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र पर कार्यवाही हेतु जिला मजिस्ट्रेट को आदेश

90–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद तथा श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र घ-446957, दिनांक 23-9-91, जनपद बांदा में श्रीमती मन्तुर पत्नी श्री गिरधारी काछी, खाई पार, लोहार तलैया की डकैती की रिपोर्ट लिखाने विषयक, प्रमुख सचिव, गृह, उ० प्र० शासन, लखनऊ को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो अब तक इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सत्य है कि जिलाधिकारी बांदा द्वारा आदेश होने पर भी कोतवाली शहर बांदा में रिपोर्ट नहीं दर्ज की गयी ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 23-9-91 प्राप्त हुआ था । इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, बांदा को समुचित कार्यवाही करने के आदेश दे दिये गये थे ।

जी नहीं । जिलाधिकारी, बांदा के आदेश दिनांक 17-1-91 के परिपालन में थाना कोतवाली नगर, बांदा में प्रश्नगत प्रकरण में मु० अ० सं०–940/91 धारा 395/397 भा० दं० वि० पंजीकृत हुआ । विवेचनोपरान्त अपराध झूठा पाये जाने पर मय जुर्म खारिजा रिपोर्ट के अन्तिम रिपोर्ट संख्या 105 दिनांक 29-9-91 को प्रेषित की गयी, जो न्यायालय में विचाराधीन है ।

जनपद बांदा के श्री भइयादीन, निवासी दुरेड़ी, थाना मटौन्ध को प्रताड़ित किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

91–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद तथा श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा के श्री भइयादीन, निवासी दुरेड़ी, थाना मटौन्ध को सवर्णों द्वारा प्रताड़ित करने विषयक शिकायती पत्र प्रश्नकर्ता का पत्रांक ख-651754, दिनांक 24-12-91 मुख्य मंत्री, उ० प्र० शासन लखनऊ को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि की जायेगी, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । प्रश्नगत मामले में जांच एवं समुचित कार्यवाही करने के आदेश पुलिस महानिरीक्षक, वि० जांच, उ० प्र०, लखनऊ को दे दिये गये हैं ।

जनपद इलाहाबाद के थाना–बहरिया केअन्तर्गत ग्राम पतुल के प्रकरण में दोषी पुलिस के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

92–श्री महेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि इलाहाबाद जनपद के बहरिया थाना अन्तर्गत ग्राम पतुल की अपराध संख्या 11/87, मुकदमा नं० 876/90, सरकार बनाम राम अधार, शासन द्वारा दिनांक 24-1-91 को वापस लिया गया है ? यदि हां, तो इस मामले में दोषी पुलिस जनों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार दोषी पुलिसजनों के विरुद्ध कार्यवाही करने का आदेश करेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मऊ के जिला युवा कल्याण/प्रादेशिक बिकास दल अधिकारी श्री राम चन्द्र तिवारी द्वारा गबन न किया जाना

93–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री जमुना सिंह, सदस्य, मंत्रि परिषद्, भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी, फैजाबाद का पत्रांक शून्य, दिनांक 2-8-91, पत्रांक 12/मा० क० पा०/91, दिनांक 3-2-92 जिलाधिकारी, मऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन से बिन्दु प्रमुख थे ? क्या पत्र में श्री राम चन्द्र तिवारी जिला युवा कल्याण/प्रादेशिक विकास दल अधिकारी मऊ द्वारा सरकारी धन लेकर बगैर चार्ज दिये दूसरे जनपद में कार्यभार ग्रहण कर लेने का मामला भी संदर्भित था ? क्या शिकायत प्राप्त होने के बाद उनके द्वारा मात्र मूलधन ही नकद वापस जमा किया गया है ? यदि हां, तो कितना और कितने समय बाद ? क्या यह स्पष्ट गबन का मामला है ? यदि हां, तो क्या श्री तिवारी के विरुद्ध गबन का आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

श्री जमुना सिंह, सदस्य, मंत्रि परिषद्, भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी, फैजाबाद का पत्रांक दिनांक 2-8-91 तथा पत्रांक 12/भा०क०पा०/91, दिनांक 3-2-92, जिलाधिकारी, मऊ को प्राप्त हुआ था । उसमें निम्नलिखित मुख्य बिन्दु हैं :–

(1) श्री राम चन्द्र तिवारी को सरकारी धन की वसूली के संबंध में ।

(2) श्री राम चन्द्र तिवारी द्वारा 88-89 में फैजाबाद से बगैर चार्ज दिये व बगैर कार्यमुक्त हुए जनपद हरदोई में कार्यभार ग्रहण किया जाना ।

(3) श्री राम चन्द्र तिवारी द्वारा जनपद फैजाबाद में दिनांक 30-6-91 को रिटायर्ड होने से पूर्व लाखों रुपये का फर्जी भुगतान कराने का कार्य किये जाने के संबंध में ।

जी हां । श्री राम चन्द्र तिवारी, जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी, मऊ द्वारा सरकारी धन लेकर बगैर चार्ज दिये दूसरे जनपद में कार्यभार ग्रहण करने का मामला संदर्भित था । 22 दिवसीय सैन्य प्रशिक्षण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सेमिनार/संगोष्ठी तथा जनपद स्तरीय ग्रामीण खेलकूद कार्यक्रम हेतु श्री तिवारी द्वारा अग्रिम लिया गया था । कार्याधिक्य एवं समयाभाव के कारण

उक्त कार्यक्रमों का समय से सम्पादन न हो सका । उसके साथ ही जनपद फैजाबाद स्थानानतरण होने के कारण उक्त कार्यक्रमों पर व्यय के उपरान्त श्री राम चन्द्र तिवारी द्वारा 1,17,340 रु० (एक लाख सत्रह हजार तीन सौ चालीस रुपये मात्र) का समायोजन बाउचर्स प्रस्तुत किया गया और दिनांक 12-8-91 को 12,500 रु० (बारह हजार पांच सौ) का अग्रिम संबंधित कार्यालय में जमा किया गया है ।

यह स्पष्ट गबन का मामला नहीं है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जनपद फैजाबाद में अपर पुलिस अधीक्षक स्तर से विशेष परिस्थिति वश जारी आदेश को निरस्त किया जाना

94–श्री राम प्रसाद सिंह तथा श्री ऊदल–

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में अपर पुलिस अधीक्षक ने अपने आदेश संख्या एस० टी०/एडि-3/91. दिनांक 26-4-91 के माध्यम से श्री विजय नारायन तिवारी, अवैतनिक स्वयं सेवक को पी० आर० डी० जवानों की ड्यूटी सत्यापित करने हेतु अधिकृत किया था ? यदि हां, तो क्या यह आदेश प्रमुख सचिव, उ० प्र० शासन द्वारा जारी शासनादेश सं०–732/पचास-यु०क०-91-35पी० पी० डी०/89. दिनांक 26 अप्रैल, 91 व तद्विषयक पूर्व में जारी शासनादेशों के अनुरूप था ? यदि नहीं, तो क्या उक्त अवैधानिक आदेश जारी करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केदार सिंह फोनिया–

जी हां ।

जी नहीं ।

अपर पुलिस अधीक्षक स्तर से कानून एवं व्यवस्था हित में जनपद फैजाबाद की विशेष परिस्थितिवश जो आदेश जारी किया गया, उसे दिनांक 3-5-91 को निरस्त कर दिया गया ।

95–श्री राम प्रसाद सिंह तथा श्री ऊदल–

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

जनपद फैजाबाद की भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी मंत्री परिषद् के सदस्य श्री जमुना सिंह के शिकायती पत्र पर जांच

96–श्री राम प्रसाद सिंह तथा श्री ऊदल–

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जमुना सिंह, सदस्य, मंत्रि परिषद्, भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी, फैजाबाद का शिकायती पत्र सं० शून्य, दिनांक 6-4-91 जिलाधिकारी, फैजाबाद, निदेशक, युवा कल्याण एवं प्रशासकीय समादेष्टा, प्रा० वि० दल, उ० प्र०, सचिव, युवा कल्याण, उ० प्र० शासन, गृह सचिव, उ० प्र० शासन को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो पत्र में कौन-कौन से प्रस्तरवार बिन्दु थे ? क्या उस शिकायत पर जांच श्री आर० पी० यादव, सहायक निदेशक, युवा कल्याण, उ० प्र० द्वारा कराई गयी थी ? यदि हां, तो उसका परिणाम क्या रहा ? अभी तक जांच आख्या पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या जांच में कोई अधिकारी दोषी पाया गया ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केदार सिंह फोनिया–

पत्र में निम्नलिखित मुख्य बिन्दु उल्लिखित थे :–

1–श्री विजय नारायण तिवारी के विरुद्ध गालियां देने, अवैध भुगतान हेतु अभद्रता व मारपीट करने आदि की शिकायत तथा श्री तिवारी को अवैधानिक रूप से पी० आर० डी० इन्चार्ज घोषित किया जाना ।

2–श्री विजय नारायण तिवारी के विरुद्ध फर्जी मस्टररोल देने की शिकायत।

जी हां । जांच के दौरान प्रथम बिन्दु के लिये तत्कालीन जिला युवा कल्याण एवं प्रा० वि० द० अधिकारी श्री राम चन्द्र तिवारी को दोषी पाया गया जो कि दिनांक 30 जून, 91 को सेवानिवृत्त हो गये थे । अतः श्री तिवारी की पेंशन, ग्रेच्युटी एवं अन्य देयों के भुगतान को रोक दिया गया है । शेष बिन्दुओं के संबंध में जनपद को निर्देश निदेशक, युवा कल्याण एवं प्रशासकीय समादेष्टा, उत्तर प्रदेश द्वारा भेजे गये जिसके संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद बरेली निवासी श्री सत्य प्रकाश सिंघल के साथ कथित धोखाधड़ी के जांच के आदेश

97–डा० दिनेश जौहरी–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि बरेली निवासी श्री सत्य प्रकाश सिंघल के साथ हुई कथित धोखाधड़ी के संबंध में प्रश्नकर्ता की संस्तुति के साथ जांच एवं न्याय दिलाने हेतु कोई पत्र जिसे दिनांक 15-2-92 को प्रमुख सचिव, गृह विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । जिला मैजिस्ट्रेट, सहारनपुर को जांच करके आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर फेस-3 की योजना में अ पियों को भूखण्ड/भवन उपलब्ध कराने की सम्भावना

98–श्री राम ललित चौधरी–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1988 में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर फेस-3 की योजना के अन्तर्गत भू-खंड एवं मकान उपलब्ध कराये जाने हेतु जनता से प्रार्थना-पत्र मांग कर क्रमशः रु० 500 एवं 1000 जमा कराये गये थे ? यदि हां, तो उक्त भूखण्डों एवं मकानों को अब तक जनता को न उपलब्ध कराये जाने के क्या कारण हैं ? अध्यासियों को भू-खण्ड एवं मकान कब तक उपलब्ध करा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत स्थल पर ग्रामवासियों द्वारा अवरोध उत्पन्न करने के कारण योजना वर्ष 1991 तक लम्बित रही, अतएव भवन एवं भूखण्ड जनता को उपलब्ध नहीं कराये जा सके ।

भूखण्ड एवं भवन मार्च, 1993 तक उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कानपुर रोड में नियमानुसार निर्मित कालोनी में ब्रांच सीवर लाइन का डाला जाना

99—श्री सतीश भाटिया—

क्या आवास मंत्री कृपया बतायेंगे कि एल०डी०ए० कालोनी कानपुर रोड, लखनऊ में एल०डी०ए० द्वारा निर्मित भवन मेन सीवर लाइन के ऊपर बनाये गये हैं ? क्या सीवर लाइन के ऊपर कोई निर्माण नियमानुसार नहीं होना चाहिये ? अब इन सीवर लाइन की सफाई कैसे विभाग द्वारा होगी ? पिछली बार सफाई कब हुयी और क्या आने वाले बरसात के मौसम के पूर्व सफाई की व्यवस्था की जायेगी ? क्या जिनके मकान सीवर के ऊपर बने हुए हैं, उन्हें अन्य स्थानों पर मकान देने पर सरकार विचार कर रही है ताकि सीवर का उचित रख-रखाव हो सके ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जिन अधिकारियों ने इस प्रकार का गलत निर्माण कराया है, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

जी नहीं, लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना में निर्मित कालोनी मे 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत ई०डब्लू०एस० भवनों हेतु हडको के मानक के अनुरूप दो भवनों की पंक्तियों के मध्य में ब्रांच सीवर लाइन डाली गई है ।

जी हां ।

पिछली बार दिसम्बर, 91 में सीवर लाइन की सफाई की गई थी । वर्तमान में बरसात के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए सीवर लाइनों की सफाई तीव्र गति से कराई जा रही है ।

आवंटी द्वारा ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निर्माण कार्य निर्मित भवन के ऊपर नहीं किया गया है, केवल 2 भवनों के मध्य में किया गया है, अतः प्रश्न नहीं उठता ।

100—श्री ऊदल—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद बांदा के ग्राम पतेलिया के श्री महिपाल आदि को आग्नेयास्त्र के लाइसेंस दिये जाने की मांग

101—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के थाना मऊ अन्तर्गत ग्राम पतेलिया के श्री महिपाल सिंह आदि ने रम्पा गैंग डी 5 के साथ मुठभेड़ में दिनांक 11-12-91 को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा उन्हें 26-1-92 को पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सर्वश्री महिपाल, भोंदू, समयपाल, देवरान, बदलराम, निवासी पतेलिया, थाना मऊ ने लाइसेंस के लिये आवेदन पत्र दिया है ? यदि हां, तो क्या उक्त लोगों को जिला प्रशासन द्वारा लाइसेंस दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त लोगों के लाइसेंसों को संस्तुति सहित संयुक्त सचिव, गृह पुलिस

अनुभाग–5 शासन को दिनांक 16-1-92 को भेजा गया है ? यदि हां, तो क्या डकैतों से मुठभेड़ के लिये पुरस्कृत उक्त व्यक्तियों को सुरक्षा हेतु लाइसेंस दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 11-12-91 को नहीं, अपितु 14-9-91 को मुठभेड़ में महिपाल आदि ने पुलिस को सहयोग व साथ दिया, जिसके लिये महिपाल को प्रशस्ति पत्र दिया गया है ।

आग्नेयास्त्र लाइसेंस हेतु सर्वश्री बदलूराम, महिपाल, भोदू, समयलाल एवं हंसराज ने आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये हैं ।

जी नहीं । निर्धारित पात्रता श्रेणी में न आने के कारण जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लाइसेंस स्वीकृत नहीं किये गये ।

जी हां, जिला मजिस्ट्रेट, बांदा को शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 1992 के अन्तर्गत परीक्षण कर निर्णय लेने के निर्देश दिये गये हैं ।

जनपद बांदा के गांव हुडा के श्री देवी दयाल आदि को आग्नेयास्त्र के लाइसेंस देने की मांग

102–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के थाना फतेहगढ़ अन्तर्गत गांव हुडा के श्री देवी दयाल, भोला, गोरे लाल, साधूराम, रामदास आदि के यहां अर्सा चार साल पूर्व, धर्मा गैंग ने पकड़ की थी तथा पुलिस अधीक्षक, बांदा ने पी० ए० सी० कैम्प लगवाया था ? क्या वर्ष 1991 में पुलिस अधीक्षक, बांदा ने उक्त लोगों को शस्त्र लाइसेंस की संस्तुति जिलाधिकारी, बांदा को भेजी है ? क्या जिला अधिकारी, बांदा ने दिनांक 16-8-1991 को संस्तुति सहित उनका आवेदन-पत्र भेजा है ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि दिनांक 4-1-92 को उक्त गांव व लोगों के ऊपर डकैती व आगजनी की घटना हुई है व मु०अ०संख्या-2/92 धारा 395/397/436 ता० हिन्द, थाना फतेहगढ़ में कायम हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त अपराधियों से संवेदनशील गांव के लोगों की सुरक्षा हेतु लाइसेंसों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं । जी हां ।

जी हां । जिला मजिस्ट्रेट, बांदा को शासनादेश दिनांक 31-3-92 के अन्तर्गत परीक्षण कर स्वयं निर्णय लेने के निर्देश दिये गये हैं ।

जी हां ।

वादी एवं उसके परिवार के लोगों में से किसी ने शस्त्र लाइसेंस हेतु आवेदन नहीं किया है अतः प्रश्न नहीं उठता ।

लघु सिंचाई विभाग, गोण्डा द्वारा घटिया पाइप लगाने की शिकायत की जांच

103–श्री राम प्रताप सिंह–

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि निःशुल्क बोरिंग योजनान्तर्गत जो पी०वी०सी० पाइप जाली वर्ष 1991-92 में अल्प सिंचाई विभाग, गोण्डा द्वारा विकास खण्डों में सप्लाई की गयी है ? क्या वह पाइप घटिया किस्म की है और उनकी मोटाई निर्धारित मानक के अनुरूप न होने के कारण प्रायः बोरिंग फेल हो जाया करती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० लोक सेवा आयोग के सदस्यों में आरक्षणानुसार नियुक्ति की मांग

104–श्री छत्रपाल वर्मा–

क्या सरकार बतायेगी कि उ० प्र० लोक सेवा आयोग में वर्तमान समय में कितने सदस्य अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति व अल्प संख्यक के हैं ? यदि इनकी संख्या कोटे से कम हैं तो क्या रिक्त स्थानों की पूर्ति उपरोक्त वर्गों से की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

पिछड़ी जाति के दो ।

अनुसूचित जनजाति तथा अल्प संख्यक समुदाय के कोई नहीं ।

तीन रिक्त पदों पर, यथा समय, समस्त वर्गों को सम्मिलित करते हुये संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार नियुक्तियां की जायेंगी ।

जनपद नैनीताल के पटवांडागर स्थित बेक्सीन डिपो के कर्मचारियों पर दर्ज मुकदमों का विवरण

105–श्री महेन्द्र जैन–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद नैनीताल थाना तल्लीताल के अन्तर्गत पटवाडागर स्थित बैक्सीन डिपो के इंजीनियरिंग यूनिट के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच या उनके विरुद्ध स्थानीय पुलिस के माध्यम से जुलाई 1983 से मार्च 1986 तक शांति व्यवस्था सम्बन्धी फौजदारी धारा 107/116/117 इत्यादि में नैनीताल के अदालत में कुछ मुकदमें चले हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त काल में मुकदमों के चलने की अवधि मुकदमों के पक्षकारों के नाम व पता तथा उनकी धाराओं का विवरण क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बांदा के भूरागढ़वासियों द्वारा बालू खनन ठेकेदारों के विरुद्ध शिकायती-पत्र

106–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा के जिलाधिकारी को दिनांक 7-3-92 को ग्राम वासी भूरागढ़ बांदा द्वारा बालू खनन ठेकेदारों द्वारा बारियों से साग सब्जी के पेड़ पौधे उखाड़ कर नष्ट करने एवं मुआवजा दिये जाने सम्बन्धी प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

परगनाधिकारी, बांदा से निरीक्षण कराया गया । बालू खनन ठेकेदारों द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में नीलामी की गई पट्टे की भूमि पर ही खनन किया जा रहा है । तथापि इन्हें यह निर्देश दे दिये गये हैं कि जब तक भूमि की नाप न हो जाय बारियों में उगाई गई साग सब्जी के पौधे उखाड़ कर खनन न करें। नाप का कार्य करने के लिये भी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

थाना मुबारक जनपद आजमगढ़ में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 140/90 में कृत कार्यवाही

107–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मु० अ० सं० 140/90 अन्तर्गत धारा 147/148/149/307/436/395/397/153-ए० आई० पी० सी०., थाना मुबारक, जनपद आजमगढ़ की पत्रावली मूल आरोप-पत्र के साथ अनुमोदन हेतु वर्ष अगस्त 1990 में ही शासन को भेजी गयी थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो कार्यवाही कब तक करा दी जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

मामला शासन स्तर पर विचाराधीन है ।

जनपद चमोली में कार्यरत उद्योग इकाइयां

108–श्री रमेश पोखरियाल–

क्या उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि चमोली जनपद में उद्योग विभाग द्वारा कुल कितनी लघु उद्योग इकाइयां, मध्यम इकाइयां विगत वर्षों में स्थापित की जा चुकी है ? उनमें से कितनी अभी तक कार्यरत है ? क्या बीमार इकाइयों के पुनर्गठन हेतु कोई प्रयास किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

उद्योग विभाग द्वारा स्वयं कोई उद्योग स्थापित नहीं किया जाता है अपितु उद्योग स्थापना में उद्यमियों को अवस्थापना एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद में कोई बीमार इकाई घोषित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पर्वतीय क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक, जड़ी-बूटी आदि उद्योगों को प्रोत्साहन

109–श्री रमेश पोखरियाल–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में इलेक्ट्रिानिक, खाद्य पदार्थ, फल, जड़ी-बूटी तथा अन्य प्रकार के उद्योगों की सम्भावनाओं का पता शासन द्वारा लगाया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पूरन चन्द शर्मा–

प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र के अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में यू०पी० हिल इलेक्ट्रानिक्स लि० (हिलट्रान) द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण योजना के इलेक्ट्रानिक्स इकाइयां लगाने का निर्णय लिया गया है । हिलट्रान द्वारा माह नवम्बर, 1991 में शिक्षित बेरोजगारों को इलेक्ट्रानिक्स सहकारी समितियों को बनाने हेतु आमंत्रित भी किया गया था । प्रदेश में जड़ी-बूटी निदेशालय की स्थापना की गयी है जिसके अन्तर्गत जड़ी-बूटी का पर्याप्त विकास सम्भावित है । फल, खाद्य पदार्थ या अन्य प्रकार के औद्योगिक सम्भावनाओं का पता लगाने हेतु उद्योग विभाग सर्वेक्षण कर पता लगाता रहता है और तद्नुसार उद्यमियों को इस क्षेत्र में उद्योग लगाने हेतु प्रोत्साहित करता है ।

सूचना विभाग के अन्तर्गत सामुदायिक दूर-दर्शन योजना

110–श्री रमेश पोखरियाल–

क्या सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय के अन्तर्गत सामुदायिक दूर-दर्शन योजना किन कारणों से बन्द की गयी है ? क्या इस योजना को पुनः आरम्भ किये जाने का प्रस्ताव है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सामुदायिक दूर-दर्शन योजना बन्द नहीं की गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गढ़वाल में बैजरो-उफरैखाल आदि अधूरे पड़े मोटर-मार्गों को पूरा कराने की मांग

111–श्री रमेश पोखरियाल–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद गढ़वाल में सन् 1977 से अधूरे बैजरो-उफरैखाल-बूंगीधार-नागचूलाखाल, मोटर मार्गों का निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा ? इस मार्ग पर अभी तक कुल कितनी राशि व्यय हुई ? क्या उक्त धनराशि मानक के अनुसार उपयोग में लायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पूरन चन्द शर्मा–

कि० मी० 36.15 से 37.75 पर वन भूमि पड़ने के कारण निर्माण कार्य अवरुद्ध है ।

मार्च, 1992 तक 147.82 लाख रु० ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चौकीदारों का वेतन बिहार सरकार की तरह देने की मांग

112–श्री विश्वनाथ–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में चौकीदारों का वेतन, बिहार सरकार की तरह देने का विचार सरकार का है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद टिहरी-गढ़वाल में भारी उद्योग लगाने की मांग

113–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल उद्योग शून्य है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद टिहरी गढ़वाल में सीमेन्ट, कागज और इलेक्ट्रानिक्स उद्योग लगाने के बारे में विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पूरन चन्द शर्मा–

जनपद टिहरी गढ़वाल के ढालवाला क्षेत्र में प्रदेश के निकाय पिकप ने संयुक्त क्षेत्र में रु० 11.08 करोड़ की पूंजी निवेश करके स्टील स्ट्रीप बनाने की इकाई स्थापित की है जो उत्पादन भी प्रारम्भ कर चुकी है । इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में वोवन साक्स, एलाय स्टील कास्टिंग, बुक्स एण्ड पीरियोडिकल्स, एलाय स्टील कास्टिंग का उद्योग भी है ।

इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में, उत्तरांचल के जनपदों में, उ० प्र० सरकार द्वारा यू० पी० हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि० (हिलट्रान) के माध्यम से ग्रामीण योजना के अन्तर्गत सहकारी समितियां स्थापित करने का निर्णय लिया गया है । हिलट्रान द्वारा माह नवम्बर, 1991 में शिक्षित बेरोजगारों को इलेक्ट्रानिक्स सहकारी समितियों को बनाने हेतु आमंत्रित भी किया गया था ।

वस्तुतः इस क्षेत्र में प्रदेश सरकार मूलतः स्वयं कोई उद्योग स्थापित करने के स्थान पर उद्यमियों को विभिन्न प्रकार के उद्योग लगाने हेतु प्रोत्साहित करती है ।

जनपद वाराणसी की पांडेपुर हाउसिंग स्कीम का ले आउट

114–श्री ऊदल–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के पहले मंगलवार के लिये निर्धारित अता० प्र० सं० 125 के उत्तर के संदर्भ में क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पाण्डेपुर हाउसिंग स्कीम गांव, पाण्डेपुर, प० शिवपुर, वाराणसी में ले० आउट के अनुसार सीवर, स्ट्रीट लाइट,पार्क, ड्रेन, सड़क, नाली, जलापूर्ति की व्यवस्था कब की गयी ? उक्त ले० आउट कब मंजूर किया गया ? क्या अब तक उपरोक्त योजनायें लागू की गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि यह योजना-बस्ती में लागू कर दी गयी हैं, जिससे कोई भी योजना पूरी नहीं हो सकी है ? क्या सरकार इसकी जांच किसी अन्य विभाग के अभियन्ता से करायेगी ? उक्त ले-आउट किस ता० को स्वीकृत किया गया है ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्रीमती अक्की निवासी जगदेव दास का अखाड़ा, जनपद बांदा की रिपोर्ट पर कार्यवाही

115–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा अन्तर्गत थाना कर्वी के श्री जगदेव दास के अखाड़ा की श्रीमती अक्की पत्नी बच्चा ने दिनांक 24-2-92 को एक पत्र दिनांक 22-2-92 में घटी घटना की रिपोर्ट एवं कार्यवाही के लिये कोतवाल कर्बी को दिया है ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अब कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? क्या इस घटना में शामिल व्यक्ति का अपराधिक इतिहास रहा है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

श्रीमती अक्की पत्नी बच्चा का पुलिस अधीक्षक, बांदा को सम्बोधित प्रार्थना-पत्र दिनांक 22-2-92 प्राप्त हुआ था । जिसकी जांच उ० नि० श्री बाबू सिंह सचान, थाना कर्बी द्वारा कराई गई, जांच से प्रार्थना-पत्र में अंकित आरोप सही नहीं पाये गये । फिर भी दोनों पक्षों में तनाव को देखते हुये दि० 10-4-92 को धारा 107/116/151 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही की गई ।

जी नहीं ।

जनपद फतेहपुर में अजहर हसन एण्ड सन्स के शस्त्र व्यवसायिक लाइसेंसी प्रपत्रों को नियम विरुद्ध जारी किया जाना

116–श्री अभिमन्यु सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद फतेहपुर में अजहर हसन एण्ड सन्स के शस्त्र व्यवसायिक लाइसेंसी के प्रपत्र 11 व प्रपत्र 12 को द्वितीय प्रतिलिपि, नियमों के विरुद्ध जिला स्तर से जारी की गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ में विदेशी मुद्रा की कथित कालाबाजारी

117–श्री अंगद सिंह यादव–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में विदेशी मुद्रा की कालाबाजारी जोरों पर चल रही है ? यदि हां, तो उसकी रोकथाम के लिए शासन ने कोई व्यवस्था की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद आजमगढ़ में विगत तीन वर्षों में विदेशी मुद्रा की कालाबाजारी का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत लोहगरा बाजार में रामनिधि सिंह आदि की दुकानें खुलवाने की मांग

118–श्री राम सेवक सिंह–

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बारा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत (लोहगरा) बाजार थाना-बारा-इलाहाबाद के दुकानदार श्री इन्द्र प्रसाद, श्री रामनिधि सिंह, सुरेन्द्र सिंह, श्री अमर बहादुर सिंह, श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त छोटकू केसरवानी की दुकानें अक्टूबर, 1991 से श्री देवनारायण गर्ग परिवार के आतंक से बन्द हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन दुकानों को खुलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? क्या सरकार दोषी व्यक्तियों तथा अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर सम्बन्धित दुकानदारों की क्षतिपूर्ति की अदायगी करेगी ? यदि करेगी, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं । दिनांक 25-8-91 को श्री देव नारायण गर्ग एवं श्री भोलई उर्फ शंकर सेठ का अपहरण तथा बाद में भोलई उर्फ शंकर सेठी की हत्या हुई । इस संबंध में पंजीकृत अभियोग में रामनिधि सिंह, अमर बहादुर सिंह तथा राम मनोहर अभियुक्त हैं । अतः गिरफ्तारी के भय से रामनिधि सिंह एवं उसके पुत्र सुरेन्द्र सिंह, अमर बहादुर सिंह और राजेन्द्र प्रसाद गुप्त पुत्र राम मनोहर की दुकानें कुछ समय बन्द रहीं और फिर खुलने लगीं । श्री इन्द्र प्रसाद कृषक हैं और उनकी कोई दुकान नहीं है । श्री छोटू केसरवानी की दुकान कभी बन्द नहीं हुई ।

सम्प्रति दुकानें यथापूर्व खुल रही हैं ।

उपर्युक्त कारण से दुकान बन्द होने में किसी अधिकारी/कर्मचारी का दोष प्रतीत नहीं होता । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा शहर में विभिन्न अपराधों को रोकने की पुलिस की योजना

119–श्री किशन गोपाल–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार आगरा शहर में लूट मार, राहजनी, अपहरण, डकैती, हत्या, अवैध शराब बिक्री, वेश्यावृत्ति, जुआ के अड्डों जैसे बढ़ते अपराधों व जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों पर काबू पाने हेतु पुलिस विभाग द्वारा कठोर कदम उठाने के आदेश प्रदान करेगी ? यदि हां, तो क्या अपराधियों को कठोर दण्ड के साथ-साथ अपराधियों की सिफारिश करने वालों के खिलाफ भी कठोर कदम उठाने की शासन की कोई योजना हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार आगरा शहर में प्रश्नोलिखित अपराधों पर नियंत्रण हेतु जनपद की पुलिस द्वारा अभियोगों के तत्काल पंजीकरण एवं अभियुक्तों का पता लगाये जाने के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही की गयी है । शहर के सुनसान क्षेत्रों एवं कालोनियों में गश्त व पिकेट की व्यवस्था बढ़ा दी

गयी है । विवादित पक्षों में जहां तनाव है वहां निरोधात्मक कार्यवाही की गयी है । अवैध शराब की बिक्री, वेश्यावृत्ति, जुओं के अड्डों का गुप्त रूप से पता लगाया जा रहा है एवं समय-समय पर छापे मार कर अपराधी तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की गयी है । नगर क्षेत्र में जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही के निर्देश सम्बन्धित थानाध्यक्षों को दिये गये हैं ।

समस्त थानाध्यक्षों को निर्देशित किया जा चुका है कि यदि कोई व्यक्ति अपराधियों की सिफारिश में आये तो उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाय । इस सम्बन्ध में शासन द्वारा कोई योजना बनाये जाने की आवश्यकता नहीं होती ।

श्री राकेश पाण्डेय निवासी अकबरपुर, जनपद फैजाबाद को अंगरक्षक प्रदान करने की मांग

120–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के अकबरपुर नगर क्षेत्र के निवासी एवं प्रतिष्ठित व्यवसायी व नियमित आयकर दाता श्री राकेश पाण्डेय को पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद के पत्र संख्या-एस० टी०/ए०डी०-16/1988, दिनांक 2-5-1988 के आधार पर अकबरपुर कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी श्री राज कुमार सिंह द्वारा लिखित सूचना भेज कर यह सूचित कराया गया था कि उनकी जान का खतरा बना हुआ है तथा स्थानीय निवासियों सहित जनपद आजमगढ़ के व अन्य जगह के बदमाश उनकी (श्री राकेश पाण्डेय) हत्या के लिए प्रयासरत हैं ? यदि हां, तो क्या तत्कालीन पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा एवं शासन के आदेशानुसार श्री राकेश पाण्डेय को अंगरक्षक दिया गया था ? यदि हां, तो अब श्री राकेश पाण्डेय के अंगरक्षक हटाए जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार श्री राकेश पाण्डेय की हत्या को साजिश में लगे विपक्षियों तथा बदमाशों से उनकी सुरक्षा के लिए तत्काल अंगरक्षक प्रदान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

माह मई०, 1991 में लोक सभा/विधान सभा चुनाव के समय अंगरक्षकों की कमी के कारण तत्कालीन सरकार द्वारा ही अंगरक्षक को वापस कर लिया गया था । श्री पाण्डेय अपने आग्नेयास्त्रों से अपनी सुरक्षा करने में पूर्णतः सक्षम हैं ।

श्री राम वृक्ष यादव एवं श्री नवाब सिंह यादव, शैडो के विरुद्ध की गई शिकायत की जांच

121–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राम वृक्ष यादव एवं श्री नवाब सिंह यादव, शैडो के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7-8-91 पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को, दिनांक 12-8-91 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच कब तथा किस अधिकारी द्वारा कराई गयी एवं उसकी जांच रिपोर्ट क्या रही ? यदि नहीं, तो पुलिस द्वारा विभागीय कर्मचारियों की जांच न करने का क्या कारण रहा है ? क्या इस सम्पूर्ण घटना की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराकर तत्काल दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्राप्त सूचनानुसार शिकायती पत्र प्राप्त होने के उपरान्त जांच, क्षेत्राधिकारी, अलीगंज, लखनऊ द्वारा की गयी। जांच से दोनों शैडो दोषी नहीं पाये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

जांच हो चुकी है।

रानीखेत विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के विकास हेतु प्रस्तावित योजना

122–श्री बची सिंह रावत–

क्या शासन को जानकारी है कि पर्यटन के क्षेत्र में रानीखेत विश्व प्रसिद्ध स्थल रहा है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि यहां रानीखेत, मानिला जौरासी, सराईखेत आदि रमणीक पर्यटक स्थल हैं ? यदि हां, तो पर्यटको को प्रोत्साहित करने के लिए इस क्षेत्र में क्या कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो प्रस्तावित योजना पर कब तक कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पूरन चन्द शर्मा–

रानीखेत विश्र्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल तो नहीं रहा है किन्तु यह उत्तरांचल का प्रमुख पर्यटक स्थल है।

जी हां।

1–रानीखेत में पर्यटक आवास गृह संचालित है।

2–रानीखेत में 4 किलो मीटर दूर चिलियानौला में 60 शैय्या का पर्यटक आवास गृह निर्माणाधीन है।

3–रानीखेत के आस-पास चौबटिया गार्डन व गोल्फ कोर्स के विकास कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं।

4–रानीखेत में पार्कों का सौन्दर्यीकरण व स्केटिंग हाल का निर्माण प्रस्तावित है।

5–मानिला में पेयजल की समस्या के कारण पर्यटक आवास गृह के निर्माण की योजना कार्यान्वित नहीं की जा सकी है।

6–जौरासी जाने वाले मार्ग पर लगभग जौरासी से 18 किलोमीटर पूर्व चौबटिया में पर्यटक आवास गृह का निर्माण विचाराधीन है। उक्त आवास गृह बनने के बाद उसमें रुकने वाले पर्यटकों की संख्या को देखते हुए जौरासी में पर्यटक आवास गृह निर्माण पर विचार किया जा सकता है।

7–सराईखेत मे पर्यटक आवास गृह का निर्माण प्रस्तावित है।

पर्यटक आवास गृह चिलियानौला का निर्माण कार्य वर्ष 1992 के अन्त तक पूर्ण होना सम्भावित है। चौबटिया गार्डन व गोल्फ कोर्स के विकास का कार्यान्वयन भी यथाशीघ्र सम्भावित है। शेष स्थलों की योजनाओं पर आठवीं पंचवर्षीय योजनाकाल के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन है।

रायपुर कद्दूखाल मोटर मार्ग के निर्माण में व्यय धनराशि का विवरण

123–श्री लाखी राम जोशी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायपुर कद्दूखाल मोटर मार्ग की स्वीकृति की कुल लम्बाई क्या है ? अब तक निर्मित की गई सड़क की लम्बाई कितनी है ? स्वीकृति प्राप्त और निर्मित सड़क की लम्बाई में कितना अन्तर है ? क्या सड़क निर्माण हेतु स्वीकृति धनराशि पूरी व्यय कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्या इसकी जांच करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि करायी जायेगी, तो कब तक ?

श्री पूरन चन्द शर्मा–

56.00 कि०मी०, 64.418 कि०मी०, 08.418 कि०मी० ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

124–श्री यदुनाथ सिंह–

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

जनपद एटा के कंचनपुर नं० अलीगंज निवासी श्री अजय पाल सिंह यादव द्वारा जांच कराने के सम्बन्ध में प्रेषित पत्र का न पाया जाना

125–श्री अवध पाल सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन नेता विरोधी दल श्री सत्यपाल सिंह यादव के पत्र सं० 4243/नेविद/विस/88 दिनांक 5-1-88 के द्वारा श्री अजयपाल सिंह यादव, कंचनपुर नं० अलीगंज, एटा का प्रार्थना-पत्र कोई जांच कराने के संबंध में उन्हें प्राप्त हुआ था ? क्या सरकार उक्त शिकायती पत्र पर जांच कराने जा रही है ? यदि हां, तो क्या उक्त जांचोपरान्त की गयी कार्यवाही से सदन को सरकार अवगत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

उपलब्ध सूचना के अनुसार सन्दर्भित प्रार्थना-पत्र प्राप्त होना नहीं पाया गया है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के लघु सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता श्री एस० आर० आर्या द्वारा पी-4 किर्लोस्कर कास्टिंग की मरम्मत का भुगतान

126–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी तथा श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री अवगत हैं कि लघु सिंचाई विभाग बांदा के अधिशासी अभियन्ता श्री एस० आर० आर्या द्वारा लगभग एक वर्ष पूर्व पी-4 किर्लोस्कर कम्प्रेशर ब्लास्टिंग की मरम्मत करवाई गयी थी ? यदि हां, तो यह मरम्मत किससे करवाई गयी थी ? क्या मरम्मत कार्य का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कितना व कब भुगतान कर दिया गया है ? क्या यह सत्य है कि उक्त मरम्मत कराया गया कम्प्रेशर आज भी खराब पड़ा है ? यदि हां, तो कब से ? क्या यह भी सत्य है कि फर्जी मरम्मत कार्य दिखा कर भुगतान प्राप्त कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

मेसर्स नेशनल इण्टर प्राइजेज झांसी ।

जी हां ।

दिनांक 27-12-90 को रु० 8900 ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

127–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद देवरिया के विभिन्न थानों द्वारा अन्तिम रिपोर्ट लगाने का विवरण

128–श्री हरिवंश सहाय तथा श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया के विभिन्न थानों में 1-6-91 से 31-1-92 तक कितनी रपटें लिखी गयी हैं ? कितने मामलों में चार्ज शीट लगी तथा कितने में फाइनल रिपोर्ट ? क्या यह भी बतायेंगे कि फाइनल रिपोर्ट लगाने का कारण क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद देवरिया के विभिन्न थानों में दिनांक 01-06-91 से 31-01-92 तक कुल 4566 रपटें लिखी गई हैं । इनमें से 3683 मामलों में चार्जशीट तथा 716 में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई ।

साक्ष्य विश्लेषण कर गुणदोष के आधार पर अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई है ।

जनपद वाराणसी के थाना-बड़ागांव में फर्जी इनकाउन्टर की जांच

129–श्री ऊदल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपराध संख्या–235/83. धारा-147/148/201/218/302. भा० दं० वि०, थाना बड़ागांव, जिला वाराणसी दिनांक 22-12-83 में अभियुक्त बड़ागांव के पूर्व एस० ओ० श्री जीवन लाल तिवारी, एस० आई० श्री ताहिर खां तथा अन्य सात पुलिस कर्मी फर्जी इनकाउन्टर दिनांक 1/12-7-1981 करने के अपराध में सरकार द्वारा अभियोग स्वीकार करने और अदालत वाराणसी में अभियोग दाखिल करने के बाद निलम्बित कर दिए गए थे ? यदि हां, तो क्या आरोप पत्र सी० बी०, सी० आई० डी० द्वारा न्यायालय में दाखिल किया गया है ? क्या यह सही है कि गलत आख्या पर सभी अभियुक्तों को पुनः पदारूढ़ करके प्रमोशन भी दे दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि ऐसा किया गया है तो क्या पुनः उन्हें निलम्बित करके दिया गया प्रमोशन वापस लेगी ? क्या सरकार अपराध अनुसन्धान शाखा, वाराणसी के खण्डाधिकारी, श्री अफजाल अहमद द्वारा तथ्यों को छिपा कर गोल-माल रिपोर्ट एस० एस० पी०, गोरखपुर व डी० आई० जी०, गोरखपुर को देने की भी जांच करायेगी ? क्या सरकार के आदेश से फर्जी इनकाउन्टर करने की जांच में फर्जी इनकाउन्टर पाये जाने पर ही उनका निलम्बन किया गया था ? यदि हां, तो अभियुक्तों को बहाल कराने में कौन अधिकारी दोषी हैं ? क्या उनकी भी जांच करके कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

130–श्री यदुनाथ सिंह–

[8वें मंगल के लिए स्थगित]

उ० प्र० राज्य खनिज विक्रय निगम में नौकरी देने के प्रकरण की जानकारी को बिना किसी मानक के पटल पर रखने की मांग

131–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि उ० प्र० राज्य खनिज विक्रय निगम में बिना किसी मानक के नौकरी देने के बारे में सदस्य, विधान परिषद्, खान अब्दुल वदूद खां का शिकायती पत्र संख्या-1442/90 दिनांक 24-4-90 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में किन-किन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी थी ? क्या उक्त जानकारी सदन के पटल पर रखी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश खनिज निगम को लोढवारा पहाड़ की पट्टे के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र पर जांच

132–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा अन्तर्गत उत्तर प्रदेश खनिज निगम द्वारा ग्राम लोढवारा में ग्रेनाइट गिट्टी तोड़ाई हेतु पहाड़ का पट्टा लेकर लाखों रुपया व्यय करके गिट्टी तोड़ाई गई है जिसको कुछ लोग खुलेआम उठाकर ले जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या निगम की सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु नुकसान को रोकने हेतु एवं दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 22-1-92 मुख्य मंत्री, उ० प्र०, अध्यक्ष, उ० प्र० खनिज निगम तथा सचिव, सतर्कता विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी बतायेंगे कि गिट्टी तोड़ाई में खनिज निगम का कितना धन व्यय हुआ है ? क्या गिट्टी की नीलामी गत वर्ष में हुई थी ? यदि हां, तो कितनी आमदनी आई थी ? क्या नीलामी स्थगित की गई, तभी गिट्टी चोरी हो गई ? यदि हां तो कितनी धनराशि की ? क्या इसके रख-रखाव में अव्यवस्था के लिए कोई दोषी है ? यदि हां, तो क्या उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अनाधिकृत रूप से खुले आम निगम की गिट्टी ले जाने हेतु दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम को लोढवारा पहाड़ का पट्टा दिनांक 19-10-85 से पांच वर्ष की अवधि का ग्रेनाइट गिट्टी तोड़ने हेतु स्वीकृत किया गया था । प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 22-1-92 प्राप्त होने पर परगनाधिकारी, कर्बी से मामले की जांच करायी गयी । जांच आख्या के अनुसार 1000 घनफिट (लगभग) गिट्टी एकत्रित सुरक्षित पड़ी हुई है जिसकी चोरी का कोई प्रश्न नहीं उत्पन्न होता है । गिट्टी की नीलामी गत वर्ष नहीं की गयी है । चूंकि गिट्टी सुरक्षित पड़ी है इस कारण उसके रख-रखाव की व्यवस्था के लिये दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० सचिवालय के चीनी उद्योग विभाग में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों को स्थानान्तरित करने की मांग

133–श्री कमल नयन वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० सचिवालय में कितने कर्मचारी/अधिकारी विगत 5 वर्षों से अधिक समय से एक ही विभाग में नियुक्त हैं ? क्या चीनी उद्योग विभाग में सचिवालय सेवा के ऐसे कर्मचारी/अधिकारी विगत अनेक वर्षों से लगातार नियुक्त हैं जो प्रोन्नति के बाद भी चीनी उद्योग में ही कार्यरत हैं ? इसका क्या कारण है ? इन अधिकारियों/कर्मचारियों को स्थानान्तरण नीति के अनुसार कब तक अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह–

उत्तर प्रदेश सचिवालय में कुल 751 कर्मचारी एवं 34 अधिकारी विगत 5 वर्षों से एक ही विभाग में कार्यरत हैं ।

चीनी उद्योग विभाग में सचिवालय सेवा का केवल एक कर्मचारी विगत वर्ष 1980 से है जिसे प्रोन्नति के बाद भी प्रशासनिक आधार पर उक्त विभाग में रोका गया है । उक्त कर्मचारी सम्प्रति संदर्भदाता के पद पर कार्यरत है तथा सन्दर्भदाता निर्धारित स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत नहीं आते हैं । अतः उसे स्थानान्तरित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तरांचल के नगरों/कस्बों में सुलभ शौचालयों के निर्माण की योजना

134–श्री लाखी राम जोशी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में उत्तरांचल के किन-किन नगरों/कस्बों में सुलभ शौचालयों के निर्माण की योजना है ? सुलभ शौचालयों की धनराशि भुगतान की गई है ? शासन की शर्तों पर कितनी धनराशि भुगतान की गयी है ? शासन की शर्तों के आधार पर कार्य न करने वाली एजेन्सी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ? सुलभ शौचालयों के वहां निर्माण हेतु शासन ने भविष्य हेतु क्या नीति तय की है ?

श्री पूरन चन्द्र शर्मा–

संलग्न तालिका-I में नगरों व कस्बों के नाम इंगित हैं जहां पर शौचालयों के निर्माण की योजना है ।

संलग्न तालिका–I–में प्रत्येक निर्माण कार्य के सम्मुख संस्था के नाम का उल्लेख है । शर्तों का उल्लेख तालिका–II-में दिया गया है । तालिका–I–में ही सम्बन्धित संस्था को भुगतान की गयी धनराशि अंकित है ।

कतिपय मामलों में शासन द्वारा भुगतान की गयी धनराशि को वापस लिये जाने के निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं ।

वर्तमान में ऐसी कोई नीति शासन के विचाराधीन नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 222 पर)

135–श्री लाखी राम जोशी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देव प्रयाग, टिहरी गढ़वाल में सुलभ शौचालय कब से निर्माणाधीन है ? उक्त निर्माण किन कारणों से पूरा नहीं हो सका है ? निर्माण किस कम्पनी से, किन शर्तों पर कराया जा रहा है ? उसे कितनी धनराशि अग्रिम दी गयी है ? निर्माण एजेन्सी द्वारा शर्तें पूरी न करने की स्थिति में, शासन द्वारा दिये गये अग्रिम धनराशि के सम्बन्ध में क्या कोई कार्यवाही की जा रही है ? सुलभ शौचालयों का निर्माण कब तक पूरा करा लिया जायेगा ? क्या इस वर्ष यात्रियों को देवप्रयाग में सुलभ शौचालयों की सुविधा प्राप्त हो सकेगी ?

श्री पूरन चन्द्र शर्मा–

दिनांक 10-5-90 से ।

निर्माण संस्था द्वारा निर्माण कार्य रोक दिये जाने के कारण निर्माण पूरा नहीं हो सका ।

अग्रिम धनराशि व स्थल उपलब्ध कराये जाने की तिथि से 6 माह में कार्य पूर्ण कर दिये जाने की शर्त पर सुलभ इन्टरनेशनल संस्था से निर्माण कार्य कराया जा रहा है ।

रु० 2.50 लाख ।

सुलभ इन्टरनेशनल संस्था से अग्रिम धनराशि वापस लिये जाने के आदेश दिनांक 31-3-92 को निर्गत किये जा चुके हैं ।

अग्रिम धनराशि वापस प्राप्त होने पर शौचालय का निर्माण कराया जाना सम्भव होगा ।

जनपद अल्मोड़ा के रानीखेत में खेल स्टेडियम बनाने पर विचार

136–श्री बची सिंह रावत–

क्या शासन को जानकारी है कि जनपद अल्मोड़ा के रानीखेत नगर में करीब 15,000 की जनसंख्या है परन्तु यहां पर युवा खेल प्रतिभा के विकास हेतु कोई भी खेल मैदान नहीं है ? क्या यह सत्य है कि पूर्व मुख्य मंत्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने यहां पर खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो क्या सरकार इस नगर के युवा प्रतिभाओं के कल्याण हेतु कोई खेल स्टेडियम वहां बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पूरन चन्द्र शर्मा–

जी हां ।

वर्ष 1981-82 में तत्कालीन मुख्य मंत्री ने रानीखेत में एक क्रीड़ा स्थल स्थापित करने का सुझाव मान लिया था ।

कैंट बोर्ड से भूमि उपलब्ध होने पर रानीखेत में खेल स्टेडियम का निर्माण कराने पर संसाधनों की स्थिति को भी देखते हुए विचार किया जायेगा ।

हथकरघा निदेशालय के क्षेत्रीय सह० निदेशक उद्योग हथकरघा कार्यालय फैजाबाद में कार्यरत परि० अधि० श्री एस० एस० एच० रिजवी द्वारा की गई नियुक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही

137–श्री शिव कुमार बेरिया–

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हथकरघा निदेशालय के क्षेत्रीय सह० निदेशक, उद्योग, हथकरघा कार्यालय, फैजाबाद में तैनात श्री एस० एस० एच० रिजवी, परियोजना अधिकारी वेतनमान 2000–3200 में कार्यरत हैं ? क्या वे तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के नियुक्ति अधिकारी हैं ? यदि नहीं, तो इनके द्वारा श्री तारिक अली खां पुत्र श्री नौशाद अली खां कार्यालय अधीक्षक, अधिष्ठान, मुख्यालय कानपुर की नियुक्ति तथा श्री अली मन्जूर की नियुक्ति वैधानिक है ? यदि नहीं, तो इनकी सेवायें समाप्त करने के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

श्री रिजवी द्वारा किये गये अनाधिकृत कार्य के लिये उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के आदेश जारी कर दिये गये हैं तथा उनके द्वारा की गयी नियुक्तियों की वैधानिकता का परीक्षण किया जा रहा है।

जनपद सिद्धार्थनगर के थाना शोहरतगढ़ के भवन का किराया

138–श्री शिव लाल मित्तल–

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के थाना शोहरतगढ़ के भवन को प्रति वर्ग फुट प्रतिमाह कितने किराये पर लिया गया है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि नगरीय क्षेत्र में किराये की दर प्रतिवर्ग फीट प्रति माह कितनी है ? क्या किराया शोहरतगढ़ के उक्त वन मालिक को प्रतिमाह नियमित रूप से दिया जा रहा है ? यदि हां, तो किस दर से एवं कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन नगरीय दर से उक्त भवन का किराया देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद सिद्धार्थनगर के थाना शोहरतगढ़ के भवन का किराया अभी अन्तिम रूप से निर्धारित नहीं हुआ है ।

नगरीय क्षेत्र में अनावासीय भवनों के किराये की दर निम्नवत् निर्धारित है :—

	जनवरी, 91 से पूर्व	जनवरी, 91 से
महानगरों व बरेली गोरखपुर, मेरठ, देहरादून, गाजियाबाद तथा पर्वतीय जिलों के मुख्यालय	रु० 1.00 प्रति वर्ग फुट	रु० 1.50 प्रति वर्ग फुट
अन्य नगरों में	रु० 0.50 प्रति वर्ग फुट	रु० 0.75 प्रति वर्ग फुट

पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा दिनांक 1-11-91 से रु० 600 प्रतिमाह दिया जा रहा है ।

जी नहीं । क्योंकि भवन ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है ।

जनपद लखनऊ के स्ट्रेंजर्स होम 2, स्टेशन रोड के पादरी जेवियर डी सोजा के निवास की विस्तृत जांच

139–श्री ओम प्रकाश दिवाकर–

क्या सरकार को जानकारी है कि हुसैनगंज, लखनऊ जहां स्ट्रेंजर्स होम, 2, स्टेशन रोड नामक स्थान में पादरी, जेवियर डी सोजा रहते हैं ? क्या यह सत्य है कि वह जमीन और भवन नजूल की है जिसकी लीज अवधि समाप्त हो चुकी है और उसके नवीनीकरण लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त नजूल भूमि पर पादरी जेवियर डी० सोजा अनाधिकृत रूप से उक्त

स्थान पर काबिज हैं ? क्या यह भी सही है कि लीज शर्तों के विपरीत उक्त भवन को वे शादी ब्याह हेतु किराये पर उठाकर अवैधानिक रूप से लाखों की आमदनी भी कर रहे हैं ? क्या संत एग्नेस चर्च का बोर्ड लगा कर उस पर कब्जा कर रहे हैं ? अब तक उक्त सम्पत्ति पर पादरी डी० सोजा को कब्जा करने से न रोकने का कारण क्या है ? क्या उन्हें कब्जा करने से रोका जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्न में उल्लिखित प्रकरण में सम्बन्धित रिकार्ड उपलब्ध न होने के कारण विस्तृत जांच करने का निर्णय शासन ने लिया है ।

जनपद फर्रुखाबाद के उर्मदा विधान सभा क्षेत्र में स्थित रामगंगा कमाण्ड के अन्तर्गत सिंचाई हेतु निर्मित नालियों को पक्का कराने की मांग

140–श्री अरविन्द प्रताप सिंह–

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के उर्मदा विधान सभा क्षेत्र में राम गंगा कमांड के अधीन 89-90 व 90-91 में पक्की नालियों का निर्माण कराया गया था ? यदि हां, तो उक्त अवधि में निर्मित कितनी नालियां सिंचाई हेतु पानी पहुंचाने योग्य हैं ? कितनीनालियां टूट गयी हैं ? कितनी नालियां त्रुटिपूर्ण होने के कारण सर्वेक्षण में उचित लेविल में नहीं बनी पायी गयी हैं? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्रश्नगत कमाण्ड क्षेत्र में पानी पहुंचाने के लिये नालियों को कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? पानी पहुंचाने की विभाग की कार्य योजना क्या है ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

जी हां ।

वर्ष 89-90 में 14 कुलाबों का 9.65 कि०मी० एवं वर्ष 90-91 में 14 कुलाबों का 7.08 कि०मी० अर्थात् दोनों वर्षों में कुल मिलाकर 28 कुलाबों का 16.73 कि०मी० पक्की नालियों का निर्माण कराया गया था ।

उक्त अवधि में निर्मित सभी पक्की नालियां सिंचाई हेतु खेतों में पानी पहुंचाने योग्य थी ।

वर्ष 89-90 एवं 90-91 में निर्मित पक्की नालियों के टूटने/क्षतिग्रस्त होने के संबंध में मा० विधायक जी के अनुसार कन्सुआ रजबहा के कुलाबा सं०–19 एवं 20 तक खैर नगर रजबहा के कुलाबा संख्या--6, 7 एवं 9 पर पक्की नालियों के टूटने का उल्लेख है । वर्ष 89-90 में कन्सुआ रजबहा के कुलाबा सं०–19 पर निर्मित 1100 मीटर एवं कुलाबा सं०-20 पर 506 मीटर तथा वर्ष 90-91 में खैर नगर रजबहा के कुलाबा सं०–6 पर 636 मीटर कुलाबा सं०–7 पर 442 मीटर एवं कुलाबा सं०-9 पर निर्मित 998 मीटर पक्की सिंचाई नालियां स्थलीय जांच में सिंचाई हेतु कार्य योग्य पायी गयी है । कोई भी सिंचाई नाली टूटी हुई नहीं पायी गयी तथा इन सिंचाई नालियों को उचित लेविल पर बना हुआ पाया गया है और कोई भी नाली त्रुटिपूर्ण नहीं है ।

स्थलीय निरीक्षण में उक्त पांचों कुलाबों पर निर्मित सिंचाई नालियों से खेतों की सिंचाई ठीक प्रकार से हो रही थी तथा उनमे जल का प्रवाह भी ठीक था । पानी पहुंचाने की विभाग की कार्य योजना प्रत्येक चक को कच्ची नाली से जोड़ना तथा मुख्य टैंक गूल को पक्की करना है ।

चीनी उद्योग के संयुक्त सचिव के विरुद्ध श्री उमाकान्त यादव के प्रेषित शिकायती पत्र के आधार पर जांच कार्यवाही की जानकारी

141–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि विधायक उमाकान्त यादव का पत्र दिनांक 2-11-91 सजपा विधान मण्डल दल कार्यालय के पत्र संख्या–9, जो संयुक्त सचिव, चीनी उद्योग, उ० प्र० शासन के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त पत्र के माध्यम से जांच कराई है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । संयुक्त सचिव, चीनी उद्योग के विरुद्ध श्री उमाकान्त यादव, मा० विधायक का एक शिकायती पत्र संख्या 9/2-11-91 प्राप्त हुआ था । उसमें उल्लिखित तथ्यों की जांच कराई गयी परन्तु अधिकारी के विरुद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पायी गयी । वे अब चीनी उद्योग विभाग से स्थानान्तरित भी हो चुके हैं ।

लखनऊ नगर स्थित आवास विकास परिषद् की डायमन्ड डेरी कालोनी में अनाधिकृत कब्जे को हटाने की मांग

142–श्री ज्ञानेन्द्र––

क्या सरकार को जानकारी है कि लखनऊ नगर स्थित आवास विकास परिषद् की डायमन्ड डेरी कालोनी अनुरक्षण हेतु नगर महापालिका, लखनऊ को सौंप दी गयी है ? यदि हां, तो कब से ? क्या उक्त कालोनी में सड़कों, पार्कों एवं अन्य जगहों पर वहां के निवासियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और उसे हटाने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । लखनऊ नगर स्थित आवास विकास परिषद् की डायमन्ड डेरी कालोनी में विकसित समस्त जन सेवायें अनुरक्षण हेतु नगर महापालिका, लखनऊ को दिनांक 15-7-81 में सौंप दी गयी हैं ।

सड़कों, पार्कों एवं अन्य जगहों के अतिक्रमण जो जानकारी में आये हैं उनको लखनऊ नगर महापालिका द्वारा हटाया गया है । इनकी संख्या–8 है । पार्क में जो जानवर बंधते हैं यह अस्थायी रूप से बंधते हैं । पार्क विकसित किये जाने पर स्वतः हट जायेंगे । क्षेत्र में कुछ दुकानदारों ने अपनी-अपनी दुकानों के आगे टीन शेड तथा कुछ भवन स्वामियों ने अपने-अपने भवनों के सामने बाउन्ड्रीवाल निर्मित कर ली है । देखने से यह कब्जे सड़क पटरी पर होना लगते हैं फिर भी इसका प्रमाणीकरण अभियंत्रण विभाग से कराकर अनाधिकृत कब्जे होने की दशा में पुलिस सहयोग प्राप्त होने पर शीघ्र हटाने की कार्यवाही की जायेगी ।

परिषद् द्वारा निर्मित बहुमंजिले भवनों एवं दुकानों के चारों ओर सार्वजनिक प्रयोग हेतु छोड़ी गयी खुली भूमि पर वहां के निवासियों द्वारा 13 स्थानों पर अनाधिकृत निर्माण किये गये हैं, जिनके विरुद्ध नियमानुसार कारण बताओ नोटिस जारी की गयी, सुनवाई की गयी तथा विधिनुसार सक्षम अधिकारी (अधिशासी अभियन्ता) द्वारा अवैध निर्माण ध्वस्त करने के आदेश भी पारित किये गये हैं । इनमें से पम्प हाउस के कमरे पर किये गये एक अनाधिकृत कब्जे को हटवाया गया है । परन्तु अन्य प्रकरणों पर पुलिस बल प्राप्त न होने के कारण अनाधिकृत निर्माण गिराने की कार्यवाही सम्पन्न नहीं हो पायी है ।

जनपद फैजाबाद के अकबरपुर में स्थित उ० प्र० राज्य कताई कं० लि० के अन्तर्गत तालाबन्दी की अवधि में कर्मचारियों को सेवा में लिया जाना

142-(अ)–श्री बंशीधर राज–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य कताई कं० लि०, अकबरपुर, फैजाबाद में तालाबंदी की अवधि में आवश्यक सेवा के तहत कितने कर्मचारियों को सेवा पर रखा गया है ? क्या यह भी बतायेंगे कि आवश्यक सेवा के तहत वे सभी कर्मचारी कौन-कौन हैं और उन्हें कब से सेवा में लिया गया है ? क्या सदन के पटल पर सम्बन्धित कर्मचारियों की सूची उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत इकाई में तालाबंदी की अवधि में आवश्यक सेवाओं के तहत 5 कर्मचारियों को दिनांक 11-6-90 से सेवा में रखा गया है । इन कर्मचारियों के नाम की सूची निम्नवत् है :––

1–श्री करमपाल पुत्र श्री गोकुल, हेड इलेक्ट्रीशियन ।

2–श्री माता प्रसाद पुत्र श्री सरजू प्रसाद, इलेक्ट्रीशियन ।

3–श्री लक्ष्मीकान्त पुत्र श्री रमा शंकर, शिफ्ट इलेक्ट्रीशियन ।

4–श्री धरम पाल, पुत्र श्री गोकुल, हेड पाइप फिटर ।

5–श्री अजीज पुत्र श्री ईदू, प्लम्बर फिटर ।

प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० वित्तीय निगम, कानपुर में आयोजित टंकक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रार्थना पत्रों पर विचार

143–श्री नरेश अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, कानपुर में कितने अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को दिनांक 18-12-89 को हुई टंकक परीक्षा में बुलाया गया ? क्या यह सही है कि प्रबन्ध निदेशक को दिनांक 8-4-91, 11-4-91 तथा 16-4-91 को अनुसूचित जाति के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने प्रार्थना-पत्र इस आशय के साथ दिया था कि उनकी नियुक्ति पर विचार किया जाय ? यदि हां, तो प्रबन्ध निदेशक द्वारा उपरोक्त प्रार्थना-पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

उ० प्र० वित्तीय निगम, कानपुर में दिनांक 18-12-89 को टंकण परीक्षा हेतु कुल 13 अभ्यर्थी बुलाये गये थे ।

जी हां ।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र विचाराधीन है, क्योंकि पद शासन द्वारा सृजित नहीं हुए हैं ।

जनपद फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने का प्रकरण

144–श्री प्रमोद तिवारी तथा श्री नरेन्द्र सिंह यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अधिकारी, फर्रुखाबाद द्वारा जन प्रतिनिधियों के प्रस्तावों की अवहेलना करके अपनी मर्जी से क्षेत्रीय कामों की स्वीकृति किये जाने सम्बन्धी तथा जिला योजना की बैठक दिनांक 23-12-91 को विपक्ष के सभी विधायकों तथा सांसदों द्वारा बहिष्कार सम्बन्धी कोई पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त जिला अधिकारी के सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या-क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं । प्रश्न में शिकायतकर्ता का नाम तथा शिकायती पत्र भेजने की तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है । इसमें उल्लिखित तथ्यों के विषय में शासन को कोई पत्र प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता । अतः उक्त शिकायत के आधार पर जिलाधिकारी के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा स्थित राजकीय महाविद्यालय स्यालदे के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि का उपयोग

145–श्री बची सिंह रावत–

क्या शासन को जानकारी है कि राजकीय महाविद्यालय स्यालदे, जनपद अल्मोड़ा की स्थापना वर्ष 1979 में हुई थी ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि तब से इस महाविद्यालय के लिये अतिरिक्त भवन निर्माण को व आवश्यक विषयों की मांग की जा रही है ? क्या उक्त मांग शासन द्वारा पूर्ण हुई है ? यदि नहीं, तो क्या शासन जनहित में अतिरिक्त भवन निर्माण व आवश्यक विषय उक्त स्कूल में खोलने की कार्यवाही सुनिश्चित करेगा ? यदि हां, तो कब तक यह कार्यवाही पूर्ण हो जायेगी ?

श्री पूरन चन्द्र शर्मा–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

वर्ष 1986 में 7.41 लाख रुपये भवन निर्माण हेतु स्वीकृत किये गये थे जिसका निर्माण कार्य सम्पादित हो गया है । इसके अतिरिक्त शा० प० सं०–552/28-2-92/7(38)/88, दिनांक 31-3-92 द्वारा रु० 2.00 लाख 4 शिक्षण कक्षों के निर्माण हेतु स्वीकृत किये गये हैं । छात्र संख्या कम होने के कारण अतिरिक्त विषय प्रारम्भ करने का औचित्य नहीं पाया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 12 मई, 1992 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत 48 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गयी हैं । श्री राम प्रसाद सिंह, श्री भोला शंकर मौर्य, श्री लक्ष्मेश्वर सिंह, श्री ज्ञानचन्द, श्री नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री महेन्द्र सिंह भाटी, श्री शिव दर्शन, श्री सुधीर, श्री सुरेन्द्र सिंह,

श्री रामललित चौधरी, श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री निर्वेन्द्र कुमार, श्री बी० आर० वर्मा, श्री सुखदेव, श्री मो० रिजवानुल हक, श्री हृदय नारायण दीक्षित, श्री गया चरन दिनकर, श्री श्रीराम, श्री भरत सिंह, श्री अकबर हुसैन, श्री हरिवंश सहाय, श्री पवन कुमार पाण्डेय, श्री चरन सिंह, श्री भागवत पाल, श्री लाखी राम जोशी, श्री चन्द्र मणि कान्त सिंह, श्री सुरेश प्रताप गांधी, श्री किशोरी लाल यादव, यह 29 सूचनायें हैं शेष 19 सूचनाओं को अस्वीकार किया गया ।

(व्यवधान)

(स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद बांदा की तहसील कर्बी के गांवों में गम्भीर पेयजल संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम प्रसाद सिंह–

[महोदय, जनपद बांदा की तहसील कर्बी के अन्तर्गत पाठा जल संस्थान की गांवों तक पाइप लाइन है जल-कर लिया जाता है परन्तु आपूर्ति व्यवस्था छिन्न-भिन्न होने से ग्राम रुखमाबुजुर्ग, नौबस्ता, बैलहरी, लंकापुरवा, छीतूपुर, ददरीमाफी, कैलहा, ककविडरिया, पंचपेढ़ा, लखनपुर सवहा, कुसंहाई, ओबरी बाबूपुर पथरा, पिपरौदर, भरथौल आदि में पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है । पानी की टंकियां ध्वस्त हो गयी हैं सुरसेन पेयजल ग्राम समूह में वरदास आदि गांवों में पानी की आपूर्ति ठप्प है । उससे गम्भीर रूप से पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है ।

अस्तु जन जीवन के इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर सदन और अध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि शासन का ध्यान आकृष्ट कराकर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाय ।]

जिला विद्यालय निरीक्षक, बदायूं के संरक्षण में नकल होने के संबंध मे नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री भोला शंकर मौर्य–

[मान्यवर, बदायूं जनपद के अन्तर्गत मूसापुर माध्यमिक विद्यालय में धड़ल्ले से नकल ब्लैक बोर्ड पर कुछ विशेष छात्रों को, बहुत बड़ी रिश्वत लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक, बदायूं के संरक्षण में कराई गयी है । जिसका प्रमाण छात्रों ने ब्लैक बोर्ड का फोटो खींचा है और इस पर उक्त विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री रामवीर शर्मा तथा छात्रों में मारपीट की नौबत आ गयी थी । यह भी एक मात्र विद्यालय है जहां पर ठेके पर नकल कराई गयी है ।

जिला विद्यालय निरीक्षक ने अपने दलालों के द्वारा रिश्वत लेकर विद्यालयों के बाहर अध्यापकों को तैनात किया जबकि विद्यालयों के योग्य एवं अनुभवी अध्यापक मौजूद थे अभी हाल की एक घटना श्री कृष्णा इण्टर कालेज, बदायूं की है जहां पर जिन अध्यापकों को ड्यूटी पर भेजा गया । मामला गम्भीर होने पर इसकी सूचना स्थानीय थाना सिविल लाइन्स को दे दी गयी है । मामले लोक महत्व एवं अविलम्बनीय तथा लोक हित के हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतएव इनको सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि इनकी उच्चाधिकारी द्वारा जांच की जाय तथा जांचोपरान्त इस मामले से सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही कराने हेतु शासन को निर्देशित करने का कष्ट करें ।]

नगरपालिका, बस्ती में सड़क प्रकाश व्यवस्था में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री लक्ष्मेश्वर सिंह–

[मान्यवर, सरकार का ध्यान नगरपालिका, बस्ती की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । मुहल्ला कंजर टोला, राजा मैदान, पुराना डाकखाना, गद्दाखोर, पठान टोला, माली टोला आदि में सड़क प्रकाश की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पायी है जबकि बिजली विभाग में गत वर्षों से बराबर पैसा जमा होता रहा है । अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण अभी तक उक्त स्थान विद्युत विभाग से बिजली कनेक्शन हेतु अनुबंध नहीं हो पाया । हरिजन बाहुल्य बातचीत वाले कुछ मोहल्लों में विद्युतीकरण व सड़क दर्शाया गया है परन्तु मार्ग प्रकाश आदि की व्यवस्था अधूरी है ।

हैलोजन नकली बल्ब खरीद कर लगाये गये हैं तथा धन उगाही की गई है । जबकि सस्ती राड से भी उतना ही कार्य लिया जा सकता था । दवाओं का छिड़काव भी मात्र कागजी है । निर्माण कार्यों के संबंध में जनप्रतिनिधियों से कोई राय नहीं ली जाती है और न ही बोर्ड की बैठक ही बुलाई जाती है। खड़ंजा व सड़कों के निर्माण कार्य बहुत ही खराब हैं और उसमें धन उगाही की गयी है, नालियों तथा सीवर लाइनों की हालत इतनी खराब है कि नगर में महामारी फैलने की आशंका हो गई है । कुछ सीवर लाइन तो मात्र कागज पर हैं । जाड़े में अलाव जलाया ही नहीं गया, किन्तु लकड़ी पर 90,000 रु० (नब्बे हजार रु०) का फर्जी भुगतान होने जा रहा है ।

अतः सदन से मांग है कि नगरपालिका, बस्ती की उक्त समस्या पर तत्काल कार्यवाही करने का कष्ट करें ।]

जनपद उत्तरकाशी की स्वीकृत विकास योजनाओं के लिये धन का आवंटन करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ज्ञानचन्द्र–

[मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी का ध्यान इस अत्यन्त लोक महत्व के विषय पर आकर्षित करते हुए निवेदन है कि उत्तरकाशी जनपद की स्वीकृत विकास योजनाओं की स्वीकृत धनराशि का जिलाधिकारी द्वारा आवंटन न किये जाने से समस्त विकास कार्य ठप्प पड़ गये हैं । जिस कारण जन असन्तोष की स्थिति उत्पन्न हो गई है ।

अतः उत्तरकाशी जनपद की स्वीकृत योजनाओं हेतु स्वीकृत धनराशि का शीघ्रातिशीघ्र आवंटन करने हेतु 301 में कार्यवाही करने की कृपा करें ।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद गाजियाबाद के ग्रेटर नोएडा में यमुना नदी पर मंझावली पुल के निर्माण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश व हरियाणा को जोड़ने वाला यमुना पुल जो मंझावली पुल के नाम से विख्यात है, की माडल स्टडी जिस पर लगभग 18 लाख रु० उ० प्र० शासन द्वारा खर्च किये गये हैं। इसके निर्माण का अनुमोदन हरियाणा व केन्द्र सरकार ने अपना अंशदान प्रस्तावित करके अपनी सहमति व्यक्त की है। किन्तु उ० प्र० सरकार ने इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं ली है। दूसरी ओर यह क्षेत्र ग्रेटर नोएडा में आ गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ग्रेटर नोएडा भी अपना अंशदान दे सकता है। तत्कालीन मुख्य मंत्री नारायण दत्त तिवारी जी ने इसका शिलान्यास भी किया था। 17 फरवरी, 1990 को तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव ने सिकन्दराबाद में निर्माण कराने की घोषणा की थी। उपरोक्त वर्णित स्थिति के बावजूद भी निर्माण प्रारम्भ न कराये जाने से क्षेत्र में क्षोभ व रोष व्याप्त है। मैं इसके तुरन्त निर्माण की मांग करता हूं।]

जनपद गाजियाबाद के नोएडा क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों के मजदूरों द्वारा की जा रही क्रमिक भूख हड़ताल के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

[महोदय, 50,000 झुग्गी झोपड़ियों में नोएडा के मजदूर 11999 की हाइटेन्शन बिजली के नीचे रहकर अपना जीवन-यापन कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई नागरिक सुविधा नोएडा प्राधिकरण इन झुग्गी वासियों को नहीं दे रहा है। ये सारे मजदूर नोएडा स्थित औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत हैं। पिछले 4 माह से प्राधिकरण के प्रशासनिक कार्यालय पर क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी 18 सूत्रीय मांग पर विचार करने हेतु कई बार अध्यक्ष नोएडा एवं झुग्गी झोपड़ियों के निवासियों के प्रतिनिधियों की वार्ता हो चुकी है। लेकिन अभी तक कोई समर्थन हल नहीं निकला है। कई बार प्रदर्शन एवं धरना क्षेत्र के आम आदमियों ने भी झुग्गी झोपड़ी वालों के समर्थन में भी दिये हैं। आज भी ये लोग क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं।

मान्यवर, यह एक अत्यन्त लोक महत्व का अविलम्बनीय ज्वलन्त प्रश्न है। सारे नोएडा में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है।

मान्यवर, मैं शासन से मांग करता हूं कि इन गरीब झुग्गी झोपड़ी वालों को रहने की वैकल्पिक व्यवस्था करायी जाय एवं इनको नागरिक सुविधायें प्रदान कराकर नारकीय जीवन से मुक्ति दिलायी जाय।]

जल प्लावन के बचाव हेतु रायबरेली के ग्राम मंशापुर एवं सिरसहा आदि के बीच पुलों को बनवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री शिव दर्शन–

[मान्यवर, मैं विधान सभा क्षेत्र 107 बछरावां, जिला रायबरेली स्थित शिवगढ़ ड्रेन द्वारा हर वर्ष उत्पन्न होने वाले जल प्लावन की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त ड्रेन के आस पास का जनजीवन हर वर्ष अस्त व्यस्त ही नहीं होता वरन लाखों की फसल नष्ट हो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जाती है । इसके निराकरण हेतु जौनपुर ब्रान्च के कि०मी० 18 पर एक सायफन अत्यावश्यक है जिसके लिये पर्याप्त ह्यूम पाइप स्थान पर ही चार वर्षों से पड़े हैं ।

साथ ही शिवगढ़ ड्रेन पर ग्राम मशापुर एवं सिरसहा के बीच तथा ग्राम ऐमापुर एवं गुमावां के बीच पुलों का निर्माण अत्यावश्यक है । इन दोनों स्थानों पर कई बच्चे एवं जानवर अब तक मर चुके हैं ।

अतः आपसे अनुरोध है कि सरकार का ध्यान आकृष्ट कर जौनपुर ब्रान्च को सायफन तथा शिवगढ़ ड्रेन के पुल बनवाने हेतु निर्देश देने का कष्ट करें ।]

जनपद बलिया के दौलतपुर ग्राम में मगई नदी पर प्रस्तावित पुल बनवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री सुधीर–

[मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान मैं बलिया जनपद में दौलतपुर ग्राम में मगई नदी पर प्रस्तावित पुल के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूं । जो पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा 9-4-91 से स्वीकृत है परन्तु अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया, जिससे किसानों के हर साल बाढ़ में बैल एवं मवेशियां नदी पार करने में डूब जाती हैं और बलिया से कथरिया गांव तक की दूरी लगभग 10 कि०मी० बढ़ जाती है, जिससे इस पुलिया का बनना अति आवश्यक है । उक्त स्थान पर ब्रिज कारपोरेशन के कर्मचारी एवं स्टोर भी बन चुका है ।

अतः यह विषय एक अत्यन्त महत्व का है, जिससे आपसे आग्रह है कि माननीय मुख्य मंत्री एवं सम्बन्धित मंत्री जी इस कार्य को तत्काल कराने का कष्ट करेंगे ।]

जनपद गाजीपुर के कतिपय ग्रामों में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित मार्गों को पक्का कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर जनपद गाजीपुर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित मार्गों को पक्का किये जाने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । मार्ग मटेहू–गाई, थरिहा सलामतपुर लम्बाई 11 कि०मी० (सलामतपुर रामगढ़–पाली-सिधागर मार्ग लम्बाई 6 कि०मी०) (पर्जीपार-कटया-खर्बाजपुर मार्ग 9 कि०मी०) (मुबारकपुर, जहूराबाद–बाराचवर लम्बाई 13 कि०मी०) (बरेसर पिड़ारी-तिराहीपुर लम्बाई $8\frac{1}{2}$ कि०मी० (अटही-ताजपुर डेहमा गड़ार लम्बाई 5 कि०मी०) भरोली कलां (जवाहर नगर कामूपुर-गांधी नगर) लम्बाई 10 कि०मी०) (पतार गोसलपुर लम्बाई 5 कि० मी०) का सिमसवाद खजूरगांव–इन्दौर, डन्डापुर गोविन्दपुर लम्बाई 9 कि०मी० (मरदह, पिपनार-केड़री लम्बाई 6 कि० मी०) (भोजपुर परसेरवा-हरिहरपुर-नखतपुर मार्ग 6 कि० मी०) एवं हैदरा-बिजौरा चौथी कुरेर-नखतपुर लम्बाई 9 कि०मी०) लेकिन जिला योजना (सेक्टर) में धन कम होने के कारण लेपन स्तर निर्माण कई निकट भविष्य की योजनाओं में पूरा नहीं हो सकता । मार्गों का निर्माण राज्य सेक्टर से धन आवंटित करके कराया जाय । उपरोक्त मार्गों का निर्माण न होने से जनता में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है । इसके लिये हजारों लोगों ने धरना एवं प्रदर्शन भी किया है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः आपसे निवेदन है कि सरकार को निर्देशित करें कि उपरोक्त मार्गों का राज्य सेक्टर से धन आवंटित कराकर इसी वित्तीय वर्ष में निर्माण करायें एवं सदन में एक स्पष्टीकरण दिलावें, जिससे मार्गों पर राज्य सेक्टर से धन आवंटित कराकर लेपन स्तर पर पक्का किया जाय जिससे उस क्षेत्र की जनता को राहत मिल सके ।]

बस्ती मण्डी समिति द्वारा स्वीकृत मार्गों के निर्माण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम ललित चौधरी–

[मान्यवर, वर्ष 90-91 व 91-92 में बस्ती मण्डी समिति के अन्तर्गत लगभग 7 सड़कें स्वीकृत हुईं । यह सड़कें अधिकांश मण्डी समिति के विकास खण्ड, साऊंघाट, विकास खण्ड तलटउआ की है । इन दोनों ब्लाकों में जब से मण्डी की शुरूआत हुई एक भी मार्ग का निर्माण मण्डी द्वारा नहीं किया गया है । छोटे-छोटे कच्चे मार्गों के निर्माण के अभाव में किसानों का खाद्यान्न पक्की सड़क तक नहीं पहुंच पाता जिससे वह मण्डी तक अपनी पैदावार ला सके । इस कारण किसानों की पैदावार का लाभ बिचौलिये और अन्य लोग उठा लेते हैं ।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान विकास खण्ड साऊंघाट व तलटउआ के स्वीकृत मार्गों की तरफ इस उद्देश्य से दिलाना चाहता हूं कि उसका निर्माण शीघ्र कराया जाय ।]

बांदा नगर की जीर्ण-शीर्ण गलियों को सुधारने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

[मान्यवर, उपरोक्त विषय (बांदा नगर की सड़कों व गलियों की जीर्ण-शीर्ण अवस्था को सुधारने के संबंध में) मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि बांदा नगर की लगभग 95% सड़कों व गलियों की दशा बहुत खराब है । खाईपार, अम्बेदकर नगर, बिजली खेड़ा, परस राम तालाब और परस राम तालाब के पहले आजाद नगर व शंकर नगर, नाले (छिपटहरी) में अनुसूचित जाति की बस्ती, खटुला, क्योटरा पहाड़, कैलाशपुरी पहाड़ आदि के साथ-साथ लगभग पूरे बांदा नगर की गलियों व सड़कों की दशा अत्यन्त खराब है । लोगों का पैदल चलना दूभर है । इसकी जानकारी नगरपालिका बांदा से ली जा सकती है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि बांदा नगर की उपरोक्त गलियों व सड़कों के निर्माण हेतु विशेष सड़क अनुदान आवश्यकतानुसार देने हेतु सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें ।]

आजमगढ़ शहर में गम्भीर पेयजल संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर शासन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोटः—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

नगरपालिका शहर आजमगढ़ के मुहल्ला कोट, बाज बहादुर, जालधारी, मुकेरीगंज एवं सिंधारी आदि में गम्भीर पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गयी है । पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । लोग प्यास के कारण तड़प रहे हैं । नगरपालिका द्वारा बिजली पानी की आपूर्ति ठीक से नहीं की जा रही है । इन मुहल्लों में विशेषकर कोर्ट, बाज बहादुर में नलकूपं का लगना अति आवश्यक है । पानी बिजली की आपूर्ति न होने से मुहल्ले के निवासियों में काफी रोष एवं निराशा व्याप्त है । जल पम्पों की क्षमता जनसंख्या के हिसाब से कम है जो पम्प लगे हैं वह बहुत ही जीर्ण एवं पुराने हो गये हैं ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन से मांग करता हूं कि शहर के मुहल्ले कोट, बाज बहादुर एवं सिंधारी में जल पम्प लगाने एवं मुकेरीगंज में पानी की टंकी लगाने की अविलम्ब व्यवस्था की जाय और बिजली पानी की आपूर्ति ठीक ढंग से किये जाने का निर्देश दिया जाये ।]

जनपद लखीमपुर खीरी में पट्टेदारों को कब्जा दिलाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री निर्वेन्द्र कुमार–

[मान्यवर, आपके माध्यम से शासन के संज्ञान में लोक महत्व की सूचना लाना चाहता हूं कि मेरे जनपद लखीमपुर खीरी में पट्टेदारों को मौके पर कब्जा न देकर मात्र कागज पर दखलनामा पर पट्टेदारों से हस्ताक्षर अथवा निशानी अंगूठा राजस्व विभाग द्वारा करा लिये जाते हैं पट्टेदारों को कब्जे नहीं मिल पा रहे हैं ।

इसलिये विवश होकर दिनांक 18-5-92 को जिला मुख्यालय लखीमपुर खीरी में आमरण अनशन करने के लिये बाध्य हुआ हूं ।

ऐसी दशा में मेरी जान की सुरक्षा की जिम्मेदारी शासन की होगी ।

अतः अविलम्ब उच्च स्तर से जांच कराकर पट्टेदारों को कब्जा दिलाने हेतु प्रभावी कार्यवाही कराई जाय ।]

शारदा सहायक खण्ड 52, आजमगढ़ की दोहरी घाट लिंक नहर की पटरी पर खड़ंजा बिछाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री बी० आर० वर्मा–

[महोदय, सगड़ी विधान सभा क्षेत्र आजमगढ़ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है । इस क्षेत्र में नीची जमीन होने के कारण बरसात के दिन में लगभग सभी रास्तों पर पानी भर जाता है जिससे आवागमन की भारी दिक्कत होती है । आवागमन हेतु दोहरीघाट लिंक नहर पटरी से एक मात्र रास्ता रह जाता है । अत्यधिक आवागमन से उक्त कच्ची पटरी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो जाती है । इसी समस्या के निदान हेतु शारदा सहायक खण्ड 52 द्वारा उक्त कार्य का प्राक्कलन तैयार करके सिंचाई विभाग, लखनऊ को दे दिया गया है । परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

अतः मैं आपके माध्यम से सिंचाई विभाग से लोक महत्व के इस कार्य को सम्पादित कराने की मांग करता हूं ।]

नोटः—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लखनऊ के इन्दिरा नगर निवासी डा० गजेन्द्र कुमार पर हुए प्राणघातक हमले के अभियुक्तों को गिरफ्तार किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुखदेव–

[महोदय, भय मुक्त समाज का नारा देने वाली सरकार में पुलिस इतनी निरंकुश हो गयी है कि रिपोर्ट लिखाने में भी मंत्री तक के सिफारिश की जरूरत पड़ती है ।

प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गाजीपुर थानान्तर्गत इन्दिरा नगर सी० 1757 निवासी सम्भ्रान्त चिकित्सक डा० गजेन्द्र कुमार पर 30 जनवरी, 92 को प्राणघातक हमला हुआ । थाने में प्रार्थना-पत्र देने पर रिपोर्ट नहीं लिखी गयी । डा० गजेन्द्र के प्रार्थना पत्र पर 6 जनवरी, 92 को ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा 7 जनवरी, 92 को पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा थाना प्रभारी गाजीपुर को निर्देश देने के बाद भी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी । गृह राज्य मंत्री द्वारा पुलिस अधीक्षक के आदेश के बावजूद रिपोर्ट न लिखे जाने पर 10 जनवरी को कार्यवाही के आदेश पर ही रिपोर्ट लिखी गयी ।

इससे थाना गाजीपुर के प्रभारी डा० गजेन्द्र से खफा हो गये । 20 फरवरी, 92 को 11.30 बजे दिन में गाजीपुर थानान्तर्गत मुन्शी पुलिया के पास गजेन्द्र पर कुछ बदमाशों ने हमला किया तथा 5 हजार रुपया छीन लिया नाराज गाजीपुर पुलिस ने उल्टे डा० गजेन्द्र पर बंदमाशों से रिपोर्ट लिखा दिया । गजेन्द्र सहकारी आवास समिति लि० के सचिव डा० गजेन्द्र कुमार द्वारा जिलाधिकारी, लखनऊ को 13? सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया । समिति की भूमि पर राम चरन आर्य अवैध कब्जा कर रहे हैं ।

मैं इस लोक महत्व के मामले को सदन व सरकार के संज्ञान में लाकर दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही व अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा सहकारी समिति की भूमि पर अवैध कब्जा हटाने तथा जांच अन्य किसी अधिकारी से करवाने की मांग करता हूं ।]

विकास खण्ड मुरादाबाद सदर की ग्राम सभा गौधी में जवाहर रोजगार योजना में ग्राम प्रधान द्वारा धन हड़पने की जांच कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मो० रिजवानुल हक–

[महोदय, मैं आपका ध्यान बहुत ही गम्भीर एवं अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि विकास खण्ड–मुरादाबाद सदर की ग्राम सभा गौधी को वित्तीय वर्ष (1988-89) से वित्तीय वर्ष (1990-91) तक साप्ताहिक बाजार व नखासा से तीन लाख सोलह हजार आठ सौ निन्यानवे रुपये तथा वर्ष (1989-90, (1990-91) में जवाहर रोजगार योजना में एक लाख दो हजार पांच सौ पचहत्तर रुपये प्राप्त हुए थे, इस प्रकार कुल 4 लाख साढ़े उन्नीस हजार रुपये प्राप्त हुए थे, जिसे प्रधान श्री मुबारक अली ने बिना योजना बनाये तथा बिना सक्षम अधिकारी से अनुमति लिये अनियमित तरीके से व्यय दर्शाकर लगभग दो लाख रुपये का अपहरण कर लिया है,

---

नोट :– ['] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जिसकी जांच पंचायत राज अधिकारी, मुरादाबाद द्वारा की जा रही है । प्रारम्भिक जांच के दौरान प्रधान सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लिये बिना अनाप सनाप धन व्यय करने का दोषी पाया गया है ।

अतः मैं दोषी को दण्डित करने, उससे धन की रिकवरी करने की आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं ।]

जनपद उन्नाव के मौरावा-गुलरिया-गुरुवख्सगंज तथा जनपद रायबरेली के बछरांवा मार्ग का निर्माण पूरा कराने के संबंध मे नियम 301 के संबंध में सूचना

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[मान्यवर, उन्नाव और रायबरेली जिलों को दो अन्तर्जनपदीय मार्ग जोड़ते हैं । दोनों का निर्माण कार्य प्रगति पर था मगर गत 10 माह से ठप्प है । उन्नाव जिले के मोरावा-गुलरिहा-गुरुवख्सगंज मार्ग का महत्णपूर्ण होना सर्वविदित है, मगर यह मार्ग लगभग 8कि०मी० अधूरा है और खड़ंजा स्तर तक निर्मित है मात्र 8 कि०मी० के लेने से अन्तर्जनपदीय मार्ग पूरा हो जाएगा ।

इस प्रकार वछरांवा-हिलौली मार्ग का रायबरेली जिले में पड़ने वाला हिस्सा लेपित हो चुका है और सई नदी पर सिंहनखेड़ा घाट पर पुल भी बन चुका है । मगर उन्नाव जिले का सई नदी के सिंहनखेड़ा घाट से हिलौली तक का 6कि० मी० हिस्सा न बनने के कारण लाखों रुपये से बने पुल व रोड का उपयोग नहीं हो पा रहा है इस मार्ग को चालू करने के लिए आम जनता का वैकल्पिक सुझाव यह है कि सिंहनखेड़ा घाट से हिलौली नऊवा रोड के हडहरा ग्राम को 500 मीटर सड़क बना दी जाय, इसे बना देने से 6 कि० मी० रोड हिलौली तक नहीं बनानी पड़ेगी । मगर इन सुझावों को नजरन्दाज करने से जनरोष है। दोनों मार्ग थोड़े खर्च से उपयोगी हो सकते हैं ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की इस समस्या को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद बांदा में मटियारा एवं गडरा नदी पर पुल बनवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री गया चरन दिनकर–

[मान्यवर, सादर अवगत कराना है कि जनपद बांदा के बवेरू-तिन्दवारी मार्ग पर मटियारा एवं गडरा नदियां पड़ती हैं । यह मार्ग समय पूर्व दोनों नदियां के मध्य भाग लगभग 2 कि० मी० को छोड़कर शेष पक्का हो चुका है । इन नदियों में प्रति वर्ष सीमेंट पाइप डाल कर बस, ट्रक, टैक्सी आदि चलती रहती हैं, किन्तु उक्त दोनों नदियों पर पुल न होने के कारण प्रति वर्ष ये अस्थायी निर्माण ध्वस्त हो जाते हैं तथा आवागमन के सभी साधन वाधित होते हैं । मटियारा एवं गडरा नदियों के बहाव की दिशा में नीचे यमुना नदी तक कोई पुल नहीं है । दोनों नदियों के मध्य के लगभग 25 गांवों की जनसंख्या चिकित्सा, दैनिक उपभोग की सामग्री एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों से वंचित रहती है । प्रति वर्ष सैकड़ों लोगों की मृत्यु नदी पार करने एवं चिकित्सीय अभाव के कारण हो जाती है । 1986 में लो० नि० वि०

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

द्वारा साइट सेलेक्सन भी हो चुका है, इन दोनों पुलों के निर्माण से लगभग 50,000 जनता लाभान्वित होगी एवं समीपवर्ती जनपदों को आने जाने वाले वाहनों का सीधा मार्ग भी खुल जायेगा ।

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि जनता एवं शासन के हित में उक्त पुलों में निर्माण हेतु अविलम्ब सरकार को आदेश प्रसारित करने का कष्ट करें ।]

कालपी कालेज, कालपी, जनपद जालौन में हिन्दी एवं संस्कृत विषयों में एम० ए० कक्षा की मान्यता न देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री श्रीराम (जालौन)–

[महोदय, कालपी कालेज, कालपी (महाविद्यालय) बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है और तहसील मुख्यालय में स्थित विधान सभा क्षेत्र व तहसील का एक मात्र महाविद्यालय है । क्षेत्रीय छात्रों व अभिभावकों की परेशानी को देखते हुए तथा क्षेत्रीय जनता की मांग पर बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी के कुल सचिव महोदय ने शासन की नीति के अनुसार वर्ष 1991–92 के शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने के समय ही उक्त महाविद्यालय में हिन्दी व संस्कृत विषयों में एम० ए० की कक्षाएं प्रारम्भ करने व छात्रों को प्रवेश दिलाने की अनुमति मिलने पर ही छात्रों को प्रवेश दिलाया गया, शासन से सम्बद्धता स्वीकृति के सभी आवश्यक कागजात तथा विश्वविद्यालय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र शासन को प्राप्त हो चुके हैं । परन्तु अब तक छात्रों का भविष्य देखते हुए उक्त महाविद्यालय की सम्बद्धिता के बारे में शासन ने कोई निर्णय नहीं लिया है । जबकि उरई में संचालित गांधी महाविद्यालय की सम्बद्धता की कार्यवाही हेतु काफी विलम्ब से औपचारिकताएं पूर्ण होने पर भी सम्बद्धता की स्वीकृति मिल गयी । कालपी कालेज, कालपी के एम० ए० की कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों का भविष्य अधर में है क्षेत्रीय जनता में आक्रोश उभर रहा है तथा छात्र आन्दोलित हो रहे हैं । उरई में संचालित गांधी महाविद्यालय की सम्बद्धता की कार्यवाही हेतु काफी विलम्ब से औपचारिकताएं पूर्ण होने पर भी सम्बद्धता की स्वीकृति मिल गयी । कालपी कालेज, कालपी के एम० ए० की कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों का भविष्य अधर में है क्षेत्रीय जनता में आक्रोश उभर रहा है तथा छात्र आन्दोलित हो रहे हैं ।

अतः इस लोकमहत्व की अत्यन्त गम्भीर व संवेदनशील समस्या को सदन में उठाने की अनुज्ञा प्रदान करके उचित व्यवस्था देने का कष्ट करें ।]

जनपद बलिया के सोनवरसा के उच्चीकृत हास्पिटल में विद्युत, पानी, तथा स्टाफ की व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री भरत सिंह–

[मान्यवर, जनपद बलिया के अन्तर्गत विधान सभा दावा, क्षेत्र सोनवरसा में उच्चीकृत हास्पिटल का भवन कई वर्षों से बन कर तैयार है पानी, विद्युत की व्यवस्था नहीं है और न ही कोई कर्मचारी, डाक्टर, कोई भी स्टाफ नहीं बैठता है । यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और हास्पिटल काफी दूरी पर है। वहां की जनता को काफी परेशनी हो रही है । इससे वहां की जनता में काफी रोष व्याप्त है । इसमें अधिकारियों द्वारा लापरवाही की जा रही है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के निश्चित विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं और हास्पिटल में स्टाफ की नियुक्ति कर, विद्युत, पानी की व्यवस्था अविलम्ब कराई जाय ।]

जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्रामों में चकबन्दी कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अकबर हुसैन–

[महोदय, मेरे क्षेत्र के अन्तर्गत तहसील बिलारी, जनपद मुरादाबाद में चकबन्दी हो चुकी है । केवल निम्नलिखित ग्राम चकबन्दी से वंचित रह गये हैं ।

(1) ग्राम-सौदा (2) ग्राम-बाकीपुर जटनी (3) ग्राम-अहमदनगर जैतवाड़ा (4) ग्राम-नगला जटनी (5) ग्राम-मंसूरपुर इन ग्रामों के किसानों ने अनेकों बार सम्बन्धित अधिकारियों से चकबन्दी कराये जाने हेतु मांग की है परन्तु इन ग्रामों में अभी तक चकबन्दी प्रक्रिया आरम्भ नहीं करायी गयी, समीप की तहसील चन्दौसी में चकबन्दी कार्य चल रहा है । बार-बार आग्रह करने पर भी उक्त ग्रामों के किसानों की मांग को स्वीकार न किये जाने से सम्बन्धित किसानों में सरकार के प्रति रोष एवं असन्तोष व्याप्त है।

अतः मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय की ओर नियम 301 के अन्तर्गत सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त ग्रामों में चकबन्दी कराये जाने की मांग करता हूं ।]

जनपद देवरिया में बांधों के निर्माण में हुए कथित भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री हरिवंश सहाय–

[महोदय, देवरिया जनपद में हेतिमपुर परास खण्ड बांध, लालीपार एप्रोचरोड, लालीपार बांध, रामनगर बांध, दुवौली सिकरिया बांध, रामपुर बड़हरा बांध, ईंटों की आपूर्ति सम्बन्धी शिकायतें सन् 1991 में लोक आयुक्त, उ० प्र० को की गईं परन्तु अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई । इन शिकायतों पर लोक आयुक्त के सचिव द्वारा दिनांक 29 जून, 1991 को प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ० प्र०, लखनऊ से आख्या मांगी गई परन्तु आख्या आज तक नहीं भेजी गई जबकि सहायक अभियन्ता ओम प्रकाश सिंह को एक अतिरिक्त प्रभार गन्डक–3 का और दे दिया गया । इन्होने पिछली तारीखों में कार्य दिशा भी निर्गत किया है जो बिलकुल फर्जी है । श्री अजय चतुर्वेदी ने दिनांक 27-5-91 को लोक आयुक्त के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया था । लाखों रुपये का घोटाला है । देवरिया ब्लाक में बंधे पर पुलिया भी बनाया गया है, जो अवैधानिक है । भारी भ्रष्टाचार है ।

अस्तु माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय सिंचाई मंत्री से मांग करता हूं कि लोक आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत परिवाद दिनांक 27-5-91 के सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता को निर्देशित करें कि लोक आयुक्त के आदेश दिनांक 29 जून, 1991 का तत्काल पालन करावें ।]

टाण्डा, जनपद फैजाबाद के विद्युत स्टेशन में लगी आग से हुयी क्षति एवं विद्युत संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पवन कुमार पाण्डेय–

[महोदय जनपद फैजाबाद के टाण्डा क्षेत्र में स्थापित 132 के०वी०ए० सब स्टेशन के पैनल गत 7 मई को अधिकारियों की उपेक्षा और एक टेक्सटाइल मिल को अनवरत विद्युत आपूर्ति कराने के चक्कर में जल गये जिससे लगभग 50 लाख रुपये की क्षति तो हुयी है और सारे सम्बन्धित क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति भी ठप्प हो गयी ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सुल्तानपुर से प्रमुख सप्लाई इस 132 के०वी०ए० सब स्टेशन पर आती है और फिर यहीं से अकबरपुर जलालपुर जहांगीरगंज-टाण्डा आदि क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति करायी जाती है ।

अकबरपुर-टाण्डा-जलालपुर नगर क्षेत्र के निघासी एक-एक बूंद पानी के लिये तरस रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप तथा थ्रेसर नहीं चल पा रहे हैं और जनपद का पूर्वी अन्चल जो बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है, इसमें लगभग 50 हजार से ऊपर बुनकर प्रभावित है लूम बन्द पड़े हैं । दूसरी ओर 132 के०वी०ए० सब स्टेशन के बनने तक विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था न हो पाने से त्राहि-त्राहि मची है, लोगों में वेहद रोष और क्षोभ व्याप्त है स्थिति भयावह और विस्फोटक है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को आपके माध्यम से सदन और सरकार के संज्ञान में लाते हुये 132 के०वी०ए० सब स्टेशन जलने की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने सहित विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था कराने की मांग करता हूं ।]

स्वास्थ्य विभाग के अभियन्ताओं के उत्पीड़न के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री चरन सिंह–

[महोदय, स्वास्थ्य विभाग में अभियन्ताओं एवं उनके परिवार के अनावश्यक उत्पीड़न तथा कुछ अभियन्ताओं के अनुचित लाभ हेतु विभागीय हितों की उपेक्षा के सम्बन्ध में सदन के माध्यम से कार्यवाही की मांग करता हूं ।

अपर निदेशक (स्वास्थ्य) द्वारा द्वेष भाव से पत्रावली पर असत्य टिप्पणी अंकन द्वारा परिवहन अभियन्ताओं की वर्ष 1974 आदि की वार्षिक प्रविष्टियों पर न्यायसंगत कार्यवाही करा कर उत्पीड़न समाप्त कराया जाये । गायब सरकारी सम्पत्ति की वापसी तथा चिकित्सा अनु०-10. के 21-4-90 को राजाज्ञा के अनुपालन सम्बन्धी अभियन्ता को 17-2-92के व अन्य प्रतिवेदनों, 19-3-88 से 16-6-90 तक का बकाया वेतन का भुगतान एवं प्रकरण पर निर्णय सम्बन्धी आदेश पारित कराना, अभियन्ता को 1988 से 4 वर्षों पुराने नगदीकरण अवकाश का भुगतान सहित अभियन्ता के अगस्त/सितम्बर, 91 के प्रतिवेदन में उल्लिखित दशकों से लम्बित आर्थिक-स्थापना-प्रशासनिक विषयों का निस्तारण, अभियन्ता के सम्बन्ध में चिकित्सा अनु०-5. की राजाज्ञा संख्या-9257-सेक-5/5-टी-9/91 दिनांक 11-12-91 में उल्लिखित विषयों का निस्तारण, वर्ष 1988 में सहायक अभियन्ता के विरुद्ध संयुक्त निदेशक द्वारा की गयी एक तरफा जांच को अपचारी अधिकारी को गवाहों से पूंछताछ का अभियन्ता की मांग के अनुसार अवसर देकर पुनः सम्पादित कराना, परिवार कल्याण योजना में मई, 1987 से 40 रु० के स्थान पर 75 रु० प्रति माह देय विशेष वेतन हेतु संशोधित आदेश पारित एवं भुगतान कराना जैसे लम्बित कार्यों को शीघ्र पूरा करा कर सदन को अवगत कराया जाये । सहायक अभियन्ता विशेष की पटवाडांगर में तैनाती निरस्त करने में कथित कैडर के नाम पर अनावश्यक हठधर्मिता/प्रतिष्ठा के स्थान पर विभागीय तथ्यों एवं व्यक्तिगत तथ्यों पर एवं माननीय दृष्टिकोण के अनुसार इस तैनाती को निरस्त किया जाय ।

विद्युत सेल के वरिष्ठ अभियन्ताओं को अनुचित लाभ प्रदान हेतु विधायकों के फरवरी-मार्च, 92 के पत्रों के तथ्यों को मुख्य मंत्री से छिपाया जा रहा है । संयुक्त निदेशक, विद्युत पद के पुनः सृजन से पहले

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोटः_[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

समस्त तथ्यों को सितम्बर, 91 में पूर्व निर्णायक स्तर मुख्य मंत्री को अवगत कराया जाये । अभियन्ताओं के स्थानान्तरण सम्बन्धी विधायक के 30-8-91 एवं 27-9-91के पत्रों पर स्थानान्तरण सत्र में निर्णय किया जाय । विद्युत सैल के सम्बन्ध में वर्ष 1992 के मई तक के विधायकों के अन्य पत्रों पर एक माह में कार्यवाही कराकर समस्त बिन्दुओं पर सदन को अवगत कराया जाय ।]

बांदा जनपद के विकास खण्ड जसपुरा, तिन्दवारी व बड़ोखर खुर्द में प्राथमिक पाठशालाएं खुलवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री भागवत पाल–

[मान्यवर, मैं आपका तथा सदन का ध्यान शिक्षा विभाग की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं। जनपद बांदा में शिक्षा का प्रतिशत बहुत कम है, 250 से अधिक आबादी वाले बहुत से ग्राम, पुरवे मजरे हैं जहां पर प्राथमिक पाठशालाएं नहीं हैं । इसलिए निम्नलिखित ग्रामों की 250 से अधिक आबादी वाले पुरवों/मजरों में प्राथमिक पाठशालाएं खुलवायी जाए :–

क्र०सं०	ग्राम का नाम	मजरा जहां विद्यालय नहीं है, खोला जाना चाहिए	आबादी	विकास खण्ड
1	गाजीपुर	गजपुरवा	500	जसपुरा
2	गलौली	सिन्नेसपुरवा	300	जसपुरा
3	सिकहुला	क्योटरा	400	जसपुरा
4	गडरिया	नकटीपोखरी	300	जसपुरा
5	अमारा	मरोहला डेरा	300	जसपुरा
6	डाडामऊ	हूसीपुरवा	300	जसपुरा
7	खटिहाकला	छनिहन डेरा	500	तिन्दवारी
8	खटिहाकला	नया डेरा	400	तिन्दवारी
9	अरसौड़ा	आबादी	400	तिन्दवारी
10	चिल्ला	चकला	500	तिन्दवारी
11	भुरेड़ी	वोधीपुरवा	500	वडोखरखुर्द
12	मरौली	क्योटरा	300	वडोखरखुर्द
13	दुरेडी	वंशीपुरवा	300	वडोखरखुर्द]

टिहरी गढ़वाल की ग्राम सभा चोपड़ियाल के किसानों को फसल बीमा राशि का भुगतान कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री लाखी राम जोशी–

[मान्यवर, आपके माध्यम से इस अत्यन्त लोक महत्व के विषय की ओर माननीय अध्यक्ष जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए निवेदन है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के चम्वा-मसूरी फलपट्टी योजना के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अन्तर्गत ग्राम सभा चोपड़ियाल गांव के किसानों को गंगा यमुना ग्रामीण बैंक ठांगधार जड़ीपानी टिहरी गढ़वाल की ओर से 2 अक्टूबर, 89 से पूर्व मटर बीज व उर्वरक खरीदने हेतु फसली ऋणों का वितरण किया गया था तथा बैंक द्वारा कास्तकारों से एक निश्चित धनराशि फसली बीमा करवाने के लिए ले ली गई । एक माह बाद ओलावृष्टि से सम्पूर्ण मटर फसल नष्ट हो गई जिसकी सूचना बैंक शाखा को कास्तकारों द्वारा नियमानुसार दे दी गई परन्तु अब सम्पूर्ण ऋण राशि का ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जा रही है जिससे किसानों में भारी रोष है साथ ही बैंक की विश्वसनीयता भी दांव पर है । अतः निवेदन है कि ग्राम सभा चोपड़ियाल गांव के कास्तकारों को फसल बीमा राशि का बैंक से भुगतान करवाने की कार्यवाही की कृपा करें ।]

बहराइच के भिन्गा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त भाखला सेतु का साइड बांध पुर्ननिर्मित कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री चन्द्रमणि कान्त सिंह–

[मान्यवर, मैं बहराइच के भिन्गा क्षेत्र के महत्वपूर्ण समस्या की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । उक्त क्षेत्र में 1979 में निर्मित भाखला सेतु का साइड बांध 1983 तथा 1985 की भीषण बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गया परिणामतः नदी भगंहा-तिलकपुर मार्ग का कटान करने लगी । सिंचाई अनुसंधान संस्थान रुड़की, माडल स्टडी रिपोर्ट फरवरी, 1989 के आधार पर तिलकपुर-भगंहा मार्ग पर चार स्पर्श निर्मित करने का 153.60 लाख का प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, फैजाबाद द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, 31वां वृत्त, लखनऊ को पत्रांक 4439 एफ०जेड०/396 काम एल० जेड०/89. 7 जुलाई 1989 द्वारा एस०एन०डी० 89-90 में सम्मिलित करने हेतु भेजा गया ।

ज्ञातव्य हो कि 1989 में जो नदी ग्राम तिलकपुर तथा उक्त मार्ग से 125 मीटर दूर थी वह अब मात्र 50 मीटर ही रह गयी है । भविष्य में यह नदी तिलकपुर-भगंहा मार्ग को काटते हुए तिलकपुर गांव को भी बहा सकती है । वांछित धनराशि तत्काल आवंटित कर कार्य प्रारम्भ न कराया गया तो नदी का बहाव मार्ग वर्तमान पुल से अन्यथा स्थान पर होगा तथा एक नवीन पुल के निर्माण की आवश्यकता होगी।

अतः उक्त महत्वपूर्ण कार्य को जनहित में वर्षा के पूर्व सम्पादित कराये जाने की मांग करता हूं।]

अलीगढ़ जनपद के मण्डी क्षेत्र सिकन्दराराऊ में निर्माणाधीन मार्गों के निर्माण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री सुरेश प्रताप गांधी–

[महोदय, उ० प्र० राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् द्वारा अलीगढ़ जनपद के मण्डी क्षेत्र सिकन्दराराऊ में स्थित निर्माणाधीन मार्ग पी०वी० मार्ग से महमूदपुर तथा नौरथा ईशेपुर में मार्गों के टेण्डर स्वीकृत हो जाने तथा अन्य औपचारिकता पूर्ण होने के बाद कार्य प्रारम्भ कराया गया था, परन्तु दूसरी किस्त (अवशेष धनराशि) मण्डी परिषद् मुख्यालय से प्राप्त न हो पाने के कारण निर्माण कार्य रोक दिया गया है, मार्ग अधूरा होने के कारण यातायात अवरुद्ध है और जनता को कठिनाई का सामना करना पड़

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रहा है जबकि उक्त दोनों मार्गों के कार्य विधान सभा आश्वासन के अनुरूप कराये जा रहे हैं । इसी मण्डी क्षेत्र के, चयन समिति द्वारा अनुमोदित दो अन्य मार्ग शहादतपुर मार्ग व विलार मार्गों की स्वीकृति की औपचारिकता पूर्ण न किये जाने व धन की व्यवस्था मण्डी को ऋण देकर न किये जाने से मार्गों का निर्माण नहीं हो पा रहा है, जनता में क्षोभ व असन्तोष व्याप्त है ।

उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर शासन का ध्यान आकर्षित कराके प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद जौनपुर की मड़ियाहूं तहसील में बिजली के खम्भों के गायब होने के संबंध में नियम 301के अन्तर्गत सूचना

श्री किशोरी लाल यादव–

[मान्यवर, जनपद जौनपुर के मड़ियाहूं तहसील अन्तर्गत जमालापुर से पचवल तक के 132 के० वी० के खम्भे तथा नूरपुर फीडर के काकोपुर ग्राम में रखे लोहे के खम्भे, गायब कर दिये गये हैं । विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि कर्मचारियों की मिली भगत से वह खम्भे या तो बेच दिये गये हैं या उन्हीं के द्वारा गायब कर दिये गये हैं । यह कई लाख के गोलमाल का मामला है ।

अतः आपके संज्ञान में इस आशय से ला रहा हूं कि गायब खम्भे तथा खम्भों को बेचने वाले कर्मचारियों तथा अन्य लोगों के विरुद्ध जांच कराकर कार्यवाही की जाय तथा मुझे भी अवगत कराया जाय । यह अत्यन्त लोक महत्व का प्रश्न है अतः इसे स्वीकार करने का कष्ट करें ।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम–300 की सूचना में 15 सूचनाएं हैं मैं कुछ पर सुनूंगा । कुछ सूचनायें नियम–300 में नहीं आती हैं उनको नहीं लिया गया है ।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैंने 5 तारीख को नियम 289–क के अन्तर्गत एक सूचना दी थी और अब केवल कल ही सदन बाकी रह गया है । मेरी बहुत अहम सूचना थी ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी जो सूचना है वह मेरे पास है, नियम 300 के अन्तर्गत मैं सुनूंगा ।

प्रश्नों के स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

* श्री श्रीराम (जालौन)– .

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मेरा एक प्रश्न छठे मंगलवार को 165 अतारांकित था, यह चौथे मंगलवार से स्थानान्तरित होकर पांचवें मंगलवार पर आया और 5वें से स्थानान्तरित होकर 6ठे मंगलवार पर आया और अब 8वें मंगलवार पर लगा दिया गया है । इसका उत्तर जानबूझकर नहीं दिया जा रहा है। जनपद जालौन में पिछले 10 महीनों में डाकू उन्मूलन के नाम पर पचासों निर्दोष व्यक्तियों, निरीह लोगों की हत्या कर दी गयी है इसीलिये जानबूझकर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा रहा है । अनेक लोगों की हत्या की साजिश की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखकर दें दें ।

श्री श्रीराम (जालौन)–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर जानबूझकर नहीं दिया जा रहा है । बहुत से गरीब लोगों को डाकू उन्मूलन के नाम पर मार दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष–

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

* श्री सुरेन्द्र नाथ–

मान्यवर, दिनांक 22 अप्रैल को मेरी एक सूचना नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिये स्वीकृत हुयी थी । मुझे आपके सचिवालय के माध्यम से 8 मई को सूचना मिली कि उक्त सूचना पर स्थगन हो गया है और वह 12 मई को ली जायगी ।

श्री अध्यक्ष–

आपने लिखकर दिया है । मैं देख लूंगा ।

श्री सुरेन्द्र नाथ–

कल सत्रावसान होने जा रहा है । व्यवस्था दे दें कि उक्त वक्तव्य इसी सत्र में आ जाय । करोड़ों रुपयें की जमीन से संबंधित मामला है ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी लिखित सूचना आ गयी है, उस पर मैं निर्देश दे रहा हूं ।

श्रीमती ज्ञानवती सिंह–

मान्यवर, मेरा एक प्रश्न था जिसको छठे मंगलवार के बजाय आठवें मंगलवार को लगा दिया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था । गाजियाबाद के एक आर्किटेक्ट हैं जो 16 वर्ष से अपने होम टाउन में नियुक्त हैं । करोड़ों रुपयों का घपला कर चुके हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

अभी नियम 300 में जब आप सूचना रखेंगी तो मैं इस पर व्यवस्था दे दूंगा ।

* श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह सरकार लगातार माननीय सदस्यों की उपेक्षा करती आ रही है लेकिन अब तो सदन की भी उपेक्षा होने लगी है । इस समय यहां पर एयर कंडीश्नर नहीं चल रहा है । जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है कि इतनी गर्मी उत्पन्न हो जाय कि सब लोग चले जांय और सरकार की आलोचना न हो । कृपया इसके लिये निर्देशित कर दें, आप खुद ही महसूस कर रहे होंगे कि गर्मी है ।

श्री अध्यक्ष–

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह व्यवस्था करा दें, न चलवा सकें तो हम लोग लान में बैठ जायं, कम से कम हवा तो आयेगी ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल यह है कि यह सदन जो बैठा हुआ है, चाहे इधर के हों या उधर के, सभी माननीय सदस्यों को संरक्षण देना आपका कर्तव्य है । मुझे एक सूचना प्राप्त हुई है, मैं आपके माध्यम से शासन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र नेगुआ रैरनिया खड्डा के सदस्य श्री दीप लाल भारती ।

श्री रवीन्द्र प्रताप–

मान्यवर, नाम गलत ले रहे हैं ।

श्री स्वामीनाथ यादव–

मान्यवर वह परेशान है उन्को एस० पी० ने परेशान किया है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह कोई व्यवस्था नहीं है ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, माननीय सदस्य दीप लाल भारती मौजूद हैं, वह कह दें कि पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा उनको प्रताड़ित नहीं किया गया है ।

श्री अध्यक्ष–

व्यवस्था के नाम पर इसकी अनुमति नहीं दूंगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह सब लिखा नहीं जायगा ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

(व्यवधान के मध्य) [x x x]

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 की सूचनाओं के बाद उठावें । नियम 300 हो जाने दीजिये ।

प्रथम सत्र, 1992 के छठे गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 195 के उत्तर के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में औचित्य का प्रश्न

* श्री निर्वेन्द्र कुमार–

श्रीमन्, विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के छठे गुरुवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 195 के अन्तर्गत मैंने माननीय राजस्व मंत्री से प्रश्न पूछा था कि क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा मुरारखेड़ा, कालोनी परगना पलियाकलां, तहसील निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी के भूमिहीनों को आवास हेतु पट्टे बना दिये गये हैं । यदि हां, तो कब्जा प्रशासन द्वारा अभी तक क्यों नहीं दिलाया गया । इसका उत्तर मंत्री जी ने दिया कि चूंकि जिस ग्राम समाज की भूमि पर आवासीय पट्टा बनाया गया उस पर वन विभाग का कब्जा है, इसलिये पट्टा निरस्त्रीकरण की कार्यवाही की जा रही है । तो श्रीमन्, राजस्व मंत्री जी शायद राजस्व के बारे में जानकारी नहीं रखते । एक ग्राम समाज की भूमि पर आवासीय पट्टा बनाया गया और जो अभिलेखों में ग्राम समाज की भूमि दर्ज है, उस पर कहते हैं कि वन विभाग का कब्जा है । जबकि अभिलेखों में, खतौनी में वन विभाग के नाम का इन्द्राज नहीं है और मात्र भ्रम में वन विभाग का कब्जा मान कर पट्टे के निरस्त्रीकरण की कार्यवाही का उत्तर दिया है, इसका औचिय क्या हैं यह मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं और इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूं ।

* राजस्व मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी)–

मान्यवर, आवासीय पट्टे किये जाते हैं, जिससे कि हम लोगों को बसा सकें और जब आवासीय पट्टे बनाये गये, तो बाद में पता चला कि वन विभाग ने उसे कब्जा कर रखा है । अब ऐसी स्थिति में आवासीय पट्टे बना दिये जाते हैं, तो कब्जा नहीं मिल पायेगा । ऐसी स्थिति में जहां पर हम उनको पट्टा दिला सके थे, वहां पर हमने दिलाया । मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है ।

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री निर्वेन्द्र कुमार–

मान्यवर, खतौनी में ग्राम समाज के नाम ग्राम सभा की भूमि दर्ज है और इसी में आवासीय पट्टे देकर दाखिल खारिज कर दिये गये । इसे राजस्व विभाग वालों ने ही किया और जब मैंने अतारांकित प्रश्न संख्या 195 के तहत प्रश्न किया, तो माननीय राजस्व मंत्री ने वन विभाग का कब्जा बताया, जब कि वन विभाग के नाम वह भूमि अभिलेखों में कहीं नहीं पाई जाती है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य और माननीय राजस्व मंत्री को सुनने के बाद यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है. इसलिए मैं इसको निरस्त करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री जागेश्वर प्रसाद–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । 20–20 साल से गरीब लोग इसमें मकान बनायें हुए हैं । उनके विरुद्ध तहसीलदार मुकदमा चला कर उनको निकालने की कार्यवाही कर रहे हैं । यह साधुआपुर गांवों का मामला है ।

श्री निर्वेन्द्र कुमार–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी का जो जवाब आया है, उसे क्या आप सही समझ रहे हैं ?

श्री पवन कुमार पाण्डेय विधायक के परिवार की सुरक्षा के संबंध में आश्वासन दिये जाने के बावजूद कोई कार्यवाही न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री पवन कुमार पाण्डेय–

मान्यवर, प्रश्नकर्ता और परिवार की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में सरकार द्वारा दिये वक्तव्य में मेरे भाई की जान को खतरा होने की दशा में गनर/अंग रक्षक दिये जाने की कार्यवाही कराने जैसी घोषणा के बाद भी अब तक गनर/अंग रक्षक उपलब्ध कराये जाने के औचित्य के बारे में विधान सभा के इस सत्र में सदन के सदस्यों व उनके परिवार जनों की पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था कराये जाने जैसा आश्वासन माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा सदन में दिये जाने के बाद मैंने अपनी, अपने परिवार की तथा अपने बड़े भाई श्री राकेश पाण्डेय की हत्या के लिए हो रही साजिशों का और परिस्थितियों का व्यौरा देते हुए नियम 51 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन में रखा था । इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में विधान सभा के वर्तमान सत्र में गत सप्ताह हुए उपवेशन में सरकार की ओर से दिये गये वक्तव्य में माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि प्रश्नकर्ता के भाई श्री राकेश पाण्डेय, प्रमुख व्यवसायी, आबकारी ठेकेदार, कोल्ड स्टोरेज और भट्ठे का व्यवसाय करने वाले व्यक्ति हैं, जिनकी व्यापारिक स्पर्धा है, तथा उन्हें जान का खतरा है । उनके ऊपर कई आपराधिक मुकदमें दर्ज होने की बात गलत कही गयी । मान्यवर, गृह राज्य मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में प्रश्नकर्ता के भाई की जान को खतरा होने की स्थिति में गनर/अंगरक्षक दिये जाने की कार्यवाही करायी जा रही है, जैसी आश्वासनयुक्त की जानकारी भी सदन को दी है । इसके बावजूद अब तक प्रश्नकर्ता के भाई को गनर/अंगरक्षक प्रदान किये जाने का औचित्य है । अतः इस औचित्य के प्रश्न को आपके माध्यम से सदन में उठाने की अनुमति चाहता हूं ।

आज के अतारांकित प्रश्न संख्या 120 में पूछा गया था कि दिनांक 2-5-1988 के आधार पर अकबरपुर कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी श्री राज कुमार सिंह द्वारा लिखित सूचना भेज कर यह सूचित

कराया गया था कि उनकी जान का खतरा बना हुआ है तथा स्थानीय निवासियों सहित जनपद आजमगढ़ के व अन्य जगह के बदमाश उनकी (श्री राकेश पाण्डेय) हत्या करने के लिये प्रयासरत हैं ? यदि हां, तो क्या तत्कालीन पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा एवं शासन के आदेशानुसार श्री राकेश पाण्डेय को अंगरक्षक दिया गया था ? जिसका उत्तर माननीय मुख्य मंत्री ने दिया है, जी, हां । उसके बाद प्रश्न पूछा गया था कि यदि हां, तो अब श्री राकेश पाण्डेय का अंगरक्षक हटाये जाने के क्या कारण हैं ? उसका उत्तर माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिया है कि माह मई, 1991 में लोक सभा, विधान सभा चुनाव के समय अंगरक्षकों की कमी के कारण तत्कालीन सरकार द्वारा ही अंगरक्षक को वापस कर लिया गया था।

मान्यवर, कुछ अपराधियों के बारे में मैंने लिखित सूचना दी थी कि मेरे भाई को खतरा है, जिसमें से सत्येन्द्र सिंह, जिसका अपराधिक इतिहास है, 302 में वाण्टेड भी है, उसके खिलाफ पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और न ही मेरे भाई को अंगरक्षक प्रदान कर रही है, जिससे लगातार मेरे भाई की जान का खतरा बना हुआ है । मान्यवर, आश्वासन के बावजूद अंगरक्षक न दिये जाने का औचित्य ज़ानना चाहता हूं और आपके माध्यम से चर्चा की मांग करता हूं ।

* वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)--

मान्यवर, उसका परीक्षण भी कराया गया और जैसा कि समय-समय पर चर्चा हुई है, माननीय सदस्य ने माननीय राज्य मंत्री का हवाला देकर कुछ पढ़कर सुनाया ,....

जो शासन की नीति है, उसको पढ़ कर सुनाया और पूरा हवाला दिया है, तो स्थिति स्पष्ट हो गयी है । माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि श्री राकेश पान्डे प्रमुख व्यवसायी हैं, व्यवसाय में उन की व्यापारिक स्पर्धा है । परीक्षण से पाया गया है कि उनको अंगरक्षक देने की आवश्यकता नहीं है, इसलिये नहीं दिया गया है ।

श्री पवन कुमार पाण्डेय–

4 वर्षों से दिया गया है ।

(इस समय 12 बज कर 45 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय पवन कुमार पान्डे जी ने जो नियम 300 के अन्तर्गत सूचना दी है, वह इस नियम के अन्तर्गत नहीं आती है, इसलिये उसको निरस्त किया जाता है ।

नियम 301 के अन्तर्गत स्वीकार की गयी सूचना का उत्तर न आने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश के अध्याय 3 में नियम 14(1) में यह व्यवस्था है कि इस अध्याय के अधीन किसी सूचना का सदन में उत्तर देने के लिये मंत्री बाध्य है, किन्तु मंत्री ऐसी सूचना के संबंध में जांच उपरान्त संबंधित सदस्य को अपने हस्ताक्षर से 7 दिनों के अन्दर अन्तिम अथवा अन्तरिम उत्तर भेजेंगे और अन्तरिम उत्तर की दशा में अन्तिम उत्तर अधिकतम एक माह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के अन्दर अवश्य भेजा जायेगा । मान्यवर, इस सरकार को आप की पीठ से कई बार निर्देश भी दिये गये हैं कि नियम 301. 51 और 56 जिनमें शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया है, उनका उत्तर संबंधित को दिया जाये । नियम 301 के अन्तर्गत जो भी सूचना ग्राह्य होगी उसका उत्तर शासन से माननीय सदस्य को एक महीने के अन्दर दिया जायेगा । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि नियम 301 के अन्तर्गत मेरी सूचना 23-3-1992 को 30-3-92 को और 8-4-1992 को स्वीकार हुई, लेकिन आज तक किसी का उत्तर नहीं आया है, शासन ने कोई उत्तर नहीं दिया है । दो ढाई महीना हो गया है, और कोई उत्तर नहीं आया है । मान्यवर, यह मेरा ही नहीं है, सभी विधायकों के साथ है, आप किसी से भी पूछ लें, कोई उत्तर नहीं प्राप्त होता है ।

मान्यवर, आप की पीठ की इस प्रकार से अवहेलना हो रही है, सदन की तो है ही, आपकी भी है । हम लोग नियम 301 बड़ी मेहनत से बनाते हैं और बड़ी मुश्किल से वह आ पाता है और फिर जब कोई उत्तर नहीं आता है, तो बड़ी तकलीफ होती है । आप इस संबंध में सरकार को स्पष्ट निर्देश दें कि हम लोगों को उत्तर समय से प्राप्त हो जायें । आपकी सरकार बहरी हो गयी है, किसी कार्य को करना नहीं चाहती है । हम जनता से चुनकर आये हैं और जनता हमसे जानकारी चाहती है । हम प्रश्नों के माध्यम से और नियमों के माध्यम से जनता के सवालों को उठाते हैं और कल से सदन मान्यवर समाप्त होने जा रहा है और हम क्षेत्र में जायेंगे तो वहां पर जनता हमसे पूछेगी कि उसके सवालों का क्या हुआ, तो हम क्या उत्तर देंगे । आप शासन का ध्यान आकृष्ट करते हैं, परन्तु हम लोगों के प्रश्नों का उत्तर शासन से नहीं मिलता है और कोई कार्यवाही नहीं होती है । मैं तो समझता हूं कि किसी भी सदस्य को कोई उत्तर नहीं मिला होगा । आप इसको ग्राह्य करें और इस पर शासन की स्थिति को स्पष्ट करायें । आप सरकार से डांट कर कहें कि आपके निर्देशों का पालन किया जाये और हम लोगों को उत्तर मिल जायें ।

*वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, डांटकर कहें या मुस्कराकर कहें, हमारे ऊपर असर पूरा का पूरा पड़ना है । इस बात का हमें खेद है कि .....

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, और यही तो दिक्कत है कि जितने सवाल उठाये हैं कहीं नहीं किया है आप इतने मधुर आदमी हैं, मैं तो ब्राह्मण आदमी हूं मैं आपकी कुण्डली को देख कर बता रहा हूं कि आपकी कुण्डली में लिखा है कि नहीं नहीं करेंगे, खेद व्यक्त कर देंगे । अभी जब आप खड़े होंगे तो मैं जानता हूं कि आप कह देंगे कि खेद है, यही हमेशा कहते हैं तो मान्यवर, आप शासन को सीधे और समस्त मंत्रियों को निश्चित रूप से कड़े आदेश दें कि हम को उत्तर मिल जाय जिसे हम जनता के सामने जाकर रख सकें कि हमने विधान सभा में यह पूछा था और हमको यह उत्तर मिला है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं नहीं तो नहीं करता हूं कि लेकिन माननीय सदस्य ने जो आक्रोश प्रकट किया है उससे हमको पूरी सहानुभूति है । यह बात सही है कि जो आपके निर्देश हैं नियम 301 और नियम 56 या अन्य नियमों में शासन को निर्देश दिया जाता है कि उसकी सूचना 30 दिन में मिल जानी चाहिए । हमने स्वयं हस्ताक्षर किये हैं इसलिए मुझे जानकारी है कि बहुत कम जानकारी मिल पायी है । अभी 3-4 दिन पहले मा० नेताओं की उपस्थिति में माननीय अध्यक्ष जी के कक्ष में इस बात पर चर्चा हुई थी और उसी दिन सचिवों को कड़े निर्देश दिये गये हैं । शीघ्र ही सचिवों की बैठक लगाकर इस व्यवस्था को सुनिश्चित

करायेंगे कि हमारे जो संसदीय अधिकार हैं उन संसदीय अधिकारों को पूरा होना चाहिए जो मुख्य निर्देश हैं, माननीय अध्यक्ष जी की नियमावली में जो व्यवस्था है उसको सुनिश्चित करने का पूरा-पूरा प्रयास करेंगे अगली बार जब मिलेंगे तो पूरा प्रयास करेंगे कि आपको शिकायत का मौका न मिले ।

श्री उपाध्यक्ष–

इस मामले में सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलायी गयी थी और उस बैठक में विचार-विमर्श के बाद शासन को आवश्यक निर्देश दिये जा चुके हैं । नियम 300 के अन्तर्गत प्रश्नगत सूचना अस्वीकार की जाती है ।

प्रथम सत्र, 1992 के प्रथम बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 127 का सही स्पष्टीकरण प्राप्त न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

* श्री श्रीराम (जालौन)–

मान्यवर, यह प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 127 जिसमें माननीय सिंचाई मंत्री जी से यह जानकारी प्रश्न के माध्यम से चाही थी कि जनपद जालौन उरई के नलकूप निर्माण खण्ड के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ उपखण्ड में सितम्बर, 90 से सितम्बर, 91 तक स्थाई अग्रदाय एवं अस्थाई अग्रदाय द्वारा हैण्ड रसीद के द्वारा कुल कितना रुपया निकाला गया तो इसमें उत्तर दिया गया है कि उसमें सिर्फ 33 वाउचर से धन व्यय किया गया है लेकिन हैण्ड रिसीट से, वाउचर से लगभग 31 लाख रुपये का मामला है, यह पूरा गोलमाल का विषय है लगभग 11 लाख रुपये पेडी वाउचर से व्यय करना दिखाया है वह भी हस्त पुस्तिका के अनुसार 500 रुपये तक सामान्य परचेज करने का अधिकार था लेकिन उससे अधिक परचेज किया गया है तो हम लोग यह अपेक्षा करते हैं सरकार से, माननीय सदन से, आपसे कि कम से कम प्रश्नों के उत्तर तो हम लोगों को पूरा-पूरा दिलाया जाय इसमें हैण्ड रसीद से नहीं है कि कितना निकाला गया है, इसमें कितना अन्तर है, यह घोर अनियमितता है इसमें लाखों रुपये का घोटाला अधिशासी अभियन्ता ने किया है । इसमें माननीय मंत्री जी से स्पष्टीकरण दिलवा दें कि इसमें समुचित जांच के लिए आश्वासन दे दें या वह जांच करा दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय श्री राम जी आपका यह प्रकरण नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है, अगर कोई उत्तर अधूरा है या त्रुटिपुर्ण हैं तो इसके लिए आप निर्देश संख्या 166 का सहारा लेकर प्रकरण को उठा सकते हैं । मैं नियम 300 में इसे अस्वीकार करता हूं ।

प्रथम सत्र, 1992 के दूसरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 68 के उत्तर के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री स्वामी नाथ यादव–

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि यह प्रश्न कई बार आया, जो कि श्री हरबंश सहाय जी से सम्बन्धित है । घटना को सुनने के बाद आया जो कि श्री हरवंश सहाय जी से संबंधित है । घटना को सुनने के बाद आपको दुख होगा कि उनके साथ ऐसा हुआ । चुनाव हो रहा था इसी बीच श्री हरबंश सहाय जी की पत्नी की हालत खराब हो गयी, वह मेडिकल कालेज में भर्ती थीं । मेडिकल कालेज में 3 मई, 91 को उनकी पत्नी का देहान्त हो गया, जबकि हरबंश सहाय जी अपने चुनाव क्षेत्र भाटपाररानी में थे । इनका निवास स्थल, जो कि मीराबाई मार्ग पर है, उसमें सामान छोड़कर लोग उनके पार्थिव शरीर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

को लेकर चले गये । चुनाव के दौरान उनका दाह-संस्कार किया गया । 21 जून को ताला तोड़कर उनका सारा सामान उठा ले जाया गया । मा० अध्यक्ष को सूचना दी गयी कई बार वार्ता भी हुई विधान सभा में प्रश्न भी आया । 21 जून को जब ताला तोड़ा गया तो उसमें उनकी पत्नी का सामान था ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपने जो नियम 300 में सूचना दी है, उसका अवलोकन कर लें, यह सूचना प्रश्न के उत्तर के सिलसिले में है । आप तो भाषण जैसा दे रहे हैं । अपनी दी गयी सूचना के ग्राह्यता के बारे में विचार व्यक्त करें तो उचित होगा ।

श्री स्वामी नाथ यादव÷

मान्यवर, यह सदन में 2-3 बार आ चुका है, सदन में लिखित रूप से सामान देने की बात कही जा रही है । यह मामला एक विधायक से संबंधित है । अब यह इसमें नहीं आएगा तो कौन से औचित्य में आएगा । 10 महीने से आश्वासन मिल रहा है । तीसरी बार यह सदन में आया है ।

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, हमें इस नियमावली में बहुत से अधिकार हैं लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो बातचीत से हल हो सकते हैं, प्रश्न के उत्तर को देखने की कृपा करें । अगर यह परिपाटी रही तो अल्पसूचित प्रश्न का महत्व समाप्त हो जायेगा । इसमें लिखा है कि वर्तमान ठिकाना ज्ञात कर लिया गया हैं । वहां से हटाया गया सामान रखा है, अध्यासी के लखनऊ से बाहर होने के कारण सामान वापस नहीं दिया जा सका, मैंने आदेश कर दियें हैं राज्य सम्पत्ति अधिकारी विधायक जी से सम्पर्क करेंगे और सामान उपलब्ध करायेंगें और मुझे भी अवगत करायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्नगत मामला नियम 300 में नहीं आता । इसलिये अस्वीकार किया जाता है ।

दिनांक 10-4-92 को दी गयी कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना पर कार्यवाही न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री मो० रिजवानुल हक–

मान्यवर, चालू सत्र के दिनांक 10 अप्रैल, 1992 के उपवेशन में प्रश्नकर्ता द्वारा एक कार्यस्थगन की सूचना दी गयी थी । मान्यवर, वह कार्यस्थगन की सूचना शलाका में स्वीकृत हुई थी तथा उस पर मेरा भाषण हुआ था, जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे थे, तो मैंने सदन के बीच में बैठकर, लेटकर धरना दिया । सन् 1987-88 से जनपद मुरादाबाद के विकास खण्ड-भगतपुर, टांडा व मूढ़ापाड़ा में पांच पुलियों को नहीं बनाया जा रहा है और 65 पाइप स्थल पर पड़े हैं । पुलिया बड़ी-बड़ी हैं, पांच-पांच, तीन-तीन रोकी हैं । एक तरह से छोटे-मोटे पुल से हैं । वहां बाढ़ आती है और बरसात में रास्ता बन्द हो जाता है, जानवर, डूबकर मर जाते हैं आदमी डूब जाते हैं, इसलिये उन पुलियों का बहुत महत्व है । उनका बनाया जाना नितान्त आवश्यक है । जब मैं जिले में गया तो जिले पर इस संबंध में कोई सूचना नहीं मिली कि क्या कार्यवाही हुई, न तो मुझे कोई अन्तरिम अथवा अंतिम उत्तर दिया गया और न ही जिले में सूचना दी गयी । यह इसी सत्र की बात है, महत्वपूर्ण मामला है इस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री अवश्य कुछ कहें तथा मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

* वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मुझे उस घटना का स्मरण है जब मा० सदस्य यहां हट रहे थे तभी मैंने उनसे निवेदन किया था कि दिखवा लेंगे । मान्यवर, वहां के पी० डब्लू० डी० के अधिशासी अभियन्ता को शासन की ओर से पत्र भेजकर अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा रही है । मैं भी जानकारी प्राप्त कर रहा हूं और स्थिति से माननीय सदस्य को अवगत करा दूंगा, लेकिन जैसा कि सभी अवगत हैं कि हम सब जनप्रतिनिधि के नाते विभागीय अधिकारियों से समय-समय पर मिलते रहते हैं तो मैं समझता हूं कि यदि वे भी सम्पर्क कर लेंगे तो आसानी होगी ।

श्री मो० रिजवानुल हक–

आठ लाख रुपये का प्राविधान कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह मामला नियम 300 में नहीं आता है इसलिये अस्वीकार किया जाता है ।

गन्ना किसानों के गन्ने का मूल्य भुगतान एवं पूरे गन्ने की खरीद न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

* श्री हरेन्द्र सिंह–

इस सम्मानित सदन में गन्ना आपूर्ति के संबंध में एक कार्य स्थगन प्रस्तुत किया गया । गन्ना मंत्री जी जब उस पर जवाब नहीं दे पाये तो संसदीय कार्य मंत्री को सरकार की ओर से घोषणा करनी पड़ी कि गन्ने की खरीद की उचित व्यवस्था की जायेगी और जब तक गन्ना किसान का बेसिक कोटा खरीदा नहीं जायेगा जब तक कोई गन्ना केन्द्र बन्द नहीं होंगे । मान्यवर, सदन में शासन के वक्तव्य के बाद यदि अधिकारी प्रतिकूल कार्यवाही करें, तो यहां जन समस्या को उठाने का क्या औचित्य रह जायेगा ? मेरे विधान सभा क्षेत्र के दो क्रय केन्द्र बन्द कर दिये गये । मरूखेरी और सोता रसूलपुर । तीन-चार क्रय केन्द्र ऐसे हैं जहां पर केवल 40 प्रतिशत ही गन्ना लिया गया । 60 प्रतिशत अभी बाकी है । पुरकडली में खरीद रोक दी गयी । मान्यवर, हमने जन समस्या उठाई । शासन ने उसे मान लिया लेकिन इनके गन्ना विभाग के अधिकारी प्रतिकूल कार्यवाही करें तो इससे सदन की गरिमा गिरेगी, जन समस्या को उठाने का औचित्य नहीं रह जायेगा । मान्यवर, जब गन्ने की बात यहां उठाई तो जो क्रय केन्द्र चल भी रहे थे उनको बन्द कर दिया गया । मान्यवर, आज पश्चिम का गन्ना किसान बरबादी के कगार पर है । शामली चीनी मिल का जो आवंटन है उसको यदि बने रहने दिया जाय तो 8 अगस्त तक मिल चलेगी । मान्यवर, गन्ना सत्र समाप्ति की ओर है । मान्यवर, अगर सदन में सवाल न उठाया होता तो गन्ना क्रय केन्द्र बन्द न हुए होते गन्ने की खरीद बन्द न हुई होती । एक समस्या उठाई सरकार की ओर से घोषणा हुई, उसके बाद मेरे क्षेत्र की समस्या का समाधान क्या होता उल्टे वह क्रय केन्द्र बन्द कर दिये गये कुछ पर खरीद रोक दी गयी, इस पर आपकी व्यवस्था चाहूंगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मलिक जी आपकी सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है अत मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मा० गन्ना विकास मंत्री कुछ कहना चाह रहे हैं।

* गन्ना विकास मंत्री (श्री हनुमन्त सिंह)–

मान्यवर, ऐसा है कि मैं आपके माध्यम से अपने सभी सम्मानित सदस्यों को बता चुका हूं और उनसे निवेदन भी कर चुका हूं और आज फिर मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि 7-5-92 तक 329 लाख टन गन्ने की पेराई इन चीनी मिलों द्वारा हुई है। हमारी सरकार इस बात के लिये दृढ़ संकल्प है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जो बाउन्डेड केन है उसकी पेराई करने के बाद ही चीनी मिलें बन्द होंगी। मान्यवर, जो यह कह रहे हैं कि क्रय केन्द्र द्वारा पेराई नहीं हो रही है तो मैं यह बता देना चाहता हूं कि 329 लाख टन गन्ने की पेराई हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ है और यह एक रिकार्ड है। जो क्रय केन्द्रों की बात माननीय मलिक जी ने कही मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बता देना चाहता हूं कि उन दोनों क्रय केन्द्रों में जितना भी बाउन्डेड केन है उसको खरीदने के बाद ही बन्द हुई हैं और यह भी आश्वासन देना चाहूंगा कि सारे क्रय केन्द्र बाउन्डेड केन खरीदने के बाद ही बन्द किये जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मेरी विशेषाधिकार हनन की सूचना है। मेरी निश्चित जानकारी है.....

श्री उपाध्यक्ष–

आपकी सूचना को मैंने ध्यानपूर्वक सुना, आपकी सूचना नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती है।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, यह मेरी कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है, यह किसानों की समस्या है और मेरी निश्चित जानकारी है, आज सुबह ही दस किसान मुजफ्फरनगर के, मेरे पास आये और उन्होंने कहा कि गन्ना क्रय केन्द्र बन्द पड़े हुए हैं। मैंने यह कहा कि मारूखेड़ी और सोंता रसूलपुर दोनों क्रय केन्द्र बन्द कर दिये गये हैं, चालीस प्रतिशत गन्ने की खरीद की गयी है, इसे आप दिखवा लें। यह जो सूचना आपके अधिकारियों ने दी है, यह गलत सूचना है, आज भी मारूखेड़ी का 20 हजार कुन्तल गन्ना बकाया है।

श्री उपाध्यक्ष–

आपकी सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिये मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, उन गन्ना किसानों का क्या होगा। यह गलत बयानी कर रहे हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

उपाध्यक्ष जी, आप स्वयं किसानों की समस्या से अवगत हैं श्रीमन्, अभी माननीय मंत्री जी ने बड़ी गम्भीर बात कही कि जो बाउन्डेड केन है उसको खरीदने के बाद मिलें बन्द हो जायेंगी और यह बाउन्डेड केन सिर्फ चालीस प्रतिशत है, बाकी साठ प्रतिशत की कोई जिम्मेदारी सरकार की नहीं है अभी तक जो सरकारें रही हैं उन्होंने यह कहा है कि एक भी गन्ना किसानों का खेतों में रहेगा तो उसकी पेराई करने के बाद मिलें बन्द करेंगे आज पहली बार यह बयान आया है कि बाउन्डेड केन खरीदने के बाद चीनी मिलें बन्द कर देंगे तो यह गलत बात कर रहे हैं जब तक किसानों का एक भी गन्ना खेतों में रहे तब तक चीनी मिलें बन्द नहीं होनी चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इसे नियम 300 के अन्तर्गत अग्राह्य करता हूं लेकिन इस सूचना की महत्ता को समझते हुए शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।

डा० बृजभान यादव–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज आपका ध्यान मैं अत्यन्त गम्भीर विषय की तरफ दिलाना चाहता हूं । कृपा करके सुनने का कष्ट करें । मान्यवर, आये दिन इस सदन में विधायक लोग अपनी सुरक्षा, अपने मान सम्मान की चर्चा करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

जिस प्रकरण पर माननीय अध्यक्ष जी का निर्णय हो चुका है उस प्रकरण को मैं उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

डा० बृजभान यादव–

मान्यवर, मैं इस विषय को उठाये बिना अपने अधिकार का हनन समझता हूं ।

(यह कहते हुए डा० बृजभान यादव सदन के फ्लोर पर आ गये)

(डा० बृजभान यादव सदन के फ्लोर से यह कहते रहे [x x x])

श्री उपाध्यक्ष–

आप अपने स्थान पर जायें ।

(डा० बृजभान यादव कहते रहे [x x x])

मैं पुनः कह रहा हूं, माननीय सदस्य अपने स्थान पर वापस चले जायें ।

(माननीय सदस्य अपने स्थान पर वापस चले गये)

(इसके बाद श्री हरेन्द्र सिंह, श्री महक सिंह सहित कुछ अन्य सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये । श्री हरेन्द्र सिंह कहने लगे [x x x])

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [x x x] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

मैं वेल में कही हुई किसी बात को संज्ञान में नहीं लूंगा । आप लोग अपने स्थान पर जायें ।

(श्री हरेन्द्र सिंह कहते रहे [x x x])

(श्री विजय सिंह राणा के खड़े होने पर)

राणा जी, आप स्वयं सहमत होंगे कि वेल में आकर कोई बात माननीय सदस्य कहते हैं तो उसे संज्ञान में नहीं लिया जाता है । इसलिये आप लोग अपने स्थान पर वापस चले जायें ।

(श्री हरेन्द्र सिंह, श्री महक सिंह सहित अन्य सदस्य अपने स्थानों पर वापस चले गये)

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, हरेन्द्र मलिक ने जो सवाल उठाया वह बड़ा गम्भीर मसला है । आप इसे बहुत गम्भीरता से लीजिये । मैं माननीय गन्ना मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आपने केवल 40 फीसदी गन्ने का जिम्मा लिया है, शेष 60 फीसदी का नहीं लिया है, इस पर उपाध्यक्ष जी, बयान दिलवा दें ताकि माननीय सदस्य संतुष्ट हो जायें । मैं स्वयं देखकर आया हूं कि गन्ना किसान त्रस्त हैं और खेतों में गन्ना खड़ा है । पूरी पेराई नहीं हो रही है । अधिकारी जो छापा मारते हैं, वह प्राइवेट मिल वालों को कष्ट दे रहे हैं, लेकिन सहकारी गन्ना मिलें जो हैं, उन तक नहीं जाते ।

(श्री प्रमोद तिवारी के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है । माननीय कैलाश नाथ सिंह जी ने जो बिन्दु उठाये हैं, उनके बारे में मंत्री जी जरा स्पष्ट करने का कष्ट करें ।

श्री हनुमन्त सिंह–

मान्यवर, इस सदन के हमारे दो सम्मानित साथी माननीय बेनी प्रसाद वर्मा तथा श्री कैलाश नाथ सिंह यादव बहुत जिम्मेदार पद पर रहे हैं मैं आपके माध्यम से इन्हें एक बात बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष जितनी गन्ने की पेराई हुई थी, उससे 28 लाख टन गन्ना इस साल इस सरकार के शासनकाल में ज्यादा पेरा गया है, यह एक उपलब्धि है । मैं पूर्व में भी कह चुका हूं कि उत्तर प्रदेश में केवल 32-33 प्रतिशत गन्ना चीनी मिलों द्वारा पेराई हो पाती है, शेष गन्ना खाण्डसारी, कोल्हू, चूसने, बीज आदि के रूप में प्रयोग होता है । इस विषय पर पूरी चर्चा भी हुई है । मैं बताना चाहता हूं कि जो भी बान्डेड केन है, जिसकी पेराई होना आवश्यक है, उसकी पेराई किये बिना उत्तर प्रदेश की कोई भी चीनी मिल बंद नहीं होगी । दूसरी बात बताना चाहता हूं कि जो दो क्रय केन्द्र के बारे में माननीय सदस्य कह रहे हैं, इन दोनों क्रय केन्द्रों के बारे में हरेन्द्र मलिक जी को बताना चाहता हूं कि यह जो दोनों क्रय केन्द्र हैं, यह बान्डेड केन खरीदने के बाद ही बन्द हुए हैं । मैं अपने सभी सम्मानित साथियों से निवेदन करना चाहता हूं तथा मैं यह भी आश्वासन देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जितना भी बान्डेड केन है, जब तक उसकी पेराई नहीं हो जाती तब तक न कोई क्रय केन्द्र बन्द होगा और न कोई चीनी मिल ही बन्द होगी ।

(श्री विजय सिंह राणा व श्री हरेन्द्र सिंह के खड़े होने पर – व्यवधान)

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं आपको इस पर बोलने की अनुमति नहीं दूंगा । जो बिन्दु उठाये गये थे, उन पर माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट उत्तर दे दिया है । इस पर मैं कोई चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा ।

* श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । माननीय श्री हरेन्द्र सिंह जी ने यहां पर कुछ बिन्दु उठाये और उन पर माननीय गन्ना मंत्री जी ने अपनी भावना व्यक्त कर दी । सवाल केवल इतना है कि किसानों का गन्ना खेतों में खड़ा नहीं रहना चाहिए । माननीय मंत्री जी इधर उधर का जवाब दे रहे हैं । माननीय श्री हरेन्द्र जी ने जिन दो क्रय केन्द्रों का मामला यहां पर उठाया, उन दोनों क्रय केन्द्रों को माननीय मंत्री जी चलवाने हेतु आश्वासन दे दें तो बात यहीं पर समाप्त हो जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय श्री राणा जी, जहां तक मैंने माननीय मंत्री जी को सुना है, मुझे लगता है कि जिन दो क्रय केन्द्रों की बात यहां पर उठायी गयी थी, उन दोनों के बारे में माननीय मंत्री जी ने अपनी बात स्पष्ट कर दी है । इसलिये इस पर आगे बात उठाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है ।

विशेषाधिकार की सूचना पर लिये गये निर्णय के संबंध में औचित्य का प्रश्न

डाक्टर बृजभान यादव–

मान्यवर, मैं बहुत ही गम्भीर मामला यहां पर उठाना चाहता हूं । आये दिन यहां पर विधायक गुजारिश करते रहते हैं । माननीय विधायकों के मान-सम्मान व रक्षा की जिम्मेदारी अध्यक्ष पीठ की हुआ करती है । मैं एक घटना की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं । एक गरीब व्यक्ति मेरे विधान सभा क्षेत्र में परगनाधिकारी के कैदखाने में 8 दिनों से बन्द था । 22 जनवरी, 1992 को जब जिलाधिकारी हंडिया तहसील आये हुए थे तो मैंने उनसे निवेदन किया था कि इस गरीब व्यक्ति के पास कुछ है नहीं । यह आठ दिनों से भूखा, नंगा कैदखाने में बन्द है । इसके पास जो राशि है, उसे लेकर इस गरीब व्यक्ति को छोड़ दिया जाय । जिलाधिकारी ने परगनाधिकारी व तहसीलदार को यह निर्देश दिया कि इस व्यक्ति के पास 400 रुपये हैं, इसलिये 400 रुपये लेकर इसको छोड़ दिया जाय । जिलाधिकारी के जाने के बाद उस व्यक्ति का लड़का अपने घर से मेरे पास आया और बताने लगा कि परगनाधिकारी व तहसीलदार उसे नहीं छोड़ रहे हैं । उस व्यक्ति का हुलिया जानने के लिये मैं तहसील के प्रांगण में पहुंचा कि उसे खाने के लिये क्या दिया जा रहा है और कम से कम कितना पैसा लेकर उसको छोड़ दिया जायेगा । वहां पर जाने के बाद मुझसे यह कहा गया कि परगनाधिकारी ने यह कहा है कि तहसीलदार वहां नहीं जायेगा । मैंने स्थिति को समझकर और स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए इसको टालने के लिये मैं स्वयं परगनाधिकारी के कक्ष के सामने गया । वहां जाकर मैंने कहा कि मुझे तहसीलदार से कुछ बात करनी है इस बन्दी व्यक्ति के बारे में । तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि कोई बात नहीं की जायेगी । परगनाधिकारी न अपने स्थान से उठे और न ही मुझे बैठने के लिये कहा । बाद में उन्होंने कहा कि आप जैसे विधायकों को हमने बहुत देखा है । इधर आप जैसे विधायकों को आने की आवश्यकता नहीं । इस घटना की सूचना मैंने तत्काल टेलीग्राम द्वारा माननीय अध्यक्ष, विधान सभा, माननीय मुख्य मंत्री, महामहिम राज्यपाल महोदय सभी को दे दी । बाद में लिखित सूचना भी माननीय अध्यक्ष को दे दी है । मैंने विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना भी आपके यहां दे दी है । यह एक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गम्भीर विषय है । सारे विधायिका के सम्मान का प्रश्न है । इससे कहीं न कहीं विधायिका के सम्मान को चोट पहुंची है । मान्यवर, घटना के बाद मैंने विशेषाधिकार हनन की सूचना दी उसमें बिना मुझे सुने, बिना मेरे पक्ष की जानकारी किये उसे निरस्त कर दिया गया । मान्यवर, विधायक अगर वहीं पर निर्णय ले लें परगनाधिकारी की बदसलूकी के लिये तो यह कानून को अपने हाथ में लेने की बात हो जायेगी । हम लोग जनप्रतिनिधि हैं अपने क्षेत्र में कोई ऐसी बात नहीं होने देना चाहते हैं । किसानों का एक प्रदर्शन हुआ माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री रामपूजन पटेल और जनता दल के कम से कम 50 हजार कार्यकर्ता वहां थे, विशाल जनमत को देखते हुए हमने कोई ऐसा कार्य नहीं किया । जो बेबुनियाद आरोप लगाया गया है । हमारे पक्ष को सुना जाना चाहिए था तो निर्णय लिया जाता । जो जिला प्रशासन से अधिकारियों की सूचना आयी उन्होंने बता दिया कि 20 गुण्डों के साथ अवांछित तत्व तहसील पहुंच गये परगनाधिकारी की रिपोर्ट पर कि हम लोग कोषागार, उप-कोषागार को लूटना चाहते हैं तो क्या आप समझ सकते हैं कि मैं कोषागार को लूट सकता हूं । परगनाधिकारी ने यह कहा है कि वह व्यक्ति मेरा रिश्तेदार लगता है इसलिये मैं उसे छुड़ाना चाहता हूं । मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि वह मेरे क्षेत्र का साधारण नागरिक है वह मेरे से किसी तरह से संबंधित नहीं है, महज मेरे क्षेत्र का निवासी है, मेरा वोटर है इससे ज्यादा उससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है इस नाते मैं उसके हितों की रक्षा करना चाहता हूं । तो इन बातों से साफ होता है कि परगनाधिकारी ने जो शासन को रिपोर्ट भेजी है उसी के आधार पर मेरे विशेषाधिकार हनन के प्रश्न पर निर्णय ले लिया गया । मेरा पक्ष सुना नहीं गया । मैं समझता हूं कि इस तरह की व्यवस्था अध्यक्ष पीठ से ली जायेगी तो विधायकों को संरक्षण कहां मिलेगा । आप विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष हैं.....

श्री उपाध्यक्ष–

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं । जो व्यवस्था माननीय अध्यक्ष ने आपके विशेषाधिकार हनन संबंधी सूचना पर दी है उस पर मैं यहां पर नहीं सुनूंगा ।

डा० बृजभान यादव–

इस पर आप पुनर्विचार कर लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपको अन्यथा कोई बात कहनी है तो माननीय अध्यक्ष जी के कक्ष में बात कर लें ।

(व्यवधान)

डा० बृजभान यादव–

हम लोग विधायक हैं अगर विधायकों की अवहेलना इस तरह से होती रहेगी (व्यवधान) पीठ से संरक्षण नहीं मिल रहा है । (व्यवधान) इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपकी जो बात है उसमें आप कोई साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते हैं तो माननीय अध्यक्ष को उनके कक्ष में मिल कर अपने साक्ष्यों से अवगत कराये और माननीय अध्यक्ष जी आपके इस प्रकरण पर पुनर्विचार कर लेंगे । (व्यवधान)

* नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मान्यवर, मैं आग्रह करूंगा अभी माननीय कैलाश नाथ सिंह जी कह रहे थे व्यवस्था के प्रश्न पर व्यवस्था नहीं होती । तो मैं एक बात कहने के लिये खड़ा हुआ हूं, माननीय विधायकों के सम्मान के लिये खड़ा हूं । माननीय अध्यक्ष ने कोई निर्णय दे दिया है उस पर मैं पूरे सदन की तरफ से आपसे आग्रह करूंगा कि अध्यक्ष जी से डा० बृजभान यादव मिले थे उनसे सारी स्थिति स्पष्ट की और जो रिपोर्ट शासन को डी० एम० ने भेजी है और एस० डी० एम० ने भेजी है उन दोनों में विरोधाभास है । सही रिपोर्ट न भेज कर सदन की अवमानना की है । अध्यक्ष को जो सूचना भेजी है उसमें डी० एम० और एस० डी० एम० की रिपोर्ट में भिन्नता है। मैं प्रार्थना करूंगा यहां पर यही होता रहेगा और यदि हम प्रश्न उठायेंगे तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कहेंगे मैंने जी० ओ० भेज दिया है उसमें लिखा है कि विधायकों का सम्मान किया जाय । मान्यवर, यह कोई निजी काम से नहीं गये थे, पब्लिक के काम से गये थे वहां डी० एम० भी मौजूद थे और उनके निर्देशों का पालन न करके कोई मनगढ़ंत कहानी गढ़ ली । अगर वाकई में यह लूटने गये थे तो एस० डी० एम० ने क्या कोई एफ० आई० आर० दर्ज कराई है डा० बृजभान यादव के खिलाफ कि यह कोषागार लूटने आये हुए थे । अगर नहीं कराया तो यह मनगढ़न्त कहानी अधिकारीगण विधायिका के खिलाफ गढ़ रहे हैं, यह पक्की बात है । इससे विधायिका के सम्मान को चोट पहुंचती है । आप सदन की भावना अध्यक्ष महोदय तक पहुंचाने का कष्ट करें कि सदन इस मामले में एकमत है और यह विधायिका के सम्मान के लिये सचेष्ट और जागरूक हैं । हमारी नियमावली में स्पष्ट उल्लेख है कि यदि अध्यक्ष चाहें तो वह ऐसे मामले में सम्बन्धित विधायक या अधिकारी से पूछ सकते हैं उस पर कोई निर्णय करने से पूर्व । मैं अध्यक्ष महोदय से आग्रह करूंगा कि वह इस मामले को पुनर्जीवित करके इस पर पुनर्विचार करके ही आगे कार्यवाही करें ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं सदन की भावना से अध्यक्ष महोदय को अवगत करा दूंगा और अपनी ओर से भी कहूंगा कि वह डा० बृजभान के प्रकरण पर पुनः विचार कर लें ।

अन्य जो नियम 300 की सूचनायें दी गयी थीं, ... (व्यवधान)

(श्री हृदय नारायण दीक्षित का नाम पुकारा गया)

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, नियम 300 में मुझे सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने हृदय नारायण दीक्षित का नाम पुकार लिया है (व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दिनांक 24 अप्रैल, 1992 को श्री मुलेन्द्र सिंह की हत्या के संबंध में सरकार को दिये गये निर्देश का पालन न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

* श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, इस संबंध में मैंने जो सूचना आपके संज्ञान में प्रस्तुत की है वह निश्चित रूप से नियम 300 में आती है । मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि इस सदन में अध्यक्ष पीठ से जो निर्णय लिये जाते हैं, उनका पालन करना भी इस आदरणीय सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा है । मान्यवर, दिनांक 24-4-92 को मैंने एक प्रकरण नियम 311 में यहां उठाया था जिसको नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया था । उसमें मैंने कहा था कि मुलेन्द्र सिंह उर्फ मूले की हत्या किस तरह से कर दी गयी है । इस पर अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया था कि जो सूचना बाबूराम जी ने दी है, इस पर आप कार्यवाही कर लीजियेगा और आगे कहा था कि जिला कलेक्टर और पुलिस कप्तान की जो रिपोर्ट दी गयी है,उसमें जांच करा लें । इसको एक महीना होने जा रहा है । अध्यक्ष जी द्वारा दिये गये साफ-साफ निर्देशों का आज तक पालन नहीं हुआ है ।

मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहता हूं कि वह मैनपुरी का एस० पी० उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा रिश्वतखोर पुलिस अधिकारी है । उसके सामने सरकार भीगी बिल्ली है । सरकार ने निर्देश दिया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली जाये लेकिन आज तक उस एस० पी० ने रिपोर्ट दर्ज करने की कोई चिन्ता नहीं की है । जिसका भाई मारा गया था, उस जगवीर सिंह ने प्रार्थना पत्र रिपोर्ट दर्ज करने के लिये दिया था, उसने जब वहां कहा कि शासन के निर्देश आ गये हैं कि रिपोर्ट दर्ज कर ली जाये तो एस० पी० ने कहा कि आप की रिपोर्ट किसी कीमत पर दर्ज नहीं की जायेगी । तो अध्यक्ष जी ने जो निर्देश दिया उसके बारे में मैं कार्यवाही से बताना चाहता हूं । अध्यक्ष जी ने जब कहा आप सूचना दे दें और जो सूचना बाबूराम जी ने दी है उस पर कार्यवाही करा लें । तो उस पर संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि विधवा की दरख्वास्त, कोई आवेदन पत्र तो मिले । मात्र विधान सभा में कह दिया, तो उसको संज्ञान में लेते हैं लेकिन यह प्रथम सूचना अंकित कराने का आधार नहीं बन सकता है । इस पर मैंने कहा था कि पुलिस कप्तान के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट है, आपको भी एक कागज दिया है । मान्यवर, इसमें आप कह देंगे तो उसकी प्रथम रिपोर्ट दर्ज हो जायेगी । इसके लिये मैं निवेदन कर रहा हूं । जो रिपोर्ट जिला कलेक्टर और पुलिस कप्तान को दी गयी है वह दर्ज हो जाये । उस पर अध्यक्ष जी ने सरकार को निर्देश दिया कि जिला कलेक्टर और पुलिस कप्तान को जो रिपोर्ट दी गयी है उसमें जांच करायी जाए । इस पर श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने साफ तौर से कहा कि ठीक है । आपने निर्देश भी दिया मैनपुरी के पुलिस कप्तान को लेकिन आज तक वह प्रथम सूचना दर्ज नहीं हुई और दूसरी चीज यह है कि 50 हजार की रिश्वत लेकर इस 22 साल के युवक की हत्या कर दी गयी है । मान्यवर, सरकार ने निर्देश दिया कि एफ० आई० आर० दर्ज कर ली जाय लेकिन एस० पी० ने दर्ज नहीं किया । माननीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिये हैं, आदरणीय सदन का सम्मान और गरिमा की बात है लेकिन एस० पी० के सामने यह सदन का निर्देश और संसदीय कार्य मंत्री जी के निर्देशों का एस० पी० ने पालन नहीं किया और यह सदन और मंत्री जी एस० पी० के सामने चुप रहे और उसका आज तक स्पष्टीकरण नहीं लिया गया । इसलिये स्पष्ट निर्देशों का पालन न हो तो यह मामला नियम 300 के अन्तर्गत आता है और इसको आप स्वीकार करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ पुलिस ने कहा कि यह आदमी इनकाउन्टर में मारा गया है । आदरणीय सदन से निर्देश हो गया कि एफ० आई० आर० दर्ज की जाय । उस मृतक के भाई का वर्जन है कि उसका कत्ल हुआ है और पुलिस का वर्जन है कि इनकाउन्टर हुआ है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि स्पष्ट आदेशों के बावजूद भी एफ० आई० आर० दर्ज नहीं की गयी है । मुख्य मंत्री जी ने यहीं सदन में 7-8 तारीख को यहां घोषणा किया था कि पूरे प्रदेश में ऐसा केस नहीं होगा कि कोई एफ० आई० आर० दर्ज न की जाय और मान्यवर, उसी समय अध्यक्ष पीठ के आदेशों का एस० पी० उल्लंघन कर रहा था और एफ० आई० आर० नहीं लिखी जा रही थी । इसलिये मृतक के भाई ने एस० पी० से एफ० आई० आर० दर्ज करने के लिये जो प्रार्थना पत्र दिया था और एफ० आई० आर० नहीं लिखी गयी इसलिये एस० पी० के खिलाफ भी धारा 302 का मुकदमा कायम किया जाना चाहिए यही मेरा आग्रह है इस पर आप व्यवस्था दें ।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, यह सरकार की तरफ से दावा किया जाता है कि कागजों पर अपराध इसलिये बढ़े हैं कि सभी केस दर्ज किये जाते हैं लेकिन इस मामले में अध्यक्ष पीठ से निर्देश हुए और संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया कि टेलेक्स भेज दिया गया है कि एफ० आई० आर० दर्ज की जाय लेकिन स्पष्ट आदेशों के बावजूद एस० पी० ने एफ० आई० आर० दर्ज नहीं की । इस प्रकार अध्यक्ष पीठ और शासन के आदेशों की एस० पी० ने अवहेलना की है । इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस तरह की अधिकारियों की उदासीनता चलती रही तो सदन की गरिमा का कोई महत्व नहीं रह जायेगा । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि मान्यवर, आपको और संसदीय कार्य मंत्री को इसमें कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिए और टेलेक्स भेजा जाय कि एफ० आई० आर० दर्ज की जाय और जिसकी सूचना यहां सदन में दी जाय और आदेशों के अवहेलना के लिये संसदीय कार्य मंत्री को एस० पी० के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह गम्भीर मामला है इसलिये इसमें कार्यवाही सुनिश्चित करके कल तक सदन को अवगत कराया जाय कि आपके आदेशों का पालन हो गया है ।

* वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, जिस बात की ओर श्री बाबू राम यादव और श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया है उस संबंध में मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जहां तक आपके आदेशों का मामला है, मैं उसके विवाद में नहीं जाना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति की हत्या की बात की जा रही है उसका कितना लम्बा चौड़ा आपराधिक इतिहास था । लेकिन जो उसके मारे जाने की सूचना है उसमें मैंने कहा था कि दिखवा लिया जायेगा । मान्यवर, यादव जी ने जो कहा है मैं बताना चाहता हूं कि यदि हम कोई आदेश दे दें और उसका अनुपालन न किया जाय, यह तब समझा जायेगा जब कोई हमसे बात करना

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चाहता है, तो उसकी बात सुनने के बाद हम कोई आदेश देते हैं और उसका अनुपालन नहीं होता है तो वह अवज्ञा है और वह कर्मचारी दण्ड का भागी होगा । माननीय अध्यक्ष जी ने जो निर्देश जारी किये हैं उन पर शासन को पुनर्विचार नहीं करना है । लेकिन मा० अध्यक्ष जी का इस सम्बन्ध में जो निर्णय होगा वह हमें पूरी तरह से शिरोधार्य होगा ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

अध्यक्ष जी ने तो स्पष्ट निर्देश दे दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाये । आपके आदेश का अनुपालन करके संसदीय कार्य मंत्री ने टेलेक्स भेजा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाय । आप सहमत हैं कि माननीय अध्यक्ष के आदेश का अनुपालन माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने किया । उसकी उपेक्षा वह अधिकारी कर रहे हैं जो पुनर्विचार करने की बात कर रहे हैं । जिम्मेदारी आपकी थी कि उस आदेश का अनुपालन कराया जाय । आप माननीय अध्यक्ष के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने तो केवल इतना कहा कि अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देश जारी किये गये । अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी आपसे निवेदन करता है कि इस संबंध में पुनर्विचार किया जाय । यह आपकी इच्छा है कि उसको सुनें या न सुनें । उस पर पुनर्विचार करें या न करें । लेकिन शासन इस बात के लिये पूरी तरह से कमीटेड है कि अध्यक्ष पीठ से जो भी निर्देश दिये जायेंगे हम उनका पालन पूरी तरह से करेंगे ।

* नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मान्यवर, गुप्ता जी तो ऐसे जवाब दे रहे हैं । लग रहा है पहली बार विधान सभा में आये हैं । जब अध्यक्ष पीठ से निर्देश हो गये .....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

एक मिनट सुनिये तो ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

एक मिनट नहीं । पहले मेरी बात सुन लीजिये । आप अपनी बात कहने की जल्दी में रहते हो । अध्यक्ष पीठ से निर्देश हो गया । आपने टेलेक्स भी जारी कर दिया । अब टेलेक्स पर कार्यवाही नहीं हुई तो उसको पूरा करवाने की जिम्मेदारी आप की है, अध्यक्ष की नहीं है । शासन की है । आप कृपया सदन में आश्वासन दे दें कि जो टेलेक्स भेजा गया है, उसका पालन नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ ? उसका पालन करवा दें । बस इतनी सी बात है । उसको विवाद क्यों बना रहे हैं । कल सदन में इसकी सूचना दे दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैंने तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि टेलेक्स गया । उस टेलेक्स के बारे में अगर कोई पुनर्विचार की प्रार्थना करता है तो वह आपकी मर्जी आप सुनें न सुनें । मैं कहना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष के आदेशों का पालन मैं नहीं करूंगा या कर्मचारी नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी । मैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

स्वयं भी ''ब्रीच आफ प्रिविलेज'' का भागीदार होऊंगा । माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार टेलेक्स भेजा गया था । अब उस टेलेक्स के परिप्रेक्ष्य में मुझे जानकारी मिली है कि पुनर्विचार की प्रार्थना की गयी है । पुनर्विचार अध्यक्ष पीठ को करना है । वह जैसा चाहें आदेश देंगे ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं कि किसी अधिकारी ने पुनर्विचार के लिये कहा है । अध्यक्ष जी ने तो उसके बारे में कोई घोषणा नहीं की है, कोई निर्देश नहीं दिया है । जब तक अध्यक्ष कोई दूसरा निर्देश नहीं देते । तब तक यह मानकर कि वह उस पर कोई और आदेश देंगे टेलेक्स पर कार्यवाही नहीं हुई, एफ० आई० आर० दर्ज नहीं कराई गई । यह ठीक नहीं है । अध्यक्ष द्वारा जब तक कोई दूसरा निर्देश नहीं दिया जाता पहले वाला निर्देश ही माना जायेगा । इसलिये आपने जो अध्यक्ष के निर्देशानुसार टेलेक्स भेजा है । उस पर कार्यवाही करवाकर सदन में उसकी सूचना दे दें ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

जो नेता विरोधी दल ने कहा है, मैं उससे पूर्णतया सहमत हूं । अध्यक्ष पीठ से जो निर्देश हुआ था उस पर टेलेक्स जारी किया गया तो एफ० आई० आर० दर्ज होनी चाहिए । बाकी कार्यवाही तो बाद में भी देख सकते हैं । कल सदन में सदन उठने से पहले घोषणा कर दें कि क्या कार्यवाही हुई है ? क्या विधिवत् कार्य हो रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, जो प्रश्न माननीय बाबू राम जी ने नियम 300 के अन्तर्गत उठाया है। 24 अप्रैल को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा निर्देशित किया गया था और शासन द्वारा टेलेक्स भी भेजा गया । टेलेक्स के आधार पर माननीय अध्यक्ष के निर्णय के आधार पर अब तक कार्यवाही का न होना दुखद है । शासन से अपेक्षा की जाती है कि माननीय अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए कल शाम तक इसकी जानकारी सदन को दे दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने स्वयं कहा था कि जो आप कहेंगे उसका अनुपालन किया जायेगा । हमने आपके निर्देशों की अवहेलना की कोई बात नहीं कही, आप जो कहेंगे उसका पालन किया जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

अन्य सूचनायें नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती हैं । बाबूराम जी की सूचना नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती है । इसलिये इसको अस्वीकार किया जाता है ।

(व्यवधान)

विपक्षी सदस्यों के क्षेत्रों के विकास कार्य को रोक दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, इस आदरणीय सदन में हम विपक्ष के विधायकगण सरकार की आलोचना करते हैं विपक्ष का यह कर्तव्य होता है कि जो कार्य सरकार द्वारा सही नहीं किये गये उसकी आलोचना करे और सरकार को सुझाव दे । विपक्ष की तरफ से जो आलोचना की जाती है वह इसलिये की जाती है कि सरकार सही रुख अपनाये, लेकिन मान्यवर, सरकार विपक्ष द्वारा की गयी आलोचना से बहुत क्षुब्ध हो जाती है जिसका मतलब यह होता है कि विपक्ष के कोई माननीय सदस्य जिस किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं, जैसा कि डा० बृजभान जी का मामला अभी आया, अधिकारीगण सरकार की इच्छा का आदर करते हुए विपक्ष के किसी सदस्य को आदर नहीं दे पाते हैं । मान्यवर, मैं संविधान के अनुच्छेद-194 की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । इस विधान सभा में हम जो विचार प्रकट करते हैं उसके संबंध में हम लोगों को निर्वाध आजादी दी गयी है मैं संविधान के अनुच्छेद की 194 की धारा एक पढ़ रहा हूं–''सब्जेक्ट टू दि प्रोविजन्स आफ दिस कांस्टीट्यूशन एंड टू दि रूल्स एंड स्टैंडिंग आर्डर्स रेगुलेटिंग दि प्रोसीजर आफ दि लेजिस्लेचर देयर शैल बी फ्रीडम आफ स्पीच इन दि लेजिस्लेचर आफ एवरी स्टेट'' मान्यवर, फ्रीडम आफ स्पीच है आपकी अनुज्ञा से यह और मिलती है, लेकिन नतीजा यह होता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने मेरी निश्चित जानकारी है कि अपने अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है कि विपक्ष के किसी सदस्य की चिट्ठी विभाग को आये तो उसमें आदेश न करें । अगर यह बात झूठी हो तो,

(शेम-शेम की आवाजे)

मान्यवर, कल सदन होगा सरकार की तरफ से यह बयान इसमें आ जाना चाहिए कि विपक्ष के जितने भी विधायकों ने पत्र लिखे हैं उसमे 80 प्रतिशत में माननीय मुख्य मंत्री जी ने या उनके सचिवालय के अधिकारियों ने क्या कोई आदेश, निर्देश जारी किये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

अगर कोई इस तरह की बात हो तो आप बता दें आप अपना पक्ष ग्राह्यता पर रख रहे हैं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

संविधान में गारंटी है कि मान्यवर, हम यहां पर जो बोलेंगे उस पर मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष के माननीय सदस्य जो पत्र मुख्य मंत्री जी को, माननीय मंत्रियों को लिखते हैं तो 50 फीसदी मंत्रियों और मुख्य मंत्री जी की तरफ से उत्तर नहीं आता । मुख्य मंत्री जी ने कोई आदेश कर रखा है कि उत्तर न दिया जाय । सम्पूर्ण विपक्ष के लोग बैठे हैं, उनके क्षेत्रों में विकास कार्य ठप करवा दिये गये हैं, अधिकारी हम लोगों की बात नहीं सुनते हैं । संसदीय कार्य मंत्री जी विद्वान और लोकतंत्रीय प्रक्रिया के ज्ञाता हैं । जहां जहां लोकतंत्र है वहां विपक्ष की आवाज को महत्व दिया जाता है । मैं स्मरण कराऊंगा कि राजनीति विज्ञान में लास्की बहुत बड़े विद्वान हुए हैं । उनका कहना है कि विपक्ष के 3 प्रमुख कर्तव्य होते हैं पहला टु अपोज द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का विरोध करना, दूसरा टु प्रपोज द गवर्नमेंट, यानी सरकार को सुझाव देना और तीसरा टु डिस्पोज द गवर्नमेंट, यानि सरकार हटाना यह हम करने के लिये तैयार हैं । इस सरकार ने विधायकों के सम्मान का जितना अवमूल्यन किया है उतना किसी और ने नहीं किया । मैं बड़े अदब से आरोप लगा रहा हूं कि विचार अभिव्यक्ति की जो आजादी हमें संविधान और नियमावली के प्राविधानों

के अन्तर्गत मिली है उसका उपयोग करके जब हम अपनी बात कहते हैं तो सरकार को नाराजगी होती है । आज विपक्ष के विधायकों पर हमले हो रहे हैं वह इसलिये हो रहे हैं कि हम लोगों की स्वस्थ आलोचना को सरकार सुनना नहीं पसंद करती है । दूसरी तरफ पुलिस कप्तान, कलेक्टर, आदि को कहा गया है कि विपक्ष के विधायक जो लिखकर भेजें उसको संज्ञान में न लिया जाय । संसदीय कार्य मंत्री अभी मेरी बातों का मीठा-मीठा उत्तर दे देंगे कि ऐसी बात नहीं है लेकिन मैं आपसे आशा करता हूं कि आप सरकार को निर्देशित करेंगे कि विधायकों के सम्मान को सुनिश्चित किया जाय । मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

* वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, दीक्षित जी ने संविधान की धाराओं का उपयोग करके वाक् स्वातंत्र्य का पूरा-पूरा उपयोग किया । इतिहास इस बात का साक्षी है कि इस विधान सभा में जितना कुछ सुना गया है, अलग-अलग सूचनाओं के माध्यम से उतना कभी नहीं सुना गया । बहुत दिनों से मुझे इस आदरणीय सदन की सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है । हमने देखा है कि उत्तेजना के बीच पूरा-पूरा बजट पास करा लिया जाता था । आपके कृपा पूर्ण सहयोग से अबकी वैसा नहीं हुआ । आपने कहा कि एक भी पत्र का जवाब नहीं दिया गया और बाद में आपने कहा, आप 50 फीसदी पर आ गये । मैंने आपकी सूचना पढ़ी, अगर आपने कोई विशिष्ट मामले के बारे में लिखा होता तो उसका परीक्षण करवा कर उसका जवाब दिया जाता । मैंने प्रयास किया है, बहुत से माननीय सदस्य नये हैं जिनको इस बात की जानकारी नहीं है कि उनके क्या-क्या अधिकार हैं । समय-समय पर जो अनेकों राजाज्ञायें जारी हुई हैं उन सबका संकलन कराकर वितरित करने की योजना हम बना रहे हैं ताकि आपको सारी बातों की जानकारी हो सके । माननीय सदस्यों की बातों को पूरा सम्मान दिया जाता है । माननीय मुख्य मंत्री का पूरा प्रयास रहता है कि विधायकों के पत्रों पर पूरी कार्यवाही की जाय । अगर आप कोई विशिष्ट मामला दर्शाते तो मैं उसके बारे में जांच करवाता । यह आपने जो सूचना दी है यह न नियम 300 में आती है और न इस पर चर्चा की आवश्यकता है । अनेकों बार इस संबंध में सैद्धांतिक रूप से चर्चा हो चुकी है। माननीय दीक्षित जी ने हमारा मार्गदर्शन किया, हमें चेतावनी दी । उनके मार्गदर्शन और उनकी चेतावनी से सदैव हमने लाभान्वित होने का प्रयास किया है, आज भी आभारी हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्नगत प्रकरण नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता, इसलिये अग्राह्य किया जाता है ।

भ्रष्ट अधिकारियों को उनके आचरण के लिये दण्डित किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

* श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, यह सदन जो है, वह विधायिका का कार्यक्षेत्र है और विधायिका की कार्य संचालन की प्रक्रिया प्रायः नियमों से संचालित होती है । मान्यवर, कभी-कभी ऐसे अवसर आते हैं जब हम कोई भ्रष्ट आचरण और भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच कराते हैं तो दो तरीके होते हैं । एक तो मंत्री से कह कर जांच करा सकते हैं और उसके बाद यहां पर सदन के संज्ञान में लाते हैं । आगरा में एक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अधिशासी अभियन्ता हैं, उनके खिलाफ मैंने शिकायत की थी । वे लोअर खण्ड, आगरा नहर, आगरा के अधिशासी अभियन्ता हैं । उनके खिलाफ फसली संवत् 1396 में 15000 एकड़ जिन्स बदल कर फर्जी सींच लिखवाने तथा करीब 80 लाख रुपये की देनदारियां फर्जी रूप से सृजित करने की शिकायत की थी । प्रकरण बाकायदा स्पष्ट था और प्रमाण संलग्न था । यह शिकायत विभिन्न पत्रों के माध्यम से की गयी जिनका हवाला मैंने नोटिस में दिया है । दिनांक 16-2-90, 1-3-90, 30-4-90 और 12-9-91 को मैंने पत्र लिखे । ये लगभग 2 साल पहले की शिकायतें हैं और उसके बाद मान्यवर, जब उत्तर दिया गया उसमें उस अधिकारी के खिलाफ कोई जांच करना तो दूर रहा, जांच के ऊपर रिपोर्ट अलग बात रही, उसमें मैंने एक बात साफ रूप से देखी । मैंने प्रश्न किया था कि क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोअर खण्ड, आगरा नहर, आगरा के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के दिनांक 30-4-1990 के संदर्भ में सचिव, मुख्य मंत्री द्वारा प्रश्नकर्ता की अभिसूचनार्थ लिखे गये पत्र संख्या सी० एम० वि० को० एम०-3/28-58/90-आ० दिनांक 25-5-90 के संदर्भ में कोई कार्यवाही हुई अथवा नहीं ? इसका मान्यवर, उत्तर दिया जा रहा है कि प्रश्नकर्ता सदस्य के संदर्भित शिकायती पत्र दिनांक 30-4-90 में उल्लिखित आरोपों की प्रारम्भिक जांच प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ से प्राप्त हो गयी है जिसका परीक्षण किया जा रहा है । तो यह परीक्षण रिपोर्ट लम्बित है । भ्रष्टाचार का कोई ऐसा मामला नहीं है जिसको इस अधिकारी ने छोड़ दिया हो । वहां पर फर्जी सींच लिखवाने तथा करीब 80 लाख रुपये की देनदारियां सृजित करने के बारे में 4-4 पत्र स्पष्ट रूप से लिखे हैं, फिर भी उस अधिकारी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है । मुझे दुख है कि उस अधिकारी के खिलाफ जांच चल रही है और उसको प्रोन्नति देने की तैयारी की जा रही है ।

मान्यवर, जब विधान सभा में उठाये गये प्रश्नों के बाद भी निहित कार्यवाही सम्भव नहीं होगी तो भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ेगा और विधायिका की शक्ति कार्यपालिका के सामने क्षीण हो जायगी । इसलिये कहना चाहता हूं कि यह भ्रष्टतम अधिकारी है । चार साल से अधिक समय हो गया है । सिंचाई विभाग की सारी रकमें, अगस्त मुनि को तो समुद्र को पीने में 2-4 महीने लगे होंगे, यह एक ही महीने में पी गया । वहां पर नहरों की व्यवस्था बेकार हो गयी है और यह अधिकारी बराबर 4-5 साल से भ्रष्टाचार में लिप्त है । इसमें मेरी स्पष्ट शिकायतों के बावजूद कार्यवाही नहीं की गयी । मैं संसदीय कार्य मंत्री के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप बतावें कि हम लोगों को, इस सम्मानित सदन का सदस्य होने के नाते, दूसरा क्या तरीका है जिसके माध्यम से ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को भ्रष्टाचार के लिये दण्डित कराने की कार्यवाही कर सकें ।

* वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, माननीय गणा जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण और तर्कसंगत बात कही और एक उच्च स्तर का मामला उठाया । जांच हुई दो साल पहले । दो वर्ष पहले क्या हुआ, वह अलग है, हमने जो कर दिया है उसकी जानकारी प्राप्त करने की कृपा करें । दो बिन्दुओं पर शिकायत की । एक तो यह कि फसली सम्वत् 1396 में 15000 एकड़ जिन्स बदल कर फर्जी सींच की थी और दूसरे 80 लाख रुपये की फर्जी देनदारियां कर दी थीं । उस समय जो जांच के आदेश जारी किये गये थे, हम आप जानते हैं कि यह जो फर्जी मामला है । मान्यवर, यह जो नान-टेक्निकल टाइप का है, प्राविधिक है, तो इसमें टी० ए० सी० क्या करेगी । तो मान्यवर, प्रथम दृष्ट्या आरोप सही पाया गया । अब दूसरे आरोप के संबंध में यह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बात सही पायी गयी कि 80 लाख के बजाय 50.85 की देनदारी साबित हो गयी । इसके बाद उनके खिलाफ कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया और उनका वहां से ट्रांसफर कर दिया गया और उनकी चरित्र पंजिका में निन्दा प्रविष्टि कर दी गयी । आपका पूरा समाधान कार्यवाही से हो जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्नगत मामला नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है, इसलिये इसे निरस्त किया जाता है ।

नजूल भूमि से सम्बन्धित पट्टों पर मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये भाषण के संबंध में औचित्य का प्रश्न

* श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने 8-5-92 को अपने आवास के बजट भाषण में कहा था कि जिन लोगों ने बिना पट्टे के नजूल की भूमि में कब्जा कर लिया है, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी । इस संबंध में मैंने अपने भाषण में माननीय मंत्री जी से जो बात पूछा था, उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, उसमें बात यह थी कि बांदा नगर में मोहल्ला खाईपार व अन्य मोहल्लों में जहां अनुसूचित जाति के व गरीब लोग निवास करते हैं, जो लगभग बांदा की कुल आबादी का 60 प्रतिशत हैं, इन लोगों ने नजूल की भूमि में अपना मकान बनवा लिया है और निवास कर रहे हैं । ये लोग दस वर्ष से लेकर तीस वर्षों से निवास कर रहे हैं व भवन कर नगरपालिका बांदा को बराबर अदा कर रहे हैं । मान्यवर, इनके पट्टे करने के आदेश 1971 में पारित किये गये थे, इसके बाद आश्वासन समिति 1987 में माननीय रघुबर दयाल वर्मा की अध्यक्षता में मौके का निरीक्षण करने गयी, जिसने यह आख्या दिया कि इन मकानों के तत्काल पट्टे कर दिये जायं । इसके बाद शासनादेश पुनः पारित किये गये कि इन भवनों के पट्टे कर दिये जायं । ये नजूल भूमि के मकान उचित नजराना देने को भी तैयार हैं, परन्तु इनके आज तक पट्टे नहीं किये गये । अतः माननीय संसदीय कार्य मंत्री या अन्य संबंधित मंत्री जी इस संबंध में घोषणा करें कि इन नजूल भूमि में बने मकानों के पट्टे अमुक तारीख तक कर दिये जायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है, इसलिये इसे निरस्त करता हूं ।

नियम 300 के अन्तर्गत जो अन्य सूचनायें थीं, उनको अग्राह्य कर दिया गया है ।

[समय 2.00 बजे]

कतिपय अधिकारियों द्वारा जनता को परेशान किये जाने का मामला उठाने का प्रयास

* श्री जागेश्वर प्रसाद–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जब श्री राम चन्द्र जी ने आशीर्वाद दिया है, तो यह कमजोर क्यों है ? जनता दल की हुकूमत जब वी० पी० सिंह की अगुवाई में थी, तो जो गरीबों पर अत्याचार होता था, वह खत्म हो गया था और गरीब जनता चैन की वंशी बजाती थी, उसको न कोई सताता था और न पुलिस उनको परेशान करती थी । मान्यवर, बीसों साल से मकान बने हुए हैं, ग्राम समाज की जमीन पर बने हुए हैं, उनको निकाला जा रहा है और उनके

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

खिलाफ कार्यवाही की जा रही है और उनको परेशान किया जा रहा है, तो क्या सरकार कमजोर है, क्या वह अपने अधिकारियों को निर्देश देगी कि उनको परेशान न किया जाये और उनका सर्वे करा कर जो गरीबों के मकान हैं, उनको न गिराया जाये । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि रहमतपुर में आग लग गयी है, 48 घर जल गये हैं और 6 आदमी मर गये हैं उनको 50-50 हजार रुपया मुख्य मंत्री कोष से दिलाया जाये । छत्रपाल वर्मा और अभिमन्यु सिंह के क्षेत्र में 3 आदमी मर गये हैं उनको भी 50-50 हजार रुपया मुख्य मंत्री कोष से दिलाया जाये । तमाही में काफी घर जल गये हैं और खलिहान जल गये हैं, उनको सहायता दी जाये और कतारिया मे आग लग गयी है, उनको भी सहायता दी जाये ।

जनपद हरदोई के मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में याचिका+

श्री विश्वनाथ–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद हरदोई के मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में श्री राम रूप वर्मा, प्रधान सेलापुर आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

जनपद हरदोई के मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र की तहसील बिलग्राम में विद्युत लाइनों का जीर्णोद्धार कराये जाने के संबंध में याचिका +

श्री विश्वनाथ–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद हरदोई के मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र की तहसील बिलग्राम के अन्तर्गत जलालपुर विद्युत लाइन व मल्लावां सब स्टेशन से सम्बन्धित सभी लाइनों का जीर्णोद्धार एवं अधूरे निर्माण को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम रूप वर्मा, प्रधान, सेलापुर आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, हमारा इतना तो अधिकार बनता ही है कि व्यवस्था का प्रश्न उठा सकूं । मान्यवर, मैंने नियम 278 के अन्तर्गत प्रश्न उठाया था ।

श्री उपाध्यक्ष-

आपने जो सूचना दी थी, उसके बारे में माननीय अध्यक्ष का निर्णय हो गया है और उस पर आपको सुनने का कोई औचित्य नहीं है । आप कृपया बैठें ।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, उस निर्णय को ही बता दें । क्या मंत्री को अपराधी रहने का अधिकार है, अगर है तो मैं बैठ जाऊं ।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 311 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया है ।

+ छापी नहीं गयी ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, मैंने अभी माननीय अध्यक्ष जी के सामने एक प्रकरण उठाया था, तो उन्होंने कहा था कि नियम 300 की सूचनाओं को सुनने के बाद अवसर दिया जायेगा । अब नियम 300 की सूचनायें समाप्त हो गयी हैं, मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया जाये । मान्यवर, जनपद देवरिया में दीप लाल भारती विधायक हैं, वह सत्ता पक्ष के हैं और इस समय भी सदन में बैठे हैं । उनके घर पर चोरी हुई और उसी संदर्भ में जब वह पुलिस अधीक्षक, देवरिया से मिले तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उनको अपमानित किया गया । वह सदन में बैठे हैं, उनको सुन लिया जाये वह बतायेंगे कि पूरी घटना क्या है । उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है, वह रो रहे थे, उनको अपमानित किया गया है, वह अपनी बात को कहना चाहते हैं और माननीय अध्यक्ष जी ने उनकी बात को सुनने की अनुमति दे दी है । इसलिये मैं चाहता हूं कि आप उनको सुन लें ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं इतना ही जानना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष जी का निर्णय क्या है ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मोहम्मद आजम खां, आप बैठ जाइये ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, बड़ा गम्भीर मसला है, उनके साथ एस० पी० ने अभद्र व्यवहार किया है, उनके घर डकैती पड़ी और उसी के सिलसिले में वह मिलने गये थे ।

* श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय सदस्य उपस्थित हैं, उनको आप सुन लें ।

*नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मान्यवर, माननीय दीप लाल भारती इस सदन में उपस्थित हैं उनको आप सुन लें । यह सरकार विधायकों को अपमानित करा रही है । उनको बहुत प्रताड़ित किया गया है, उनकी बात को आप सुन लें, वह अपनी बात कहना चाहते हैं । दीप लाल भारती जी स्वयं इस सदन में बताना चाहते हैं । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि दीप लाल भारती को सुन लें ।

*श्री दीप लाल भारती–

मान्यवर, 29 जनवरी को मेरे यहां चोरी हुई और उसकी एफ० आई० आर० हुई, मैं स्वयं इस मामले में एस० पी० से मिला, एस० पी० ने कोई कार्यवाही करने से इन्कार कर दिया । मेरे क्षेत्र में ऐसी फर्जी संस्थायें खुली हुई हैं जिसमें हजारों बेरोजगारों से एक हजार से दस हजार रुपये तक वसूले जा रहे हैं उनको मैंने पकड़वाया, एस० पी० से मिला लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई बल्कि इस तरह से अपमानित करके बाहर निकाला गया चूंकि वह सदन में कहने लायक बात नहीं है मैं इतना कहूंगा कि मुझे अपमानित किया गया और मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया गया ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, अब तो इस सरकार को [x x x] । इनके सत्तारूढ़ दल के विधायक के साथ यह हुआ है अब तो नैतिकता के आधार पर इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रमोद तिवारी जी, आपने कुवां इतना गहरा नहीं खोदा है जिसमें कोई डूब सके ।

श्री प्रमोद तिवारी–

कुवें में तो [x x x] इस सरकार के लिये तो [x x x] काफी है ।

* वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, जिस किस्म की बात में माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया है उसमें मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि इसमे कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, निश्चित रूप से इन बेचारों का दोष इतना है कि वह कमजोर तबके के विधायक हैं वहां इनको नहीं सुना जा रहा है । मान्यवर, इसमें इतना कह दें कि आप यह बता दें कि कल शाम तक सदन उठने से पहले कि क्या कार्यवाही की गयी है जिसने सम्मानित विधायक को अपमानित किया है इसकी सूचना हमको न दें, आप ही को दे दें ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, वह गोपाल गुप्ता, एस० पी०, जनपद देवरिया किसी माननीय मंत्री को अपना रिश्तेदार कहता है इसलिये इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है ।

श्री विजय पाल सिंह तोमर–

मान्यवर, नियम 311 के अन्तर्गत हमने एक सूचना दी थी ।

श्री उपाध्यक्ष–

311 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं को अब मैं ले रहा हूं, कृपया बैठ जायं इसमें जिस तरह का भी निर्णय हुआ है वह आपके सामने आ जायेगा ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आज तक यह परम्परा रही है कि माननीय अध्यक्ष पीठ से माननीय सदस्यों के द्वारा दी गयी किसी भी सूचना पर, कोई भी निर्णय अध्यक्ष पीठ से होता है तो उस सूचना के निर्णय को सदन में दे दिया जाता है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि कोई सूचना अगर सदस्य देते हैं अध्यक्ष पीठ को और उस पर कोई अध्यक्ष पीठ का निर्णय होता है तो उसकी सूचना सदन में दी जाती है और यह निर्णय हो गया है अध्यक्ष पीठ से, माननीय आजम खां के मामले में कोई निर्णय अध्यक्ष पीठ से हुआ है तो उसकी सदन में सूचना दे दें कि इस पर माननीय अध्यक्ष ने क्या निर्णय लिया ।

श्री उपाध्यक्ष–

उसका अभी परीक्षण हो रहा है ।

नोट :– [x x x] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

आपके अब इस द्विभाषी विचार के लिये आवश्यक हो जाता है कि आजम साहब ने जो दिया है उस पर आप इनको सुन लीजिये ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

उसमें मैंने निर्णय की बात कही थी वह गैर जानकारी में मेरे मुंह से बात निकल गयी थी । माननीय आजम खां की जो सूचना है, उसका परीक्षण हो रहा है । चूंकि परीक्षण में है, इसलिये इस पर सुनने का कोई औचित्य नहीं बनता है । जहां तक निर्णय की बात है, माननीय अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी थी कि प्रेस में नहीं छपेगा ।

आज दिनांक 12 मई, 1992 को नियम 311 के अन्तर्गत प्राप्त सभी सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है । इस प्रकार नियम 56 के अन्तर्गत कुल 47 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित 10 सूचनायें चयनित की गयीं ।

पहली सूचना श्री फरीद महफूज किदवई और श्री प्रमोद तिवारी की प्रदेश में बढ़ती सी० आई० ए० की गतिविधियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

दूसरी सूचना कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री महेन्द्र सिंह भाटी, श्री दिनेश चन्द्र सोनकर, श्री हरिवंश सहाय, श्री नरेन्द्र सिंह भाटी तथा श्री स्वामी नाथ यादव की जनपद गोरखपुर के किसान पूर्व माध्यमिक विद्यालय, बरगदही में कथित रूप से व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है ।

तीसरी सूचना श्री महेन्द्र सिंह भाटी एवं श्री नरेन्द्र सिंह भाटी की जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत नोएडा में कश्मीर से आये विस्थापित परिवारों की दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में है ।

चौथी सूचना श्री ज्वाला प्रसाद यादव, श्री किशोरी लाल यादव तथा श्री राजनारायण बिन्द की जनपद जौनपुर के पुलिस अधीक्षक द्वारा कथित रूप से किये जा रहे पक्षपातपूर्ण रवैये से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

पांचवीं सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी, श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय, श्री मो० वसीम, श्री बंशीधर राज, श्री गंगा बक्श सिंह, श्री भगौती सिंह विशारद, श्री विजय कुमार त्रिपाठी, श्री भोला शंकर मौर्य, श्री मिही लाल, श्री सुधीर राय, श्री रामकृष्ण, श्री श्याम सुन्दर शर्मा, श्रीमती पद्मा सेठ, श्री राम सिंह, श्री शिवदर्शन, श्री गोपीनाथ दीक्षित, कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री प्रमोद तिवारी, श्री हृदय नारायण, श्री हरेन्द्र सिंह, श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री विजय सिंह राणा, श्री विजय पाल सिंह, श्री किशोरी लाल यादव, श्री पूरन प्रकाश, श्री श्याद अली, श्री सुरेश प्रताप गांधी, श्री विजय सिंह राणा तथा श्री दलवीर सिंह की है । ये 5 सूचनायें हैं .....

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । एक दिन में नियम 56 की सूचनायें एक सदस्य द्वारा दो नहीं दी जा सकती हैं ।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, इनको नियमों की जानकारी ही नहीं है । नियम 311 में कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, श्री रवीन्द्र शुक्ल जी को नियमों का ज्ञान करा दीजिये । नियम 311 में जो सूचनायें मांगी गयी थीं वे नियम 56 में परिवर्तित कर दी गयी हैं । माननीय अध्यक्ष ने जो स्वीकार कर दिया है, वह विवेकशील व्यक्ति हैं, उन्हीं के निर्णय को चुनौती दे रहे हैं, यह उचित नहीं है ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मैं चुनौती नहीं दे रहा हूं, मैं तो ध्यान आकर्षित कर रहा हूं ।

(व्यवधान)

एक सदस्य–

मान्यवर, जो इसके बाद की पांच सूचनायें हैं उनको भी सुना दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

उनके बारे में निर्णय बाद में सुना दूंगा । पांचवीं सूचना का विषय मैं नहीं कह पाया था, वह इस प्रकार है–सम्पूर्ण प्रदेश में पानी और बिजली की समस्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, कृषकों से जबरन वसूली हो रही है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठ जायं, मैंने किदवई जी को बुला लिया है ।

श्री फरीद महफूज किदवई–

मान्यवर, जब से यह सरकार आई है तब से प्रदेश में सी० आई० ए० की गतिविधियां बढ़ गयी हैं । हमारे प्रदेश में जितने संवेदनशील क्षेत्र हैं मान्यवर, उसमें सी० आई० ए० के एजेन्ट एक्टिव हैं लगातार आ जा रहे हैं 9 अप्रैल, 92 को अमेरिकन दूतावास के एक वरिष्ठ अधिकारी जो फर्स्ट–सेक्रेटरी हैं, लखनऊ आये और लखनऊ आने के बाद वह क्लॉक्स अवध में फर्जी नाम से ठहरे । प्रोटोकाल के हिसाब से जब भी कोई दूतावास का आदमी या फर्स्ट सेक्रेटरी या अम्बेस्डर स्टेट में आता है तो उसे राज्य अतिथि की सुविधा दी जाती है, उसे किसी राज्य के अतिथि के गृह में ठहराया जाता है उसके साथ वरिष्ठ अधिकारी और इंटेलीजेंस के आदमी रहेंगे, ताकि उनकी गतिविधियों का ध्यान रखा जा सके । 9 अप्रैल को जब अमेरिकन दूतावास का अधिकारी लखनऊ में फर्जी नाम से क्लॉक्स अवध में ठहरे नाम भी बता देता हूं दिनेश नाम से ठहरे, वह अयोध्या गये, फैजाबाद गये वे संवेदनशील क्षेत्र हैं वहां दिन भर रहे लोगों से मिले और वहां के पुलिस के अधिकारियों और डी० एम० को इनकी कोई सूचना नहीं थी दिन भर वे किन से मिले क्या बातें हुई इसकी कोई सूचना प्रदेश सरकार के पास नहीं होगी यह बड़ा गम्भीर विषय है । यह सी० आई० ए० हमेशा हिन्दुस्तान के खिलाफ रहते हैं, अमेरिका हमारे खिलाफ रहता है । उनकी सोच हमारी सोच से नहीं मिलती है । हां, यह जरूर है कि भा० ज० पा० सरकार और भा० ज० पा० की सोच और अमेरिका की सोच एक है इनकी दोस्ती कोई नयी नहीं है । या अमेरिका से दोस्ती है या अमेरिका का दबाव है इन दोनों चीजों की वजह से यह सरकार प्रदेश

में अमेरिकन दूतावास के लोगों को चोरी छिपे आने जाने दे रही है । वे चोरी छिपे सबसे मिल रहे हैं किस से मिल रहे हैं आया वह देश प्रदेश के हित में है या नहीं, यह देश के हितों के खिलाफ है, इस चीज की हमें कोई जानकारी नहीं है । प्रोटोकाल के हिसाब से मान्यवर, जब कोई बाहर का अधिकारी हमारे प्रदेश में आयेगा तो उसे राज्य अतिथि मानते हुए उसे राज्य अतिथि गृह में ठहराया जाता है, वे वहां क्लॉक्स अवध में क्यों ठहरे । वे लखनऊ में मंत्रियों से मिले, माननीय गुप्ता जी से वे मिले या नहीं, बहुत से मंत्रियों से मिले ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आपसे मिले कि नहीं ।

श्री फरीद महफूज किदवई–

अगर वे मुझसे मिले होते तो मैंने उनसे पहले पूछा होता कि मुझसे मिल रहे हो आप राज्य अतिथि हो मान्यवर यह बहुत ही गम्भीर सवाल है । एक विदेशी सी०आई०ए० का एजेन्ट हो सकता है । अमेरिकन जो हिस्ट्री है उनकी जो विदेश नीति रही है, वह सदैव भारत के खिलाफ रही है वह किसी तरह से भारत के लिए सही नहीं हो रहा है, वह भारत के खिलाफ हो रहा है तो ऐसे लोग संवेदनशील इलाके में आते हैं, आपकी जानकारी में आना चाहिए था, तो यह क्यों नहीं आया । यह चोरी-छिपे आकर अयोध्या में क्यों गये और किन लोगों से मिले । अगर उनके आने की सूचना नहीं थी तो आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए था, सेन्ट्रल गर्वनमेंट से कि हमें क्यों नहीं बताया गया और अगर आपको मालूम था तो बगैर इन्टेलीजेन्स के आदमी को लिये अयोध्या क्यों जाने दिया, मैं चाहूंगा कि इस विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायें ।

(माननीय प्रमोद तिवारी जी के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय प्रमोद तिवारी जी कृपया मेरी बात सुन लें । जो सूचनाएं दी गयी हैं इनमें से एक माननीय सदस्य एक ही सूचना पर अपने विचार व्यक्त कर सकता है मैं एक बार ही सुनूंगा आप चाहे इस पर बोल लें या फिर अगली सूचना पर बोल लें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, इस प्रक्रिया को आप कल तक के लिए टाल दें । मैं कल से इस प्रक्रिया का पालन करूंगा ।

मान्यवर, यह बड़ा ही संवेदनशील मामला है । आज पूरे देश में सी० आई० ए० की गतिविधियां बढ़ रही हैं और खास तौर से एशिया महाद्वीप में इनकी रुचि बढ़ रही है और जिस तरह से इनकी यहां पर रुचि बढ़ रही है उससे एक बड़ा गम्भीर प्रश्न पैदा हो गया है । मान्यवर, इसके दो पहलू हैं एक तो यह है कि ये क्या सूचना लेकर आये थे इनके आने का क्या मन्तव्य था । दूसरा मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि वह जिन लोगों से मिले, सत्ता पक्ष के लोगों से मिले, सरकार के मंत्रियों से मिले कोई आपत्ति जनक बात नहीं हो सकती है लेकिन एक संगठन जो खासतौर से साम्प्रदायिकता फैलाकर अव्यवस्था उत्पन्न करना चाहता है, आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहता है ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति आया और लोगों से मिला और फर्जी नाम से होटल में ठहरा तो निश्चितरूप से इनका आने का उद्देश्य किसी भी

प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता है । मैं चाहूंगा कि सरकार इस सम्बन्ध में अपना पक्ष रखे और यह भी अनुरोध करूंगा कि वह केन्द्र सरकार को अवश्य लिखे कि जो लोग आयें उसकी पूर्व सूचना अवश्य दे दें । मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में अजीब सी स्थिति हो गयी है, यहां साम्प्रदायिकता का माहौल बन गया है जनता को यह स्वयं मालूम नहीं है कि कब कहां किस समय दंगे हो जायें तो मैं चाहूंगा कि वह अगर सरकार के मंत्रियों से मिला है तो इस बात को आम किया जाये और लोगों को बताया जाय कि यह जो फर्स्ट सेक्रेटरी आया उनकी उनसे क्या बात हुई यह उसका स्पष्टीकरण दें । मान्यवर, प्रदेश की जनता यह जानना चाहती है कि क्या सी० आई० ए० के इशारे पर साम्प्रदायिकता का माहौल बनाकर यह सरकार इस प्रदेश को खंडित करने का प्रयास तो नहीं कर रही है। उसकी प्रदेश के मंत्रियों के साथ क्या वार्ता हुई इसको उजागर करने की आवश्यकता है । एक बात और कहना चाहूंगा कि यह एक अति संवेदनशील विषय है और इसमें जरूरी है कि यह सरकार लापरवाही न बरते । एक अनुरोध वह भारत सरकार से कर ले कि भविष्य में जब कभी भी कोई इस तरह का व्यक्ति आये तो पूर्व सूचना दी जाये । उनसे क्या वार्ता हुई है और उनका दृष्टिकोण क्या है और उनका पूर्व इतिहास क्या है, क्या उनका सी० आई० ए० से कोई सम्बन्ध तो नहीं है ? एक बात और कहना चाहता हूं कि क्या इस सरकार का और सी० आई ए० का कोई सम्बन्ध तो नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय प्रमोद तिवारी जी ने बड़ी ही वाकचातुर्य से घुमा फिरा कर अपनी बात कही । मैं उनसे जानना चाहूंगा कि भारत सरकार से और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से हमारा दोस्ताना सम्बन्ध नहीं है।

(श्री फरीद महफूज किदवई द्वारा अपने स्थान पर बैठे-बैठे यह कहने पर "हमारे संबंध पाकिस्तान से भी तो हैं")

हां, हमारे उनके साथ भी संबंध हैं । तो मान्यवर, उन्होंने सी०आई०ए० का एजेन्ट कहा । वह जो यहां आये थे, उनमें एक श्री टैन मोजेना अमेरिकन दूतावास, नई दिल्ली के अधिकारी थे, डिप्लोमेटिक कार्ड नम्बर डी-2651 था । इनके साथ श्री दिनेश दुबे नाम के एक अन्य व्यक्ति भी आये थे । इस सबकी जानकारी फैजाबाद के जिलाधिकारी को नहीं थी और एक दिन रहकर वह लोग अगले दिन चले भी गये । जहां तक सी०आई०ए० एजेन्ट समझने का मामला है...

श्री प्रमोद तिवारी—

यह नहीं कहा गया कि वह सी०आई०ए० के एजेन्ट थे, यह जरूर शंका प्रकट की गयी कि उनका संबंध सी०आई०ए० से हो सकता है, क्योंकि इस संबंध में स्पष्टीकरण दे दें । मान्यवर, यह शंका इसलिये भी होती है, भारत सरकार ने अमेरिका की शर्तों के सामने घुटने टेकने से इन्कार कर दिया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं इस संबंध में बहुत संभलकर बात कहना चाहता हूं । हमारे आपके राजनीतिक विभेद कोई भी हों, लेकिन जहां तक विदेश का ताल्लुक है, इस परिपाटी को तोड़कर, राजनीतिक दलों के घरौंदों को तोड़कर भारत के पक्ष को प्रस्तुत किया गया है । मैं अमेरिका के बारे में कोई शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता, जिसके कारण हमारे संबंधों में कोई बात पैदा हो । मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि वह अमरीकन दूतावास के अधिकारी थे, उनके आने की जानकारी फैजाबाद में नहीं थी । बाकी जो तथ्य हैं, उनकी जानकारी प्राप्त की जा रही है । जो जानकारी हमारे पास थी, वह मैंने बताई । साम्प्रदायिक

सद्भाव बिगाड़ने, उत्तेजना फैलाने आदि जो आरोप लगाये गये हैं, हालांकि किसी पार्टी का नाम नहीं लिया गया । इसलिये उसका जवाब देना मैं आवश्यक नहीं समझता .....

श्री प्रमोद तिवारी–

चोर की दाढ़ी में तिनका

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, हर आदमी को अपनी गतिविधियों के बारे में ज्यादा अच्छी जानकारी होती है और यह अपनी पार्टी के बारे में ज्यादा अच्छी जानकारी रखते हैं, जिस नाते उन्होंने प्रतिपादित करके सदन को जानकारी दी, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता । जहां तक मंत्रियों से मिलने का ताल्लुक है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

वह प्रदेश सरकार को सूचना देकर आये थे या नहीं ?

श्री फरीद महफूज किदवई–

मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं कि जैसा मंत्री जी ने अभी बताया कि वह फैजाबाद चले गये और बिना बताये चले गये । यह बात एक दूतावास के आदमी के लिये बहुत गम्भीर बात है । एक शहर से दूसरे शहर चले जायें, यह नियम विरुद्ध है । कोई व्यक्ति लखनऊ के बाहर, बिना बताये चला जाय, यह तो गलत है । हालांकि आप इसमें कुछ कर तो नहीं सकते, मजबूरी है, लेकिन क्या अमरीकन दूतावास से इस संबंध में आप प्रोटेस्ट करेंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो जानकारी मिली, उस संबंध में पूरी चीजों के बारे में परीक्षण कराया जा रहा है । सारी बातों को तो प्रमोद तिवारी जी ने भी समझ लिया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इसे नियम 56 के अन्तर्गत अग्राह्य करता हूं । अगली सूचना जनपद गोरखपुर के किसान पूर्व माध्यमिक विद्यालय, बरगदही में कथित रूप से व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में हैं ।

श्री फरीद महफूज किदवई–

मान्यवर, मैं इसके विरोध में सदन से बहिर्गमन करता हूं ।

(माननीय सदस्य सदन छोड़कर चले गये)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय सदस्य वाक आउट करके गये हैं, दल के लोगों ने डिसओन कर दिया है ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, प्रकरण छोटी जगह से शुरू होता है, लेकिन इसका स्वरूप बहुत बड़ा है कि कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है । मैं सीधे अपनी बात कहना चाहता हूं । इस तरह प्रश्नों को दबा-दबाकर यदि आप व्यवस्था चलायेंगे तो निश्चत है कि आप अपने विभाग के भ्रष्टाचार को कतई दूर नहीं कर पावेंगे .....

मान्यवर, मामला यह है कि एक विद्यालय है, जिसका नाम किसान पूर्व माध्यमिक विद्यालय, बरगदही, जनपद गोरखपुर है । इसमें एक लिपिक के पद को लेकर मामला शुरू होता है । वह इस विद्यालय में कार्यरत था । जब यह विद्यालय अनुदान सूची में आया तो उस समय प्रधानाध्यापक के एक सगे भाई थे और वह अप्रशिक्षित थे । उनको इस तरह से एडजेस्ट कर लिया कि मानक के आधार पर एक अध्यापक अधिक हो रहा था । उसे खपाने के लिए उस लिपिक को हटा दिया गया । बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा न न्याय दिया गया और उस लिपिक को कार्यरत मानते हुए उसे विधि सम्मत मान्य लिपिक घोषित कर दिया गया । इसकी जांच केवल विभाग द्वारा ही नहीं अपितु जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा भी की गई । जिलाधिकारी ने अपनी जांच आख्या 28-2-1992 को श्री करनैल सिंह, प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग व श्री एल० पी० पाण्डेय, शिक्षा निदेशक (बेसिक) को दे दी है । मैं यह चाहता हूं कि जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा उस विद्यालय के प्रकरण के संबंध में जो जांच आख्या दी गई है, वह सदन के पटल पर आ जाना चाहिये । अल्पसूचित तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न आदि के माध्यम से यह प्रश्न पूछा गया परन्तु माननीय मंत्री जी कहते रहे कि सूचना मंगाई जा रही है ।

इसलिए मैं आज इस आदरणीय सदन में यह कहना चाहता हूं कि जब पूरे प्रकरण पर जिलाधिकारी, गोरखपुर की जांच आख्या आ गई है तो उस प्रकरण को सदन के पटल पर रखने में क्या दिक्कत है । जिलाधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है "उक्त दोनों कार्यालयों के कतिपय अधिकारियों और कर्मचारियों को अभिलेखों में हेरा-फेरी करने, तथ्यों को छिपाने, अधिकार सीमा से बाहर जाकर निहित स्वार्थ में आदेश निर्गत करने व कराने, जालसाजी करने तथा अनर्ह व्यक्ति को वेतन देकर वित्तीय हानि पहुंचाने के मामले में दोषी पाया और शासन से संस्तुति की है कि ऐसे दोषी लोगों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की जाये ताकि भविष्य में ऐसे कुकर्मों की पुनरावृत्ति न हो सके ।" 2-4-1992 को 14 माननीय सदस्यों ने इस पर सवाल किये थे । उन सवालों पर माननीय मंत्री जी ने समय मांगा और फिर उसको निरस्त भी करवाया गया । मैंने व श्री हरवंश जी ने 23-4-1992 को एक प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया कि इसको सरकार किसी तरह से टालने की कोशिश करेगी । कई बार यह प्रकरण आपके सामने आ चुका है । जो यह कहा जाता है कि किसी प्रकार की जालसाजी नहीं है, किसी प्रकार की हेरा-फेरी नहीं है तो जो जिलाधिकारी, गोरखपुर की रिपोर्ट है, उसे आप प्रस्तुत कर दीजिए तो उससे आपके विभाग की पूरी तस्वीर साफ हो जायेगी । इस तरह से आपके द्वारा विभाग के भ्रष्टाचार को छिपाया जा रहा है । आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं । हम समझते थे कि आप शिक्षा में परिवर्तन करेंगे । अब मान्यवर, माननीय मंत्री जी इस संदर्भ में जो कहेंगे, उन दो बिन्दुओं की ओर भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । मा० मंत्री जी कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है । माननीय श्री गुप्ता जी आप तो बहुत सीनियर हैं, हम तो आपसे ही बोलना सीख रहे हैं ।...

झूठ बोलने की कला माननीय मंत्री जी आप हमें सिखा रहे हैं । मान्यवर, इस संबंध में दो विन्दु हैं पहला तो सूचना मंगाया जाना और दूसरा यह मामला 82 से न्यायालय में विचाराधीन है । मैं जानना चाहता हूं कि 1982 के बाद क्या समय-समय पर इसकी जांच विभाग द्वारा नहीं कराई गयी ।

समय-समय पर इस प्रकरण की जांच कराई और इसमें लम्बी हेरा-फेरी की गयी । एक बार विधान सभा में उत्तर भी दिया गया सारी चीजें आ गयी हैं । हम केवल एक ही बात की मांग कर रहे हैं कि जिलाधिकारी गोरखपुर की आख्या क्या है उसे प्रस्तुत कर दें यही हमारी मांग है ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, हमारा ज्ञानवर्धन कर दें नियम 56 में क्या किसी लिपिक का मामला दिया जा सकता है । (व्यवधान) नहीं तो हम भी ऐसे ही मामले दिया करेंगे ।

बेसिक एवं प्रौढ़ शिक्षा राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

मान्यवर, शासन ने इस संदर्भ में कुछ भी नहीं छुपाया है । माननीय सदस्य ने जो कहा है उस संदर्भ में निवेदन करना चाहता हूं 14 माननीय सदस्यों द्वारा अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पूछा गया उस समय सूचना के अभाव में उसे हमने नियमित कराया । आप देखेंगे कि 11वें शुक्रवार के लिये यह था और यह हो भी चुका है उसके बाद भी विधान सभा सचिवालय से पत्र 30-4-92 को दुबारा प्राप्त हो गया । तो प्रश्नगत मामले में हमने विशेष वाहक भेज कर जिलाधिकारी, गोरखपुर से आख्या 23-4-92 को प्राप्त की और इस पर जिलाधिकारी का अर्धशासकीय पत्र 28-2-92 भी प्राप्त हो चुका है । इसमें माननीय सदस्य ने कहा कि उस लिपिक की नियुक्ति अनियमित की गयी हम इसे स्वीकार करते हैं लेकिन जब हमें जानकारी मिली तो उस पर शासन सचेष्ट है इस संदर्भ में जो भी अधिकारियों ने किया उसके विरुद्ध कार्यवाही की गयी है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, अभी एक लिपिक के संबंध में माननीय मलिक जी ने कहा कि क्या यहां पर मामला उठाया जा सकता है । तो यह पूरे भ्रष्टाचार का मामला है जिसका यह एक नमूना है जिसको माननीय मंत्री जी ने कबूल कर लिया है कि इसमें अनियमितता हुई है । यह प्रकरण 83 से चल रहा है ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मैंने जानकारी चाही, मुझे कोई परेशानी है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, 8, 10 साल से जयकरन यादव जो पहले नियुक्त हुआ फिर निकाल दिया गया उसका नियमित नियुक्ति हुई उसकी जगह पर एक फर्जी आदमी को रख दिया गया । कई बार उसके पक्ष और विपक्ष में बात आई । अब जिलाधिकारी ने यह लिखा है कि गोरखपुर के बी० एस० ए० दफ्तर में इस तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट शासन को भेजी है । मैं केवल यह कह रहा हूं अल्प सूचित तारांकित प्रश्न से भ्रष्टाचार का यह मामला उजागर हुआ वह बेचारा 10 साल से नौकरी में नहीं है । इस तरह से खुलेआम वहां गोलमाल हो रहा है नीचे से लेकर ऊपर तक जिसका यह एक उदाहरण है । मैं आपसे चाहता हूं कि आप यह स्पष्ट कर दें कि उस जयकरन यादव को फिर कब से प्रतिस्थापित करा देंगे किसान पूर्व माध्यमिक विद्यालय में, और जो अधिकारी इसके लिए दोषी हैं, उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

माननीय नेता विरोधी दल ने यह कहा कि उन्होंने माननीय मंत्री जी को भ्रष्टाचार के बारे में बताया है, हमारे सामने जो कुछ आया है उसमें हमने तुरन्त जांच करायी है अपर जिलाधिकारी और जिलाधिकारी से 1983 से यह मामला चल रहा है, उसके पहले नेता विरोधी दल भी थे लेकिन उन्होंने अपने समय में उसमें कुछ भी नहीं किया । मैंने इस सम्बन्ध में अनियमितता को स्वीकार किया है । हमारी सरकार किसी भी अनियमितता करने वाले की अनियमितता को स्वीकार नहीं कर सकती है । इस नाते मैंने यह साफ कह दिया है कि जो भी अधिकारी इसके लिए दोषी है, उसको दण्डित किया जायेगा । साथ ही जयकरन यादव को उसके पद पर तुरन्त स्थापित करने के लिए लिखा जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इस प्रकरण को नियम 300 में अग्राह्य करता हूं ।

* श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, काश्मीर में आतंकवाद के भय के कारण कुछ परिवार नोएडा में आ गये हैं । इन परिवारों की संख्या 376 है शासन की उनको जो सहायता है, उसके चलते उन लोगों को सड़क पर खड़े होकर अंडे और सब्जियां बेचनी पड़ रही हैं । उसमें कुछ तो भूतपूर्व आई० ए० एस० अधिकारी हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें जिन्दगी में कभी ऐसी हालत में उत्तर प्रदेश में जाना पड़ेगा और उन्हें एक-एक कमरे में 3-3 को रहना पड़ेगा । उनके खाने-पीने व पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है । वहां पर एच० एम० टी० की एक एन्सेलरी स्थापित है । उसमें एक आदमी ने दरख्वास्त दी थी लेकिन उसे मन्जूर नहीं किया गया । नोएडा औद्योगिक नगर है लेकिन उन लोगों को वहां पर उद्योग की दृष्टि से कोई सुविधा नहीं दी जा रही है । वह बिल्कुल भिखारियों की स्थिति में आकर खड़े हो गये हैं । शासन हमको यह बताये कि 26 जनवरी को जो बड़े-बड़े भाषण दिये थे लाल चौक में और इनके नेता मुरली मनोहर जोशी तो वहां सन्देश देकर आये थे लेकिन उन्होंने लौट कर यह नहीं देखा कि काश्मीरियों की आज यहां क्या स्थिति है और उनकी सरकार प्रदेश में उनके लिये क्या कर रही है । उनको आज कोई पूछ नहीं रहा है । नोएडा में मकान खाली पड़े हैं किन्तु कोई उनको मकान एलाट करने के लिए तैयार नहीं है । प्लाट वहां पर खाली पड़े हैं, लेकिन वह भी उनको उद्योग या काम के लिए नहीं मिल रहे हैं । कोई सुविधा उनको नहीं दी जा रही है । उनको केवल एक चेक दी जाती है उसके तहत उनको अपने मकान का किराया देना है और खाना-पीना करने, यही उनके लिये बहुत है । उनके बच्चों के पढ़ने-लिखने की कोई व्यवस्था नहीं है । मेरी मांग है इन लोगों को वहां पर प्लाट दे दिये जायें । दिल्ली के सेठों को आप वहां सारी सुविधाएं देने को तैयार हैं, लेकिन उनके लिये आपके पास कुछ नहीं हैं । मेरी आप से प्रार्थना है और शासन से भी प्रार्थना है उन लोगों को पुनः बसाने के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं वह सारी सुविधाएं इनको आप दें । जो सुविधाएं नोएडा दे सकता है अपने नियमों के अनुसार वह भी वह उनको दे, उनको हिन्दुस्तानी नागरिक मान कर वह सारी चीजें उनको उपलब्ध करा दी जायें । मैं प्रार्थना करता हूं कि यह अत्यन्त लोक महत्व का प्रश्न है । इस पर आज की कार्यवाही रोक कर आप सरकार से वक्तव्य दिलायें और चर्चा करा दें ।

* श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं आपके माध्यम से नियम 56 के अन्तर्गत जो काश्मीर के विस्थापित 376 परिवार नोएडा में आकर बेकारी, बेरोजगारी, और लाचारी से जीवन बिता रहे हैं । और रिटायर्ड आई०ए०एस०, आई०पी०एस० अधिकारी और इंजीनियर जो नोएडा में ठेले लिये घूम रहे हैं उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है । राम राज्य की सरकार 26 जनवरी, को कश्मीर में पहुंची थी उससे इन अधिकारियों के परिवारों ने शायद सोचा था कि उत्तर प्रदेश में उनकी स्थिति अच्छी रहेगी इसलिये उन्होंने इस प्रदेश को चुना लेकिन नोएडा में उनका मात्र 200 से 400 रुपये की सुविधा मिल रही है और इसमें भी तहसील स्तर पर काफी बिलम्ब किया जाता है । दिनांक 29-4-92 और 5-5-92 को इन विस्थापित

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विस्थापित परिवार के लोगों ने दादरी की तहसील और नोएडा विकास प्राधिकरण के सामने प्रदर्शन किया था जिसकी यहां के अधिकारियों ने नोटिस नहीं लिया । मान्यवर, आज वहां के विस्थापितों के बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है, उनके रहन-सहन की व्यवस्था नहीं की जा रही है और नोएडा इतना बड़ा शहर हो गया है जहां दो सौ से चार सौ रुपये मात्र सड़क पर लेटने में भी काम नहीं कर सकता है । इसलिये यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है इसलिये मैं सरकार से चाहूंगा कि वहां के 376 विस्थापित परिवारों को सरकार बसाने की कोई योजना बनाये और उनके खाने-पीने एवं बच्चों के एडमिशन की व्यवस्था सरकार क्या करने जा रही है इसके सम्बन्ध में शासन बताये ? मैं चाहता हूं कि सारे कार्य रोककर इस महत्वपूर्ण मामले में चर्चा करायी जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो काश्मीर से लोग आये हैं उन्हें शरणार्थी और विस्थापित के रूप में मैं नहीं मानता हूं । यह हमारा पुनीत दायित्व है कि उन्हें हम प्रदेश में अपने पैरों पर खड़ा होने लायक बनाकर सम्मानजनक जिन्दगी जीने का रास्ता दिखायें । मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उनकों अपने पैरों पर खड़ा होने के लिये शासन की नीति है कि शिक्षा और रोजगार देने के सम्बन्ध में वह आत्मनिर्भर बन सकें । मान्यवर, उनका एक डेपुटेशन मिला था, जमीन का मामला था जिसका निस्तारण किया गया । लेकिन मान्यवर, यह मामला जिसपर उनको प्रदर्शन करना पड़ा इसकी जानकारी मुझे नहीं हो पायी है । मैंने आदेश दिया है कि 7 दिनों में किन-किन मांगों को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया था और उस सम्बन्ध में क्या निस्तारण किया गया इसकी जानकारी हो जाने पर, चूंकि सदन कल तक है और वक्तव्य से कोई लाभ नहीं होगा इसलिये, मैं निर्देश दे रहा हूं कि 7 दिनों में जो स्थिति है उससे वह अवगत करायें और, इन माननीय दोनों सदस्यों को मैं अवगत करा दूंगा । मैं यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि मै स्वयं मेरठ जाने वाला हूं, तिथि अभी निश्चित नहीं हुई है वह बाद में बताऊंगा लेकिन, माननीय सदस्य मुझसे मिल सकते हैं और जो वहां की स्थिति है उसके सम्बन्ध में जो बताना चाहें वह बता देंगे तो अच्छा होगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 56 के अन्तर्गत इस सूचना को मैं अग्राह्य करता हूं ।

दूसरी सूचना श्री ज्वाला प्रसाद यादव की है ।

श्री ज्वाला प्रसाद यादव–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विगत 1-5-92 को रात्रि साढे आठ बजे महराज गंज से मैं अपने घर एक निमंत्रण से लौट रहा था । ड्राइवर मेरी जीप चला रहा था और गनर पीछे बैठा था । मछली शहर से सुजान गंज के बीच ग्राम बारा में 8-10 बदमाश जीप से मेरी जीप का पीछा करते हुये रास्ते में मेरी जीप को टक्कर मारा । हमारी जीप धीमी थी इसलिये सड़क पर रुक गयी मैं उतर कर उनसे पूछना चाह रहा था तो जीप में बैठे 8-10 लोग हम पर हमलावर हुये.... ।

मेरे गनर ने मेरे सामने आकर किसी प्रकार से मेरी सुरक्षा की । उस जीप के ड्राइवर ने मेरी जीप के ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति ने उसको पटक दिया । जिससे मेरे ड्राइवर को चोट आई । मैं किसी तरह से अपनी जीप लेकर मछली शहर थाने में आया और थानाध्यक्ष को इसकी सूचना दी । मान्यवर, मैंने अपने ड्राइवर की चोटों का मुआयना भी कराया । इस घटना के विपरीत दूसरे लोगों ने सुजानगढ़ में धारा 323, 342, 147 की रपट गनर, मेरे और मेरे ड्राइवर के विरुद्ध दर्ज कराई । मेरे ड्राइवर ने जो

लिखित सूचना थाना मछलीशहर में दर्ज कराई उस पर कोई कार्यवाही नही हुई । मैं पुलिस अधीक्षक से इस घटना के संबंध में मिला और सारी बातें बताई । मान्यवर, 3-5-92 को मछली शहर में 3 ट्रक पी०ए०सी० तथा 6 थाने की पुलिस मुझे गिरफ्तार करने के लिये लगा दी गई । जब मुझे किसी तरह से इसकी सूचना हुई तो मैंने जनपद जौनपुर में जाकर 4-5-92 को अपनी, अपने गनर और अपने ड्राइवर की जमानत कराई । इस प्रकरण में विरोधी पार्टी के लोगों को एस० पी०, जौनपुर द्वारा खुलेआम संरक्षण दिया जा रहा है । आज भी वह अपराधी जगह-जगह घूम रहे हैं जगह-जगह मेरी हत्या करने के लिये घूम रहे हैं । और गोली मारे जाने की, बम मारने की धमकी देते है । मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं और आपके माध्यम से इस सदन के साथ-साथ प्रदेश की जनता को भी बताना चाहता हूं कि पुलिस अधीक्षक, जौनपुर हमारे जनपद के बगल में इलाहाबाद के रहने वाले हैं । जौनपुर से 10. 12 कि०मी० दूर हंडिया डिग्री कालेज है । एस० पी०, जौनपुर, हंडिया डिग्री कालेज के अध्यापक रह चुके हैं । वहां का ज्यादातर स्टाफ भी जौनपुर का है । पुलिस अधीक्षक, जौनपुर की अधिकतर रिश्तेदारियां भी जौनपुर में ही हैं । मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इन तमाम दबाव होने की वजह से पुलिस अधीक्षक, जौनपुर एक पक्षीय मेरे विरुद्ध, मेरी छवि को धूमिल करने के लिये ऐसी कार्यवाही कर रहे हैं। इस घटना में दूसरी तरफ से जो एफ०आई०आर० दर्ज हुई है उसमें मेरी प्रेजेंट बताई जाती है । मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं । पुलिस अधीक्षक ने न तो मेरा बयान लिया न मेरे गनर का बयान लिया । उल्टा एक पक्ष के कहने पर 323 के अन्तर्गत मेरे गनर को सस्पेंड कर दिया अगर शासन की यही नीति है कि जब कि गनर मेरी सुरक्षा कर रहा हो गनर को 323 के अन्तर्गत सस्पेंड कर दिया जाय और अपराधियों को पुलिस के संरक्षण में रखा जाय । अभी भी खुले आम 8-10 की संख्या में असलहों से लैस होकर वह मुझे खोज रहे हैं । मैं अपने क्षेत्र में भी नहीं जा सकता हूं । इस महत्वपूर्ण गम्भीर घटना से मछलीशहर में ही नही पूरे जौनपुर जनपद में एक भयानक स्थिति उत्पन्न हो गयी है । जनता में इस घटना को लेकर रोष उत्पन्न हो गया है । अतः आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि नियम 56 के अन्तर्गत इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को आगे की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाय ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

यह ज्वाला प्रसाद जी का..... (व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

यह बड़ा गम्भीर विषय है । अगर सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करती तो कम से कम इस मामले की सच्चाई को उजागर करने में ज्यादा कठिनाई नहीं हो सकती थी । श्री ज्वाला प्रसाद जी ने वहां के एस० एस० पी० जिसका हवाला दिया महात्मा गांधी के जन्म दिन पर रंगा-रंग कार्यक्रम मनाने के बारे में, जिसका मा० सदस्य ने विरोध किया, और इस मामले को सदन में उठाया भी था इसलिये एस० एस० पी० उनके विरुद्ध हो गया मान्यवर, इस घटना में अगर सरकार द्वारा सूचना एकत्र की गयी होती, अंगरक्षक भी सरकारी कर्मचारी है, पुलिस कर्मचारी था अगर उससे पूछा जाता तो वह सच्चाई की बात बताता और सरकार के सामने सच्चाई उजागर हो जाती और इससे जो इनके ऊपर हमला किया गया इसमें कौन दोषी था यह आसानी से जाना जा सकता था । मान्यवर, काउंटर एफ० आई० आर० दर्ज करा दी गयी । काउन्टर एफ० आई० आर० में माननीय सदस्य और सबने जमानत करा ली । जो अपराधी थे उनको नहीं पकड़ा गया उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई । मान्यवर, जब हमला करने की रिपोर्ट थी, माननीय सदस्य गरिमामय पद को धारण करते हैं उनकी एफ० आई० आर० पर कोई कार्यवाही नहीं हुई । माननीय विधायक जमानत कराकर सदन में आये और हमलावर के खिलाफ कोई

कार्यवाही नहीं हुई । 82/83 की कोई कार्यवाही नहीं हुई । घटना के संबंध में कम से कम सही तथ्यों को जानने के लिये जरूरी था सरकारी कर्मचारी, पुलिस कर्मी से पूछताछ करते जिससे इस घटना के बारे में पूरा पक्ष सामने आ जाता । एस० एस० पी० की जरा सी शिकायत के ऊपर माननीय विधायक पर हमला कराया गया । और हमलावरों को संरक्षण दिया गया एस० एस० पी० द्वारा हमलावरों को संरक्षण दिया जा रहा है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या हो सकती है । मान्यवर, जो इस सदन में तथ्य लाये गये हैं उस पर कार्यवाही कराई जाय और एस० एस० पी० का तुरन्त स्थानान्तरण कराया जाये ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि आप दो-दो मिनट सभी माननीय सदस्यों को सुन लें । माननीय उपाध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है अभी आपके सामने माननीय सदस्य देवरिया ने कहा, बहुत से माननीय सदस्य इस बात का रोना रो चुके हैं आए दिन अधिकारी विधायकों को परेशान करते हैं प्रताड़ित करते हैं । बहुत से मामलों में जान से मरवाने का काम करते हैं यह घटना सत्य हैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस पर ठंडे हृदय से सोचें । एक विधायक के ऊपर हमला कराया गया हमलावरों को संरक्षण दिया जा रहा है । संसदीय कार्य मंत्री जी आप हंसिये मत, ज्वाला प्रसाद जी यहां रोज बात नहीं उठाते हैं ।

[समयः 3 बजे]

माननीय विधायक और उनके शैडो तथा ड्राइवर जमानत करायें और हमला करने वाले खुले आम घूमते रहें यह बात मैं समझता हूं कि माननीय उपाध्यक्ष जी, आपको भी उचित नहीं लग रही होगी । एस०एस०पी० के इशारे पर यह हो रहा है । इसके पहले वह एडीशनल एस०पी० आजमगढ़ थे तो ऐसी ही दुराग्रहपूर्ण कार्यवाही में शासन ने उनको निलम्बित कर दिया था । यह जहां भी रहे हैं वहां ऐसे ही कार्य किये हैं और वर्गभेद के आधार पर कार्य करते रहे हैं । यह बात भी सत्य है कि उनकी तमाम रिश्तेदारियां वहां पर हैं । वहां के तमाम लोगों की साजिश से माननीय विधायक की हत्या कराने की पुरजोर कोशिश की जा रही है । भारती जी कह रहे थे कि उनको एस०पी० ने बेइज्जत करके कमरे से हटा दिया, आज तमाम माननीय सदस्यों की जान को खतरा हो गया है । यदि माननीय सदस्य अपनी सुरक्षा की शासन से मांग करते रहेंगे तो वह जनता की सेवा क्या करेंगे और जनहित के मामले किस प्रकार से सदन में उठायेंगे । शासन और प्रशासन चाहता है कि माननीय सदस्यों को व्यक्तिगत मामलों में इतना उलझा दिया जाय कि वह अपनी जानमाल की सुरक्षा की मांग करते रहें और जन समस्याओं को सदन में न उठा सकें । यह एक साजिश चल रही है अधिकारियों की तरफ से । मानयवर, यह सदन देश का सबसे बड़ा सदन है । यहां के मा० अध्यक्ष के, माननीय उपाध्यक्ष के निर्णयों, निदेशों का उद्धरण लोक सभा में दिया गया है । ऐसे महान पवित्र सदन के सम्मानित सदस्य के साथ इस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है जो कलंक की बात है । मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारियों के प्रति जो विधायकों की हत्या कराने की साजिश करते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें ताकि माननीय सदस्य अपने क्षेत्र की जन समस्याओं को यहां उठा सकें । इससे महत्वपूर्ण बात और कोई नहीं हो सकती है । आप सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, इस मामले पर काफी प्रकाश डाला जा चुका है । जिन्होंने माननीय विधायक पर हमला किया उनके खिलाफ एफ०आई०आर० होने के बावजूद उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं हुयी है । माननीय

विधायक जिनके खिलाफ 323 का मुकदमा है उनको अपनी जमानत करानी पड़ी है यह उचित नहीं प्रतीत होता । वह अपने क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं और अपने विधायी कार्यों को सम्पन्न नहीं कर सकते हैं । मैं चाहूंगा कि तत्काल उन अपराधियों को गिरफ्तार करने के निर्देश शासन से भेजें और इस बात की व्यवस्था करायें कि ज्वाला प्रसाद जी की जान को यदि कोई खतरा पहुंचता है तो उसकी जिम्मेदारी शासन की होगी । मैं चाहूंगा कि यह व्यवस्था आप तत्काल करायें कि वह अपने क्षेत्र में जा सकें और अपने कार्यों का निष्पादन कर सकें । कल सदन उठने वाला है पता नहीं आप फिर मिलेंगे या नहीं । मुख्य मंत्री जी विधायकों से मिलते नहीं हैं यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सदन में घोषणा करें ।

श्री किशोरी लाल यादव–

माननीय उपाध्यक्ष जी, जो घटना श्री ज्वाला प्रसाद यादव जी के साथ हुई, दुर्भाग्यपूर्ण है । प्रश्न यह है कि क्या एक गनर की ड्यूटी विधायक को बचाने के लिये है । यदि हां, तो क्या उसके खिलाफ सस्पेंशन की कार्यवाही की जा सकती है । जो कार्यवाही की गयी अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है । इसमें मैं दो-तीन बातें बताना चाहता हूं । जिस दिन तीन तारीख को पुलिस लायी गयी, इनके गांव के बगल का मेरा क्षेत्र है, मैं वहां पर गया था । वहां मुझे बताया गया कि पुलिस और पी०ए०सी० लग गयी है । मैं खुद मौके पर गया । देखने पर लगा कि 6-7 थाने के थानाध्यक्ष और मछलीशहर तिराहे पर एक ट्रक पी०ए०सी० लगायी गयी है । एस०पी० से बात करने पर कहते हैं कि चूंकि मुलजिमों के यहां पर बारात जानी थी इसलिये लगायी गयी है, लेकिन आश्चर्य यह है कि बारात तो चार तारीख को जानी थी, तीन को पी० ए० सी० क्यों लगी ? दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो थानाध्यक्ष तफतीश कर रहा था, यादव था और ठाकुर मुलजिम थे तो उससे तफतीश छीन ली गयी । तीसरी बात यह है कि यह केवल ज्वाला प्रसाद जी की ही बात नहीं है । किसी भी विधान सभा क्षेत्र में लेंगे , ठाकुर विधायक को छोड़कर जितने विधायक हैं, सबके खिलाफ कोई न कोई कार्यवाही अवश्य की जायेगी । इसमें जितने अपराधी हैं, उनके बारे में केवल एक मिनट में जिक्र करना चाहता हूं । फरवरी में नियम 56 में उठा था कि महात्मा गांधी के निर्वाण दिवस पर रंगरेलियां मनाई गयी थीं और शराब की बोतलें निकाली गयी थीं। सरकार ने कोई कार्यवाही एस० पी० के खिलाफ नहीं की । इस प्रकार महात्मा गांधी का घोर अपमान जौनपुर पुलिस लाइन में हुआ । दूसरी बात यह है कि 10 मार्च को ठीक एस० पी० निवास के बगल में थाना जफराबाद है, उसके बगल में एक मारुति का अपहरण कर लिया गया और कोई कार्यवाही नहीं की गयी ठीक जफराबाद थाने के बगल में सिन्नी फैक्ट्री को लूट लिया गया और कोई कार्यवाही नहीं की गयी । एक चीनी का व्यापारी गोरखपुर से चला और जौनपुर में उसके ड्राइवर और क्लीनर को मार दिया गया । उसका रहस्य आज तक पता नहीं चल. कि ट्रक का कहां पर अपहरण किया गया । अपराधियों का पता लगा लेकिन कुछ नहीं हुआ । चौथी घटना यह है कि सीमेंट लादे एक ट्रक का अपहरण किया गया । शहर के बगल में हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ । मान्यवर, पुलिस अधीक्षक इन घटनाओं का पर्दाफाश करने में सक्रिय नहीं हैं, लेकिन जो विधायक जनता की आवाज उठाते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सबसे पहले उस अंगरक्षक को बहाल किया जाय और चूंकि एस० पी०, जौनपुर के वे नजदीकी हैं, इसलिये उनको हटाया जाय और जो भी कार्यवाही उन्होंने की, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाय । यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है, अतः कार्यस्थगन प्रस्ताव के जरिये इस पर चर्चा करावें ।

* श्री राज नारायन बिन्द–

मान्यवर, यह घटना मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हुई थी । माननीय विधायक ज्वाला प्रसाद यादव जी एक निमंत्रण में जा रहे तो, मैं भी वहीं जा रहा था । यह घटना उस स्थल से काफी दूर जाने के बाद मुझे पता लगी थी । उसके आधे घंटे के बाद मैं भी वहां पहुंचा था । उस समय इनके अंगरक्षक और ड्राइवर तीन ही व्यक्ति थे । इनके ऊपर जो हमला हुआ था, एस० पी० से पहले भी बात की थी । माननीय मंत्री जी उमा नाथ सिंह जी को भी अवगत कराया गया था कि उस परिवार का यह कार्य पुराना है और आए दिन वारदात करते हैं । उसके बाद एस० पी० ने एक पक्षीय कार्यवाही करके गनर को सस्पेंड किया। माननीय उपाध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जनपद जौनपुर के एस० पी० के कहने पर वहां की पुलिस एक सम्मानित सदस्य पर 323 का मुकदमा दर्ज कर रही है और प्रशासन इस तरह का रोल प्ले कर रहा है और जब कि जनपद जौनपुर में 395, 397, 376 जैसे ही नियम क्राइम के मुकदमें दर्ज हैं, लेकिन वहां पर कोई भी जांच करने नहीं जाते हैं और नहीं कोई दबिश दी जाती है । मान्यवर, इस मामले में न तो गनर का बयान लिया गया और न ही विधायक का बयान लिया गया, एक पक्षीय कार्यवाही करके गनर को सस्पेंड कर दिया है । अगर इस तरह से पेटी केसेज में अंगरक्षकों को एक पक्षीय सस्पेंड किया जायेगा और इस तरह से डिमोरालाइज किया जायगा, तो जितने और जनप्रतिनिधियों को गनर मिले हैं, तो सभी निष्क्रिय हो जायेंगे और अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर सकेंगे । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सारे नियमों को निलम्बित कर इस पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय विधायक जी के साथ जो घटना घटी, बड़ी गम्भीरता के साथ सभी माननीय सदस्यों ने उसके बारे में प्रकाश डाला । मैं आपके माध्यम से माननीय नेता विरोधी दल को और अन्य माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि इस मामले को गम्भीरता से दिखवा लूंगा । मान्यवर, इस मामले में दोनों तरफ से रिपोर्ट लिखाई गयीं, लेकिन जो तथ्य् हमारे सामने है, माननीय विधायक जीप से जा रहे थे, पीछे से गाड़ी आ रही थी, उस गाड़ी ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लग गया बम्पर, उससे सरोज कुमार नामक व्यक्ति को 15 गम्भीर चोटें आईं, दूसरे विजय शर्मा को दो चोटें आईं । जहां तक एस० पी० के ऊपर यह आरोप लगाया गया, उन्होंने यह कार्यदाही कराई है, अच्छा होता कि विशेषाधिकार समिति में उठाया गया होता, इस समय तत्काल मेरे द्वारा कोई घोषणा कर देना कि सस्पेंड कर दिया जायगा, या हटा दिया जायगा, यह सम्भव नहीं है, लेकिन प्रथम दृष्टया जो चीज हमारे सामने है, सरोज के भी 15 चोटें आई हैं और विजय शर्मा को भी दो चोटें आई हैं । जब जीप आगे बढ़ी, तो सरोज को जीप पर बैठाल कर आगे ले गये और उन्हें मारा गया । शायद इससे हम भी सहमत नहीं होंगे । इस बात पर हमारी, आपकी असहमति हो सकती है । कौन से विशेष अधिकार हमारे पास हैं । इन बातों पर गम्भीरता से विचार होना चाहिए । मैं माननीय विरोधी दल की बातों का पूरा-पूरा सम्मान करता हूं । इस मामले को दिखवा लिया जायगा । किसी बदले की भावना से अगर माननीय सदस्य के साथ कोई कार्यवाही हुई है, तो उस पर कार्यवाही की जायगी ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य ने अपनी सुरक्षा के लिए खतरा भी व्यक्त किया है । शासन से अपेक्षा है कि वह इनकी सुरक्षा की व्यवस्था करे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

गनर तो सस्पेंड कर दिया गया, माननीय सदस्य बता दें कि दुबारा गनर मिला है या नहीं मिला है? नहीं मिला है, तो आज ही आदेश कर दूंगा, मिल जायगा । विवाद गहरा हो गया है, तो उनकी सुरक्षा के लिए एहसास करता हूं । इसे स्वीकार करता हूं । अगर वह कह दें कि दुबारा गनर नहीं मिला है, तो आदेश कर दूंगा ।

श्री ज्वाला प्रसाद यादव–

मान्यवर, गनर तो नहीं मिला है । सुरक्षा के बारे में जो कहा गया है, इसके विषय में मैं माननीय सदन को बताना चाहता हूं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने 15 गम्भीर चोटों का जिक्र किया है, लेकिन जो रिपोर्ट हुई है । मात्र 323 की रिपोर्ट है । एफ० आई० आर० गम्भीर चोटों पर नहीं हुआ करती है । दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि डाक्टर को मिलाकर जितनी चोटें हैं, उनको बदलवा दिया गया है, चोटें मैनीपुलेट की गयी हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

एक तो मैंने उच्च स्तरीय जांच की बात कह दी है और अगर गनर माननीय सदस्य के पास नहीं है तो उनको मिल जायेगा ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, जो रिपोर्ट लिखायी गयी है, उसका मैनीपुलेशन हुआ है, दफा 323 में रिपोर्ट हुई है और बाद में दफा भी न कहीं बदल दी जाये, इसलिये यह मामला बड़ा गम्भीर है । शुरू में ही विधायक पर हमले की बात कही गयी है, गनर को बुलाकर उसके दृष्टिकोण को भी तो पूछ लेना चाहिए था । जिनके विरुद्ध एफ० आई० आर० करायी गयी है, उनके विरुद्ध 82-83 की कार्यवाही नहीं की गयी है । आप इसको समझ लें कि यह कार्यवाही एस० एस० पी० के इशारे पर हुई है । जो एस० एस० पी० इस प्रकार की कार्यवाही कर रहा है, उससे क्या अपेक्षा की जा सकती है कि वह किस प्रकार का गनर दे। मेरी आशंका है कि वहां पर कहीं फर्जी रिपोर्ट न हो जाये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इसीलिये मैंने कहा कि गनर की व्यवस्था आज ही हो जायेगी और बाकी के लिये मैंने कहा कि इसको दिखवा लिया जायेगा ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, हम सुरक्षा की मांग आपसे करते हैं, और अपेक्षा करते हैं कि आप हमारी बातों को सुनेंगे और उन पर निर्णय देंगे और सरकार को निर्देशित करेंगे । अगर आप संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद संतुष्ट हो जायेंगे, तो फिर हम कहीं के नहीं रह जायेंगे । हमारी रक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के बयान से स्पष्ट हो गया है । ये सदस्य कह रहे हैं कि कोई मारपीट नहीं हुई है, तो यह स्पष्ट है कि यह सब एस० एस० पी० के इशारे पर हुआ है आप हमको

संरक्षण दें और सरकार को निर्देश दें कि इस मामले में लीपापोती न हो और एस० एस० पी० के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की जाये । हमारा विश्वास सरकार से उठ गया है, मेरा संरक्षण आप ही कर सकते हैं इसलिये आप निर्देशित करें कि इस में लीपापोती न हो, ठीक से जांच हो ।

* श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि अगर विधायक जी को गनर नहीं मिला है, तो वह दे देंगे । मुझे यह कहना है कि जिस एस० एस० पी० के माध्यम से कार्यवाही हो रही है, क्या उसके द्वारा ही गनर दिया जा सकता है, क्या उससे सदस्य की सुरक्षा हो सकती है क्योंकि एस० एस० पी० ने ही गनर को सस्पेंड किया है, बिना जाने कि उसकी गलती थी या नहीं, उसको सस्पेंड कर दिया गया है । इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि अगर विधायक की सुरक्षा करना चाहते हैं, तो गनर की व्यवस्था लखनऊ स्तर से ही कराने की कृपा करें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो इस विषय में तात्कालिक रूप से दो बातें कहनी हैं एक तो जिस दिन सम्मानित विधायक जी ने अपनी जमानत कराई है, उस दिन उन्होंने मात्र दफा 323 में ही अपनी जमानत कराई है यानि उस दिन तक न्यायालय को 323 की ही जानकारी थी और आज माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि 17 गम्भीर चोटें हैं पता नहीं कितनी चोटें बता रहे हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह 17 चोटें जो गम्भीर हैं यह किस मेडिकल आफिसर ने इक्जामिन किया है और कहां चोटें आयी हैं और इतने विलम्ब से आपने न्यायालय में भेजा है तो उसका क्या कारण है ? अगर यह चोटें पहले जाहिर हो गयी थीं, साधारणतः प्रक्रिया यह है कि एफ० आई० आर० के समय चोटें देख ली जाती हैं और उसी के अनुसार दफा बन जाती है लेकिन जिस समय तक इन्होंने जमानत कराया है । उस समय तक मात्र 323 का ही मामला था और अब विधान सभा में यह आया है तो कहा जा रहा है कि चोटें हैं तो क्यों नहीं इसे 325 में परिवर्तित कर दिया गया, इस जानकारी के बाद । मान्यवर, अगर चोटें हैं तो जांच वह न करायें, वह चाहते हैं कि माननीय विधायक की हत्या हो जाय, जब गम्भीर चोटें बना ली हैं तो ये जांच क्या करायेंगे ? अब उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है अतः यह स्पष्ट रूप से बतायें कि चोट कहां हैं और किस नेचर की हैं ?

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने इस सूचना की ग्राह्यता पर माननीय सदस्यों को सुना । मैं शासन से दो अपेक्षायें करता हूं । पहली अपेक्षा यह है कि माननीय सदस्य की सुरक्षा व्यवस्था हो और दूसरे शासन से अपेक्षा यह है कि जो दो एफ० आई० आर० दर्ज कराई गयी हैं इन दोनों एफ० आई० आर० को जौनपुर जिले के पड़ोसवर्ती जिले के किसी सक्षम पुलिस अधिकारी से तफ्तीश करा लें ।

नियम 56 के अन्तर्गत इसको अग्राह्य करता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने तो उच्च स्तरीय जांच की बात कही थी लेकिन अब आपकी आज्ञा शिरोधार्य है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(श्री प्रमोद तिवारी द्वारा बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

व्यवस्था हो जाने के बाद अब मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। पांचवीं सूचना है प्रदेश में पानी और बिजली की समस्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस प्रदेश में ऐसी विषम स्थिति पैदा हो गयी है कि शहरों में और ग्रामीण अंचलों में पानी और बिजली दोनों नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं। मान्यवर, जब इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है तो आज शासन को यह दायित्व हो जाता है कि नगरों में पानी पीने की व्यवस्था समुचित ढंग से कराई जाय। लेकिन मान्यवर, आज पूरे प्रदेश के महानगरों में और अन्य शहरों और कस्बों में पानी नहीं मिल रहा है। मान्यवर, चाहे वह लखनऊ शहर हो, कल यहां महिलाओं ने प्रदर्शन किया। मान्यवर, यह गुप्ता जी की सरकार ममता में समता और समता में कल लाठीचार्ज इन्होंने महिलाओं के ऊपर कराया। यह इतने निर्दयी होकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जब वह पानी मांग रही थीं, तो इन्होंने लाठीचार्ज कराया मान्यवर लखनऊ में पानी नहीं है कानपुर में पानी नहीं, इलाहाबाद में स्वयं अध्यक्ष महोदय के यहां पानी पूरे शहर में नहीं मिल पा रहा है और तो और मेरे घर पर इलाहाबाद में पानी नहीं आ रहा है इसके लिये कई बार अधिकारियों से कहा गया तो वे कहते हैं कि साहब क्या करें। मान्यवर, यह अतिरंजित बात नहीं है।

मान्यवर, आज प्रदेश में चाहे आगरा हो, इलाहाबाद हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, बरेली हो, मेरठ हो, शाहजहांपुर हो या आपका आजमगढ़, बनारस हो मऊ हो कहीं भी हो सब जगह आज लोग पानी की कमी की वजह से लोग त्रस्त हैं। मान्यवर, नहाने की बात छोड़ दीजिये पानी पीने का, खाना बनाने का नहीं मिल पा रहा है। आज पूरे प्रदेश में इससे बड़ी गम्भीर स्थिति पैदा नहीं हो सकती। पानी का संबंध बिजली से है, बिजली न मिलने के कारण पानी सप्लाई नहीं हो पाता। न जल संस्थान में बिजली मिल रही है, न कस्बों में मिल रही है और न ट्यूबवेलों में मिल रही है। इसलिये पूरे उत्तर प्रदेश में अघोषित कटौती चल रही है। यह सरकार ने घोषणा नहीं की है कि बिजली में कटौती की गयी है, लेकिन पानी न मिलने का सबसे बड़ा कारण बिजली की अघोषित कटौती है। अभी 12 मई हुई है जब अभी से इतनी विकराल स्थिति है तो 15–20 जून तक पानी बरसेगा, अगर समय से मानसून आया। ग्रामीण अंचलों में कुएं सूख रहे हैं, उनमें कीचड़ आ गयी है, लोग कीचड़ में से पानी निकाल कर पी रहे हैं। अफसोस इस बात का है कि इस सरकार ने एक भी पैसा उत्तर प्रदेश के किसी जनपद में नहीं भेजा है। नगर विकास मंत्री बैठी हैं पता नहीं कब पैसा जायेगा। कन्टीजेन्सी फण्ड का उपयोग पता नहीं किस दिन के लिये रोका हुआ है। आज पानी से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकती है। यह सरकार पानी नहीं दे पा रही है प्रदेश में। बिजली का आने वाले दिनों में और संकट आने वाला है। ओबरा, पनकी और हरदुआगंज में किसी भी मशीन का रख-रखाव ठीक से नहीं हुआ है। किसी भी दिन ब्रेकडाउन हो सकता है। अभी तो तीन ही बार फेल हुआ लेकिन पूरा प्रदेश किसी भी दिन अंधकार में डूब सकता है। यह सरकार पूरी तरह से अक्षम साबित हुई है। पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। विधान सभा तक में केवल एक फेज बिजली आ रही है। एयरकंडीशनर नहीं चल पा रहा है। जब यहां यह हालत है तो ग्रामीण अंचलों की बात समझ लें। अभी खलिहान में ही गेहूं पड़ा है,

अभी मंड़ाई नहीं हुई है । वह कहेंगे कि व्यवस्था कर दी है लेकिन अगर व्यवस्था हुई है तो आधी मंड़ाई की स्थिति में गेहूं क्यों पड़ा है । पिछली सरकारें 18-16 और 14 घण्टे तक बिजली ग्रामीण अंचलों में देती थी लेकिन जब से यह सरकार आयी है मुश्किल से 4 घण्टे या 5 घण्टे बिजली दे पा रही है । कस्बो में भी पानी की किल्लत हो गयी है । इस गम्भीर स्थिति में मैं चाहूंगा कि सब काम रोक कर इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन में चर्चा करायें । इस समस्या के निराकरण के लिये सरकार को आज ही घोषणा करनी चाहिए कि कंटीजेन्सी फण्ड से तत्काल व्यवस्था करेंगे ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आज सदन अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर अपनी चिन्ता प्रकट करता है और शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं । यह केवल किसी क्षेत्र की बात नहीं है । चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, पूरा प्रदेश पानी के संकट से ग्रस्त हो गया है । कुओं में पानी सूख गया है । तालाबों में नहरों से पानी आता था आज नहीं पहुंच पा रहा है । जानवरों के सामने भी पीने के पानी की समस्या हो गयी है । जो दो लाख छियत्तर हजार हैण्ड पम्प लगाये गये थे उसमें से 60 प्रतिशत से ज्यादा खराब हैं । उस समय बताया गया था कि इनका रख-रखाव जल संस्थान या जल निगम से कराया जायेगा और आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी ।

मान्यवर, मेरी ऐसी जानकारी है, अगर जानकारी सत्य न हो, तो चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी उससे अवगत करा देंगे । जो धनराशि जल संस्थान, जल निगम को दी जानी थी, वह उन्हें उपलब्ध नहीं करायी गयी, इसके कारण योजनायें लुंज-पुंज स्थिति में हैं । हजारों हैंड पम्पों का कोई पुरसाहाल नहीं है, वे खराब पड़े हैं, कुओं में पानी नहीं है, पेयजल की आपूर्ति जो बिजली पर निर्भर करती है, उसकी स्थिति यह है कि प्रदेश की स्थिति का अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है कि तीन फेज जो आवश्यक है किसी मशीन को चलाने के लिये, उस तीन फेज की आपूर्ति विधान सभा सचिवालय में नहीं कर पा रहे हैं । गांव में क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है । आप गांवों में एक घंटे की भी विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित नहीं कर पा रहे है, गांवों में लो-वोल्टेज के कारण मड़ाई का कार्य नहीं हो पा रहे हैं, सिंचाई का कार्य नहीं हो पा रहा है । किसानों की गाढ़ी मेहनत की फसल खलिहानों में पड़ी हुई है, आप विद्युत आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं । मैं चाहूंगा कि यह बताया जाय कि गत वर्ष अप्रैल माह में विद्युत का उत्पादन कितना हुआ था और इस वर्ष के अप्रैल माह में विद्युत का उत्पादन कितना हुआ है ? मेरी निश्चित जानकारी है कि 40 फीसदी प्लान्ट लोड फैक्टर नहीं रह गया है । जो कुल अधिष्ठापित क्षमता है, उसका 1/3 भी विद्युत उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं । मान्यवर, इस सरकार की बदनीयती के उदाहरण कितने दिये जायं, जब कोई अकाल की स्थिति, सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है तो सरकार को कुछ प्राथमिकतायें तय करनी पड़ती हैं । यह तय करना पड़ता है कि किसानों को बिजली दी जाय या पूंजीपतियों को बिजली दी जाय । रेवती रमण जी रहे उन्होंने निर्णय लिया, मैं रहा और भी लोग रहे और जो भी सरकारें रहीं उन सबको निर्णय लेना पड़ा । पूंजीपतियों की बिजली काटकर किसानों को बिजली उपलब्ध कराने का काम हम लोगों के समय में किया गया ताकि किसानों के ट्यूबवेल चल सकें उनके थ्रेशरों को चलाया जा सके । मैंने कहीं भी कटौती नहीं सुनी कि कोई कटौती हुई पूंजीपतियों पर, ग्रामीण अंचलों में जरूर कटौती हो रही है । आप की जिनसे सांठ गांठ है, उनसे आपको पैसा नहीं मिल पा रहा है । कैश क्राप गन्ना, जो पूरब और पश्चिम में बहुतायत में

होता है, आज विद्युत आपूर्ति में बाधा के कारण मिलों की पेराई क्षमता बाधित हो रही है ! उसके साथ चलने वाले उद्योग हैं, खांडसारी उद्योग है. उसकी विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है । छात्रों से आपका बैर जग-जाहिर हो चुका है । गृह परीक्षायें, प्रतियोगात्मक परीक्षायें चल रही हैं, लेकिन शहरों में, कस्बों में, गांवों में बिजली नहीं है । मैं आज सत्तारूढ़ दल के सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे दलगत भावना से उठकर आज बात करें । आज शाम को 6 बजे से 10 बजे के मध्य देख लें, घोषित-अघोषित के पीरियड में कहीं भी कस्बों में विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से महत्वपूर्ण बात यह कहना चाहता हूं कि रिहन्द का जलाशय है, उसमें मेरी जानकारी के अनुसार, तीन फिट पानी रह गया है, उसमें इतना पानी नहीं बचा है कि उसमें आप विद्युत उत्पादन कर सकें । अगर उस बचे हुए तीन फिट पानी का भी उपयोग कर लेंगे तो फिर कितनी बाधा उत्पन्न होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है । आप पूंजीपतियों के हाथों में खेलते रहेंगे, उनकी बिजली काटकर किसानों को नहीं देंगे तो स्थिति विकट हो जायेगी । ग्रामीण अंचलों में आज पानी का अकाल पड़ा है, आप युद्ध स्तर पर कार्यक्रमों को लें, यहां कंट्रोल रूम बनायें, तहसील स्तर पर कंट्रोल रूम बनायें । जितने ट्रांसफार्मर जल गये हैं, उनको बदला जाय, जितने फीडर खराबा हैं, उनकी मरम्मत करायी जाय । जितने हैण्ड पम्प खराब हैं, उनकी मरम्मत आदि के लिये तत्काल धनराशि उपलब्ध करायी जाय । हैंड पम्प 60 फीसदी आपके खराब पड़े हैं, यह गम्भीर समस्या है । जनता को बिजली, पानी की सुविधा न उपलब्ध करा पाना यह किसी भी सरकार की अक्षमता का कारण हो सकती है । धनराशि आवंटित कर इन पम्पों को ठीक कराकर चलवाया जाय । स्पेशल बोरिंग कार्यक्रमों को लेकर पानी की सुविधा उपलब्ध करायी जाय ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो सरकार पानी नहीं दे सकती है, बिजली नहीं दे सकती है, उस सरकार को जनहितकारी सरकार कहलाने का अधिकार नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार अगर पानी, बिजली नहीं उपलब्ध करा सकती है तो यह सत्ता छोड़ कर जाये । मान्यवर, मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चाहूंगा कि इस पर अविलम्ब चर्चा कराई जाय ।

श्री विजय सिंह राणा–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज प्रदेश की जनता जिस भयंकरतम समस्या से जूझ रही है वह है बिजली और पानी की समस्या और बिजली की समस्या इस तरह से कठिन होती जा रही है कि यहीं सदन में बैठकर हम लोग उसका यदा-कदा नमूना देख लेते हैं । मान्यवर, पूरे प्रदेश के अंदर जो आज विद्युत की स्थिति है, उसको देखते हुए कोई यह नहीं कह सकता कि आज गांव के अन्दर किसानों को चार घंटे अनवरत रूप से बिजली मिल रही होगी । मान्यवर, गांव के अन्दर यह स्थिति हो गयी है कि जो खेत में फसल खड़ी है उसकी थ्रेसिंग करने के लिये किसानों को बिजली नहीं मिल पा रही है । जब वह थ्रेसिंग के लिये खेत में जाता है तो मालूम पड़ता है कि बिजली नहीं आ रही है तो वह वापस अपने घर रोटी खाने जाता है वहां उसे मालूम पड़ता है कि बिजली आ गयी है तो वह वापस फिर खेत में भागा-भागा आता है तो उसके पहुंचते ही बत्ती चली जाती है, फसलों को पानी इस तरह से नहीं मिल रहा है यही स्थिति उनकी हो रही है । इसके साथ-साथ मान्यवर, जो किसानों ने अपने खेत में जायद की फसल, दालें जो बो रखे हैं, सूरजमुखी की फसल, सोयाबीन की फसल, यह फसलें उनके खेतों में पड़ी हैं और

वह पानी के अभाव में सूख रही हैं क्योंकि बिजली मिलती नहीं है और ट्यूबवेल चल नहीं पाते हैं और जो वह मजदूर अपने खेतों में काम करने के लिये लगाता है, उसको बिना बात के तनख्वाह उसे देनी पड़ रही है और यही नहीं इसके कारण पूरे गांव का जनजीवन भी ध्वस्त हो गया है, पानी की समस्या के कारण । शहरों की भी यही समस्या है ।

आज मान्यवर, जल संस्थान का जो महकमा है वह पांच मिनट से ज्यादा पानी नहीं दे पा रहा है और पूरी शहर की जनता पीने के पानी के लिये तरस रही है और मान्यवर, मैं तो यह कहना चाहूंगा कि आगरा शहर की जनता पानी के नाम पर जहर पी रही है और हम लोग यहां पर नीलकंठ बने बैठे हुए हैं और इस स्थिति में भी जिन्दा हैं । मान्यवर, पूरे प्रदेश में ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो गयी, इसके दो तीन कारण हैं । जो हमारे प्लान्ट हैं–ओबरा, पनकी, हरदुआगंज के, उसमें पानी की कमी के कारण बिजली उत्पादन बिल्कुल ठप्प हो गया है दूसरा कारण यह है कि भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण वहां दिया जा रहा है । मैं उदाहरण के लिये आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि मैंने यह प्रश्न किया था, प्रश्न संख्या–150 अतारांकित प्रश्न था, दूसरे बुधवार का, इसमें पूछा गया था कि आगरा में कुल कितने अधिशासी अभियन्ता ऐसे हैं, जिनको आगरा मण्डल में कार्य करते हुए 10 वर्ष से अधिक का समय पूरा हो गया है तो इसमें सात नाम आये–श्री अमर नाथ गुप्ता, श्री विष्णु दत्त उपाध्याय, श्री यशेश्वर सिंह, श्री ओम प्रकाश गर्ग, श्री ओमदत्त भार्गव, श्री सुरेश चन्द्र शर्मा तथा श्री प्रह्लाद सिंह, इनकी सेवा दस वर्ष से ऊपर की हो चुकी है । मान्यवर, इसमें अमर नाथ गुप्ता, इसने पूरी जिन्दगी वहीं बिताई है, जे० ई० के रूप में यह भर्ती हुआ था, और तब से 20–25 वर्ष की उसकी सेवा हो चुकी है, आज तक आगरा में तैनात है । जब उसके खिलाफ शिकायत की गयी है और जब बिजली विभाग द्वारा ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण दिया जा रहा है और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को एप्वाइन्ट किया जाता है तो उनके माध्यम से प्रदेश की ध्वस्त हुई बिजली व्यवस्था को ठीक किया जाना सम्भव नहीं है । मान्यवर, इसी अमर नाथ गुप्ता के खिलाफ कई संगीन आरोप हैं । जब उसकी रिपोर्ट दर्ज करायी गयी और सतर्कता जांच में उन्हें दोषी पाया गया, जांच के बाद, तो इनकी चरित्र पंजिका में इन्ट्री कर दी गयी और जब यह पूछा गया कि संबंधित अधिकारी के स्थानान्तरण के आदेश किये गये हैं तो यह कहा गया कि सम्बन्धित अधिकारी के स्थानान्तरण आदेशों का कार्यान्वयन न होने के सबंध में शासन द्वारा विद्युत परिषद से आख्या मांगी गयी है, जो अभी तक प्रतीक्षित है । मान्यवर, आज तक उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो पायी है । जो आदमी जिन्दगी भर आगरा में, जे० ई० से लेकर ए० ई० तक, बैठा रहा हो तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के माध्यम से आप बिजली विभाग चलायेंगे तो यह विद्युत की व्यवस्था कहां ठीक हो पायेगी ?

मान्यवर, इसके आगे और जो कठिनाई है, वह यह है कि एक चोरी का मामला था, 50 हार्स पावर का कनेक्शन एक कम्पनी का था, उसके खिलाफ छापा पड़ा तो पाया गया कि 300 हार्स पावर प्रयोग कर रहे थे, प्रश्न भी उठा विधान सभा में, सतर्कता विभाग ने जांच भी की, लेकिन वह इनके संबंधी थे, इसलिये उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी । इसी तरह सादाबाद में एक जे० ई० को रिश्वत लेने में पकड़ा गया, लेकिन माननीय मंत्री जी की सिफारिश से छोड़ दिया गया । अगर इस तरह से भ्रष्ट अधिकारियों को मंत्री और विद्युत विभाग में बैठे अधिकारी संरक्षण देंगे तो विद्युत विभाग में सुधार संभव नहीं है । पानी की स्थिति, बिजली की स्थिति इस प्रदेश में इसलिये सुधर नहीं पा रही है, क्योंकि प्रदेश

का प्रशासन तंत्र ध्वस्त हो चुका है, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, पैसा कमाने में सब लगे हैं, जनता की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है, उनकी समस्याओं को यह हल नहीं करना चाहते हैं, केवल अपने रिश्तेदारों को यह बचाने में लगे हुए हैं, और पूरा प्रदेश बिजली की व्यवस्था से त्रस्त है । इन शब्दों के साथ मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि यह गम्भीरतम मामला है और आप भी जनता के नुमाइन्दे हैं, अतः इस समस्या पर सदन की कार्यवाही रोककर कम से कम दो घण्टे की चर्चा अवश्य कराने की कृपा करें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, यह जो प्रस्ताव है, वह ग्राह्य करने योग्य है और ग्राह्यता की सभी शर्तों को पूरा करता है। मैं एक-एक बिन्दुवार बताना चाहता हूं कि कैसे यह प्रस्ताव ग्राह्यता की शर्तों को कैसे पूरा करता है । प्रदेश में पीने के पानी का संकट उत्पन्न हो गया है, तो जब जनता को पीने का पानी नहीं मिलेगा, तो जनता की जान की रक्षा कैसे होगी, यह ग्राह्यता की पहली शर्त है । दूसरी शर्त यह है कि पानी के अभाव में किसान की खेती की सिंचाई नहीं हो पा रही है, तो जब किसान की खेती की सिंचाई नहीं होगी तो फसल उत्पन्न नहीं होगी और जब फसल उत्पन्न नहीं होगी, तो भुखमरी की कगार पर किसान और यह जनता पहुंच जायेगी, यह दूसरी शर्त है । तीसरी शर्त है बिजली की अघोषित कटौती के कारण गांवों में बिजली नहीं मिल रही है, जिसके कारण किसान अपनी फसल की थ्रेसिंग करने से वंचित हो गया है । किसान इस बात से चिन्तित है कि थ्रेसिंग हो नहीं पा रही है और बारिश नजदीक आ रही है, तो सारी फसलें खलिहानों में पड़े-पड़े सड़ जायेंगी और वह उनको घर नहीं ला पायेगा, तो ऐसे में प्रदेश में भुखमरी आयेगी, यह इसकी तीसरी शर्त है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि बिजली की अघोषित कटौती का आलम यह हो गया है कि मेरे बलिया जनपद में एक लिफ्ट कैनाल योजना चलती है, दोहरीघाट सहायक परियोजना, बिजली के अभाव में पूरी तरह बंद हो गयी है । ट्यूबवेलों को भी बिजली न मिलने के कारण उनसे भी सिंचाई नहीं हो पा रही है, इसलिये किसान की हालत आज सबसे बदतर है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जनता की समस्याओं को उजागर करने के लिये हम यहां सदन में आते हैं और मैं जानता हूं कि इस वर्तमान समय में जितना त्रस्त किसान है, उतना और कोई हो नहीं सकता । पानी के कारण, बिजली के कारण उसकी स्थिति बहुत बुरी हो गयी है । यह आज सबसे महत्वपूर्ण मामला है । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस पर चर्चा करायें, क्योंकि मैंने कल ही 301 में एक प्रश्न दिया था, मंजूर भी हुआ था । मेरे विधान सभा क्षेत्र में संवरा, गोपालपुर, पान्डेयपुर, उड़ियानपुर आदि गांवों में गर्मी के दिनों में पानी का स्टेटा नीचे गिर जाता है और लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिलता है, सारे कुएं सूख गये हैं । एक वहां पर ट्यूबवेल है, वह भी पानी देना बंद कर दिया है । पानी के बिना लोग तड़प रहे हैं, मैंने वहां टैंकर से पानी पहुंचाने का प्रबन्ध करने का आग्रह किया था लेकिन लोग पीने के पानी के लिये त्राहि-त्राहि कर रहे हैं, किसानों की फसल पानी के अभाव में सूख रही है और बिजली की अघोषित कटौती हो रही है । रात भर मच्छर सोने नहीं देते हैं। आज प्रदेश की जनता की बड़ी दुर्दशा है । आज उनके लिये पेयजल की व्यवस्था नहीं है, न बिजली की व्यवस्था है । हम लोग जनता की सेवा के लिये इस आदरणीय सदन में आते हैं । मान्यवर, आप भी जन प्रतिनिधि हैं । इसलिये मान्यवर, आपसे प्रार्थना है कि आप आज सदन की शेष कार्यवाही रोक कर

इस पर चर्चा करवायें और जनता जिस समस्या से आज जूझ रही है, उसका उचित हल सरकार से आप निकलवायें ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय नेता विरोधी दल व कई माननीय नेताओं ने इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किये । आज पूरे प्रदेश में सबसे तबाह किसान है । उसकी समस्याओं को कई बार इस आदरणीय सदन में उठाया गया ।

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

आप तो खुद ही पावर हाउस हैं ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय-

मान्यवर, यह सही है कि सरकार की कई बार घोषणा करने के बावजूद भी गांवों में तीन घंटे से भी ज्यादा बिजली नहीं मिल पा रही है । श्री राणा जी ने बिलकुल सही कहा कि इस समय गेहूं की मड़ाई का काम चल रहा है । जब कोई किसान थ्रेशर चलाकर अपने गेहूं की 5 मिनट की मड़ाई कर पाता है तो बिजली चली जाती है । जब वह इस बीच घर चला जाता है तो बिजली आ जाती है । ज्यों ही वह घर से फिर आता है उसके आते-आते बिजली फिर चली जाती है । इस प्रकार आज प्रदेश का किसान सबसे ज्यादा प्रताड़ित है । आज यह सरकार दो तरह से कार्य कर रही है । आज पूरे प्रदेश में पीने के पानी की समस्या है । गांवों में जो तालाब हैं, जिनसे पशुओं के पानी पीने हेतु काम चलता था, आज वे तालाब भी सूख रहे हैं । पानी का जो स्टेटा है, वह भी नीचे जा रहा है । गांवों में पीने के पानी की समस्या जटिल है । अभी जैसा श्री चौधरी जी ने कहा कि बलिया के दोहरी घाट पम्प कैनाल जो बलिया के किसानों को पानी देती है, जिस पर 13 बड़े-बड़े साइफन लगे हैं, परन्तु वर्तमान में मात्र तीन साइफन चल रहे हैं । बिजली न मिलने के कारण कई दिनों तक ये साइफन भी बन्द पड़े रहते हैं । इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि यह दोहरीघाट पम्प कैनाल अपनी पूरी क्षमता से चले । मेर निर्वाचन क्षेत्र में एक फतेहपुर माइनर है, जिसमें आज तक पानी नहीं पहुंचा है । इस समय किसान द्वारा गन्ने की बुआई की जा रही है । इसके लिये भी किसान को सिंचाई की आवश्यकता होती है । ट्यूबवेल नहीं चल रहे हैं, नहरें नहीं चल रही हैं, जिससे किसानों के सामने जटिल समस्या खड़ी हो गई है । किसान अपने गन्ने की बुआई कैसे कर पायेगा और गेहूं की मड़ाई कैसे कर पायेगा । मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अभी गन्ने के बारे में सवाल इस सदन में उठा । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक घोसी चीनी मिल है । जहां पर 70 प्रतिशत गन्ने का भुगतान किसानों का नहीं हो पा रहा है । प्राइवेट मिलों पर आप कड़ाई कर रहे हैं, परन्तु आपकी जो सरकारी मिलें हैं, उन पर आप भुगतान की प्रक्रिया को लागू नहीं करवा रहे हैं ।

इस प्रकार एक तरफ तो आपकी सरकार वसूली करके किसानों को प्रताड़ित कर रही है और दूसरी तरफ उन्हें भुगतान नहीं कर रही है । इस प्रकार किसान पर दोहरी मार पड़ रही है । आज किसान को डीजल नहीं मिल पा रहा है, पीने के पानी की समस्या उसके सामने है और पशुओं को पानी नहीं मिल पा रहा है । आज किसान परेशान है उसके सामने गम्भीर समस्या पैदा हो गयी है । उत्तर प्रदेश में 85 प्रतिशत लोग किसान हैं अगर किसानों की समस्या हल हो जाय तो पूरे प्रदेश की समस्या हल हो सकती

है । इसलिये मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि कम से कम जो आप किसानों की बात करते हैं उनकी समस्याओं पर ध्यान दें । हम जनता के प्रतिनिधि हैं किसानों के वोट से इस सदन में आते हैं इसलिये उनकी समस्या यहां पर उठाते हैं । बिजली की समस्या, पानी की समस्या अन्य बहुत सी समस्यायें हैं उन पर यहां चर्चा होती है लेकिन सरकार के कान में जूं नहीं रेंगती उसके कान बहरे हो गये हैं । इसलिये मैं चाहूंगा कि आप अपनी व्यवस्था देने से पहले इस पर निश्चित रूप से सदन की कार्यवाही स्थगित कराकर चर्चा कराने की कृपा करें ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

जिन माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं उनको मैं बुलाता जा रहा हूं ।

श्री मिही लाल–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बुन्देलखण्ड के हमीरपुर जनपद की जो बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है उसके संबंध में सरकार को अवगत कराने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं ।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र के चरखारी, पनवारी और कुलपहाड़ में पानी की समस्या बहुत गम्भीर हो चुकी है, चरखार को जिला प्लान में पैसा भी मिला था वह वैसे ही पड़ा हुआ है । वहां जानवर क्या आदमी तक को पानी नहीं मिल रहा है । बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पानी की हालत बहुत खराब हो गयी है । बिजली की हालत यह है कि लोग जानते नहीं हैं कि बिजली क्या होती है । इसी तरह से पानी की हालत है । राठ में ऐसे-ऐसे गांव हैं जहां 60-60, 70-70 फीट गहरे कुएं हैं उनमें पानी नहीं मिल रहा है । मौदहा बस स्टैंड में पानी की हालत बहुत खराब है । मौदहा के लोग मेरे पास आये और कहने लगे कि हमारे जानवर मर रहे हैं । वहां हरिजन बाहुल्य गांव हैं जिसके लिये एक नहर बनी है लेकिन उसकी टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है । आपसे अनुरोध है कि टेल तक पानी पहुंचाने की कृपा करें । मेरे विधान सभा क्षेत्र का जिला प्लान में गांव के लिये योजना पास हो चुकी है । वर्ष 1987 से आज तक उसमें काम नहीं हो पाया है जिसमे गुडा, गोरहारी, बसारा, भरवारा, अनघोरा, लुम्हारी, कुड़ार, पहरेया, मुहारी, सिरमौर के लिये आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । इसी तरह से काकुन, सिजोरा, रिवई पनवारी, कुलपहाड़ आदि में ट्रांसफारमर 87 से नहीं लगे हैं । इसलिये मेरी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से मांग है कि वहां की समस्या को हल करने के लिये 10 करोड़ रुपया देने की कृपा करें ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

जिन माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं उन्हें ही पढ़ रहा हूं । कृपया आप लोग बैठ जायं । जिनके हस्ताक्षर नहीं हैं उनको अनुमति नहीं दूंगा ।

* श्री राम कृष्ण–

मान्यवर, आज किसान के सामने बिजली की समस्या, गन्ना की समस्या पानी की समस्या भयंकर है जो किसी से छिपी नहीं है । उत्तर प्रदेश का किसान और गांव में रहने वाले लोग इन समस्याओं से पूरी तरह से त्रस्त हैं । मान्यवर, पानी और बिजली न मिलने से गांव के ट्यूबवेल और नहरें बन्द हैं । वहां पर फसलों की कटाई होनी है, लोगों के खेतों में गेहूं कटा हुआ लगा है, लेकिन बिजली न होने से उनके काम में भारी रुकावट आ रही है । इसलिये सभी माननीय सदस्यों ने कहा है कि बिजली की बहुत बड़ी समस्या है और उसको लेकर भी बहुत सी समस्यायें हैं । उनसे किसान बुरी तरह परेशान है । इसके साथ, हमारे यहां के अनेक गांवों में 4-4-.5-5 साल से विद्युतीकरण होना था, वहां आज तक नहीं हुआ है । गांव में खम्भे गड़े हैं । चार साल पहले सेलघुर और कबीरपुर आदि में खम्भे गड़े हैं, लेकिन आज तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है । जो गन्ने की बात है, गन्ना भी हमारे जनपद के अनेक क्षेत्रों में पैदा होता है किन्तु वहां पर 50 प्रतिशत तक गन्ना अभी खड़ा हुआ है, किन्तु हम नहीं जानते हैं कि हरगांव फैक्ट्री को किस कारण बन्द करा दिया गया है । लेकिन इतना जानते हैं कि उक्त फैक्ट्री से किसी कारण इनकी पार्टी के लोगों ने नाराज होकर उसे बन्द करा दिया है, उसके खाते आज सील कर लिये गये हैं । इसके अलावा जो सरकारी फैक्ट्रियां हैं उन पर करोड़ों रुपया सन् 78 से बाकी है । हरगांव शुगर फैक्टरी सबसे ज्यादा पेमेन्ट करती है और .....

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप खत्म करें, आपका बहुत समय हो गया है (व्यवधान)

श्री राम कृष्ण–

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि यह जो हम लोगों ने सदन में.....

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें और बैठें । श्याम सुन्दर शर्मा जी ।

श्री रामकृष्ण–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

रामकृष्ण जी आप यह सब बिना अनुमति के बोल रहे हैं । मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :—[x x x] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

मान्यवर, जब से यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आयी है, तब से गांव की जनता, किसान और श्रमिकों की समस्याओं के प्रति यह सरकार न केवल अनदेखी कर रही है बल्कि उनकी ओर से घोर उदासीन भी है । आज प्रदेश में भीषण बिजली का संकट पैदा हो गया है । आज मथुरा जनपद ही नहीं, आस-पास के आगरा और बुलन्दशहर आदि जनपदों में भी बिजली की बहुत बड़ी समस्या है । बिजली का सम्बन्ध पानी से भी है । आज आगरा मण्डल के किसी भी नगर में पानी नहीं मिल पा रहा है । नहरों से भी पानी नहीं मिल रहा है । इससे गांव की जनता त्राहि-त्राहि मचा रही है । आज प्रदेश में पशु और मनुष्य सभी प्यासे मर रहे हैं । जहां तक बिजली के भ्रष्टाचार की बात है, मथुरा का एक उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहता हूं, जिस असिस्टेन्ट इंजीनियर के बारे में राणा जी ने भी उठाया था । वहां पर सादाबाद में कोआपरेटिव यानी डी० सी० डी० एफ० का एक कोल्ड स्टोरेज है, जिसकी कैपिसिटी 2000 मी० टन की है, उसकी बिलिंग 77,000 रुपया प्रति दो माह की होती है । किन्तु उसी लाईन पर और उसी फीडर में जो प्राइवेट सेक्टर का कोल्ड स्टोरेज हैं उसकी कैपिसिटी 12,000 मी० टन की है यानी पहले वाली से इसकी कैपिसिटी 6 गुना अधिक है किन्तु उसकी बिलिंग प्रति 2 माह की उस कोआपरेटिव फैक्टरी की आधी ही आती है । जबकि कायदे से उसका चार-साढ़े चार लाख का बिल प्रति माह आना चाहिए । आज भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार किसानों के प्रति उदासीनता का रवैया अपनाये हुए है । साथ ही हमारे यहां की छाता गन्ना मिल में बहुत देर से पेराई शुरू हुई है और किसानों के गन्ने का भुगतान भी नहीं हो रहा है । मान्यवर, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है, आप नियमों को शिथिल करते हुए इस पर चर्चा करायें ।

[समय 4 बजे]

*श्री राम सिंह (हमीरपुर)–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश में पानी और बिजली की अभूतपूर्व समस्या है परन्तु हमारे बुन्देलखण्ड क्षेत्र में विधान सभा क्षेत्र राठ, जिला हमीरपुर में विद्युत और पेय जल की कठिन समस्या है। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे पूरे जनपद मे पीने के पानी, सिंचाई और बिजली का संकट है नदी के किनारे जितने गांव हैं वहां हैंड पाइप लगाने की नितान्त आवश्यकता है । मान्यवर, मेरी मांग है कि सरकार बुन्देलखण्ड में हैण्ड पाइप की व्यवस्था करें । मान्यवर, बुन्देलखण्ड पानी और विद्युत के अभाव में तड़प रहा है । वहां न कभी सिंचाई हो पाती और पेयजल की समस्या तो हमेशा बनी रहती है । अब गर्मी के मौसम में वहां बांधों में पानी नहीं रह गया जिससे वहां की नहरें नहीं चल रही हैं । इसलिये शासन से अनुरोध है कि राठ क्षेत्र में पानी और विद्युत की समस्या को त्वरित गति से हल किया जाय ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी पक्ष और अन्य नेताओं ने पानी और बिजली के संकट पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की है । लेकिन इसके साथ ही मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जिलों में सिंचाई की बैठकों में पानी और बिजली की समस्या पर विचार होता है इधर जब से विधान सभा की कार्यवाही चल रही है तब से सिंचाई विभाग की बैठकों में हम नहीं जा पाये हैं लेकिन सिंचाई विभाग की बैठकें

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बराबर चलती रहीं जबकि परम्परा है कि विधान सभा की कार्यवाही चलने के दौरान ऐसी बैठकें जिनमें माननीय विधायक हिस्सा लेते हैं वह नहीं आयोजित की जायेंगी किन्तु खेद है कि ऐसी बैठकें बराबर होती रही हैं। विधान सभा सत्र चलने के कारण जिलों में सिंचाई विभाग की बैठकों में स्टेट ट्यूबवेल पर विचार होता था लेकिन मैं उन बैठकों में शामिल नहीं हो सका। ऐसी बैठकों में एक बात सामने आती थी कि जितने स्टेट ट्यूबवेल हैं वह या तो यांत्रिक दोष के कारण या विद्युत दोष के कारण बन्द पड़े हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि इसमें एक तीसरा दोष भी शामिल कर लिया जाय कि कितने ट्यूबवेल सरकारी अक्षमता के कारण बन्द हैं। यांत्रिक दोष से जितने ट्यूबवेल बन्द हैं उनकी जानकारी सरकारी आंकड़ों में नहीं है किन्तु विद्युत दोष से ज्यादातर ट्यूबवेल बन्द पड़े हैं उनको बताया गया है। मान्यवर, इस सदन में विद्युत विभाग के संबंध में कई बार चर्चा हुई और कई ऐसे अवसर आये जब विद्युत विभाग की अक्षमता पर इस पक्ष और उस पक्ष के सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये जिनसे मालूम हुआ कि पूरे प्रदेश में कहीं भी 4-5 घंटों से अधिक विद्युत की आपूर्ति गांवों में नहीं हुई है। थ्रेसिंग का काम चल रहा है, फसल खलिहानों में लगी है। किन्तु बिजली किसानों को नहीं मिल रही है जिसका सबसे बड़ा कारण ट्रांसफार्मरों की खराबी होना और उनका उपलब्ध न होना बताया जाता है।

मान्यवर, मैं एक बात यह भी बताना चाहता हूं कि जूनियर इंजीनियरों के माध्यम से जहां ट्रांसफार्मर खराब हैं, वहां ट्रांसफार्मर ऐसे लोगों को दे रखे हैं जिनका लिखा पढ़ी में कोई जिक्र नहीं है, मेरे कहने का मतलब जिन लोगों के बिजली के अवैध कनेक्शन हैं उन्हें तो ट्रांसफार्मर मिल जाते हैं और बिजली की आपूर्ति होती रहती है। किन्तु जिन किसानों के वैध कनेक्शन हैं और वहां ट्रांसफार्मर खराब हो गये हैं बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है जिससे किसानों को ट्रांसफार्मर ठीक लगाने के लिये 4-5 महीनों तक विद्युत विभाग के चक्कर लगाने के बावजूद भी ट्रांसफार्मर नहीं मिल पाते हैं और अगर वह किराया जमा करता है पांच सौ या हजार रुपये तब ट्रांसफार्मर मिल पाता है और जिनका वैध नहीं है उन्हें विद्युत विभाग की तरफ से बिना किसी लिखा पढ़ी के ट्रांसफार्मर मिल जाता है। ऐसा ही एक प्रकरण मैंने विद्युत मंत्री जी के संज्ञान में दिया था उसकी जांच भी हो गयी थी। ट्रांसफार्मर पकड़ा गया था। मैं यहां पर मिसाल दे रहा हूं कारखाना पकड़ा गया, वह पक्की रोड पर स्थित थः। उस फाइल पर कोई कार्यवाही नहीं हुई जिस पर ट्रांसफार्मर दे रखा था। वह बिना लिखा पढ़ी के दे दिया गया था। मैं पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि इतने बड़े पैमाने पर खुल्लम-खुल्ला चोरी हो रही है। यह विद्युत की चोरी हो रही है और कराई जा रही है। सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए। सरकार की जानकारी के बिना इतनी बड़ी विद्युत चोरी नहीं हो सकती है। मान्यवर, मैं दो एक मिनट और लूंगा। पानी के बारे में अपनी बात कह कर समाप्त करता हूं। पूरे प्रदेश में नहरों में कहीं पानी नहीं है और पानी नहरों में न होने के कारण जानवरों के लिये भी पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गयी है। हम भी गांव से आते हैं, आप भी गांव से आये हैं। गांवों में कुएं सूख गये हैं जिससे पेयजल का संकट हो गया है। एक डेढ़ किलोमीटर की परिधि के जो तालाब थे वह भी सूख गये हैं। जो पुराने हैंड पम्प हैं, पिछली सरकारों द्वारा लगाये गये थे उनसे पानी की समस्या दूर नहीं हो पा रही है क्योंकि ज्यादा मात्र में हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं। मैं आपके माध्यम से सुझाव दूंगा आलोचना नहीं कर रहा हूं। वहां के लिये आदश्यक धनराशि की घोषणा करें। प्रदेश में सूखे की समस्या पैदा हो रही है। हैंड पम्प ठीक करवाने और अतिरिक्त हैंड पम्प लगवाने की व्यवस्था की जाय। गांवों में जो तालाब हैं, जिनमें मवेशी पानी पी सकते हैं उन्हें भरवाये जाने की व्यवस्था सरकार करे। जब सूखे की समस्या होती है तो जिला अधिकारी, विधायक के साथ बैठकर बैठक होती है।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

ऐसी बैठक हो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ कहना चाहता हूं कि मैंने जो सुझाव दिये हैं उस पर जब माननीय मंत्री जी या कोई और, जो भी बोलने के लिये खड़ा हो यह जरूर बतायें कि सरकार इन सुझावों पर विचार करेगी।

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया है, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, जितने भी ट्यूबवेल लगाये गये हैं। उनमें से आप सबको पता है कि उनमें से 70–80 फीसदी इनकी अक्षमता, इनकी लापरवाही की वजह से खराब पड़े हैं। अभी तक शासन द्वारा प्रत्येक मास के अन्त तक सी० सी० एल० पहुंचा दी जाती थी किन्तु जब से भा० ज० पा० सत्ता में आयी है। सी० सी० एल० 6 माह बीत जाने पर भी जारी नहीं की गयी है, जिससे इन नलकूपों का मेंटीनेन्स कैसे हो सकता है। आज हालत यह है कि अप्रैल के महीने में भी सी० सी० एल० नहीं दिया गया है तो मेन्टीनेन्स कैसे होगा। आज ट्यूबवेल खराब पड़े हैं। इन्होंने अपने अधिकारियों को बस एक बात सिखा रखी है कि एक ट्यूबवेल की मोटर दूसरे ट्यूबवेल पर जाकर दिखा दे और आंकड़ों द्वारा साबित कर दें कि नलकूप ठीक हो गया जबकि वास्तव में नलकूप खराब रहता है। फर्जी सिंचाई के आंकड़े दिखा देते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं कर पाये हैं। जितने भी ट्यूबवेल हैं, सब के सब खराब पड़े हैं, कोई भी सही नहीं है। गर्मी के मौसम में सरकारी ट्यूबवेल से तालाब भर दिये जाते थे या नहरों के द्वारा तालाब भर दिये जाते थे ताकि जानवरों को पीने का पानी उपलब्ध हो सके किन्तु इस सत्ता में यह व्यवस्था समाप्त कर दी गयी। जब हैण्ड पम्पों की ही स्थिति ठीक नहीं है तो पानी किस प्रकार से उपलब्ध हो सकेगा। इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प हैं उनके 60% प्लेटफार्म नहीं बनाये गये हैं जिससे जनता को गन्दा पानी पीना पड़ रहा है वह भी भाजपा के लोगों के कहने से लगाये जाते हैं। जहां पर जरूरत है वहां नहीं लगाये जा रहे हैं। मैं अपने जनपद बदायूं की बात करता हूं। वहां पर अधिकांश नलकूप इस कारण खराब पड़े हुए हैं कि मेन्टीनेन्स के लिये शासन द्वारा धन उपलब्ध नहीं कराया गया है।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री भोला शंकर मौर्य–

बदायूं शहर में तीन-तीन दिन बिजली नहीं आती है। कस्बों में तीन-तीन दिन बिजली नहीं आती है। मेरे चुनाव क्षेत्र में तीन दिन तक बिजली नहीं आयी।

श्री उपाध्यक्ष–

अब समाप्त करें। लगता है आपकी बदायूं की घड़ी है।

श्री भोला शंकर मौर्य–

जिसकी वजह से पानी नहीं मिल पा रहा है। वहां जो खराब नलकूप पड़े हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर सही कराया जाये। मान्यवर, कांग्रेस पार्टी के द्वारा विद्युत एवं पानी की खराब स्थिति को

लेकर एक विशाल सभा 9-5-92 को बदायूं में की गयी थी । जनता पूरी तरह आन्दोलित है । सरकार कुछ नहीं कर रही है । चर्चा करायें ।

श्री उपाध्यक्ष–

वह माननीय सदस्य क्षमा करें जिनके हस्ताक्षर सूचनाओं पर नहीं हैं ।

(व्यवधान)

चर्चा नहीं हो रही है जिन माननीय सदस्यों की सूचना थी उनको ग्राह्यता पर बुलवा रहा हूं ।

* श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश के किसान बिजली की कमी के कारण अपना कृषि कार्य नहीं कर पा रहे हैं । वह किसान जो इस प्रदेश के नागरिकों को अपने खून पसीने से अन्न उपजाकर पेट पालता है, वह भुखमरी के कगार पर आ गया है । मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में कहना चाहूंगा, यहां पर बिजली तीन-चार घंटे आ पाती है । उसमें भी जो बिजली रात को आती है, उसमें इनकी कृपा से बदमाशों के डर से किसान नलकूप नहीं चलाता है । किसान का एक पैर खेत में रहता है और दूसरा पैर ट्यूबवेल पर रहता है । यही नहीं जायद की फसल बरबाद हो रही है । पशुओं के लिये चारा नहीं मिल पा रहा है । न ही किसान गन्ने की पेराई कर पा रहा है और बिजली की कमी के कारण ही किसान अपने खेत के गेहूं की थ्रेसिंग नहीं कर पा रहा है । मान्यवर, जब तक किसान खलिहान में जाता है तब तक बिजली चली जाती है । बिजली की स्थिति भयावह हो रही है । चार-चार ट्रांसफार्मर फुंके हुए पड़े हैं उनको बदलने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है । पैसा लेकर ट्रांसफार्मर बदले जाते हैं । सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है । मुजफ्फरनगर क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था सुचारु रूप से हो सके इसके लिये पिछली सरकारों ने, बिजलीघरों के निर्माण जिनमें कुटवा, टोडा कुरावा प्रमुख हैं की स्वीकृति दी थी, और निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया था, लेकिन इस सरकार ने उस निर्माण कार्य को रोक दिया है और जिन स्थानों पर बिजलीघर प्रस्तावित थे जिनमें पीनना, कुरमाली, करोड़ी भैंसवार थे उन पर कार्यवाही रोक दी है । किसानों को नये विद्युत कनेक्शन सामान के अभाव में नहीं मिल पा रहे हैं । किसान बरबादी के कगार पर आ गया है । मान्यवर, मुजफ्फरनगर से सरकार इसलिये रुष्ट है क्योंकि इनकी पकड़ से यह क्षेत्र बाहर है । किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी का समर्थन करने वाले लोग यहां हैं इसलिये यह सरकार इस क्षेत्र के लिये कुछ नहीं कर रही है ।

मान्यवर, जहां तक पेयजल का मामला है ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल का अत्यन्त अभाव हो गया है पिछली सरकारों ने इस अभाव को देखते हुए काजीखेड़ा, काकड़ा, सोरों, जोडा, मुंडवर, मोमनपुर रायसी ग्रामों में ग्राम समूह पेयजल योजना की स्वीकृति प्रदान कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया था जिनमें शासन का धन बरबाद हो चुका है परन्तु मुजफ्फरनगर का एक दुर्योधन जो सरकार में शामिल है वह निर्माण कार्य रोकता है जिसकी वजह से राजस्व की हानि हो रही है चूंकि अब निर्माण की लागत बढ़ेगी इसलिये उसको निर्माण कराना चाहिए लेकिन इस सरकार को इसकी कोई चिन्ता नहीं है । यही नहीं पिछले दिनों बगरा विधान सभा क्षेत्र को विश्व बैंक योजना में सम्मिलित किया गया था लेकिन इसको भी नकार दिया गया । साथ ही हमारे विधान सभा क्षेत्र में 12 स्थानों पर ग्राम समूह पेयजल योजना निर्मित होनी थी परन्तु उन पर जिनसे सैकड़ों गांव लाभान्वित होते, उनको छोड़ दिया गया है और जो सरकार की मांग है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कि 250 की आबादी पर एक हैण्ड पम्प लगाया जायेगा .उसके अनुसार वहां हैंड पम्प नहीं लगाये गये हैं । मंडी समिति द्वारा स्वीकृत 6 हैण्ड पम्प नहीं लगाये गये हैं स्थल चयन भी नहीं कराया जा रहा है । सरकार ला रही है । मान्यवर, हमारे यहां हिंडन–कृष्णा द्वबाबा में भू-जल दूषित हो रहा है यही नहीं मैं नहीं कह रहा हूं सी० एम० ओ० ने इस आशय का प्रमाण-पत्र दिया है कि वहां के नागरिक, पशु दूषित जल पी रहे हैं । कभी भी वहां पर महामारी फैल सकती है । मान्यवर, तहसील बुडाना केराना तथा तहसील सदर में अत्यधिक लोग पीड़ित हैं यहां भूजल स्तर 100 फिट नीचे चला गया है । सामान्य हैण्ड पम्प यहां पर कार्य नहीं करते हैं । इण्डिया मार्क-2 आप नहीं लगवा पा रहे हैं । या तो इण्डिया मार्क-2 हैंड पम्प वहां लगवा दें या टंकी के द्वारा पानी की व्यवस्था करवा दें । आपने जो नागरिकों को मरने के लिये छोड़ दिया है इसको प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी । मान्यवर, सरकार भारतीय संविधान को तोड़ने का काम कर रही है । जो कार्य ग्राम समूह योजना में प्रस्तावित किये गये थे, मेरे यहां 12 जगहों पर सर्वे हुआ था,उन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाय । आपने सवा दो सौ की जनसंख्या पर हैंड पम्प लगाने का मानक निर्धारित किया है उसके अनुसार माननीय गुप्त जी आप आज सदन में आश्वासन दे कि वहां हैण्ड पम्प लगा दिये जायेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूं ।

* श्री विजय पाल सिंह तोमर–

मान्यवर, आज पूरे उत्तर प्रदेश में पानी की विकट समस्या है ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मेरी सूचना पर दो साथियों के दस्तखत हैं इनको सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने माननीय विजय पाल सिंह तोमर को बुला लिया है ।

श्री विजय पाल सिंह तोमर–

माननीय उपाध्यक्ष जी आज पूरे उत्तर प्रदेश में पानी की समस्या है । पानी चाहे पीने के लिये हो या सिंचाई के लिये हो उसकी पूरे प्रदेश में बड़ी समस्या है । आज बिजली के ट्रांसफार्मर्स फुंक जाते हैं तो 3-3 महीनों तक बनाये तथा बदले नहीं जाते हैं और यदि तार चोरी हो जाता है तो 6-6 महीनों तक तार नहीं लगता है । हालत यह है कि मेरे क्षेत्र में जो सलाबा जल विद्युत गृह था वह बंद है । मैंने विधान सभा में भी इस मामले को उठाया था । वहां 25 गांवों में पानी नहीं गया है जिससे फसल बरबाद हो गयी है । बरनांवा क्षेत्र जहां से कटार सिंह विधायक हैं वहां का जल स्तर बहुत नीचे गिर गया है । वहां पर न पीने के लिये पानी है और न सिंचाई के लिये पानी है । बिजली का यह हाल है कि 24 घंटे में 3-4 घंटे आ रही है । जो बिजली आती है वह दो फेज में नहीं आती है जिससे मोटर पूरा लोड नहीं उठाती है और ट्यूबवेल नहीं चल पाते हैं । एक तरफ गेहूं की थ्रेसिंग का काम चल रहा है और दूसरी तरफ गन्ने का काम चल रहा है । बिजली पानी न होने के कारण किसानों के यह दोनों काम रुके पड़े हैं । हमारे यहां जो नहरों की हालत वह भी ठीक नहीं है । रजबहों के टेल पर पानी नहीं पहुंचता है जिससे फसलों को पानी नहीं मिल पाता है । रजबहों की सफाई नहीं करायी जा रही है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पहले ऊर्जा सिंचाई सलाहकार समितियों की बैठकें हुआ करती थीं उनमें चर्चा होती है अब विधायकों को उन समितियों से अलग कर दिया गया है जिससे यह पता नहीं चलता है कि क्या कार्य किये जा रहे हैं । यह अत्यन्त लोक महत्व का प्रश्न है । मैं मांग करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायें ।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, आज जिस समस्या पर सदन में चर्चा हो रही है, इस पर हमारे माननीय सदस्यों ने पूरे प्रदेश की समस्या बताते हुए अपने क्षेत्र की बात रखी है । हमारे इलाहाबाद जनपद में अभी कुछ दिन पहले हमारे इसी माननीय सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय ने इलाहाबाद के अधिकारियों को पूरे जनपद में इलाहाबाद के नागरिकों को पेयजल की समस्या से हो रही भयानक तकलीफों की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए उन्हें डांटने का भी काम किया था । इलाहाबाद के सभी अखबारों में छपा कि इलाहाबाद की जनता पेयजल की समस्या से पीड़ित है । कुछ दिन पहले इसी सदन में मैंने अपने प्रश्न के द्वारा नगर विकास मंत्री से जानना चाहता था कि क्या उनको इलाहाबाद की भीषण पेयजल की समस्या की जानकारी है । उन्होंने जवाब दिया कि वहां की पेयजल की समस्या है ही नहीं । यह बहुत बड़ा विरोधाभास है कि माननीय सदन के माननीय अध्यक्ष ने अधिकारियों को डांटा और खुद व्यक्तिगत रूप से समस्या को अनुभव किया और नगर विकास मंत्री का उत्तर था कि इलाहाबाद जनपद के नागरिकों को पेयजल की समस्या है ही नहीं । उसके बाद नियम 51 में भी सूचना दी कि इलाहाबाद के चायल विधान सभा क्षेत्र में जो कुएं हैं, सूख रहे हैं और किसानों को और ग्रामीण जनता को पेयजल नहीं मिल रहा है । माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि वहां 1342 हैण्ड पम्प लगे हैं जिसमें मात्र 9 खराब हैं । कितने आश्चर्य की बात है कि 1342 में से मात्र 9 ही खराब हैं । मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं कि वहां पर जितने हैण्ड पम्प लगे हैं, उनमें से 50 परसेंट खराब हैं । इलाहाबाद जिले के सैदाबाद, फूलपुर, बहादुरपुर, पुतापपुर आदि ब्लाकों में भी पेयजल की बड़ी समस्या है । इसी प्रकार चायल, नेवादा और मूरतगंज में भी वही समस्या है । अतः पेयजल की समस्या को दूर करने के लिये सरकार तत्काल समुचित कार्यवाही करे और कदम उठावे । इसके साथ मैं इस प्रस्ताव पर बल देते हुए आपसे निवेदन करूंगा कि इस कार्य स्थगन की सूचना को स्वीकार करते हुए अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें ।

श्री किशोरी लाल यादव–

मान्यवर, अभी हमारे माननीय नेतागण ने उत्तर प्रदेश के भीषण पेयजल और विद्युत संकट की समस्या के बारे में पूरे सदन को जानकारी दी । इस संबंध में पूर्वांचल के जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूं के बारे में बताना चाहता हूं कि वहां पर विद्युत और पेयजल की कितनी भयंकर समस्या है । पहले विद्युत की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । एक तो मंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास धन का संकट है, जबकि मड़ियाहूं में 132 के० वी० की 13 किलोमीटर लम्बी लाइन के खम्भे उखाड़ कर बेच दिये गये । मैंने विधान सभा प्रश्न किया था, जवाब आया कि बेचे नहीं गये, अन्यत्र लगा दिये गये । दूसरी बात यह है कि वहां का अधिशासी अभियन्ता (विद्युत), जौनपुर जो इस घपले की लीपा-पोती करने में जुटा है । इसके साथ ही मैं जानकारी देना चाहता हूं कि मड़ियाहूं विद्युत सब स्टेशन से जिला सहकारी फेडरेशन को कोल्ड स्टोरेज की लाइन गयी थी वहां अधिकारियों ने राजस्व विभाग से भी पैसा जमा करा लिया और कोल्ड स्टोरेज से भी जमा करा लिया । कोल्ड स्टोरेज का पैसा दिखा दिया और राजस्व विभाग का नहीं दिखाया । वहां पर स्थिति यह है कि पूरे 24 घंटे में आधा घंटा भी विद्युत

आ जाय तो भाग्य होगा कि आधा घंटा विद्युत आ जाती है । पानी के संकट के बारे में, मान्यवर, मड़ियाहूं जौनपुर के दक्षिण में है । वहां के बारे में पहले से ही विधान सभा में, पिछली विधान सभाओं में चर्चाएं होती रही है । वहां पर इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प बहुत कम लगे हैं । मैंने माननीय मंत्री जी को अवगत कराया था कि वहां 10 गांव ऐसे हैं या करीब 15 गांव पानी से पीड़ित हैं । वहां पर ग्रामीण पेयजल की सामूहिक योजना शीघ्र लागू करें जिससे कि लोगों को राहत मिल सके ।

* श्री जगदीश सिंह–

मान्यवर, मेरा निर्वाचन क्षेत्र गंगा और यमुना के बीच का मुजफ्फराबाद है, जिसमें 180 गांव पेयजल से त्रस्त हैं, जहां पर 10-10 किलोमीटर से पीने का पानी लाया जाता है । यह घाड क्षेत्र के नाम से जाना जाता है । इसी के करीब 180 गांवों में पानी पीने की और सिंचाई की सम्मस्या बहुत भारी है । इसी क्षेत्र में यमुना के किनारे पर 15 गांवों के किसानों की जमीनें ली गयीं और उन्हें खारी योजना बना कर तैयार की गयीं, उन गांवों के किसानों की जमीनों को खारा योजना में ले लिया गया है, वहां के लोग पीने के पानी के लिये परेशान हैं । वहां पर अभी-अभी आग लग गयी, उन गांवों में आग बुझाने के लिये पानी की कोई व्यवस्था नहीं हो पायी । उसी में दो आदमी जल कर मर गये और कुछ पशु भी जल कर मर गये । मेरा अनुरोध है कि वहां पर एक खारा कैनाल के नाम से एक योजना है, जो बरसाती नाले के नाम से है, मेरा शासन से अनुरोध है कि खारा योजना चलने के बाद उस खारा नहर को जो बरसाती नहर के रूप में है, उसको बरामासी नहर बनाने का कष्ट करें, जिससे करीब वहां के 120 गांव की पेयजल व सिंचाई की समस्या का सही ढंग से हल हो सके और जो खारा योजना बनी हैं, उनमें इस योजना में जिन गांवों की जमीनें गयी हैं, उनका विद्युतीकरण भी इसी योजना द्वारा माननीय विद्युत मंत्री जी कराने की कृपा करें, जिससे घाड क्षेत्र का भविष्य उज्जवल हो सके ।

श्री महक सिंह–

मान्यवर, आज प्रदेश का किसान और ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोग बिजली और पानी की आपूर्ति से बुरी तरह से प्रभावित हैं । मान्यवर, आज किसान को गन्ने की बुआई, गन्ने की कटाई, गेहूं की मड़ाई, तिलहन और दलहन की फसलों की सिंचाई के लिये ट्यूबवेलों के लिये बिजली की निर्धारित घंटों की आपूर्ति नहीं हो पा रही है । मान्यवर, हालत यह है कि बिजली केवल 3-4 घंटे आती है, वह भी रुक-रुक कर, क्योंकि बिजली की लाइन बहुत जर्जर हालत में हैं और उनमें किसी न किसी स्थान पर अधिक भार होने के कारण खराबी होती रहती है । इन लाइनों को ठीक करने के लिये कहने पर ट्यूबवेल विभाग के अधिकारियों द्वारा धन का अभाव बता दिया जाता है । मान्यवर, ट्यूबवेल के नये कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं । पूरे प्रदेश में जो नये ट्यूबवेल के कनेक्शन दिये जाने का लक्ष्य है, वह बहुत कम है, अकेले जनपद मेरठ में लम्बित नलकूपों की संख्या 2 हजार से अधिक है,और अकेले विद्युत वितरण खण्ड बड़ौत में ऐसे नलकूपों की संख्या 650 है । मान्यवर, मैं विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार के संबंध में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । विद्युत वितरण खण्ड के अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि जनवरी, 1991 तक प्रतीक्षा सूची में ट्यूबवेलों के कनेक्शन दिये जा रहे हैं, परन्तु आपको यह जानकर आश्चर्य होगी कि फरवरी, 1991 में जिन्होंने नलकूपों के लिये आवेदन पत्र दिये थे, रिश्वत लेकर उनको कनेक्शन दिये गये हैं । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में इसी प्रकार के अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसी प्रकार गांवों में प्रकाश के लिये बिजली शाम 6 बजे से 10 बजे तक बिलकुल नहीं आती है और छात्रों को पढ़ने के लिये भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ।

मान्यवर, गांवों के लोगों को बिजली के बिल तो देने पड़ते हैं, लेकिन उनको प्रकाश के दर्शन नहीं होते हैं । मान्यवर, गांवों में ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि गांवों में लाइन नहीं है और गांव के लोगों को बिजली के बिल बराबर भेजे जा रहे हैं, न उनको बिजली की आपूर्ति होती है और न लाइन है । इसके विपरीत शहरों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है और एक–एक दुकान पर 50-50 इलेक्ट्रिक ट्यूब लाइट लगायी गयी हैं और वह भी बिजली के बिलों को दूसरे किसानों की तरह भुगतान करता है । मान्यवर, जले हुए ट्रांसफार्मर समय से नहीं बदले जाते हैं, विधायकों की सिफारिश पर भी उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है और यदि किसान 3-4 हजार रुपये उनको दे देते हैं, तो तुरन्त ट्रांसफार्मर उनको मिल जाते हैं । मान्यवर, ट्यूबवेल के पानी की जो दरें हैं, उनका भी ठीक प्रकार से निर्धारण नहीं किया गया है । एक ओर तो बिजली के दाम 22 1/2 से 30 रु० कर दिये गये हैं और उन क्षेत्रों में जहां पर जल स्तर 80-90 फुट गहराई तक पहुंच गया है, जैसे मेरठ जिले के बरनावा क्षेत्र, जिससे ट्यूबवेलों से कम पानी मिलता है और खर्चा अधिक होता है । मान्यवर, किसानों के लिये ट्यूबवेल की बिजली की दरें पानी के जल स्तर की गहराई के अनुसार घटाई जानी चाहिए । मान्यवर, किसानों की बिजली काट कर मोटी रिश्वत लेकर पूंजीपतियों के कारखानों में दी जा रही है और किसानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है ।

मान्यवर, नहरों में पूरा पानी नहीं आता है, महीने में मात्र एक सप्ताह नहरें चलती हैं । इससे वह क्षेत्र जो नहरों के भरोसे हैं, फसलें पूरी क्षमता से उत्पादन नहीं करती हैं । नहरों में सफाई नाम मात्र को की जाती है और उसके लिये धन आवंटित जो किया जाता है, वह हड़प लिया जाता है । नहरों के अन्तिम छोर पर पानी नहीं जाता । अन्तिम छोर तक पहुंचने से पहले ही नहरों से पानी का कटान कर लिया जाता है । सरकार नहरों के कटान को रोकने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रही है । बहुत सारे स्थानों पर नहरों की पटरी टूटी हुई है, उनकी कोई मरम्मत नहीं कराई जाती है । मान्यवर, पूर्वी यमुना नहर क्षेत्र में यह स्थिति अत्यधिक दयनीय है, क्योंकि हरियाणा के साथ यमुना नदी के जल बंटवारे के समझौते को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है । यमुना का ताजिये वाला बैराज की सफाई नहीं कराई गयी है और जो परियोजना हथिनीकुण्ड बांध और लखवाड़ 82 से लम्बित हैं, उन पर बहुत कम धन का आवंटन किया गया है । इस प्रकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में पूर्वी यमुना पार में नहरी पानी की मात्रा में निरन्तर कमी होती जा रही है । मान्यवर, गांवों में जो भी हैण्ड पम्प विभाग द्वारा लगाये गये हैं, उनमें से अधिकांश खराब पड़े हैं । कुओं में पीने के पानी में कमी हो गयी है । बरनाला विधान सभा क्षेत्र में स्थिति भयानक रूप धारण करती जा रही है, क्योंकि वहां पर जल स्तर 80-90 फुट गहराई तक पहुंच गया है । इन शब्दों के साथ यह विषय अत्यन्त लोक महत्व का है और इस पर सभी नियमों को रोक कर अविलम्ब चर्चा करायी जाय ।

श्री बंशीधर राज–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि सरकार द्वारा यह कहा जाता है कि देहातों में बिजली 12 से 18 घंटे तक दी जा रही है, लेकिन यह सरकार का कहना बिलकुल असत्य एवं भ्रामक है, आप कहीं पर भी जांच करा कर देख लें, कहीं पर भी बिजली दो से तीन घंटे से अधिक नहीं दी जा रही है । मान्यवर, इस समय गेहूं की फसल की मड़ाई चल रही है और खरीफ की फसल के लिये बेढ़ की रोपाई हो रही है, लेकिन बिजली नहीं मिल रही है

जिसके कारण सारा कार्य बन्द है और उसके कारण पानी की सप्लाई नहीं हो रही है । लोग बूंद-बूंद पानी को तरस रहे हैं और त्राहि-त्राहि मची है । मान्यवर, मोहम्मदी क्षेत्र के गांव-गांव में बीसों साल से बिजली के खम्भे गड़े हैं, लेकिन वहां का विद्युतीकरण नहीं हो पा रहा है । 33 के० वी० का विद्युत सब स्टेशन जंगबहादुरगंज में लगाने की व्यवस्था थी, लेकिन उसको भी नहीं लगाया गया है, उस पर कोई कार्य नहीं हो रहा है । सारा विकास कार्य ठप्प पड़ा है ।

मान्यवर, हमारे जनपद लखीमपुर खीरी में गन्ना इतना ज्यादा खड़ा है कि मैं समझता हूं कि अगर पेराई होती रहे तो भी जुलाई अगस्त में गन्ना समाप्त नहीं होगा और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि गन्ने की दोषपूर्ण आपूर्ति की व्यवस्था के तहत ही मिलों में पेराई नहीं हो पायेगी । मान्यवर, 1977–80 में जो स्थिति थी कि गन्ना खेतों में और सड़कों पर जलाया गया था, वही स्थिति आज भी है। वहां पर गन्ने की हालत बहुत खराब हो गयी है । मान्यवर, इसके साथ ही साथ वहां पर बिजली न होने के कारण पीने के पानी की बड़ी ही भीषण समस्या उत्पन्न हो गयी है उसकी की ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए । मोहम्मदी क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं, वहां पर आज भी गन्ना लगा हुआ है और मिलों को उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही है और गन्ना किसानों को शोषण हो रहा है, गन्ने की आपूर्ति नहीं हो पा रही है । 1977 से 80 तक का महोली फैक्ट्री पर 8 करोड़ रुपया किसानों का बकाया है, उसको दिलाने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है, इसके अलावा हरगांव की जो गन्ना फैक्ट्री है उस पर मात्र साढ़े चार करोड़ रुपये का बकाया दिखाकर अधिकारियों और राजनेताओं के षडयन्त्र और दुर्भावना से ग्रस्त होकर हरगांव की फैक्ट्री को सील कर दिया गया है जिसके कारण किसानों के गन्ने की आपूर्ति रुक गयी है । इससे भयावह स्थिति उत्पन्न हो गयी है और किसानों में त्राहि-त्राहि मच गयी है । कृपा कर सील तुड़वा कर गन्ने की पेराई तुरन्त प्रारम्भ कराने का कष्ट करें ।

* श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, बिजली और पानी के संबंध में चर्चा हो रही है । मान्यवर, आप अवगत हैं कि आध्यात्मिक और भौतिक दो प्रकार की आवश्यकतायें हैं । आध्यात्मिक आवश्यकता में राम का नाम, मंदिर आदि हैं, और भौतिक आवश्यकता में रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकतायें हैं तो मान्यवर, बिजली की आवश्यकता भौतिक आवश्यकता के अन्तर्गत आती है । मांननीय मंत्री जी बैठे हैं, अगर इनको बड़ी जोर से भूख लगी है तो यह अगर कहीं पर रोटी का टुकड़ा पड़ा हो, तो उसे लेना पसन्द करेंगे और राम नाम को लेना बाद में पसन्द करेंगे । मान्यवर, बिजली की चर्चा चल रही है । हमारे जनपद में ज्यादातर किसान रहते हैं । यह मैनपुरी की ही नहीं बल्कि पूरे देश की समस्या है कि बिजली नहीं मिलती है । मैं अपने क्षेत्र भोगांव की बात बताना चाहता हूं ; वहां पर जो किसान नलकूप के लिये आवेदन पत्र देते हैं, उस पर रिश्वत ली जाती है, उसके बाद जब एस्टीमेट बनाया जाता है, तब रिश्वत ली जाती है और फिर जब लाइन खींची जाती है, तब रिश्वत ली जाती है और अन्त में जब बिजली की आपूर्ति की जाती है, तब भी रिश्वत ली जाती है, इस प्रकार से बिजली विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार है और उससे किसान त्रस्त है और उसका शोषण होता है । यह सरकार राम के नाम पर आयी है, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है । हमारे यहां पर 40 ऐसे कनेक्शन हैं, जो वरीयता को तोड़ कर दिये गये हैं, और उनसे रिश्वत ली गयी है, जो किसान रिश्वत नहीं दे पाये हैं, उनको कनेक्शन नहीं दिया गया है, तो यह बड़ी गम्भीर समस्या है । चाहे डोमेस्टिक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कनेक्शन हों, उनमें भी रिश्वत ली जाती है । मैंने सदन में एक सवाल उठाया था कि बिजली के तार टूट जाने से गेहूं की खड़ी फसल नष्ट हो गयी थी । ट्रांसफार्मर जल जाता है, उसको भी लगाने में रिश्वत ली जाती है और उसके लिये जब कोई जाता है, तो कोई सुनता नहीं है । मान्यवर, हमारे यहां अमरपुर में एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिससे 6 ट्यूबवेल लगते हैं वह लोड नहीं उठा पाता उसमें भी रिश्वत ले ली गयी है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

(श्री स्वामी नाथ यादव एवं कुछ अन्य सदस्यों द्वारा बोलने की अनुज्ञा मांगने पर व्यवधान)

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं जिन माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर थे उनको सुन लिया है । माननीय स्वामी नाथ यादव जी इस सूचना पर अपने विचार व्यक्त कर चुके थे, इसलिये मैं उनको अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

नगर विकास मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कटियार)–

मान्यवर, इस समय पेयजल की समस्या है और कई हिस्सों में पेयजल का संकट भी उपस्थित हुआ है । यह बात अपने स्थान पर सही है कि आज समूचे उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि उत्तर भारत में एक प्राकृतिक संकट हमारे सामने उपस्थित हो गया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

स्वामी नाथ यादव जी, आप बैठिये मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, त्राहि-त्राहि मचने का प्रश्न है और जो मरणासन्न स्थिति उत्पन्न होने की बात है तो मैं बड़ी ही विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे सामने बैठे सभी सम्मानित माननीय नेतागण जो समय-समय पर सक्षम स्थानों पर सरकार में रहकर अपने संसाधनों से और अपनी इच्छा शक्ति से इस आवश्यकता की पूर्ति में निरन्तर लगे रहे होंगे । उन्होंने प्रदेश की इस आवश्यक आवश्यकता की पूर्ति में अपने योगदान में कहीं कोई कोताही नहीं बरती होगी, ऐसा मैं मानती हूं । जैसा कि मैंने पूर्व में ही निवेदन किया कि आज यह समस्या पिछले 3 वर्ष से वर्षा की कमी और हमारे सिंचाई के साधन भी प्रदेश में पर्याप्त पानी का दोहन करते हैं इस नाते यह भी यहां कहा जा सकता है कि हमारी पूर्व की सरकारों ने और हमने पेयजल की दृष्टि से कार्य तो किये लेकिन एक प्राकृतिक व्यवस्था भी थी । हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी हमारे माननीय सदस्य ग्रामीण क्षेत्रों से आये हैं, उन्होंने देखा होगा कि एक फैशन सा चला है गांवों में तालाबों को पाटने का और वह बड़ी लापरवाही के साथ बढ़ता चला गया तो आंशिक रूप से पानी का स्तर इससे भी घटा लेकिन वर्तमान सरकार के ऊपर लापरवाही का पेयजल की दृष्टि से आरोप , यह गलत है । मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहती हूं कि 24 जून को शपथ लेने के बाद हमारी सरकार ने पेयजल की दृष्टि से आज 12 मई को नहीं पिछले जून में ही निरन्तर प्रयास किया है कि पेयजल की कोई कठिनाई उत्पन्न न होने पाये और इसी के तहत पिछले 31 मार्च तक ही वित्तीय वर्ष 1991-92 में हमने 27 हजार हैण्ड पम्प को अधिष्ठापित कराया यह अपने आप में एक ऐतिहासिक काम है ।

माननीय सदस्यों ने और नेताओं ने एक चिन्ता व्यक्त की है कि आज गांवों में कुएं सूखे हैं और कहीं-कहीं हैण्ड पम्प भी खराब हैं, समस्या खड़ी है मुझे निवेदन करना है किसी हद तक मा० सदस्यों का कहना सही है कि अभी तक ऐसा खराब हैण्ड पम्पों की रिपेयरिंग का और खराब हैण्ड पम्पों की किसकी जिम्मेदारी है ऐसी व्यवस्था नहीं थी । यह एक बड़ा कारण इन खराब हैण्ड पम्पों को लेकर उपस्थित हुआ है ।

हमने 4 मई को और इससे पूर्व फरवरी के अन्तिम सप्ताह में दो बार मा० मुख्य मंत्री जी के साथ बैठक करके सुनिश्चित किया है कि रिपेयरिंग की व्यवस्था हो । जगह-जगह खराब हैण्ड पम्प जो खड़े हैं, इन्हें प्रदेश से समूल समाप्त करके रिबिल्ट करना पड़े या आंशिक खराबी हो उसे ठीक करके यह व्यवस्था कर दी गयी है । चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या नगरीय क्षेत्र हो । रिपेयरिंग की जिम्मेदारी जल निगम की है और उन्हें उस कार्य के लिये 4 करोड़ रुपया उपलब्ध करा दिया गया है और उन्होंने कार्य प्रारम्भ भी कर दिया है । प्रारम्भिक सर्वे में जो आंशिक खराबियां थीं वह तो थी हीं, 11000 हैण्ड पम्प ऐसे थे जिन्हें रिबिल्ट करेंगे, जिसमें 8000 रु० के करीब खर्च होता है । 11000 हैण्ड पम्पों की रिपेयरिंग के साथ-साथ 39000 हैण्ड पम्प 1992-93 के वित्तीय वर्ष में लगाये जायेंगे । हमारी चिन्ता इससे परिलक्षित होती है कि शासन सचेष्ट है । हमने महानगरों की दृष्टि से भी व्यवस्था की है । अपने बजट में स्पष्ट कहा था कि अभी बहुत दिन नहीं बीते कि प्रदेश में पेयजल की दृष्टि से इस समस्या के निराकरण में राजनीतिक भेदभाव को भुलाकर उससे ऊपर उठकर प्रदेश की जितनी भी ऐसी योजनायें हैं जो आंशिक रूप से पूरी होनी हैं, जिनमें 50 प्रतिशत से ऊपर काम हो गया है, अनिवार्य रूप से वर्ष 1992-93 में उन्हें पूरा करेंगे । नये ट्यूबवेलों के निर्माण का कार्य जो अत्यन्त अनिवार्य होगा उसी को लिया जायेगा । हम देख रहे हैं कि कम संसाधन के इन्वेस्टमेंट पर कैसे ज्यादा लोगों के लिये पानी की व्यवस्था कर सकते हैं । पीने के पानी की दृष्टि से पूर्व में ही कहा कि महानगरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में रिपेयरिंग के काम की दृष्टि से एक व्यवहारिक कठिनाई थी । बात छोटी है लेकिन कठिनाई उत्पन्न करती है । हमने एक व्यवस्था और भी की है गांव सभा स्तर पर गांव में जो हैण्ड पम्प खराब हैं, छोटे-छोटे कारणों से भी खराब हो जाते हैं, उनके लिये कोई स्थायी व्यवस्था और स्थान नहीं होता है, जहां सूचित किया जा सके। हमने जल निगम का प्राविधान किया है और स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि प्रत्येक गांव सभा में प्रधान के माध्यम से प्रिन्ट कराकर कार्ड उपलब्ध करायें और सम्बन्धित हैण्ड पम्प जिस गांव सभा क्षेत्र में खराब हों, उसकी सूचना अधीक्षण अभियन्ता को दे सकें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

जानना चाहूंगा कि जो 39 हजार नये हैण्ड पम्प लगाने की योजना है, पूर्व सरकार ने यह निश्चय किया था कि जिन गांवों में प्रधान के माध्यम से जो हैण्ड पम्प पिछली बार लग रहे थे, उसमें धांधली होती थी और कमजोर वर्ग के लोगों के यहां हैण्ड पम्प नहीं लग रहे थे, इसलिये तत्कालीन नगर विकास मंत्री ने यह प्राविधान किया था कि सम्मानित विधायकों से पूछकर हैण्डपम्प लगाये जायं जिससे गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के यहां हैण्डपम्प लग सकें । जानना चाहूंगा कि क्या जो नये हैण्डपम्प लगाने की बात है, वे सम्मानित विधायकों से पूछ कर लगाये जायेंगे या नहीं ? अगर नहीं, तो क्या जो नियम बनाये गये थे, उन्हें बदल दिया गया है ? इसकी जानकारी सदन को देने की कृपा करें ।

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

माननीय नेता, विरोधी दल ने जो प्रश्न उठाया है, मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि नियम वही लागू है । आज भी माननीय विधायकों से सहमति लेकर जिलाधिकारियों द्वारा लिस्टें बनायी जा रही हैं,

फाइनल की जा रही हैं । लेकिन एक व्यवस्था है मैं समझती हूं वह भी सहमत होंगे और सदन भी सहमत होगा कि कहीं पर किसी क्षेत्र विशेष में मोहल्ले में सौ-दो सौ की आबादी में अगर हैण्ड पम्प लगते हैं और उसके निकट 50 लोगों की आबादी भी ऐसी है जहां हैण्डपम्प नहीं है, और अनुसूचित जाति के लोग हैं, तो प्राथमिकता उस क्षेत्र को देंगे, माननीय विधायक जी से भी बात कर ली जायेगी।

(व्यवधान)

माननीय विधायकों को विश्वास में लेकर, उनकी सहमति के आधार पर ही, जिलाधिकारी यह कार्य कर रहे हैं .....

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, इस विषय पर चिन्ता व्यक्त की गयी, जो कमजोर वर्ग के, अनुसूचित जाति वर्ग के हैं या गरीब लोग हैं जिनके यहां नहीं लग पाते थे हैण्डपम्प, उनके यहां प्राविधान की बात है । मान्यवर, इसमें यह कहना है कि विधायकगण जो संस्तुति करें, उसके अनुसार ही लगवाया जाय । अभी आपने उत्तर दिया कि माननीय विधायकों को विश्वास में लेकर कार्य कराया जायेगा । लेकिन, मैं कहना चाहता हूं कि विश्वास में लेकर नहीं अन्तिम रूप से विधायक जहां-जहां के लिये कहेंगे, उसको माना जाय । मान्यवर, विधायक अपने क्षेत्र के विकास के लिये, गरीब से गरीब आदमी की भलाई के लिये जितना चिंतित रहता है, उतना और कोई दूसरा नहीं हो सकता है, कोई अधिकारी नहीं हो सकता है । आप स्पष्ट रूप से घोषणा कर दें कि विधायक जहां कहेगा अन्तिम रूप से वहीं लगाया जायेगा । अगर अनुसूचित जाति की किसी बस्ती में लगता है तो विधायक की संस्तुति से लगे । मान्यवर, आज ऐसा कोई विधायक नहीं है इधर का या उधर का जो यह नहीं चाहेगा कि दलित बस्तियों में हैण्ड पम्प न लगाया जाय । आप यह कार्य अधिकारियों पर मत छोड़िये, नहीं तो बाद में यह कह दिया जायेगा कि विधायक का विश्वास प्राप्त कर लिया गया था । विधायक खुद ही लिस्ट दे देंगे बस्तियों की, दलित बस्तियों की जहां यह हैण्ड पम्प लगना आवश्यक है ।

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

उनसे लिस्ट बनवायी जा रही है ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

यहां एक विवाद खड़ा हो गया....

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, उनके प्रस्ताव पर, उनके अन्तिम अनुमोदन पर ही कार्य करेंगे ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

अभी माननीया मंत्री जी को अपना उत्तर पूरा करने दें, बैठें ।

एक सदस्य–

क्या उन्हें स्थान चयन करने का अधिकार रहेगा विधायकों को ?

(व्यवधान)

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां, यही है, अन्तिम अनुमोदन, चयन लिस्ट, प्रस्ताव सब कुछ माननीय विधायकों का ही माना जा रहा है, माना जायेगा, यह स्पष्ट है । (व्यवधान) आप लोगों से ही पूछ कर किया जायेगा, यह मैं बताना चाहती हूं । 39 हजार हैण्ड पम्पों में से, क्योंकि हमारी चिन्ता इस ग्रीष्म के मौसम में पेयजल की कठिनाई की थी, इस कारण हमने युद्ध स्तर पर दस हजार हैण्ड पम्प लगाने के लिये यह विचार किया था कि इन्हें 31 मई तक अवश्य लगाया जाय । उसमें दो हजार हैण्ड पम्प अब तक लग चुके हैं, बाकी लगने जा रहे हैं । इस पेयजल की समस्या को देखते हुए हमारा यह प्रयास है कि शीघ्र से शीघ्र पेयजल की समस्या के समाधान में इसकी व्यवस्था हो जाय । माननीय नेता, कांग्रेस (आई) ने एक बात उठायी थी कि आकस्मिक निधि से कुछ पैसा अभी भी नहीं दिया जायेगा तो कब दिया जायेगा तो मैं यह कहना चाहूंगी कि यह जो रिपेयरिंग का पैसा हमें प्राप्त हुआ है यह आकस्मिक निधि से ही प्राप्त हुआ है जिसमें से सवा तीन करोड़ रुपया 4 मई को मिला है । हम इस पानी के संकट के लिये पूर्व में ही सचेष्ट थे और अब भी प्रयत्नशील हैं मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी । हमें विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी मिली । मान्यवर, लखनऊ की भी चर्चा करना चाहूंगी कि 10 ट्यूबवेल लगाने का कार्य यहां पर स्वीकृत हुआ था जिसमें से 5 का कार्य हो चुका है । 63 ट्यूबवेल 1991-92 में लगाये गये हैं । दूसरी ओर 4 मई को माननीय मुख्य मंत्री जी ने सभी विभागों पेयजल और उससे जो संबंधित हो सकते थे, ऊर्जा, सिंचाई इत्यादि, उनको सम्मिलित करते हुए यह कहा था कि हम नहरों की खुदाई की व्यवस्था को रोक कर सारे उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों के तालाबों, बावलियों और पोखरों को भर देंगे और यदि वह पुनः 10–15 दिन में सूख जाता है तो फिर उसे दुबारा भर देंगे । उन्होंने यह निर्देश दिये हैं, निश्चित रूप से मैं 4 मई की बात कर रही हूं और आज 12 मई हो गयी है एक सप्ताह बीत गया है यह कार्य प्रारम्भ हो गये हैं और आपके यहां भी होने वाला होगा ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, इस पर माननीय बिजली मंत्री को तो बुलवा दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

अगर कोई बात रह गयी हो तो माननीय राज्य मंत्री, ऊर्जा यहां बैठे हुए हैं वह अपनी बात रख दें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह विद्युत विभाग को चलाने के लिये कितना पैसा दे रहे हैं । आज हालत यह हो गयी है कि इनके ट्रांसफार्मर खराब पड़े हुए हैं, कंडक्टर्स खराब पड़े हुए हैं, खम्भे खड़े हैं मगर उसमें तार नहीं हैं, फीडर्स भी खराब हैं इनको ठीक कराने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो क्या आप कन्टीजेन्सी में एक विशेष निधि 100 करोड़ रुपये की विद्युत विभाग को उपलब्ध करायेंगे ।

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री रविकान्त गर्ग)–

मान्यवर, माननीय नेताओं ने और माननीय सदस्यों ने विद्युत के संबंध में अपनी चिन्ता प्रकट की है मैं स्वयं भी उनकी चिन्ता से अपने को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, पूर्व में भी इस सदन में विद्युत की

समस्या के संदर्भ में चर्चा हुई है, बजट के समय में भी इस सम्बन्ध में बड़े विस्तार के साथ चर्चा हुई है और इसमें से अनेक माननीय सदस्य ऐसे हैं जो इस विभाग को संभाल चुके हैं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

कितने घंटे दे रहे हैं यह बता दीजिये ?

श्री रविकान्त गर्ग–

मैं सब बता रहा हूं मान्यवर, सभी माननीय सदस्य अच्छी तरह से अवगत हैं कि जितनी विद्युत की मांग है, उसके एवज में विद्युत की जो उपलब्धता है, विद्युत का जो उत्पादन है, वह कम है, इसे स्वीकार करने में सरकार को कोई संकोच नहीं है । मान्यवर, वर्तमान में 4,000 मेगावाट से 4600 मेगावाट तक की डिमान्ड है और उसके एवज में.....

(विरोध पक्ष के अनेक सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे, जिससे घोर व्यवधान हो गया)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग कृपया बैठ जायें और मंत्री जी को भाषण पूरा करने दें ।

श्री रविकान्त गर्ग–

मान्यवर, वर्तमान में महानगरों में लगभग 22 घंटे, पर्वतीय क्षेत्र में लगभग 21 घंटे, बुन्देलखण्ड में लगभग 19 घंटे, विशेष श्रेणी नगरों में 22 घंटे, जिला मुख्यालय नगरों में 20 घंटे, प्रथम श्रेणी नगरों में 18 घंटे, ग्रामीण क्षेत्रों में 11 घंटे और आर्क इन्डक्शन फर्नेस में साढ़े 12 घंटे बिजली दी जा रही है ....

(इस पर विरोध पक्ष के बहुत से सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और नारेबाजी करने लगे "बिजली पानी दे न सके जो, वह सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वह सरकार बदलनी है")

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग अपने-अपने स्थानों पर वापस जायें ।

(उपाध्यक्ष के अनुरोध के बावजूद भी सदन के फ्लोर पर आये सदस्य लगातार नारेबाजी करते रहे ।)

मैं सदन को साढ़े 5 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(5 बजे श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 5 बजकर 30 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी ।

5 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, गांवों में तीन घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिल पा रही है और मंत्री जी कह रहे हैं 19 घंटे बिजली मिल रही है ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय चौधरी जी आप कृपा करके बैठ जायं । इस विषय की गम्भीरता व महत्ता को देखते हुए निर्देशित करता हूं कि शासन की ओर से कल 2.00 बजे इस पर वक्तव्य दिया जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आपका आदेश शिरोधार्य है । इस समय भी हमारे पास पूरी स्थिति की जानकारी है । हम आज ही वक्तव्य दे सकते हैं । परन्तु आपने आदेश दिया है, इसलिये हम कल वक्तव्य दे देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष–

अन्य जो सूचनायें हैं उसमें से श्री अखिलेश जी की जिला प्रशासन गोरखपुर द्वारा गोरखनाथ रेलवे क्रासिंग 162वीं के दोनों ओर दीवाल उठाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। श्री पवन कुमार पाण्डये जी की सूचना आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद में मनमानी व्यवस्था के कारण राजस्व की क्षति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। श्री देवेन्द्र पाल सिंह जी की उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा व उत्तर प्रदेश प्रादेशिक सिविल सेवा (पी० सी० एस०) के अधिकारियों के वेतनमान में व्याप्त विसंगतियों के संबंध में है। इन सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। श्री दिनेश चन्द्र सोनेकर एवं श्री हरेन्द्र सिंह जी की सूचना जो पेयजल से संबंधित थी, उसे बिजली की सूचना के साथ जोड़ दिया गया था। निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें नियम–56 के अन्तर्गत चयनित नहीं की गयीं अतएव अस्वीकार की गयीं :—सर्वश्री स्वामी नाथ यादव, हरिवंश सहाय, निर्वेन्द्र कुमार, श्रीमती विमला राकेश, सर्वश्री बी० आर० वर्मा, मोहम्मद हसन, नसीमउद्दीन सिद्दीकी, विशम्भर प्रसाद निषाद, इकबाल महमूद, बलराम यादव, अमरेश चन्द्र पाण्डेय, सुखदेव प्रसाद, अंगद सिंह यादव, सुरेन्द्र सिंह, राम औतार शाक्य, हृदय नारायण, शिवदर्शन, गामाराम शास्त्री, विजय पाल सिंह तोमर, वीरेन्द्र सिंह, विजय सिंह, मोहम्मद रिजवानुल हक, मोहम्मद हसन, सर्वश्री राम ललित चौधरी, दिनेश चन्द्र सोनकर, डा० बृजभान यादव, सर्वश्री लीलाराम शर्मा, बी० आर० वर्मा, देवेन्द्र पाल सिंह, नसीम उद्दीन सिद्दीकी, विशम्भर प्रसाद निषाद, निर्वेन्द्र कुमार, राम गोविन्द चौधरी, अकबर हुसैन व श्री श्रीराम।

जनपद मेरठ में मोदी रबर लिमिटेड में श्रमिकों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज व फायरिंग होने के संबंध में शासन का ध्यानाकर्षण

श्री विजय पाल सिंह तोमर–

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी ने मुझे आश्वासन भी दिया था कि वह मुझे मोदी रबर लि० के बारे में सुनेंगे। आज मोदी रबर लि० में लगभग 100 लोग घायल पड़े हुए हैं। उन पर लाठी चार्ज हुआ है और फायरिंग हुई है। इसलिये आप इस पर मुझे अवश्य सुन लीजिये। ऐसा बर्बर लाठी चार्ज हुआ है कि उसमें महिलायें व कर्मचारी सैकड़ों की संख्या में घायल हुए हैं। उद्योगपतियों व पुलिस ने मिलकर कल रात 9.00 बजे से सुबह 3.00 बजे तक लोगों को घर-घर से निकालकर उनको मारा-पीटा है और उनके ऊपर फायरिंग भी की है। जिससे 100 के आसपास लोग घायल हुए हैं। वहां पर कर्मचारी यूनियन का अध्यक्ष अचेतावस्था में पड़ा हुआ है। वह आज भी अचेतावस्था में भर्ती है। इसलिये आप मुझे इस पर सुन अवश्य लीजिये।

श्रीमन्, कल सुबह 9.00 बजे अक घटना हुई। जब एक श्री वी० के० शर्मा कर्मचारी को प्रबन्धकों ने निलम्बित कर दिया तो वह मोदी के प्रिमाइसेज में जा रहा था तो उसे सेक्योरिटी अधिकारी ने रोका। इस पर उन दोनों में कहा सुनी हो गयी। प्रबन्धकों की मीटिंग हुई और इधर कर्मचारी यूनियन की भी मीटिंग हुई। प्रबन्धकों ने वहां पर दिन में 1.00 बजे तालाबन्दी करके थाना दौराला में एक झूठी एफ० आई० आर० कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष, महामंत्री व कुछ कर्मचारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। रात को 9.00 बजे पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची तो लोगों तो उनका विरोध किया। यह कह कर कि वह झूठी रपट है। इसके बाद प्रबन्धकों के निर्देश पर दौराला थाने की पुलिस ने कर्मचारियों पर लाठी चार्ज किया, जिससे सैकड़ों लोग घायल हो गये, जिसमें महिलायें भी शामिल हैं। घर से निकाल-निकाल कर उनको मारा-पीटा गया। उन पर फायरिंग हुई। मैं दो लोगों के नाम भी बता रहा हूं, जिन्हें गोलियां लगी हैं। उनका नाम है अमर और शंकर। ये दोनों लोग गोली लगने से घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। मान्यवर, यही नहीं इसी दौराला थाने में 5 लोगों का अपहरण हुआ है और 4 लोगों को फिरौती लेकर छोड़ा। छात्रों पर भी पहले फायरिंग किना नगर में हो चुकी है। होली के दिन गोकुल नगर में गरीब हरिजनों पर और मजदूरों पर फायरिंग की गयी। इस प्रकार मेरठ की पुलिस निरंकुश हो गयी है।

मोदीपुरम के मजदूरों और कर्मचारियों के उत्पीड़न की गम्भीर समस्या है वहां एक बड़े उद्योगपति की साजिश से पुलिस मजदूरों का उत्पीड़न कर रही है जिससे निहत्थे और निर्दोष मजदूरों पर फायरिंग करके खून की होली खेली जा रही है । वहां के दोषी प्रबन्धकों और दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध मुकदमा दायर कर उनको जेल भेजा जाय । जब तक उनको जेल नहीं भेजा जायेगा मजदूरों का उत्पीड़न नहीं रुकेगा और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी । मेरठ की पुलिस अपराधियों पर काबू पाने में असफल है दूसरी तरफ निर्दोषों पर आये दिन फायरिंग हो रही है । अस्तु इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने का कष्ट करें ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय विजय पाल सिंह जी आपकी सूचना शलाका में नहीं चयनित हुई । वैसे आपने गम्भीर प्रकरण की ओर ध्यान दिलाया है मैं शासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करता हूं ।

श्री राम किशन, तहसीलदार के विरुद्ध नियम 56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना

श्रीमती विमला राकेश–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय; मैंने नियम 56 में तहसीलदार, श्री राम किशन खोवा, जो अपनी ससुराल में नियुक्त हैं तथा उनके बल पर की जा रही अनियमितताओं, दुर्व्यवहार और भ्रष्टाचार कर रहा है तथा उसके दुर्व्यवहार से लोग पीड़ित हैं । मैंने इसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया है । मान्यवर, जब से यह तहसीलदार हमारे यहां सहारनपुर तहसील में आया है तब से राजनीतिक आधार पर दुर्भावना पूर्ण तरीके से कार्य कर रहा है द्वेषपूर्ण तरीके से दूसरे दलों के लोगों का उत्पीड़न करने में लगा है । मेरे चुनाव क्षेत्र में श्री परमाल सिंह के साथ जो दुर्व्यवहार किया वह अत्यन्त आपत्तिजनक ही नहीं उत्पीड़क भी है । भद्दे शब्दों में गाली दी और उसको चेम्बर से बाहर निकाल दिया और कहा कि चुटकी में उड़ा दूंगा ऐसे कुर्ते पजामे वाले बहुत देखे हैं । मान्यवर, इतना ही नहीं औरों के साथ भी इसी तरह का दुर्व्यवहार करता है । इसका एक ही कारण है कि वह अपने ससुराल में नियुक्त है उनके बल पर वह भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है लोगों से खुलेआम रिश्वत ले रहा है । जब मैंने भी इसका विरोध किया तो मेरे साथ भी प्रोटोकाल के अनुसार व्यवहार नहीं था और अभद्र व्यवहार किया जो बहुत ही आपत्तिजनक है । इसकी सूचना मैंने माननीय मुख्य मंत्री, राजस्व परिषद् के चेयरमैन तथा वहां के जिलाधिकारी को दी । इसकी जांच अपर आयुक्त, मेरठ द्वारा की गयी । खेद के साथ कहना पड़ता है कि काफी लम्बे समय से इसकी जांच रुकी पड़ी है । मैं मांग करती हूं कि इस मामले की अविलम्ब जांच की जाय और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं ।

श्री मो० रिजवानुल हक–

मान्यवर, इस पर शासन को निर्देश दें कि उसका वहां से स्थानान्तरण कर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें इस तरह से व्यवधान न करें ।

जनपद बलिया के थाना रसड़ा के चौकी इंचार्ज द्वारा श्री रमेश सिंह, निवासी ग्राम सोतुपुर की पिटाई के मामले की जांच कराये जाने की मांग

* श्री गामा राम शास्त्री–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। रमेश सिंह पुत्र श्रीराम, ग्राम सोतुपुर, थाना रसड़ा, जनपद बलिया में 23-4-92 को सुबह कोतवाली रसड़ा के एस० पी० सिंह, उत्तरी चौकी के इंचार्ज राम निहोर मिश्रा उठा ले गये। यह लड़का हिमांचल प्रदेश की एक सूती मिल में काम करता था और अपनी रिश्तेदारी में खड़चा थाना गड़वार से वापस आ रहा था। वह छुट्टी में शिवरात्रि को घर आया था। इसकी निर्मम तरीके से पिटाई की गयी इसका पिता चिल्लाता रहा लेकिन पुलिस अधीक्षक ने उसे दूर पीपल के पेड़ के नीचे बैठा दिया। उसके पिता ने कहा कि यह बेकसूर है मेरे लड़के को क्यों मार रहे हो इसका कोई अपराध नहीं है। लड़के ने इशारे से खाना मांगा तो उसे खाना भी नहीं दिया गया और पीने को पानी भी नहीं दिया। लड़के ने कहा कि हमें दवा दिलवा दो तो उसे दवा भी नहीं दी। मारते-मारते जब उसकी हालत खराब हो गयी तो दूसरे दिन 24-4-92 को धारा 109 में जमानत कर थाने से रिहा कर दिया और कहा कि इसका एक्सरे व दवा नहीं करोगे। सीधे उसको उसके घर सौरोपुर पहुंचा दिया गया। 24/25 की रात में वह लड़का मर गया जब पुलिस को पता चला तो रात भर में ही उसको सुनसान जगह पर टोंस नदी में पिपरी के पास प्रवाहित कर दिया और उसके पिता से लिखवा लिया कि लड़का स्वतः मर गया है। यह घटना हत्या की है इसलिये दोषी पुलिस कोतवाल रसड़ा के एस० पी० सिंह तथा उत्तरी चौकी के इंचार्ज राम निहोर के खिलाफ 302 का मुकदमा दायर किया जाय उनके खिलाफ एफ० आई० आर० लिखाई जाय तथा इससे संबंधित सी० ओ० और डी० एस० पी० के विरुद्ध 302/120 का मुकदमा चलाया जाय और घटना की जांच सी० आई० डी० से कराई जाय और उसके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाय।

जनपद जालौन में दिनांक 30-4-92 को परिवहन विभाग की बस द्वारा एक जीप में टक्कर मारने से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजा दिये जाने की मांग

श्री श्रीराम (जालौन)–

मान्यवर, मैंने जो सूचना नियम 311 में दी थी वह अत्यन्त दर्दनाक घटना है। 30 तारीख को हमारे यहां ग्राम भदेरखी, थाना आटा, जनपद जालौन के स्वीपर जाति के कुछ लोग एक बारात के सिलसिले में बैण्ड बाजा बजाने के लिये झांसी जा रहे थे तो रास्ते में पूंछ ग्राम के पास परिवहन निगम की बस नम्बर यू० जी० जी० 340 ने उनकी जीप नम्बर यू० एस० एस० में बड़े जोरों की टक्कर मार दी। बड़ी हृदय विदारक यह दुर्घटना हुई और उसमें जीप में सवार 6 व्यक्ति स्वीपर जाति के लोग बैण्ड बजाने वाले घटना स्थल पर ही मारे गये। परिवहन निगम की जो बस थी उसमें जो सुरक्षा गार्ड नम्बर ए० पी०-278, दिनेश कुमार तिवारी साथ चल रहा था, उसने घटना की थाने में एफ० आई० आर० लिखवाई थी। उसने अपनी एफ० आई० आर० में यह स्पष्ट लिखवाया था कि परिवहन निगम का बस चालक बहुत तेज गाड़ी चला रहा था उसको मैंने कई बार टोका था कि इतनी लापरवाही से वह बस न चलाये क्योंकि इससे कोई दुर्घटना हो सकती है। इसके बावजूद वह चालक नहीं माना था, जिसके

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

फलस्वरूप उसकी बस ने जीप में टक्कर मार दी । 6 मरने वालों में चार सगे भाई थे और दो उसके रिश्तेदार । कल परिवहन मंत्री ने अपना बजट पेश करने के दिन उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का जो वार्षिक कार्य विवरण वितरित करवाया था उसके पृष्ठ चौबीस पर लिखा है–"एम० डी० ऐक्ट की धारा 150 के अन्तर्गत मृत्यु होने पर आश्रित को 25,000 रुपया दिया जायेगा" परन्तु इस घटना में मारे गये लोगों के आश्रितों को आज तक एक पैसा भी नहीं दिया गया है.....

श्री उपाध्यक्ष–

आपकी बात शासन के संज्ञान में आ गयी है, आप बैठ जायं ।

श्री श्रीराम–

ठीक है ।

श्री भृगुनाथ पाण्डेय, निवासी ग्राम मठिया, जिला गाजीपुर के यहां पड़ी डकैती के अभियुक्तों को पकड़े जाने तथा पीड़ितों को सहायता दिये जाने की मांग

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है मेरे जिले में एक घटना हो गयी है .....

श्री उपाध्यक्ष–

क्या आपके जिले में यह घटना व्यवस्था के प्रश्न में आती है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, 3/4 मई, 1992 को श्री भृगुनाथ पाण्डेय के घर ग्राम मठिया, थाना सादात में एक डकैती पड़ी और दूसरे ही दिन में उनके लड़के श्री उमाशंकर पाण्डेय की शादी होने वाली थी । डकैतों ने श्री उमाशंकर पाण्डेय की, रात्रि में घर पर डाका डालते समय हत्या कर दी । इस डकैती में उसके अलावा परिवार के दो अन्य व्यक्तियों को डकैतों ने बुरी तरह घायल कर दिया जिनको अस्पताल में ले जाया गया । उसमें से एक व्यक्ति वहां मर गया और दूसरा व्यक्ति भी अस्पताल में मौत से जूझ रहा है । मान्यवर, इतनी बड़ी निर्मम हत्या हुई है, फिर भी इसमें आज तक कोई भी अपराधी नहीं पकड़ा गया है । पुलिस की भारी निष्क्रियता और शिथिलता के कारण इतनी दर्दनाक घटना हुई है । जनपद में आये दिन, इसके अलावा, अन्य थानों में भी इस तरह की घटनायें हुआ करती हैं । इस कारण पूरे क्षेत्र की जनता में आक्रोश और रोष व्याप्त है । इनसे पुलिस का निकम्मापन साफ जाहिर होता है । अतः मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि इस पूरी घटना की प्रभावी ढंग से जांच करायी जाये, कार्यवाही की जाये और पीड़ित परिवारों के आश्रितों को एक-एक लाख रुपये की अनुकम्पा राशि प्रदान की जाये जिससे लोगों को न्याय मिल सके । इसी तरह की एक अन्य घटना 5 मई, 1992 को ग्राम सेमरौल, थाना सादात के श्री सूबेदार राम के साथ हुई थी । यह सूबेदार राम अनुसूचित जाति के हैं और उन्हें बस से कुचल दिया गया था । लेकिन इस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । यह बड़े गरीब व्यक्ति हैं और इनके परिवार के लोग निर्धन हैं । इनको भी उचित आर्थिक सहायता दिलायी जाये ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के तहत व्यवस्था का प्रश्न विधान सभा की किसी कार्यवाही से सम्बन्धित विषय पर उठाया जा सकता है या अपने क्षेत्र की समस्या पर भी ?

श्री उपाध्यक्ष–

विधान सभा की कार्यवाही से सम्बन्धित । अब मैं अगला ले रहा हूं । मद संख्या 9।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

कृपा करके आप मुझे सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें मैं कोई अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1992

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1992. पर विचार किया जाये ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं । मैंने श्री सुरेश प्रताप गांधी को बुला लिया है और उन्होंने अपना संशोधन प्रस्तुत कर दिया है । आप उनको कहने दें अपनी बात । उस पर अपने विचार उन्हें व्यक्त करने दें आप लोग बैठ जायें ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916. ब्रिटिश सरकार ने उस समय की परिस्थितियों के अनुसार नगरपालिकाओं का संचालन करने के लिये बनाया था, जिसे गवर्नमेंट आफ इंडिया एडक्शन लाज, 1937 के द्वारा पुनः प्रदेश में लागू कर दिया गया । आजादी के पश्चात् सन् 1950 में इसे पुनः एडक्शन लाज के तहत स्वीकार कर प्रदेश में लागू कर दिया गया । मान्यवर, नगरपालिका अधिनियम, 1916 में उस समय की परिस्थितियों के अनुसार प्राविधान किये गये थे परन्तु आज के बदले हुए राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवेश में वह प्राविधान अपर्याप्त और निष्प्रभावी हो गये हैं । इसलिये आवश्यक है कि इस अधिनियम में आधारभूत परिवर्तन किये जायें । मान्यवर, मैंने इस संशोधन द्वारा कोई विशेष परिवर्तन करने का प्राविधान नहीं किया है, मात्र कुछ ओमिसन्स या त्रुटियां जो रह गयी हैं उनके सुधार का ही प्राविधान किया है । लोकतंत्र में स्वायत्तशासी संस्थाओं का महत्वपूर्ण स्थान है । हमारे जनजीवन की दैनिक आवश्यकताओं जैसे सफाई, स्वच्छता, पर्यावरण में सुधार और मार्गों तथा गलियों का निर्माण तथा उनके रख रखाव आदि जितनी जन उपयोगी सुविधायें हैं वह स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा ही निष्पादित की जाती हैं । मान्यवर, प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में नगरीय क्षेत्रों में नयी आबादी के लिये नयी-नयी कालोनियां विकसित हो रही हैं इन नवविकसित क्षेत्रों में ागरिक सुविधायें उपलब्ध कराना इन संस्थाओं के सामने चुनौती बन गयी है । इस महत्वपूर्ण भूमिका से

इन संस्थाओं का महत्व और बढ़ जाता । अतः यह आवश्यक है कि इन स्वायत्तशासी संस्थाओं को विनियमित करने वाले अधिनियमों में कोई त्रुटि न रह जाय जिससे उनके कार्य संचालन में अनावश्यक गतिरोध हो इसलिये इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कुछ कतिपय संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं ।

मान्यवर, नगरपालिका अधिनियम की धारा-2 में संशोधन का प्रस्ताव इसलिये दिया है चूंकि इस धारा में नगर का तात्पर्य एक लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिका या ऐसी नगरपालिका जिसे कि धारा–3 के अन्तर्गत अधिसूचना के आधार पर नगर घोषित किया गया हो, जनसंख्या की यह सीमा कई गुना बढ़ गयी है, यह प्राविधान करने के समय से आज तक शहरों की जनसंख्या कई गुनी बढ़ जाने के कारण इस प्राविधान को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है । इसलिये इस सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख करने का प्राविधान किया गया है । मान्यवर, यहां यह स्पष्ट है कि मूल अधिनियम की धारा दो के अन्तर्गत जनसंख्या के आधार पर दो तरह की नगरपालिकाओं का प्राविधान है एक सिटी बोर्ड और दूसरी साधारण नगरपालिका । परन्तु शासन ने मूल अधिनियम की धारा-2 की पूर्ण उपेक्षा कर 4 श्रेणियों में नगर पालिकाओं को वर्गीकृत कर रखा है । इस अनुचित वर्गीकरण के विरुद्ध अनेक सेवा संगठनों ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिकायें दायर कर रखी हैं । शासन द्वारा किये गये इस अवैधानिक और अनुचित वर्गीकरण की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । इस वर्गीकरण में जनसंख्या, वित्तीय स्थितियां अन्य तर्क संगत आधारों को न लेकर मनमाने ढंग से वर्गीकरण कर दिया है । मैं इसका एक उदाहरण देता हूं । लगभग 50 हजार की जनसंख्या और अच्छी वित्तीय स्थिति वाले नगर रुद्रपुर, छिबरामऊ, दादरी, जलेसर और डिबाई को श्रेणी 3 की नगरपालिका के अन्तर्गत वर्गीकृत कर रखा है । इसी प्रकार जिला मुख्यालय और एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले महत्वपूर्ण नगर जिनकी वित्तीय स्थिति भी अच्छी है, सुल्तानपुर, फतेहपुर, मैनपुरी, हरदोई इन्हें श्रेणी-2 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है । इससे पूर्णतया विपरीत खराब वित्तीय स्थिति और कम जनसंख्या वाले नगर जैसे शिकोहाबाद, खुर्जा, पिलखुआ और बड़ौत को श्रेणी-1 की नगर पालिका घोषित कर रखा हैं । इसका न कोई तर्कपूर्ण आधार है और न औचित्य । नान सिटी बोर्ड को नगरपालिकाओं के मामलों को निर्णित करने में इसी अनुचित और अवैधानिक वर्गीकरण का प्रयोग किया जाता है तथा इसी आधार पर राज्य सहायता और अनुदान तथा कर्मचारियों के वेतन भत्तों का निर्धारण किया जाता है तथा नगरीय क्षेत्र में रहने वाले शासकीय और अर्द्धशासकीय कर्मचारियों को नगरीय भत्ता भी इसके आधार पर दिया जा रहा है । मान्यवर, यह अच्छा होता कि सरकार इस संबंधित धारा में तर्कसंगत आधार पर संशोधन करती । परन्तु सरकार ने बिना संशोधन किये मनमाने ढंग से शासनादेश के द्वारा अनुचित व्यवस्था बना रखी है ।

धारा-13 का संशोधन नगर पालिका बोर्ड की सदस्यता या अन्य पद प्राप्त करने के प्रत्याशी अपना भू-भवन, कारोबार अपने पुत्र, पुत्री या सहभागीदार के नाम दर्ज करा देता और धारा–13 के प्राविधानों से बच निकलता है । इस प्रकार बकायेदार होने के बाद भी नगर पालिका बोर्ड की सदस्यता या अध्यक्ष पद के प्रत्याशी बनकर किसी प्रकार से निर्वाचित हो जाने पर यह अनुचित रूप से अपने हितों का संरक्षण करते हैं । इस प्रकार से इस धारा के प्राविधानों का उद्देश्य पूरा नहीं होता साथ ही करापवंचन को प्रोत्साहन मिलता है । इस कमी को दूर करने के लिये मूल अधिनियम की धारा-13-घ के खण्ड (छ) के पश्चात खण्ड छ-छ बढ़ाये जाने का प्राविधान किया गया है । इसमें यह प्राविधान है कि उस अविभक्त कुटुम्ब जिसका वह सदस्य है या फर्म का वह भागीदार है पर एक वर्ष से अधिक की अवधि के नगर पालिका कर या अन्य देय को जिन पर धारा–166 लागू होती है का भुगतान बकाया है ।

मान्यवर, इसी प्रकार से अविभक्त कुटुम्ब, फर्म और सहभागीदार को इस बकायेदारों की परिधि में रखकर 166 के अन्तर्गत आने वाले कर, गृह कर, जल कर, सम्पत्ति कर तथा धारा-128 के अन्तर्गत आरोपित किये जाने वाले करों की वसूली का मार्ग प्रशस्त किया गया है। अगर इन प्राविधानों को लागू कर दिया जायेगा तो नगरीय क्षेत्रों की आय के स्रोत बढ़ेंगे और एक अच्छी व्यवस्था लागू होगी। धारा-87-क में संशोधन करके खण्ड ख उपधारा 15 के उपरान्त नयी धारा 16 बढ़ाकर उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटाये जाने की व्यवस्था की गयी है। आप देखें जनता द्वारा निर्वाचित नगरपालिका के अध्यक्ष को एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। धारा 87-क के द्वारा अध्यक्ष को तो हटाया जा सकता है। लेकिन सदस्यों द्वारा निर्वाचित उपाध्यक्ष को हटाने का प्राविधान इस अधिनियम में नहीं है।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में उ० प्र० क्षेत्र समिति जिला परिषद् अधिनियम 1962 का संदर्भ लेना चाहता हूं वहां इस प्रकार की व्यवस्था थी कि उपाध्यक्ष का कार्यकाल एक वर्ष का था वहां संशोधन करके उपाध्यक्ष का कार्यकाल बोर्ड के समकक्ष कर दिया गया। अध्यक्ष के बराबर कर दिया गया। परन्तु वहां इस संशोधन को करते समय यह व्यवस्था कर दी गयी कि अध्यक्ष के समान उपाध्यक्ष के विरुद्ध भी अविश्वास का प्रस्ताव लाने का प्राविधान कर दिया गया। लेकिन उ० प्र० नगर पालिका अधिनियम में संशोधन करते समय भूल से यह व्यवस्था छूट गयी है। यह व्यवस्था करना जरूरी है। इस संशोधन की आवश्यकता इसलिये है, धारा 54 (2) में वर्ष 1976 में यह संशोधन कर दिया गया था कि नगरपालिका में उपाध्यक्ष का कार्यकाल एक वर्ष से बढ़ाकर बोर्ड के समकक्ष या अध्यक्ष के बराबर कर दिया गया। परन्तु उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्राविधान नहीं किया गया। इसको न करने से कठिनाई क्या आती है इसको आप देखें। जनता द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष के विरुद्ध न० पा० अधिनियम की धारा 87 (क) में अविश्वास का प्रस्ताव आ गया, उसके बाद धारा 55 के प्राविधान के अनुसार उपाध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य करने लगा। उपाध्यक्ष जब कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है तो अवैधानिक या जनहित के विरुद्ध कार्य करने पर धारा 87 (क) के अन्तर्गत अविश्वास का प्रस्ताव, उसके विरुद्ध लाने का कोई प्राविधान नहीं है। मान्यवर, मूल अधिनियम की धारा 48 को देखें। धारा 48 के अन्तर्गत अध्यक्ष अगर कर्तव्य का पालन न करें, या न० पा० अधिनियम की धारा 82 का उल्लंघन कर अनुचित लाभ उठायें, दुराचरण करें तब उसे निलम्बित एवं पदच्युत किया जा सकता है। लेकिन यह प्राविधान उपाध्यक्ष पर लागू नहीं होते हैं। अगर उपाध्यक्ष कोई नियम विरुद्ध कार्य करता है तो शासन द्वारा उसे पदच्युत नहीं किया जा सकता है अगर वह नियम विरुद्ध कार्यवाही करता है तो शासन उसके विरुद्ध किस प्रकार की कार्यवाही करेगा ? इसलिये धारा को संशोधित करना आवश्यक है। मूल अधिनियम की धारा 96 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में संविदा की सीमा है, उसमें 1964 में प्राविधान किया गया था इसमें सभी सदस्य अवगत हैं कि महंगाई बढ़ी है ईंट, लोहा और सीमेन्ट के दाम बढ़े हैं रुपये का अवमूल्यन होने के कारण यह प्राविधान अपर्याप्त है। बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के बिना संविदा की जो राशि सीमा है इसको मैं कहना चाहूंगा कि सिटी बोर्ड में पहले दो हजार थी उसको बढ़ाकर दस हजार करने का प्राविधान किया गया है। नान सिटी बोर्ड, साधारण नगर पालिका में पांच सौ था उसको दो हजार पांच सौ करने का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, मूल अधिनियम की धारा 328 में संशोधन का प्राविधान है। इस धारा में प्राविधान है कि कर सूची या नगरपालिका नगर बोर्ड की कार्यवृत्त पुस्तिका को कोई भी करदाता या नागरिक निःशुल्क निरीक्षण कर सकता है जब चाहें तब। लेकिन होता यह है कि चेयरमैन इस प्रोसीडिंग कार्यपंजिका को अपने घर ले जाते हैं और न तो नगर बोर्ड के सदस्यों को देखने को मिलती है न जनता को देखने को

मिलती है क्योंकि यह कहीं भी डिफाइन्ड नहीं है कि कार्यवृत्त पुस्तिका कहां रखी जायगी और किसकी अभिरक्षा में रखी जायगी । सदस्य कहते हैं कि हमारे पास होनी चाहिए, उपाध्यक्ष कहते हैं कि हमारे पास होनी चाहिए और अध्यक्ष कहते हैं हमारे पास होनी चाहिए । इसलिये इस धारा 328 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है और यह व्यवस्था की गयी है कि इसको कार्यपालक अधिकारी की अभिरक्षा में नगर पालिका के कार्यालय परिसर में रखा जाय । कार्यपालक अधिकारी सरकारी कर्मचारी है उस पर शासन का नियंत्रण है और उसका एक निश्चित कार्यालय होता है ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय गांधी जी आप उत्तर भाषण में अपनी बात रख दें । माननीय सदस्यों के विचार सुन लें ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, धाराओं में जो संशोधन हैं उनको तो सदन में बताना ही पड़ेगा ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, मैं एक मिनट में अपनी बात सीमित कर रहा हूं । मैंने जो यह संशोधन के प्रस्ताव किये हैं, यहां पर न तो किसी नियम में विसंगति है या अन्य किसी अधिनियम या अनुषांगिक नियमों से विरोधाभास है । अतः जो संशोधन का प्रस्ताव किया है यह उचित है । जो त्रुटियां रह गयीं पूर्व में संशोधन करते समय वह त्रुटियां भूल से रह गयी हैं उन्हीं के सुधार के संबंध में मैंने इसमें प्राविधान किया है । उदाहरण के लिये मैं शासन की जो नगरपालिकाओं का अनुचित वर्गीकरण किया है उसकी आलोचना करता हूं । वर्गीकरण किसी तार्किक आधार और न्यायसंगत आधार पर नहीं किया गया है । 4 श्रेणियों में आपने नगरों को बांटा है । पूरे अधिनियम में कहीं पर 4 श्रेणियों की व्यवस्था नहीं है केवल दो श्रेणियां ही हैं, परन्तु शासन ने 4 श्रेणियां बना दी हैं । आर्थिक संशोधन, वित्तीय स्थिति, जनसंख्या, किसी तर्कपूर्ण आधार या नियम का पालन नहीं किया गया है । मनमाने तरीके से वर्गीकरण कर दिया गया है । शिकोहाबाद में अगर कोई कर्मचारी है तो "ए" क्लास का मानने के कारण उसको अधिक वेतन भत्ता या नगरीय भत्ता मिलेगा और सुल्तानपुर, फतेहपुर जो जिला मुख्यालय है वहां पर तैनात कर्मचारी को कम भत्ता मिलेगा क्योंकि इन नगरों को "बी" क्लास नगर माना गया है । तो इसका क्या औचित्य है । मैंने इन संशोधनों द्वारा कोई ऐसा प्राविधान नहीं किया है जिससे शासन को कोई कठिनाई हो या कोई अनावश्यक व्यवस्था करनी पड़े । मूल अधिनियम में जो त्रुटियां और विसंगतियां थीं उनको दूर करने के लिये मैंने यह संशोधन रखे हैं । मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूं और जो दो-एक बातें रह गयी हैं उनको बाद में कह दूंगा ।

(श्री स्वामी नाथ यादव का नाम पुकारे जाने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

श्री स्वामी नाथ यादव जी उपस्थित नहीं हैं । अन्य माननीय सदस्य जो विचार व्यक्त करना चाहें, कर सकते हैं ।

(किसी भी सदस्य के खड़े न होने पर)

नगर विकास मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कटियार)–

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री गांधी जी ने संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम में संशोधन के बहुमूल्य प्रस्ताव रखे हैं । निश्चय ही प्रस्तावित संशोधन माननीय सदस्य के निरन्तर चिन्तन और

नगरपालिकाओं के उत्थान के प्रति उनकी विशेष अभिरुचि के प्रतीक हैं । सरकार पहले से ही नगरपालिका अधिनियम, नगर महापालिका अधिनियम और टाउन एरिया ऐक्ट में संशोधन के अनेक प्रस्तावों पर विचार करके अपना मत स्थिर कर चुकी है और ऐसे सभी संशोधन निकट भविष्य में समेकित रूप में सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे ।

श्री विजय सिंह राणा–

जो मान सकतीं हैं, उनको मान लें ।

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

सरकार इस प्रस्ताव में अनेकों अन्य और प्रस्ताव जोड़कर लायेगी । मान्यवर, सरकार इस प्रस्ताव से सहमत नहीं है कि अधिनियम की धारा-96 में सिटी बोर्ड के लिये दो हजार रुपये के स्थान पर दस हजार रुपये तक और 500 रुपये के स्थान पर 3 हजार रुपये तक बजट से अनियंत्रित व्यय करने की अनुमति देने के प्रस्ताव से सहमत है । यह अधिनियम में संशोधन के विधेयक में प्रस्तुत किया जायगा और ऐसे संशोधन महापालिका अधिनियम और टाउन एरिया अधिनियम में भी किये जायेंगे । एक लाख के बजाय दो लाख की जनसंख्या पर सिटी बोर्ड घोषित किये जाने का प्रस्ताव व्यवहारिक नहीं है । आपने अभी अपने उद्‌बोधन में कहा था कि मैं वित्तीय कठिनाइयों और जनसंख्या का जिक्र करूंगी । उसी के अनुसार मैं कहना चाहूंगी कि हमारी चार वर्गीकृत पालिकाओं की दृष्टि से हमने कर्मचारियों को भी वर्गीकृत किया है और कर्मचारियों के वर्गीकरण के नाते जो उप नगर अधिकारी स्तर के अधिकारी हैं, जिन्हें हम सिटी बोर्ड में तैनात करते हैं । यह एक विसंगति खड़ी हो जायगी । हमारे 25 सिटी बोर्ड हैं जिसमें से 11 ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या एक लाख से ऊपर है । इस नाते यह प्रस्तावित विधेयक के खण्ड-2 में किये गये प्रस्ताव सरकार के लिये अमान्य है । जहां तक नगरपालिकाओं के उपाध्यक्षों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने का सम्बन्ध है, उपाध्यक्षों के कार्यकाल परिवर्तन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । यदि ऐसे कार्यकाल में परिवर्तन होता है अथवा उपाध्यक्षों का कार्यकाल नगरपालिका के समकालीन नहीं रखा जाता है तो 1976 के पूर्व की व्यवस्था लागू है और उपाध्यक्ष का कार्यकाल पूर्व की भांति ही एक साल हो जायगा और ऐसी स्थिति में अविश्वास की आवश्यकता नहीं होगी । ऐसी ही व्यवस्था उप नगर प्रमुख के संदर्भ में भी की जा सकती है । ऐसी स्थिति में विधेयक के खण्ड-2 में की गयी प्रस्तावना सरकार के लिये अमान्य है । विधेयक के खण्ड-7 में बोर्ड की कार्यवृत्त पुस्तक नगर-पालिका परिसर में बोर्ड के कार्यपालक की अभिरक्षा में रखने के लिये संशोधन प्रस्तावित है । यह नियमावली का विषय है न कि विधेयक का । सम्प्रति कार्यवृत्त पुस्तक अधिशासी अधिकारी के संरक्षण में रखी जाती है और उसे नगरपालिका कार्यालय के बाहर ले जाने का कोई अवसर नहीं होता । फिर भी इस विषय पर आवश्यक निर्देश शासन द्वारा जारी कर दिये जायेंगे और सुसंगत नियमावली में भी आवश्यक प्राविधान जोड़ दिया जायगा । वर्णित आधारों एवं कारणों से पुस्तक विधेयक पर सम्प्रति कोई विचार नहीं है । मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगी कि प्रस्तुत विधेयक को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं एक प्रस्ताव आपके माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता हूं । मान्यवर, यह जो नगरपालिकायें हैं, उनके अध्यक्ष का चुनाव एक लाख से कम जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं में सीधे से होता है और निर्वाचित अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव बोर्ड के सदस्यों द्वारा लाया

जाता है । इसे जनतांत्रिक बनाने के लिये संशोधन कर अविश्वास प्रस्ताव जनता के द्वारा ही लाये जाने की व्यवस्था करें ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, जो माननीया मंत्री जी उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1992 का विरोध कर रही हैं, मात्र विरोध करने के उद्देश्य से, क्योंकि उन्होंने अपने उत्तर भाषण में सभी संशोधनों से सहमति व्यक्त की है । उन्होंने यह भी माना है कि धारा 328 के अन्तर्गत संशोधन कर कार्यवृत्त पुस्तिका या मिनट बुक को नगरपालिका परिसर में कार्यपालक अधिकारी की अभिरक्षा में रखना ही उचित होगा, परन्तु वह यह व्यवस्था अधिनियमों में परिवर्तन करके लाने के स्थान पर शासनादेशों द्वारा लाना चाहती हैं, जोकि उचित नहीं है । शासनादेश ऐक्ट को सुपरसीड नहीं कर सकते । इसी प्रकार अनुचित शासनादेश करके नगरपालिका अधिनियम की धारा-2 में नगरपालिकाओं की दो श्रेणियों के स्थान पर चार श्रेणियां अनुचित रूप से निर्धारित कर दी गयी हैं, जिसका कोई तर्क संगत आधार नहीं है, जैसा मैंने उदाहरण दिया था कि न तो जनसंख्या को ही आधार बनाया गया और न वित्तीय स्थिति व संसाधनों पर विचार कर श्रेणी निर्धारित की गयी । इसका दुष्प्रभाव अनेक प्रकार से होता रहा है । कर्मचारी संगठनों की रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है । उनके आधार पर यह वर्गीकरण स्वतः ही निरस्त हो जाना है ।

धारा 87-क के संशोधन के संदर्भ में आज आप कह रहे हैं कि अध्यक्ष का कार्यकाल 4 वर्ष के स्थान पर एक वर्ष करने जा रही हैं । यह एक अच्छी व्यवस्था हो गयी थी, उसे आप परिवर्तित कर पुनः पुरानी स्थिति में ले जाना चाहती हैं । उपाध्यक्ष का चुनाव प्रति वर्ष करने की यह कठिनाई आती है कि सदस्यों को प्रभावित कर, लालच देकर शहर से बाहर दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है । इसमें अनावश्यक व्यय होता है तथा भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है । इस संबंध में उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति जिला परिषद् अधिनियम, 1962 में किये गये संशोधनों की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा । वर्ष 1989 में इस अधिनियम में संशोधन कर उपाध्यक्ष का कार्यकाल बोर्ड के कार्यपर्यन्त या अध्यक्ष के समकक्ष कर दिया गया है, साथ ही यह व्यवस्था भी कर दी गयी कि अध्यक्ष की भांति उपाध्यक्ष के विरुद्ध भी अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा सके, परन्तु नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 54(2) में वर्ष 1976 में संशोधन करते समय किसी प्रकार भूलवश उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव किये जाने का प्राविधान करने से छूट गया था, यह मात्र भूल थी । मान्यवर, आप विधि ज्ञाता हैं, आप इसे देख लें कि किसी भी विधेयक में संशोधन करते समय दो चीजें मुख्य रूप से विचारणीय हैं । (1) राज्य की समेकित निधि पर कोई वित्तीय अधिभार तो नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि इस विधेयक में कोई व्यय अर्न्तग्रस्त नहीं है, अतः वित्तीय भार बढ़ने का प्रश्न नहीं उठता । (2) अधिकारों का प्रतिनिधायन किसी प्रकार से हुआ है या नहीं, परन्तु इसमें कोई अधिकारों का प्रतिनिधायन भी नहीं किया गया है । अतः संशोधन विधेयक को स्वीकार करने में कोई तकनीकी या वैधानिक आपत्ति भी नहीं है । इसमें मान्यवर, कोई ऐसा प्राविधान नहीं है, जिसमें वित्तीय अधिभार अन्तर्ग हो, इस तरह का कोई प्राविधान नहीं है जिसमें कोई व्यय अन्तर्ग्रस्त हो, इसमें अधिकारों का प्रतिनिधायन भी नहीं है । माननीय मंत्री जी ने पूरा पढ़ा होगा और देखा होगा कि कहीं पर भी इस में प्रतिनिधायन नहीं है और कोई व्यय अन्तर्ग्रस्त नहीं है, तो फिर माननीय मंत्री जी को इसको मानने में क्या दिक्कत है । आपने तर्क यह दिया है कि आप कुछ और संशोधन लायेंगी, तो इसको मान लें, क्या दिक्कत है ।

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, फिर एक ही बात दोहरानी होगी कि इन संशोधनों के अलावा जो अव्यवहारिकता थी, उसको स्पष्ट करना पड़ेगा, इनके अलावा तमाम संशोधन शासन के विचाराधीन हैं, तो इस समय इनको विचार में लाना उचित नहीं है । माननीय सदस्य ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर जो चर्चा की है, चूंकि यह बिन्दु भी विचाराधीन है, मैं उसकी यहां पर चर्चा नहीं करना चाहूंगी, अनेकों बिन्दु हैं, तो इन्हें टुकड़ों में लाना ठीक नहीं है, समेकित रूप से लाना ठीक होगा । इसलिये इस समय इसको मानना अव्यवहारिक है ।

श्री विजय सिंह राणा–

कुछ माननीय सदस्य मान जायें और कुछ माननीय मंत्री जी मान जायें ।

श्री उपाध्यक्ष–

मानना और न मानना अभी सामने आ जायेगा ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री जी ने इसे सिद्धान्तः स्वीकार किया है, इससे सहमत हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

क्या आप इसे वापस ले रहे हैं ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, मैं इस पर बल देता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकार हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1992

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा मांगता हूं । श्रीमन्, आप अनुमति दें तो मैं विचार व्यक्त करूं ।

एक सदस्य–

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, अगर सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य जिस संशोधन विधेयक का मैंने प्रस्ताव किया है उसको पढ़ चुके हैं तो मुझे पढ़ा हुआ मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मेरी विनम्र शिकायत यह है कि उन्होंने इस विधेयक का अध्ययन नहीं किया है ।

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, आपने अनुज्ञा पर ही माननीय दीक्षित जी को बोलने की अनुमति दे दी इस पर संशोधन भी हम लोगों को पेश करना है तो संशोधन कब पेश करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष–

जब विचार का प्रस्ताव आता है तब अगर वह न आ पाया तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

उस स्थिति तक आ ही जाना चाहिए ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 जो मूल अधिनियम है उसकी धारा 24 में संशोधन का प्रस्ताव मैंने किया है । श्रीमन्, 1980 की विधान सभा का कार्यकाल पूरे 5 वर्ष का नहीं था लेकिन इस आदरणीय सदन ने एक संशोधन के द्वारा सन् 1980 की विधान सभा के कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा मान लिया था और आप अवगत हैं कि यह विधान सभा जिसमें आज हम लोग बैठे हुए विचार कर रहे हैं और इसके पूर्व की भी विधान सभा, श्रीमन्, किसी भी समय विधान सभायें भंग हो जाती हैं और उसके भंग होने में हम माननीय सदस्यों की कोई गलती नहीं होती । जैसा कि इस समय की विधान सभा है इसमें अक्सर यह बात चला करती है कि किसी भी दिन, किसी भी रात यह विधान सभा भंग हो सकती है तो वर्ष 1985 की विधान सभा जिसमें आप भी सदस्य थे और मैं भी सदस्य था और वह विधान सभा अपना कार्यकाल पूरा 5 वर्ष का पूरा नहीं कर सकी थी उसके 4-5 माह पूर्व ही वह विधान सभा भंग कर दी गयी थी ।

श्रीमन्, 1980 का सदन था उसमें एक संशोधन लाया गया था आप धारा 24 देखने की कृपा करें उसका स्पष्टीकरण-2 है,इसमें है कि---

"जहां किसी व्यक्ति ने वर्ष 1980 में गठित विधान सभा के सदस्य के रूप में ऐसी अवधि तक कार्य किया हो जो पांच वर्ष से अधिकतम छः मास से कम हो, वह इस धारा के प्रयोजनार्थ यह समझा जायेगा कि उस व्यक्ति ने पांच वर्ष के लिये सदस्य के रूप में कार्य किया है ।"

जब 1980 की विधान सभा में जिसका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था तो उसका पूरा कार्यकाल मान लिया था यहां पर इस पक्ष और उस पक्ष के माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, वह सहमत होंगे कि 1985 की विधान सभा का कार्यकाल भी पूरा-पूरा मान लिया जाय । इसलिये जो मूल धारा है उसमें जो मैंने संशोधन का प्रस्ताव किया है – उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की धारा 24 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण–दो में शब्द और अंक "वर्ष 1980" के स्थान पर शब्द और अंक "वर्ष 1980 और 1985" रख दिये जायं ।

मेरा प्रस्ताव है कि जैसे 1980 के सदन को आपने पूरा-पूरा मान लिया है वैसे ही 85 वाले को भी पूरा-पूरा मान लिया जाय ।

दूसरा प्रस्ताव जो मैंने किया है उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की धारा 31 के पश्चात् 3 धारायें और जोड़ दी जायं धारा 32, 33 और 34 धारा 32 में जो प्राविधान किया गया है–प्रत्येक सदस्य को ऐसे सदस्यों के रूप में अपने कर्तव्यों या कृत्यों के

निर्भीकतापूर्वक निर्वहन करने के लिये "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 188 के अनुसार शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने के दिनांक से राजकीय व्यय पर एक अंगरक्षक उपलब्ध कराया जायेगा ।

हमारा व्यक्तिगत रूप से यह मानना है कि सभी सरकारों का विचार एक जैसा होता है अंगरक्षक देने के मामले में चाहे इधर के बैठे हुए हमारे नेतागण हों, चाहे हमसे भले नाराज हो जायं, जब माननीय मंत्री रहे हैं या आप लोग हैं सरकारें आया जाया करती हैं, विधायी कार्य में जब हम लोग हिस्सा लेते हैं तो कुछ न कुछ ऐसा जरूर व्यक्त करते हैं जो अन्यथा होता है जिससे निहित स्वार्थी लोग नाराज होते हैं और विधायी कार्यों में अड़चन आती है । इसलिये धारा 32 में अंगरक्षक की सुविधा बिना किसी प्रार्थना के जैसे ही विधान सभा की सदस्यता की शपथ लें, मिल जाया करें । धारा-33 में व्यवस्था है कि विधान सभा और विधान परिषद् में चाहे जितने भी दिन कार्य किया हो, उसे भी पूरा कार्यकाल मानकर अपने कर्तव्यों के निर्वहन में..... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप तो काफी विस्तार में चले गये ।

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । पुरःस्थापन के समय बहस या चर्चा नहीं होनी चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं पुरःस्थापन के सम्बन्ध में प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

(श्री हृदय नारायण दीक्षित द्वारा बोलने का उपक्रम करने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आपकी पीठ से रूलिंग्स भी हैं जब प्रश्न उपस्थित करने की बात है तो कोई बोल नहीं सकता है।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा प्रश्न उपस्थित करने का उपक्रम करने पर)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

अगर आपने मा० संसदीय कार्य मंत्री की व्यवस्था पर मुझे बोलने से रोका हो तो नियमावली का नियम 123 देखने की कृपा करें ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपने अपने विचार व्यक्त कर तो दिये हैं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

केवल एक अन्तिम बात कहनी रह गयी है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इससे गलत परिपाटी पड़ जाएगी ।

(श्री हृदय नारायण दीक्षित द्वारा पुनः बोलने का प्रयत्न करने पर)

उपाध्यक्ष–

मैं अनुमति नहीं देता हूं । मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, पुरःस्थापित करते समय इस तरह के विधेयकों पर यदि वोटिंग करा ली जायेगी तो फिर ऐसे विधेयक कभी पुरःस्थापित नहीं हो पायेंगे । प्रस्ताव तो आपकी अनुमति से पुरःस्थापित कर लेते हैं विचार होने के बाद वोटिंग होती है जैसा गांधी जी के प्रस्ताव में अभी हुआ है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

पुरःस्थापित करने के लिये सदन अनुज्ञा देता है ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, सदन नहीं देता है, आप अनुज्ञा देते हैं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, जल्दबाजी में आपकी तरफ से कुछ हो गया हो तो उसको देख लें नहीं तो ऐसे विधेयक कभी पुरःस्थापित नहीं हो सकेंगे ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

यह तो एक संवैधानिक संकट खड़ा हो गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, सदन में ध्वनि संग्रहित करने का अधिकार आपका है, हां की संख्या अधिक है या न की संख्या अधिक है । यह पुरःस्थापित करने के लिये माननीय प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का आग्रह है तो मुझे आपत्ति नहीं होगी, आप चाहें तो पुरःस्थापित करने की अनुमति दे दें, आप चाहें तो फिर से ले लें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो विचार व्यक्त किया है, मैं पुनः प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं । उसे पुरःस्थापित नहीं माना जायेगा ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, आप अनुमति देते हैं, यह माननीय संसदीय कार्य मंत्री भी जानते हैं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करता हूं ।

[समय 6 बजकर 32 मिनट]

उत्तर प्रदेश नारी कल्याण विधेयक, 1992

श्री राम स्वरूप वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नारी कल्याण विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नारी कल्याण विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राम स्वरूप वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नारी कल्याण विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करता हूं।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रसताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नारी कल्याण विधेयक, 1992 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, नारी का शोषण पुरुष प्रधान समाज ने बहुत ज्यादा किया है। शोषण की कहानी में पहले समता से विषमता बतायी गयी। इसमें पहला डर वह है जिसमें नारी को हेय दिखा कर पुरुष से भिन्न चित्रित किया गया। जैसे उदाहरण के लिए पुरुष से आठ गुना अधिक काम वासना होती है, चंचलता होती है, नारी की शादी एक ही बार होती है, दूसरी बार नहीं हो सकती है। नारी के पति के मर जाने पर उसे ब्रह्मचारिणी रहना चाहिए। आदमी को शादी कर लेनी चाहिए इसके बारे में मान्यवर, मैं मनुस्मृति के कुछ उदाहरण रखूंगा। मनुस्मृति के अध्याय 5 में 157-158 श्लोकों में दिया है—

"पति के मरने पर स्त्री पवित्र फल, फूल, मूल खाकर देह को क्षीण करे, परन्तु पर पुरुष का कभी नाम न ले। विधवा स्त्री पवित्रता के उत्तम धर्मों को चाहती हुई मरते दम तक क्षमायुक्त और नियमपूर्वक ब्रह्मचारिणी होकर रहे।" वहीं दूसरा विधान पुरुष के लिये है। उसी के 168 में दिया हुआ है–

पति के पूर्व मरने वाली स्त्री को अन्त कर्म में अग्नि दे चुकने के पश्चात् वह पुरुष पुनर्विवाह करके अग्निहोत्र ले। यानी पुरुष तो शादी कर लें और स्त्री जन्म भर अपने पति के मरने के बाद ब्रह्मचारिणी बनी रहे तो पुरुष को स्त्री के मरने के बाद पुनः विवाह करने का अधिकार है लेकिन स्त्री को यह अधिकार नहीं मिला है क्योंकि स्त्री उसके लिये परतंत्र है। मान्यवर, रामायण में यह लिखा हुआ है कि–

"भ्राता पिता पुत्र उरगारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी,
होइ विकल सकल मनहिं न रोकी, जिमि रविमणि द्रव रविहि विलोकी"

मान्यवर, इसमें यह आरोप लगाया गया है कि स्त्री में काम वासना पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा होती है, हालांकि सच्चाई यह है कि बलात्कार जितने भी हुए वह पुरुषों ने ही किये। तो बलात्कार तो पुरुष करे और कामवासना का आरोप स्त्री पर लगे और यह कहा गया कि वह भाई, पिता, बेटा किसी को नहीं

देखती है । मान्यवर, आगे यह गया है कि–

"विधिहू न नारि हृदय गति जानी

सकल कपट अघ अवगुन खानी"

मान्यवर, इसमें यह कहा गया है कि सारे कपट और पाप की जड़ यह स्त्री है और ब्रह्मा भी इसकी गति को नहीं जान पाये हैं और न ही इसको समझ पाये हैं । इसके बाद मान्यवर, नारी के सम्मान को गिराने के लिये अनसूया से यह कहलवाया गया है–

"सहज अपावन नारि, पति सेवक शुभ गति लहहिं"

इसमें यह कहा गया है कि स्त्री सहज रूप से अपवित्र होती है लेकिन पति की सेवा करने से वह शुभ गति को प्राप्त होती है । फिर यह कहा गया–

"वृद्ध रोग वश जड़ धन हीना, अन्ध वधिर क्रोधी अति दीना,

ऐसेहु पति कर किय अपमाना, नारि पाव यमपुर दुख नाना"

मान्यवर, इसमें यह कहा गया है कि पति चाहे जैसा भी हो, चाहे वह अंधा हो, चाहे रोगी हो, चाहे वह बहरा हो या कैसा भी हो ऐसे पति का भी अपमान करने से वह स्त्री यमपुर में दुख पाती है । आगे उन्होंने यह भी कहा है कि नारी जो पिछड़े हुए वर्ग का व्यक्ति है, उससे भी नीचे है अछूत और उससे अधम हैं नारी तो इतना अपमान नारी का होता आया है । शबरी से कहलवाया गया है – अधम ते अधम अधम अति नारी, पार्वती ऐसी देवी कहती है । यद्यपि स्त्री को पूछने का हक नही है, लेकिन दासी मन वचन कर्म से आपकी दासी हूं, इसलिये आप दया करके हमे बता दें । यानि पूछने पर इतना कहा और शिव जी ने पार्वती जी को डांटते हुए कहा–

कहहिं सुनहिं अस अधम नर, ग्रसे जो मोह पिशाच,

पाखंडी हरि पद विमुख, जानेहिं झूठ न सांच ।

ऐसा दुष्ट आदमी कहता है कि राम कौन है । यह है मान्यवर, स्त्रियों में यहीं से हीन भावना गहराई । अब इसके बाद स्वतंत्रता पर हमला हुआ और पुरुष स्त्री में फर्क आ गया । हालांकि एक पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक और सहायक हैं । स्त्री और पुरुष की इज्जत चाहने की भावना एक समान है.....

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी, आपके काफी विचार आ गये हैं, अब समाप्त करें ।

श्री राम स्वरूप वर्मा–

स्त्री पुरुष में समता है, इसलिये कि ये एक दूसरे के पूरक और सहायक हैं । इसलिये मान्यवर, यह बराबर समान समझे जाने चाहिए लेकिन यह विषमतायें बता कर और कह कर स्त्री को सम्मान और समता से रहित कर दिया, तब स्वतंत्रता पर हमला किया और यह मनुस्मृति कहती है–

"पिता रक्षति कौमारे भर्तारक्षति यौवने ।

रक्षति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातंत्रमर्हति ।"

स्त्रियों की बाल्यावस्था में पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र रक्षा करता है । स्त्री कभी स्वतंत्रता के योग्य नहीं है । पर मान्यवर, इसके दूसरे अध्याय के श्लोक में कहते हैं कि पुरुषों को अपनी स्त्रियों को कभी स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, पंडित तुलसी दास ने भी लिखा है–

"महा वृष्टि चलि पूरी कियारी, जिमि स्वतंत्र होई बिगरहि नारी ।"

तो स्वतंत्रता के लिये मना कर दिया । जब समता, स्वतंत्रता, सम्मान से हीन कर दिया तो मान्यवर, स्त्री सब तरफ से नीचे गिर गयी । अब इसके पौराणिक ग्राफ से भी देख लिया जाय । याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी में समता थी । याज्ञवल्क्य आस्तिक थे और मैत्रेयी नास्तिक थी, लेकिन दोनों में बराबर का व्यवहार था। सतयुग में स्वयंवर प्रथा थी, त्रेता आते-आते स्वयंवर प्रथा का अंत हो गया और स्वयंवर की जगह पितावर हो गया । जनक ने कहा–

सोई पुरारि को दंड कठोरा, राज समाज आज जेहि तोरा ।

त्रिभुवन जय समेत वैदेही, विनहिं विचारि बरहिं हठि तेही ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी, अब समाप्त करें ।

श्री राम स्वरूप वर्मा–

तो मान्यवर, त्रेता आते-आते स्वयंवर प्रथा खत्म हो गयी और पितावर की प्रथा चालू हो गयी । पिता ने कहा जो शिवजी के धनुष को तोड़ देगा, बिना किसी विचार के वैदेही उसका वरण करेगी । लेकिन वैदेही ने कुछ नहीं कहा कि जो धनुष तोड़ेगा, उसके साथ हम शादी करेंगे । अब द्वापर आया, जिसमें द्रुपद नरेश ने कहा कि तेल के कड़ाह में मछली की छाया देख कर जो उस पर लटकती मछली की आंख को बेध देगा, उसे द्रोपदी इनाम में दे दी जायेगी । अर्जुन ने उसे बेध दिया तो अर्जुन को द्रोपदी दे दी गयी। यहां यह ध्यान रखने की बात है कि द्रोपदी की शादी अर्जुन से नहीं की गयी अर्जुन की शादी नहीं हुई । एक प्रकार वे वह इनाम जीत कर लेकर चल दिया । घर में जाकर मां से कहने लगा कि मैं इनाम जीत कर लाया हूं तो माता ने कहा कि आप पांचों आदमी इसे बांट लो । पांच आदमियों ने उसे बांट लिया।

अब आया कलयुग । कलयुग आते-आते कन्यादान हो गया । कन्यादान के बिना शादी नहीं होती । अब कन्यादान कैसे हो सकता है । मनुष्य का दान तो होता नहीं । पशुओं का दान हो सकता है, सोने का दान हो सकता है, चांदी का दान हो सकता है लेकिन आदमी का दान नहीं होता है । लेकिन कन्यादान की प्रथा चली । पौराणिक हिसाब से भी नारी की स्वतंत्रता को परतंत्रता में बदलने के लिये कन्यादान ही काफी था । इस कन्यादान के बारे में मनु ने भी कहा है "सकृदैशों निपतति सकृत्कन्या प्रदीयते, सकृदाह ददानीति त्रीण्येतानि सताखकृत ।" भाइयों में पैत्रिक सम्पत्ति का बंटवारा एक ही बार होता है, कन्यादान एक ही बार होता है, किसी वस्तु का दान एक ही बार होता है । ये तीन कार्य सज्जनों के लिये एक ही बार होते हैं । इस प्रकार नारी के सम्मान, स्वाभिमान व स्वतंत्रता को नष्ट करने का काम किया गया । श्रीमन्, दहेज हत्या के बारे में एक मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं । आज देश में दहेज हत्यायें बहुत तेजी से हो रही हैं । 1990 में देश में दहेज हत्यायें 2155 हुई थीं जो 1991 में 4420 हो गयीं । प्रदेश में छः माही में 1 जून से 30 नवम्बर तक तो 800 दहेज हत्यायें हुई हैं । इससे ह होता है कि दहेज हत्यायें बेतहाशा बढ़ रही हैं । इसके पीछे केवल एक ही भावना है रुपया और ने का लालच । इसलिये इस विधेयक में यह प्राविधान किया गया है कि जो विधुर हैं, जैसे किसी

की स्त्री मर गई तो वह विधुर केवल विधवा से शादी कर सकता है । अगर वह किसी कन्या से शादी करता है तो उसके लिये तीन साल की सजा है । अगर वह सरकारी नौकरी में है तो उसे सरकारी नौकरी से निकाल दिया जाय और नौकरी में नहीं है तो उसे सरकारी नौकरी के अयोग्य घोषित कर दिया जाय। इस प्रकार की सही सूचना मिलने पर उसे नौकरी के अयोग्य घोषित कर दिया जाय । तो यह एक सीधा-सादा विधेयक है । जिन लोगों में विधवा विवाह प्रचलित है उनमें औरतों की दहेज हत्या नहीं होती है । तो इस विधेयक से निश्चित रूप से दहेज हत्या मे कमी आयेगी । इस समय जो दहेज निषेधक अधिनियम है वह दहेज हत्या के मामलों में निरर्थक सिद्ध हो रहा है । इसलिये सभी लोगों से प्रार्थना है कि इसे पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी संक्षेप में उत्तर दे दें ।

* समाज कल्याण मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)–

माननीय वर्मा जी इस सदन के बहुत पुराने और विद्वान सदस्य हैं । लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है माननीय वर्मा जी इस विधेयक को क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

सबसे ज्यादा ईर्ष्या माननीय किशोरी श्याम जी को है ।

श्री रमापति शास्त्री–

माननीय वर्मा जी जब विधेयक पेश कर रहे थे तो माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी जो बहुत पुराने सदस्य है वह कन्यादान के लिये आतुर हो रहे थे ।

माननीय वर्मा जी ने विधेयक रखा है उसमें उनकी मंशा है कि दहेज रोका जाय, दहेज प्रथा समाप्त हो, दहेज संबंधी हत्यायें रोकी जायं । लेकिन यह विधेयक जो प्रस्तुत किया है उसको पढ़ने से लगता है जहां नारी के सम्मान और अधिकारों के हनन की बात है वह नहीं रुकेगा बल्कि वह और बढ़ेगा । इनके अनुसार विधवा औरत केवल विधुर से ही शादी कर सकती है । मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर कुंवारी कन्या विधुर से शादी करने को तैयार है तो वह ऐसा नहीं कर सकती है । तो इससे तो नारी के सम्मान और नारी के अधिकारों का हनन होगा । माननीय वर्मा जी ने कहा एक साल के अन्दर जिसकी शादी हो गयी है और गौना नहीं गया है वह इसके अन्दर नहीं आयेगा । मैं बताना चाहता हूं जिसको दहेज के लालच में हत्या करनी है या दहेज लेना है तो वह साल भर के बाद भी दहेज मांग सकता है यह जरूरी नहीं है कि साल भर के अन्दर ही दहेज मांगे । तो इससे तो हत्या साल भर के बाद होती थी वह साल भर के अन्दर ही हत्या होना शुरू हो जायेगी । तो साल भर जो कन्या जीवित रहे अपने पति के साथ वह साल भर के अन्दर मार दी जायेगी । इसलिये इस विधेयक के द्वारा उसके अधिकारों का हनन हो रहा है । एक बात और, क्या ठिकाना है कि जो विधवा से कोई विधुर शादी करेगा, वह उससे दहेज नहीं मांगेगा । वह दहेज भी मांग सकता है और दहेज मांगेगा तो इनके विधेयक लाने का मतलब नहीं हल हो पा रहा है । कोई विधेयक लाने के पहले संवैधानिक सार्थकता भी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आवश्यक होती है । इस संबंध में इसको देखें, तो इससे संविधान के अनुच्छेद 14 और 20 के प्राविधानों का भी उल्लंघन होता है । नारी उत्पीड़न के नाते तमाम प्रकार के कानून पहले से ही मौजूद हैं और यदि उनका सख्ती और सच्चाई से पालन कराया जाये तो ऐसे मामले हल हो सकते हैं । वर्मा जी के प्रस्तुत विधेयक से नारी अधिकार और नारी सम्मान का पूर्ण रूप से हनन हो रहा है और पूरी बात इसमें आ नहीं रही है । इसकी कोई गारन्टी नहीं है । इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं ।

* श्री शिव कुमार बेरिया–

मान्यवर, वर्मा जी ने जो विधेयक पेश किया है, मंत्री जी ने उसका जवाब बहुत ही बचकाने ढंग से दिया है, या फिर यह उनकी समझ में नहीं आया है, वर्मा जी जैसे पुराने और विद्वान सदस्य जब कोई विधेयक सदन में लाते हैं, तो उसे बहुत गम्भीरता से लेना चाहिए । लेकिन मैं देख रहा था कि जब वर्मा जी बोल रहे थे तो वह उसका मखौल जैसा उड़ा रहे थे और उसी ढंग से मंत्री जी ने उसका जवाब भी दे दिया । उनके विधेयक में यह बात परिलक्षित थी कि हमारे पुरुष प्रधान समाज में जो पुरुष हैं वह जितने भी नियम बनाते हैं, वह नारी समाज पर अपना बर्चस्व स्थापित रखने की दृष्टि से बनाते हैं । वर्मा जी ने कहा है कि बहुत से लोग ऐश करने की दृष्टि से कुंआरी कन्या से शादी करना चाहते हैं । हमारी समझ में कितने ऐसे लोग हैं जो अपने मन से कन्या की शादी विधुर व्यक्ति से करने का प्रस्ताव करते हैं । कोई भी बड़ा या समझदार आदमी किसी भी विधुर व्यक्ति के साथ कन्या की शादी करने नहीं जायेगा । उसके सामने कोई आर्थिक समस्या होगी, तो ही वह अपनी कन्या की बात सोचेगा । यह बहुत गिरी हुई बात है । उसको मंत्री जी ने घुमा दिया है । वर्मा जी का साफ कहना था कि हमारे समाज में कुरीतियां हैं और जिसके चलते एक विधुर व्यक्ति अपने धन के बल पर और अपनी ताकत के बल पर कुंवारी कन्या से शादी करता है । उस पर रोक लगनी चाहिए । उसकी शादी करनी है, तो विधुर व्यक्ति विधवा से ही शादी करे और यदि ताकत से या धन से कुंवारी से शादी करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए । प्रश्न यह था लेकिन मंत्री जी ने बहुत बचकाने ढंग से इसका जवाब दिया है ।

श्री किशोरी श्याम–

मान्यवर, वर्मा जी ने जो विवरण बताया है, नारी का रूप माता का है । तो हमारे देश में नारी की मान्यतायें पहले से ही बहुत बड़ी हैं । आज जो लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, वह अच्छा नहीं कर रहे हैं । मान्यवर, जैसा मंत्री जी ने कहा मैं इसका विरोध इसलिये करता हूं कि कोई भी विधवा लड़की कभी शादी करना चाहेगी तो उस लड़की के लिये स्वतंत्रता मां बाप की ओर से होनी चाहिए । यदि विधवा लड़की शादी नहीं करना चाहती तो उसको देवी की तरह पूजना चाहिए । विधुर के साथ कोई भी कुंवारी कन्या शादी करने में दुखी होती है । जो विधवा होती है और कुंवारी कन्या भी विधुर के साथ सम्बन्ध नहीं करना चाहती है वह केवल उसका बड़प्पन पैसे को देखकर विधवा और कुंवारी कन्या के मां बाप जबरदस्ती करके विधुर के साथ शादी करते हैं किन्तु लड़की की आत्मा से पूछा जाय तो विधुर के साथ कुंवारी कन्या शादी नहीं करना चाहती है ।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य आप समाप्त करें और बैठ जायं ।

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री किशोरी श्याम–

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं वेद में लड़की को दुहिता कहते हैं इसके माने लड़की का दूर से सम्बन्ध होना चाहिए दहेज हत्यायें इसलिये होती हैं कि पड़ोस में एक दूसरे को लगाते हैं और शादी कर देते हैं और उसके बाद विकृतियां बढ़ती हैं। इसलिये लड़की का व्याह और उसका सम्बन्ध दूर से करना चाहिए तो हत्यायें नहीं होंगी इसलिये नारी का सम्मान रखने के लिये आज बहुत बड़ी जरूरत है और जो सतयुग में नारी का सम्मान् था वह होना चाहिए और उसको बढ़ाना चाहिए। स्वामी शंकराचार्य और मण्डनमिश्र का जो शास्त्रार्थ हुआ था उसमें मां भारती ने ही निर्णय किया था, नारी हमारे देश में बड़ी विद्वान है, इसलिये उसका सम्मान होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष–

अब समाप्त करें और बिना अनुमति के न बोलें। आप बैठ जायें।

श्री किशोरी श्याम–

मान्यवर, नारी का सम्मान रखने के लिये पुरुषों को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए कि जिससे उनकी आत्मा को ठेस लगे। नारी को देखकर हूटिंग नहीं करना चाहिए और जो नारी का अपमान करते हैं उस पर सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए।

* श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, श्री वर्मा जी ने अपने आप में केन्द्रित मनुस्मृति और राम चरित मानस में किया। यह दोनों ग्रंथ हम लोगों की मूल परम्पराओं से जुड़े ग्रंथ नहीं हैं और बाद में आये। और जो बाद में रूढ़िवादी व्यवस्था थी वह अपना आकार हिन्दू समाज में ग्रहण किया इसलिये जो रोक के बिन्दु उठाये हैं वह सही है जैसे श्री वर्मा जी ने कहा कि–

"नारि सुभाय सत्य कवि कहहीं,
अवगुण आठ सदा उर रहही।
साहस अनृत चपलता माया,
भय अविवेक अशौच अदाया॥"

तो बीच के समय की बात है जब हिन्दू समाज में बुराइयां थीं किन्तु इसके पहले जहां ऋग्वेद से चलते हैं वहां पूरे समाज में हमारे यहां कभी नारी के प्रति दुर्भावना नहीं रही है।

यह तो स्पष्ट कहा गया है–

"यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता।"

और यही नहीं मान्यवर, इसके बाद वालों ने यह कहा है कि–

"नारी तुम केवल श्रृद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में
पियूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुन्दर समतल में।"

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नारी के बिना जीवन को मरुस्थल माना गया है । नारी को मनुष्य जीवन के मरुस्थल में बहने वाली मन्दाकिनी कहा गया है । जीवन के सारे सुख और जीवन का सारा आनन्द उसी के द्वारा परिणित होता है । जो कुछ नारी के साथ हुआ है उससे यह मान लेना कि इसमें हम नारी के निरादर की भावना निहित रखते हैं, गलत है । यह उचित नहीं लगता है । यह बहुत लम्बा विषय है । नारी स्वतंत्रता, नारी आन्दोलन नारी मुक्ति नारी के अधिकार की जो बात करते हैं, दहेज का जो कानून लागू किया गया है, इस बात को कौन नहीं जानता कि दहेज के नाम पर कितनी मृत्यु हुई हैं । दहेज के नाम पर कितने बड़े घरों के पढ़े-लिखें लड़के जेल गये हैं । दहेज के नाम पर कितनी झूठी रिपोर्ट लिखाई गई हैं, कितने परिवार बर्बाद हो गये हैं । माननीय वर्मा जी विद्वान, योग्य अनुभवी, हैं, उनके अध्ययन में कहीं कोई प्रश्नचिह्न नहीं दिखाई पड़ता । यह बात सही है कि नारी आन्दोलन केवल मनुस्मृति और राम चरित मानस की बातों से समाप्त नहीं हो सकता है इसके लिये बड़ी पृष्ठभूमि की आवश्यकता है । मान्यवर, यही मेरा कहना है ।

(सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं । आप लोग बैठ जायं ।

श्री श्रीराम (जालौन)–

एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष–

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आप कृपया बैठ जायं ।

श्री राम स्वरूप वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने तो सचमुच यह विधेयक समझा नहीं या उनके पास जवाब देने के लिये कोई तर्क नहीं था तो उन्होंने इसे उल्टा समझा है । विधुर तो केवल शादी विधवा से कर सकता है लेकिन विधवा कुंवारे से भी शादी कर सकती है । संविधान की धारा 15, 16 में पिछड़े वर्ग का आरक्षण सरकारी नौकरियों में है तो जहां कमजोर वर्ग की सुरक्षा की जरूरत होती है वहां पर विधान बनाया जा सकता है । चूंकि दो असमानों में समान अवसर नहीं लाया जा सकता है । विषमता में समता का कोई अर्थ नहीं है तो इसलिये मंत्री जी का यह कहना है कि धारा–14 का उल्लंघन होता है बिल्कुल गलत है। उनका कहना यह है कि शादी के एक साल के अन्दर अगर मर जाय, एक्सीडेन्ट हो जाय या और किसी प्राकृतिक आपदा के कारण, बीमारी से मर जाय तो यह कुठाराघात मालूम पड़ता है । इसलिये एक साल के लिये छूट दे दी गई है अगर एक साल के अन्दर मर जाय, मारी न जाय । दहेज हत्या में मारी जाती है तो दहेज अपराधी को कुंवारा नहीं घोषित किया जा सकता है । इसका प्रमाण भी निकाल देना चाहिए। हमारा यह निवेदन है कि नारी कल्याण विधेयक से दहेज पर भी रोक लगेगी । आदमी अपनी बीबी को सहेज कर रखेगा, उसका सम्मान करेगा, समता बरतेगा और इस तरह से दहेज उन्मूलन ही होगा ।

मान्यवर, नारी कल्याण के लिए यह जरूरी है ब्राह्मण वादी प्रवृत्ति के आदमी इसको बुरा समझेंगे । क्योंकि इससे विधवा विवाह प्रचलित हो जाएगा । विधवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है वह किसी से छिपा नहीं है यह भी व्यवस्था इसमें है इसलिए हम इस पर जोर देते हैं कि पूरी तौर से इस विधेयक को

पास किया जाए । माननीय राणा जी ने हमारी बातों को कहा है । एक बार कन्यादान होता है, तो कानून बने कि विधुर विधवा से ही विवाह कर सकता है क्वांरी से नहीं ।

मान्यवर, यह सरकार नारी कल्याण के विरोधी हैं यह नारी को गुलाम और दासी बनाना चाहते हैं अगर यह नारी का कल्याण चाहते हैं तो इसका समर्थन करें । मैं कोई नयी बात नहीं कह रहा हूं मनुस्मृति में जो है और जो आज लागू है उनके बारे में कह रहा हूं जो लागू नहीं है उनके बारे में नहीं कहा है । तो अगर यह नारी का कल्याण चाहते हैं तो इसका समर्थन करें, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, मैं दो बातें कहना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

सूक्ष्म में अपनी बात कहें ।

श्री रमापति शास्त्री–

पहली बात तो यह है कि माननीय वर्मा जी एक तरफ तो यह कह रहे हैं कि कुंवारी कन्या किसी विधुर से शादी नहीं कर सकती है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि विधवा किसी क्वांरे पुरुष से शादी कर सकती है । दोनों बातें विपरीत हो गईं ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं इस विधेयक को लाने के बाद हम जो विधवा महिला है अगर वह शादी नहीं करना चाहती है तो उस विधवा को शादी करना अनिवार्य हो जाएगा । एक बात मैं पूरे सदन से कहना चाहता हूं कि कानून सबके लिए अनिवार्य होना चाहिए'। मान्यवर, 498 (ए) आई०पी०सी० के अन्तर्गत है कि दहेज उत्पीड़न दंडनीय अपराध है । दूसरी बात 304 बी० के अन्तर्गत है कि सात साल के अन्तर्गत कोई भी हत्या होती है तो उसे दहेज अपराध माना जाता है । मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि संविधान में यह पहले से ही प्राविधान है । यह संविधान की धाराओं को पढ़ते नहीं हैं और अलग से कानून बनाना चाहते हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कानून को पढ़ना इनके लिए अनिवार्य कर दिया जाए ताकि इस प्रकार से नारी सम्मान और नारी अधिकार का जो हनन हो रहा है वह न हो । अगर अपने मन से कोई कुंवारी किसी विधुर से शादी करना चाहती है वह नहीं करने देंगे ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

इसको वापस ले रहे हैं ?

श्री राम स्वरूप वर्मा–

कैसे वापस ले सकता हूं नारी कल्याण का सवाल है ?

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नारी कल्याण विधेयक, 1992 पर विचार किया जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

बढ़ती हुई महंगाई से प्रदेश के बुनकरों के समक्ष उत्पन्न भुखमरी की स्थिति के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बुनकरों में उत्पन्न भुखमरी के मामले पर नियम 52 में मेरी चर्चा स्वीकार की । मान्यवर, यह मेरा सौभाग्य है कि आज माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सदन में मौजूद हैं । मैं उनका बहुत आदर और सम्मान करता हूं और वह एक विद्वान नेता हैं । सन् 1985 से मैं लगातार विधायक हूं और माननीय गुप्त जी को मैं नमन करता चला आ रहा हूं । आज मैं उनसे कुछ अपेक्षा करूंगा कि वह मेरी मांगों पर विचार करते हुये आज सदन में कुछ घोषणायें करेंगे । मान्यवर, इससे पहले कि मैं बुनकरों में भुखमरी के बिन्दु पर आऊं, मैं बुनकरों के उत्पीड़न के मामले को आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । मान्यवर, प्रदेश में 4 प्रकार के लूम लगे हुये हैं । पहला है पिट लूम, दूसरा है फ्रेम लूम, तीसरा है सेमी आटोमेटिक लूम तथा चौथा पावर लूम । पिट लूम हाथ और पैरों दोनों से चलता है । फ्रेम लूम हाथ से चलता है । सेमी आटोमेटिक लूम भी हाथ से चलता है । पूरे जनपद मुरादाबाद में सेमी आटोमेटिक लूम लगे हैं जिनको लाइट एण्ड फैन के कनेक्शन द्वारा आधे हार्स पावर की मोटर लगा कर चलाया जाता है । लेकिन उनके ऊपर विद्युत विभाग से इतना जबरदस्त रेवेन्यू लगाया है कि 8–10 हजार रुपये का और उसकी रिकवरी तहसील को भेज दी है । तहसील वाले बुनकरों का उत्पीड़न कर रहे हैं उनको पकड़ कर हवालात में बन्द कर रहे हैं । मैंने इस संबंध में 12 मार्च, 1992 को इसी सदन में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना दी थी ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप खत्म करें ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर, आधे घन्टे की चर्चा स्वीकार हुई है । मुझे बोलने दें । आप बोलने नहीं देते हैं, यह अच्छी बात नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने आपके हित को ध्यान में रखते हुये निवेदन किया है आप न समझें तो कोई बात नहीं है ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर, चालू सत्र में मेरे द्वारा नियम 301 की सूचना पर माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उस पर आप गौर करें । इस संबंध में यह अवगत कराना है कि पावरलूम उपभोक्ताओं की दर सूची अलएमवी–6 के अन्तर्गत की जाती है जिनमें मोटरों, बत्ती, पंखा आदि के कुल भार का योग करके ही बिलिंग की जाती है । यदि कुल भार दशमलव में हो तो उसे पूरा माना जाता है । आपका यह कहना है कि आधा हा० पा० के लाइट एवं पंखें अथवा मोटर की बिलिंग 1/2 हा० पा० पर ही की जाय यह न्याय संगत नहीं है । यदि किसी उपभोक्ता का विद्युत भार एक हा०पा० है और उसकी बिलिंग 2 हा०पा० से हो रही है तो कृपया उन उपभोक्ताओ के नाम व पते सूचित करें जिससे कि उनकी छानबीन करायी जा सके । मान्यवर, मेरें पास कुछ नाम पते हैं उनको मंत्री जी के पास भेज दूंगा ।

मान्यवर, उत्पीड़न का मामला समाप्त हुआ अब मैं दूसरे बिन्दु पर आता हूं जिससे बुनकर भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं ।

मान्यवर, बुनकरों का एक मुख्य व्यवसाय जनता धोती जोड़ा तैयार करना है । यह योजना 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा जारी की गयी थी । उस समय सरकार 7 जोड़ा प्रति बुनकर प्रति दिन

खरीदती थी । मान्यवर, यूपिका सहकारी समितियों की संस्था है और हथकरघा निगम, जिनको कोड नम्बर दिया है, उनकी संस्था है । वर्ष 1977 में 7 जोड़े खरीदे जाते थे और बुनकर के जोड़ों का नकद पेमेंट कर दिया जाता था । आज 2 जोड़े खरीदे जाते हैं जिस पर 70 परसेंट सूत दिया जाता है और 30 परसेंट का भुगतान नकद करते हैं । मान्यवर, इसमें चोरबाजारी होती है और जो परियोजना अधिकारी हैं, ये वहां के उद्योगपतियों से मिल कर जनता धोती जोड़ा बाजार से खरीद लेते हैं और मान्यवर, उस पर बेइंतिहा धन कमा रहे हैं । मान्यवर, 16-4-92 की रात को थाना ठाकुरद्वारा, जनपद मुरादाबाद की पुलिस ने न्यू जनता कलैण्डर के स्वामी खलील अहमद की फैक्ट्री पर छापा मारा और उसकी कलैण्डर फैक्ट्री से दस हजार जनता धोती जोड़ा, जिसका मूल्य 60-60 रुपये प्रति जोड़ा की दर से 6.06 लाख रुपये था तथा 6 हजार छपी धोती जिसका मूल्य 54 रुपये धोती की दर से 3.54 लाख रुपये था, बरामद किया तथा तीन लाख सात हजार की सूत की गांठे भी बरामद कीं । इस तरह से मान्यवर, जोड़ा ब्लैक किया जा रहा है ।

एक बात मैं शार्ट में कहूंगा कि 60-60 रुपये में जनता धोती जोड़ा बुनकर से सरकार खरीदती है । यह माल प्राइवेट कलैण्डर मशीनों पर जाता है, फिर 100 जोड़ों की एक गांठ बनाकर यू० पी० हैण्डलूम इस माल को स० प्र० उपभोक्ता संघ को भेज देता है । परियोजना अधिकारी से मिल कर कलैण्डर वाले इस माल को उपभोक्ता सहकारी संघ से उन्हें 2 रुपये प्रति जोड़ा मुनाफा देकर खरीद लेते हैं । इसका सरकारी भाव 60.25 रुपये होता है । यही जोड़ा फिर कलैण्डर में चला जाता है । दिखाने के लिये इस माल को स्टाक में रखते हैं तथा कलैण्डर होने के लिये आए माल को चोरबाजारी करने वाले लोगों को बेच दिया जाता है । फिर वही माल सेन्टर पर क्रय कर लिया जाता है । यह चल रहा है और दलाल तथा परियोजना अधिकारी मिल कर 12 रुपया प्रति जोड़ा कमाते रहते हैं । ऐसा ही यूपिका में होता है । इसी प्रकार से समितियों से क्रय किया माल यूपिका के चेयरमैन हाउस कानपुर में आता है । वेयरहाउस के इंचार्ज उसका कमीशन तय करके माल को वापस ले लेता है । मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं । मान्यवर, अल्पसंख्यक वर्ग का कोई भी व्यक्ति उच्च पद पर नहीं है । पात्र होने के बावजूद नियुक्ति नहीं होती है । किसी भी बुनकर के 10 हजार के कर्जे माफ नहीं किये गये हैं । मान्यवर, केन्द्र सरकार बुनकरों द्वारा तैयार कपड़ों पर 5 प्रतिशत रिबेट दिया करती थी, जिसको बन्द कर दिया गया है । निकासी के लिये नुमाइशें लगवाई जाया करती थीं जिस पर 20 परसेंट कस्टमर्स को रिबेट दिया जाता था । अब यह रिबेट यूपिका तथा यू० पी० हैण्डलूम के शो रूमों को दिया जाता है जिससे बुनकरों को लाभ नहीं होता मान्यवर, प्रदर्शनी कपड़े की निकासी का अच्छा साधन था जिसे सन् 1986 में बन्द कर दिया गया, उसे खुलवाने की कृपा करें । बुनकर बीमा योजना के अन्तर्गत जनपद मुरादाबाद के सेन्टर पीपलसाना, भोजपुर, सरदारनगर, रानी नंगपरया नगला, मलहूपुरा आदि के बुनकरों को बीमा राशि का भुगतान विगत पांच वर्षों से नहीं किया जा रहा है । पीपलसाना के वे लोग जिनको बीमा की राशि नहीं दी जा रही है तथा जिनकी मृत्यु हो गयी थी उनके नाम इस प्रकार है छिद्दा पुत्र हाजी बुद्धा, अबरार पुत्र फिदा हुसैन, हाजी मुन्ना पुत्र आजम, इमाम बख्श वल्दियत नामालूम, नूर मोहम्मद निवासी रानीनगर । मान्यवर, इनको बीमा राशि दिलवाने की कृपा करें । मान्यवर, बुनकर बहबूदी फण्ड योजना का लाभ एक भी बुनकर को नहीं मिल रहा है । इससे सुलभ शौचालय तथा स्कूल बनाए जाने थे । मान्यवर, परियोजना अधिकारी, काशीपुर श्री आर० एस० पाण्डेय बहुत ही भ्रष्ट और निकम्मे अधिकारी हैं, जो बुनकरों से कोई खरीददारी नहीं करते, बल्कि कारबा धन्धा करने वाली पार्टियों से 2 रु० प्रति जोड़ा घूस लेकर उन्हीं का माल खरीद रहे हैं । परियोजना अधिकारी मुरादाबाद/रामपुर श्री बाई० बी० खब्बर भी भ्रष्ट एवं निकम्मे अधिकारी हैं । अगस्त, 1991 से वहां कार्यरत हैं । इनसे पहले 35 जनता

जोड़ा प्रति सप्ताह प्रति बुनकर खरीदा जाता था । आज इनके कार्यकाल में 10 जोड़े प्रति सप्ताह खरीदा जा रहा है। यदि इन अधिकारियों ने अपना रवैया नहीं बदला, तो बुनकर ऐसे भ्रष्ट अव्यवहारिक अधिकारियों को सबक सिखाने के लिए आन्दोलन पर उतर आयेगा । अतः दोनों उक्त अधिकारियों के तुरन्त स्थानान्तरण की आपके माध्यम से मांग करता हूं ।

मान्यवर, चन्द सुझाव देकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । मान्यवर, सरकार सूत का निर्यात विदेशों को बन्द करके हथकरघा कपड़ों को निर्यात करे ताकि बुनकरों को रोजगार के अधिक अवसर मिल सकें । कम से कम 5 जनता धोती जोड़े प्रति बुनकर प्रति दिन खरीदें तथा प्रतिदिन अथवा एक सप्ताह में उसको भुगतान अवश्य करा दिया करें । बुनकर को सूत खुले बाजार से खरीदने की अनुमति दी जाय अथवा यू० पी० का० तथा यू० पी० हैण्डलूम का भाव बाजार भाव से कम करा दिया जाय । बुनकरों के बच्चों को वरीयता पर नौकरी दिलवाई जाय । बुनकरों के कोड नम्बर वर्ष 77 में बनाये गये थे, इसके बाद से नहीं बनाये जा रहे हैं तथा पुराने भी खत्म किये जा रहे हैं । इन्हें खुलवाने की कृपा करें। हैण्डलूम का ए०डी० आई० आफिस काशीपुर के बजाय मुरादाबाद में खोलना चाहिए था, जिससे जनपद रामपुर तथा बिजनौर को भी लाभ मिले । अतः इसे मण्डल मुख्यालय मुरादाबाद स्थानान्तरित करा दिया जाय । कोआपरेटिव संस्थाएं तथा यू०पी०का० स्पिनिंग मिल्स संस्थाओं के एलेक्शन्स शीघ्र कराये जायं । मान्यवर, बहेड़ी ब्रहानान जनपद मुरादाबाद में यूपिका उत्पादन केन्द्र है । वहां केवल 5 बुनकर सहकारी समितियां हैं । काशीपुर में यूपिका उत्पादन केन्द्र हैं तथा वहां पर अव्वल 6 बुनकर सहकारी समितियां हैं । ठाकुरद्वारा (मुरादाबाद) में 3 बुनकर समितियां मात्र हैं, वहां पर यूपिका उत्पादन केन्द्र है । मान्यवर, परन्तु पीपलसाना, मुरादाबाद में यूपिका उत्पादन केन्द्र नहीं है । वहां 22 बुनकर सहकारी समितियों वाले पीपलसाना, मुरादाबाद में सर्व प्रथम यूपिका उत्पादन केन्द्र होना चाहिए था । अतः पीपलसाना (मुरादाबाद) में अविलम्ब यूपिका उत्पादन केन्द्र खुलवाये जाने की कृपा की जाय । मान्यवर, बहेड़ी और ठाकुरद्वारा के उत्पादन केन्द्रों को मिला कर एक केन्द्र बना दिया जाय, क्योंकि दोनों एक ही तहसील में हैं और दो के स्थान पर पीपलसाना एक उत्पादन केन्द्र खोल दिया जाय । बहेड़ी में 5 और ठाकुरद्वारे में भी 5 बुनकर सहकारी समितियां हैं वहां 5 प्लस 5 बुनकर सहकारी समितियों पर यूपिका एक उत्पादन केन्द्र है । उचित होगा और एक यूपिका उत्पादन केन्द्र बन्द करके पीपलसाना (मुरादाबाद) में ही खोल दिया जाय । मान्यवर, दारुलशफा के सामने बुनकरों की दुकानें लगी हुई हैं और उन्हें जबरन यह सरकार हटा रही है और उनकी रोजी-रोटी छीनने की कोशिश कर रही है, यह अच्छी बात नहीं है । मान्यवर, इस बारे में माननीय मंत्री जी से जवाब दिलाने की कृपा करें ।

* वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने बड़ी महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान आकृष्ट किया । वैसे तो एक-एक बात का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन मैंने पिछले दिनो भी यह घोषणा की थी कि सदन स्थगित होने के बाद जो हमारे बुनकर भाई हैं, उनके साथ बैठकर उनकी एक-एक समस्या पर विचार करेंगे और उनके लिए कोई कारगर हल निकालेंगे । हमारी सरकार स्वयं यह मानती है कि हमारे समाज का जो कमजोर वर्ग है उनकी तरक्की होना आवश्यक है । मान्यवर, बहुत जल्दी माननीय राज्य मंत्री जी हैं इनसे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मैं प्रार्थना करुंगा, माननीय चौधरी जी ने भी लिस्ट दिया है, आपसे भी परामर्श करेंगे, मैं समझता हूं कि आज इतना ही कहना पर्याप्त है, बाकी उस समय जब विचार करेंगे, तो बुनकर भाइयों की समस्याओं पर विचार करेंगे और साथ में बुनकरों की संमस्याओं मे सम्बन्धित जितने विभाग हो सकते हैं, उन सभी विभागों के अधिकारियों को बुलाकर विचार करेंगे ।

श्री इकबाल सहमूद–

मान्यवर, दारुल शफ़ा में बुनकरों की जो दुकानें लगी हैं, 6-7 दुकानें हैं, उनके बारे में माननीय मंत्री जी आश्वासन दे दें कि हटायेंगे नहीं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, अभी मेरे पास ऐसी जानकारी नहीं है कि उनको हटाया जा रहा है । मान्यवर, दारुलशफा की समस्या एक अलग समस्या है । वहां पर इतनी भीड़ लगती है और इतना ज्यादा इनक्रोचमेंट हो गया है, जिसे आप सभी लोग जानते हैं, वहां पर होटल खुल गये हैं और इस पर हम सभी लोगों ने चिन्ता प्रकट की है । कोशिश यह हो सकती है कि सही ढंग से दुकाने बन जायें और वह लोगों को आवंटित हो जायें और सारी चीज लोगों को मिल सकें, इस पर अलग से विचार करने की जरूरत है ।

श्री अकबर हुसैन–

मान्यवर, शासन ने बुनकर सहकारी समितियों की एक पुनर्वासन योजना तैयार की है । उद्योग सचिव का कहना है कि वह वित्त मंत्रालय में पड़ी है और जैसे ही उनके पास आ जायेगी, उस पर कार्यवाही करेंगे, तो मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि उसमें जल्दी करं दें, जिससे उद्योग सचिव उस पर विचार कर लें ।

* श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि उद्योग राज्य मंत्री जी बुनकरों को साथ में बैठाकर इस समस्या का हल निकालने के लिये विचार करेंगे । मान्यवर, यह सही है कि जितने जोड़े पहले खरीदे जाते थे उनमें कमी कर दी गई है और इस कमी का कारण यह कहा जाता है कि भारत सरकार ने सब्सीडी में कमी कर दी है, इसलिये यह कमी कर दी गयी है । भारत सरकार ने क्या कमी की है । बुनकरों की जितनी उत्पादन क्षमता है, उनसे उतना माल नहीं खरीदगें, तब तक उनका पेट नहीं भर सकेगा । जो बुनकरों से माल खरीदा जाये वह समितियों में जितने हथकरघे हैं, उसके आधार पर या इन्डिविडुअल के पास जितने हथकरघे हैं, उनकी उत्पादन क्षमता के आधार पर कोटा निर्धारित किया जाये । सूत के दाम बढ़े हैं, उनके द्वारा खरीदे गये जोड़ों के मूल्य में जो कमी कर दी गयी है, उससे जो लाभ उनको होना चाहिये वह नहीं हो पा रहा है । मैंने एक पत्र भी उद्योग सचिव को लिखा है, तो माननीय मंत्री जी जब इस प्रकरण पर विचार करें, तो उस पत्र को भी मंगवा लें और उस पर भी विचार कर लें ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि बुनकरों की समस्या को बैठकर हल करेंगे, तो मेरा अनुरोध है कि उसमें बुनकरों को भी सम्मिलित कर लिया जाये ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* लघु उद्योग राज्य मंत्री (श्री मयंकर सिंह)–

मान्यवर, जैसा कि आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, हम सभी जानते हैं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है और इस सरकार ने इसको गम्भीरता के साथ लिया है और माननीय सदस्य ने कहा है कि मंत्री जी कोई नई घोषणा करेंगे, मान्यवर, मैं उनके सम्मान में समूचे सदन में कहना चाहता हूं कि पहले 10 रुपये 30 पैसे मजदूरी दी जाती थी प्रति जोड़ा और यह दर 1977 से 1988 तक चलती रही और उसमें कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई । अब 1992 है और मान्यवर, 10 वर्षों सें 2 रुपया 44 पैसा मजदूरी बढ़ाई गयी । मैं इस सदन में घोषणा करता हूं कि 3 रुपये 26 पैसे के लगभग बढ़ोत्तरी की जायेगी यानी जिस जोड़े पर 12 रुपये 74 पैसा मजदूरी मिलती थी, उसको अब 15 रुपया कर दिया जायेगा । यह नई घोषणा है । कहीं-कहीं तो आप प्रशंसा किया करें ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं माननीय मंत्री जी 12 रुपये कह रहे हैं, 13 रुपये 65 पैसा हैण्डलूम कारपोरेशन ने दिया है, तो क्या माननीय मंत्री जी 16 रुपये करेंगे ।

श्री मयंकर सिंह–

यह एक नई घोषणा हुई है इस पर ध्यान दें । मान्यवर, दूसरी चीज जो माननीय सदस्य बस्ती ने अभी बताया है कि कहां ले जाय एक हथकरघा पर एक ही जोड़ा धोती बनती है यह माननीय सदस्य जानते हैं कि जब 5-6 ली जाती थी तो रिसाइक्लिंग होती थी तो अब तो परिचय पत्र पर चित्र भी लगा रहता है इस तरह से एक हथकरघा पर एक जोड़ा धोती ली जा रही है जिससे कि गड़बड़ न हो । यह आप भी जानते हैं कि 130 मिलियन मीटर पहले भारत सरकार ने लेने के लिए सुविधा दी थी अब उसको घटाकर 100 मीटर कर दिया है फिर भी इसके पश्चात बुनकरों को, जो करोड़ों की संख्या में हैं, इस सरकार की पूरी सहानुभूति है । यह जो नई घोषणा की बात है वह की है इसकी भी कहीं-कहीं सराहना करनी चाहिए यह तो नहीं कहता हूं कि बुनकरों की दुर्दशा है उसकी उपेक्षा की जाय । आप देखें जहां उन्हें 4-4, 6-6 माह तक बिक्री का मूल्य नहीं मिलता था क्या तब भुखमरी नहीं थी अब उन्हें मार्च तक का भुगतान कर दिया गया है; यूपिका में भी कर दिया है और हैण्डलूम कारपोरेशन में भी कर दिया है । इस तरह से निरन्तर सुधार हो रहा है जैसा माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने बताया कि एक अतिशीघ्र ही बैठक बुला ली जाय उसमें आपके सुझाव विचारणीय है, सब मिल बैठकर बात कर लेंगे ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

इसमें स्पष्टीकरण नहीं होता है, मैं अनुमति नहीं देता हूं, आप बैठें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जनपद मऊ में जिला प्रशासन द्वारा किये जा रहे उत्पीड़न के विरुद्ध आयोजित सभा पर लाठी चार्ज से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

श्री अखिलेश–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी को पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार मऊ जनपद में प्रशासन की नीतियों के विरुद्ध, प्रशासन के तानाशाही रवैये के विरुद्ध, उनके बर्बरतापूर्ण कार्यों के विरोध में एक सर्वदलीय जनसभा का आयोजन हुआ था । उस जनसभा में मऊ जनपद के सिटी मैजिस्ट्रेट दीनानाथ गुप्ता, परगनाधिकारी अनिल कुमार और सी० ओ० सिटी काफी संख्या में पुलिस बल लेकर पहुंचे और उन्होने सभा पर हमला बोल दिया और वहां उपस्थित के० के० पाण्डेय और सुभाष यादव दो नौजवानों को पकड़कर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने लाया गया और वहां जिलाधिकारी के समक्ष इन दोनों नौजवानों को जिलाधिकारी के शैडो और जिलाधिकारी के ड्राइवर द्वारा नंगा करके बुरी तरह से पीटा गया और इतनी पिटाई हुई, उनको बर्बरतापूर्वक मारा गया कि वह अचेत हो गये जिलाधिकारी ने स्वयं उनके ऊपर डंडा बरसाने का काम किया जब वह अचेत हो गये तो बाल्टी से पानी फेककर उनको होश में लाया गया तत्पश्चात जिलाधिकारी ने कहा खूब सभायें और प्रदर्शन करें उसका नतीजा आपके सामने है तो के० के० पाण्डेय और सुभाष यादव ने कहा कि जनतंत्र में लोकतंत्र में हम सभी को सभा और प्रदर्शन करने का अधिकार है इस पर जिलाधिकारी के द्वारा जनता की तरफ इंगित करके कहा गया कि तुम्हारा जनतंत्र वहां सड़क पर खड़ा है जो तुम्हारी दुर्दशा पर उपहास कर रहा है और हमारा जनतंत्र हमारे जूतों के नीचे हैं । मान्यवर, जिस लोकतंत्र के लिए देश के लाखो लोगों ने कुरबानियां दी, पूज्य बापू गांधी जी ने अनावरत संघर्ष करके जिसे प्राप्त किया उस लोकतंत्र का मजाक उड़ाने का कार्य जिलाधिकारी द्वारा किया गया है जिलाधिकारी के ऐसे बर्बरतापूर्ण कार्य को हमें तनिक भी कहने में संकोच नहीं है कि उसे भाजापा की वर्तमान सरकार का वरदहस्त प्राप्त है, संरक्षण प्राप्त है ।

मऊ में जिलाधिकारी का आतंक इस कदर व्याप्त हो गया है कि बिना विधिक कार्यवाही किये, बिना 122 (बी) की नोटिस दिये एक दर्जन से अधिक लोगों के मकान गिरवा दिये गये हैं । अंग्रेजों के जमाने में भी ऐसा बर्बर कार्य नहीं हुआ था । मऊ जिले के सम्मानित विधायक, जो सत्ता पक्ष के हैं, उन्हें भी जिलाधिकारी द्वारा अपमानित किया गया है । नंगे किये गये श्री सुभाष यादव को कपड़ा दिया गया और कहा गया कि कपड़ा पहन लो, तुम अच्छे आदमी हो और के० के० पाण्डेय को जूता मारो तो तुम्हारे खिलाफ सारे आरोप वापस ले लूंगा । सुभाष यादव को छोड़ दिया गया और के० के० पाण्डेय को नंगा ही हवालात में भेजा गया जहां से उसी कोतवाली से उनकी जमानत दूसरे दिन हुई । अगर इस सरकार ने बर्बरतापूर्ण कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई तो जैसे पंजाब में नौजवान गुमराह हो रहा है, वैसे ही उत्तर प्रदेश के नौजवानों को भी काश्मीर और पंजाब के नौजवानों की राह पर जाने से कोई ताकत रोक नहीं पायेगी । लोकतंत्र का अपमान करने वाले इस जिलाधिकारी के विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिये ।

* श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

अभी जब अखिलेश जी अपनी बात कह रहे थे तो मा० राज्य गृह मंत्री जी मुस्करा रहे थे । वह भूल गये कि जब इधर बैठते थे तो ऐसे ही रोया करते थे, अगर वह चाहेंगे तो उसकी कार्यवाही पेश करूंगा । स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जो कार्यवाही की जाती रही है, अभी तक वह बर्बरता की कार्यवाही के रूप में मशहूर थी । उन्हें जाड़े की रात में तालाबों में नहला कर बेंत लगाये जाते थे लेकिन निर्वस्त्र नहीं किया जाता था । यह पहली सरकार है, जिसके जमाने में एक अधिकारी, एक राजनीतिक कार्यकर्ता को निर्वस्त्र करके अपने कार्यालय के सामने अपने शैडों और ड्राइवर से पिटवाता है । पूरी बात अखिलेश जी कह चुके हैं । चूंकि सभी माननीय सदस्य मुख्य मंत्री जी के यहां भोज में जाने के लिये उत्सुक हैं, माननीय राज्य गृह मंत्री जी कुछ ज्यादा ही भूखे हैं, केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि शासन के अधिकारियों की यह मानसिकता बढ़ाई गयी तो आगे चलकर निश्चित रूप से प्रजातंत्र की हत्या हो जायगी । सत्ता पक्ष में बैठे हुए विधायक हों या विपक्ष के विधायक हों, मैंने बहुत से सख्त अधिकारियों को देखा है अपने 30 साल के राजनीतिक जीवन में लेकिन उनके अन्दर उच्छृंखलता नहीं थी । वे सख्त थे, ईमानदार थे लेकिन उच्छृंखल नहीं थे । आज के अधिकारी जैसे उच्छृंखल हो रहे हैं, आज शासन के लोग जैसे उन्हें पुरस्कृत कर रहे हैं, इसका नतीजा निश्चित रूप से, सदन के अन्दर कहना चाहता हूं कि आगे चलकर बहुत बुरा होगा । कार्यपालिका विधायिका को कुछ नहीं समझेगी और लोकतंत्र मजाक बनकर रह जायगा । हम लोग विपक्ष की ओर से कह रहे हैं इसलिये माननीय मंत्री जी हंस रहे हैं । आप जिस प्रकार चाहें इसकी जांच करा लें । यदि किसी जिलाधिकारी ने इस प्रकार की कार्यवाही की है, लोगों को निर्वस्त्र कराके इस तरह बेइज्जत करने बात की है तो वह दुर्भाग्यपूर्ण है । मान्यवर, वहां एक दम शांतिपूर्वक बैठक हो रही थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी । अगर कोई बात हो रही थी, कोई ढेला फेंक रहा था या कुछ कर रहा था तो लाठीचार्ज करना था । हम लोगों पर बहुत लाठीचार्ज हुआ है । लेकिन उसमें से खींचकर बिल्कुल निर्वस्त्र करके डंडों से पिटवाना किसी भी न्याय में नहीं लिखा हुआ है । मैं बता देना चाहता हूं कि मऊ जिले के जिलाधिकारी के ड्राइवर-शैडो की जो हरकतें वहां पर बढ़ती जा रही हैं यदि उस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो निश्चित रूप से स्थिति विस्फोटक होगी और हम सब लोग चलेंगे और देखेंगे कि आपके उस जिलाधिकारी के शैडो और ड्राइवर के अन्दर कितनी ताकत है ।

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्यप्रताप शाही)–

मान्यवर, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार लोकतंत्र में पूर्ण आस्था रखती है और हमारा यह पूरा प्रयास होगा कि हर कीमत पर लोकतंत्र की मान्यताओं को स्थापित किया जाय उसे अक्षुण बने रहने देना चाहिये । कहीं इस प्रकार की परिस्थितियां नहीं आने दी जायेगी कि लोकतंत्र पर कहीं आघात पहुंचता हो । माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी ने आशंकाओं जैसी बात कही है मैं कहना चाहता हूं कि उन आशंकाओं को निर्मूल कर कहीं इस प्रकार की परिस्थिति नहीं आने दी जायेगी कि नौकरशाही बेलगाम होकर के राजनीतिक लोगों और कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न करे । जो माननीय अखिलेश ने तत्थों की ओर प्रकाश डालते हुए कहा उसमें से अनेक तथ्य अतिरंजित करके प्रस्तुत किये गये हैं ।

श्री अखिलेश–

माननीय शाही जी, उस दिन जब आप हम लोगों को प्रशिक्षण दे रहे थे तब आपका व्यवहार कुछ और था आज जब मंत्री हो गये तो कुछ और हो गया है व्यवहार में परिवर्तन के ही कारण आप मऊ की घटना को अतिरंजित कहते जा रहे हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* श्री भारत सिंह रावत–

मान्यवर, आपकी अनुमति से मऊ प्रकरण पर कहना चाहूंगा अभी माननीय उपाध्यक्ष जी, गृह राज्य मंत्री के उत्तर और उनके मजाक पर काफी कष्ट हो रहा था यह भी छात्र जीवन से इस तरह के छात्र आन्दोलनों से जुड़े रहे हैं । मऊ जनपद में जिस प्रकार से जिलाधिकारी ने दो छात्रों के साथ, जो छात्र आन्दोलन से जुड़े थे, उनके साथ जितना अभद्र व्यवहार किया अंग्रेजों के राज्य में भी इस तरह की क्रूरता किसी आन्दोलनकारी के साथ नहीं हुई थी । आज मऊ जनपद के जिलाधिकारी के कुकर्म जब सुनते हैं, हम लोगों को जानकारी है कि वहां पर सबसे पहले मऊ जनपद के जिलाधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी के ही एक जगन्नाथ सिह को अपने कार्यालय में पिटवाया अपने अंगरक्षकों से पिटवाया । मऊ जनपद के जिलाधिकारी ने वहां इतना आतंक कर रखा है कि वहां के जितने जनप्रतिनिधि हैं लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती कि जिलाधिकारी से बात कर लें । भू० पू० सांसद या वर्तमान विधायक उन सबको वे अपमानित करते रहते हैं । सत्ता पक्ष के लोग बैठे हुए हैं, अभी माननीय मुख्य मंत्री जी मऊ जनपद गये हुए थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री रामजीत सिंह की लड़की की शादी थी और उस दिन जिस दिन शादी थी रामजीत सिंह की लड़की की, उस दिन दुर्घटना हो गयी और एक लड़की को गोली लग गयी और वह मर गयी, रामजीत सिह को भी उस जिलाधिकारी ने अपमानित किया है उन्होंने जिलाधिकारी के खिलाफ आवाज इसलिए नहीं उठायी कि उन्हें डर था कि वह उन्हें 302 के मुकदमें में फंसा देगा । यही हालत सभी जनप्रतिनिधियों की हो रही है कोई भी उस जिलाधिकारी के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मऊ जनपद का जिलाधिकारी उत्पीड़न कर रहा है और आतंकपूर्ण कार्यवाही कर रहा है तो उस जिलाधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए इसलिए मैं आपके माध्यम से मा० मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जिलाधिकारी के खिलाफ जांच कराई जाय उसे निलम्बित किया जाय इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक महत्वपूर्ण प्रकरण लाना चाहता हूं । इस प्रकरण में 10 नवम्बर, 1991 को जिलाधिकारी मऊ द्वारा किये गये कुकृत्यों को सदन के संज्ञान में लाकर माननीय संसदीय कार्य मंत्री और गृह राज्य मंत्री जी से यह अपेक्षा करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करेंगे । मान्यवर, दस नवम्बर को श्री विजय बहादुर राय की, जब पुलिस भैंस से लदी एक ट्रक का रुपया वसूल करने के लिये जीप से पीछा कर रही थी, टकरा कर मृत्यु हो गयी । जब लागों ने वहां थानों का घेराव किया तो जिलाधिकारी वहां पर आये और एक समाजिक कार्य कर्ता जितेन्द्र राय को बन्द कर दिया और पचास-पचास हजार की जमानत और पन्द्रह हजार रुपये की व्यक्तिगत मुचलके पर छोड़ा । मेरी चुनौती है आप सारे प्रकरण की जांच करवा लें और इसमें सदन के सदस्यों की एक कमेटी बना लें और जानकारी प्राप्त कर लें यदि मेरी बात असत्य निकली तो मैं इस सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा । एक जगन्नाथ सिंह आपकी पार्टी के महा मंत्री हैं उनकी पिटाई की वह आपके दरवाजे पर आकर रो रहे थे लेकिन तब भी आपको दया नहीं आई । उस जिलाधिकारी की बर्बरता इतनी बढ़ गयी है कि मऊ युवक कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारिका नाथ गुप्ता, उसके कुकृत्यों के खिलाफ मीटिंग कर रहे थे । सुभाष यादव और के० के० पाण्डेय उक्त मीटिंग में थे उनको उस मीटिंग

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

से खिंचवा कर जिलाधिकारी के कार्यालय में बुलाकर पिटाई की और उनको नंगा कर दिया उनके बदन में एक कच्छा तक नहीं छोड़ा और वह नंगे ही अपने अंग छुपा कर बाहर आये । उनके शैडो और ड्राइवर ने इतनी पिटाई की कि वह अचेत हो गये । यही नहीं, मान्यवर श्री विनोद पाण्डेय, थाना सराय लखेसी में उनका मकान गिरा दिया गया, श्री सूर्य बली सिंह एवं श्री बीर बहादुर सिंह ग्राम रसूलपुर का मकान गिरा दिया गया, राम अवध यादव का मकान गिरा दिया गया तथा उनके कोयले के भट्ठों में पानी भरवा दिया फिर रमेश हरिजन का मकान गिरा दिया, राम चन्द्र सिंह का मकान गिरा दिया इस तरह से दर्जनों लोगों के मकान को इन्होंने गिरा दिया । यह कहते हैं कि, "मैं यहां का जिलाधिकारी हूं और मेरा जलवा है जब तक मैं यहां का जिलाधिकारी हूं तब तक कोई सरकार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है । मैं प्रजातंत्र को जूतों के नीचे रखता हूं । " इसलिये मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री से अपेक्षा करता हूं कि यह इस सदन के सम्मानित सदस्यों की एक कमेटी बना दें और इस पूरे प्रकरण की जांच करा लें और उसे दण्डित करायें ।

(इस समय 7 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता श्री हृदय नारायण दीक्षित पीठासीन हुए ।)

माननीय गृह राज्य मंत्री जी यही बता दें कि क्या मीटिंग हो रही थी या नहीं और मीटिंग हो रही थी, तो उसमें से दो लड़कों को नंगा करके पिटाई की गयी, उनको थूक कर चटवाया गया या नहीं इतना बता दें ?

श्री अखिलेश–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने यह कहा कि लोकतांत्रिक परम्पराओं को बनाये रखेंगे, इनकी सरकार इसको बनायें रखेगी । मान्यवर, लोकतंत्र का चौथा खंभा पत्रकारिता जगत भी है । मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के समस्त अखबारों ने उस जिलाधिकारी के कुकृत्यों को स्पष्टतया उजागर करने का काम किया है यदि माननीय गृह राज्य मंत्री जी को इन तथ्यों पर विश्वास नहीं है तो मैं आपके माध्यम से माननीय गृह राज्य मंत्री और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जिलाधिकारी मऊ को तत्काल स्थानान्तरित करके विधान सभा सदस्यों की एक कमेटी गठित कर दें और यह कमेटी वहां जाकर जांच कर लें । यदि आरोप सत्य न पाये जायें तो मैं विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा ।

(इस समय 7 बजकर 58 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

अन्यथा उस जिलाधिकारी को बर्खास्त कर दीजिये, जिसने निश्चित रूप से लोकतांत्रिक परम्पराओं और मूल्यों का उपहास ही नहीं किया है, वरन् लोकतंत्र का मजाक भी उड़ाया है, जिस लोकतंत्र को लाने के लिये लाखों लोगों ने कुरबानी दे दी । माननीय गृह राज्य मंत्री और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से मैं कहूंगा कि पक्ष और विपक्ष की भावना से ऊपर उठकर पूरी गम्भीरता से इसे लें, अन्यथा आने वाले दिनों में स्थिति बड़ी विस्फोटक हो जायेगी और इतनी विस्फोटक हो जायेगी कि शासन के नियंत्रण से बाहर हो जायेगी ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैं यह स्पष्ट कर दूं कि 25 जनवरी को सभा हो रही थी और उसमें इतने उत्तेजक भाषण दिये गये, जिसकी वजह से भीड़ उग्र हो गयी और जिससे लाठीचार्ज करना पड़ा । जहां तक नंगा किये जाने और थूककर चटवाने का जो आरोप लगाया गया है, वह आरोप निराधार है, सत्य से परे है ।

श्री विजय सिंह राणा

मान्यवर, उत्तेजक भाषण करने में लाठीचार्ज करना कौन सी धारा में आता है ?

(विपक्ष के कई सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने लगे, जिससे घोर व्यवधान हो गया)

श्री दिवाकर

आप अपने किसी उच्चाधिकारी को भेजकर गुप्त जांच करवा लें । आप हम लोगों को मत भेजिये । आप किसी अपने ही उच्चाधिकारी को भेजकर जांच करवा लें । के० के० पाण्डे को रात भर नंगा स्थिति में रखा गया । दूसरे दिन उसी स्थिति में उसे अस्पताल भेजा गया । मैं निश्चित रूप से गारन्टी के साथ कह सकता हूं । आप एस० पी० से पूछें, ए०डी० एम० से पूछें, पता करवा लें ।

श्री हरि शंकर तिवारी–

मान्यवर, वहां के ए०डी०एम० संत लाल की गाड़ी छिनवा ली गयी और कहा ''चमार साले भाग जाओ, तुम्हारी नीली बत्ती की गाड़ी लेकर घूमने की औकात नहीं है ।''– ए० डी० एम० ने इसकी रिपोर्ट शासन को भी किया है । आज उस जिलाधिकारी के खिलाफ कर्मचारियों/अधिकारियों तथा जनता में आक्रोश व्याप्त है मान्यवर, मैं आपसे निवेदन इसलिए करना चाहता हूं कि सदन के सदस्यों की रक्षा करने के लिए व प्रजातंत्र की रक्षा करने के लिये आप इस सदन के सम्मानित सदस्यों की एक कमेटी बना दें जो इसकी जांच करे ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, श्री दिवाकर विक्रम सिंह जी एक वरिष्ठ सदस्य हैं और बड़े जिम्मेदार सदस्य हैं । उन्होंने सुझाव दिया कि इसकी जांच करवा लें तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि आपकी भावनाओं को देखते हुए, जो कुछ भी उल्लेख इस संदर्भ में किया गया है, आयुक्त बनारस मण्डल से इसकी जांच करा ली जायेगी । जो निष्कर्ष आयेंगे, उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा मद संख्या–19 पुकारे जाने पर)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी के यहां चलना है । इसलिए मेरा सुझाव यह था कि जितनी चर्चायें हैं, उनको आप कल के लिए स्थगित कर दें और जो वक्तव्य हैं, उनको आप ले लें ।

* वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, श्री हृदय नारायण दीक्षित जी ने जो सुझाव रखा है, उसके अनुसार मद संख्या–21,22,23,24,25,26, व 27 को ले लिया जाय । बाकी जो चर्चायें हैं उन्हें कल ले लें ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, कल माननीय मुख्य मंत्री जी के यहां दावत है, इसलिये कल भी यही स्थिति होगी । इसलिये आप इसे आज ले लीजिये ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष–

मैं पहले नियम 51 ले लेता हूं आप ने जो कहा है उस पर आगे विचार किया जायेगा ।

आज नियम 51 के अन्तर्गत 14 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, उनके नाम मैं पढ़ देता हूं । पहली सूचना श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय जी की है । दूसरी सूचना सर्वश्री भोला शंकर मौर्य, देवेन्द्र पाल सिंह, ओंकार सिंह, राम खिलाड़ी जी की है । तीसरी सूचना श्री दिनेश चन्द्र सोनकर जी की है । चौथी सूचना श्री राम औतार शाक्य जी की है । पांचवीं सूचना श्री विक्रमाजीत मौर्य जी की है । छठी सूचना श्री लक्ष्मेश्वर सिंह जी की है । सातंवी सूचना श्री हृदय नारायण दीक्षित जी की है । आठवीं सूचना श्री अकबर जी की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है । नवी सूचना श्री पवन कुमार पाण्डेय जी की है । दसवीं सूचना श्री हरेन्द्र सिंह जी की है । ग्यारहवीं सूचना श्री सुरेन्द्र नाथ जी की है । बारहवीं सूचना श्री मोहम्मद रिनवानुल हक जी की है । तेरहवीं सूचना ठाकुर वीरेन्द्र सिंह जी की है । चौदहवीं सूचना श्री प्रमोद तिवारी जी व श्री श्याम सुन्दर शर्मा जी की है । इन प्राप्त सभी सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा मद संख्या 22 पुकारे जाने पर)

श्री विजय सिंह राणा––

मान्यवर, मद संख्या 19 का क्या हुआ ?

जनपद मऊ के नत्थूपुर क्षेत्र के अन्तर्गत दोहरी घाट से मधुवन बाजार तक जाने वाली सड़क के जर्जर होने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

* लोक निर्माण मंत्री (डा० सुरजीत सिंह डंग)–

श्रीमन्, दोहरी घाट मधुवन मार्ग अन्य जिला मार्ग .....

श्री उपाध्यक्ष–

वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया गया)

डा० सुरजीत सिंह डंग–

I की श्रेणी में आता है और दोहरीघाट में राष्ट्रीय मार्ग संख्या-29 के कि० मी०-156 से प्रारम्भ होता है तथा मुहम्मदाबाद घोसी-मधुबन-बेल्थरा प्रमुख जिला मार्ग संख्या-94 के कि० मी०-37 में समाप्त होता है । इस मार्ग की कुल लम्बाई 21.00 कि० मी०, चौड़ाई 3.70 मीटर तथा पटरियां कच्ची हैं । मधुबन बाजार प्रश्नगत मार्ग के कि० मी० 38 एवं 39 में स्थित है ।

दोहरीघाट मधुबन मार्ग में कंकड़ का मार्ग था । इसे लगभग 25 वर्ष पूर्व ईंट की गिट्टी का एक कोट देने के बाद लेपित किया गया था । तत्पश्चात् जैसे-जैसे सड़क खराब होती रही कि० मी० 3 से 21 तक एक कोट पत्थर की गिट्टी देकर लेपित किया गया है ।

मधुबन कस्बे में मुहम्मदाबाद घोसी मधुबन बेल्थरा मार्ग के भाग की लम्बाई लगभग 1.50 कि० मी० है । इस मार्ग के दोनों ओर लगातार दुकानें तथा मकान बने हुए हैं जिसमें होटल, हलवाई आदि की भी दुकानें सम्मिलित हैं । इसके अतिरिक्त सप्ताह में 2 दिन हाट भी लगती है । दूकानों का कूड़ा कचरा तथा पानी सड़क पर ही डाला जाता है और उसकी सफाई का कोई नियमित प्रबन्ध नहीं है । यह कार्य लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत आता है । हाट में व्यापारियों द्वारा दूकान इत्यादि लगाने के लिये पटरियों को बराबर ऊंचा किया जाता है । फलस्वरूप वर्षा में सड़क पर पानी भर जाता है और सड़क क्षतिग्रस्त हो जाती है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[ ] यह अंश पढा हूआ माना गया ।

इस परिपेक्ष्य में दोहरीघाट मधुबन मार्ग पर मधुबन बाजार में चलने में कठिनाई तो है परन्तु यह कहना सही नहीं है कि सड़क वाहन चलने योग्य नहीं है । सभी प्रकार के वाहन पूर्व की भांति इन मार्गों से आ जा रहे हैं । लोक निर्माण विभाग मऊ द्वारा उपलब्ध संसाधनों की सीमा में मधुबन बाजार में वर्ष 1991-92 में एवं विगत वर्षों में भी दाग मरम्मत का कार्य किया गया है ।]

जनपद उन्नाव के पुरवा क्षेत्र के अन्तर्गत अवर अभियन्ता (अनुरक्षण) द्वारा अवैध विद्युत कनेक्शन दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य

* ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री रविकान्त गर्ग)–

जनपद उन्नाव के मौरावां उप संस्थान के .....

श्री उपाध्यक्ष–

वक्तव्य का पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया गया)

श्री रवि कान्त गर्ग–

[अवर अभियन्ता (मेन्टेनेन्स) द्वारा बिना स्वीकृति के कनेक्शन देकर विद्युत चोरी कराने की बात विद्युत परिषद् के प्रकाश में आई है ।

दिनांक 24-4-92 को ग्राम कालू खेड़ा तहसील मौरावां (उन्नाव) के निवासी श्री मुन्ना लाल जायसवाल के परिसर की चेकिंग की गयी जिसमें यह पाया गया कि उनके परिसार में 10 अश्व शक्ति का औद्योगिक कनेक्शन अवैध रूप से चल रहा है । उक्त कनेक्शन तुरन्त काट दिया गया तथा उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना असोहा में उसी दिन दर्ज करा दी गयी ।

उक्त मामले में विद्युत परिषद् द्वारा स्वतन्त्र रूप से एक उच्च अधिकारी द्वारा दिनांक 30-4-92 को जांच कराई गयी । उक्त अधिकारी की जांच आख्या विद्युत परिषद् को प्राप्त हो चुकी है जिसके परीक्षणोपरान्त दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही तत्परता से की जायेगी ।]

जनपद टिहरी गढ़वाल के अर्धनिर्मित दुगड्डा चौकी पिपली धार डागर मोटर मार्ग को पूरा कराये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य

* लोक निर्माण मंत्री (डा० सुरजीत सिंह डंग)–

श्रीमन् दुगड्डा चौकी पिपलीधार मोटर मार्ग .....

श्री उपाध्यक्ष–

वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया गया ।)

[ ] यह अंश पढा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

[के 22 कि० मी० के निर्माण हेतु स्वीकृति 5 चरणों में दी गयी है । स्वीकृत मार्ग के प्रथम 12 कि०मी० को मोटर मार्ग के रूप में तथा शेष 10 कि०मी० को हल्का वाहन मार्ग के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी । इसके प्रथम 10.2 कि०मी० मार्ग का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है । शेष 11.8 कि०मी० का निर्माण वन भूमि पड़ने के कारण रुका हुआ है ।

समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करके वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग द्वारा अन्तिम रूप से नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक, वन उपयोग वृत्त, लखनऊ को प्रेषित किया जा चुका है । यह प्रस्ताव क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना तैयार कराये जाने की प्रत्याशा में नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक के कार्यालय में लम्बित है । इसके पश्चात प्रश्नगत वन भूमि के हस्तान्तरण की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होने के उपरान्त अवशेष मार्ग का निर्माण कराया जाना सम्भव होगा । इस बात की भी सम्भावना है कि इस मार्ग के निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन का गठन एवं स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता पड़े जो उत्तरांचल विभाग द्वारा दी जायेगी । हमारी सरकार अवरोध को यथाशीघ्र दूर कर मार्ग निर्माण हेतु प्रयासरत है ।]

प्रदेश में ऊर्जा विभाग द्वारा एल० टी० लाइन पर एक्सटेंशन में प्रतिबन्ध लगा दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य

* ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री रविकान्त गर्ग)–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश राज्य .....

श्री उपाध्यक्ष–

पढ़ा हुआ माना गया ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री रविकान्त गर्ग–

[विद्युत परिषद् द्वारा एल० टी० लाइन पर विस्तारीकरण हेतु कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है । वर्ष 1991-92 में वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण एल० टी० लाइन पर विस्तारीकरण संबंधी अधिकतर कार्य सम्पन्न नहीं किये जा सके । वर्ष 1992-93 में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर एल० टी० लाइन के विस्तारीकरण सम्बन्धी कार्य किये जायेंगे ।

राज्य विद्युत परिषद् द्वारा एक ट्रांसफार्मर की ओवरलोडिंग होने पर दूसरा ट्रांसफार्मर न लगाये जाने हेतु भी कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है । वितरण ट्रांसफार्मर लगाने के पूर्व उस ट्रांसफार्मर पर पड़ने वाले भार का अनुमान लगाया जाता है और उसके अनुरूप ही यथोचित क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाये जाते हैं ।]

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जनपद बदायूं की सहसवान तहसील के अन्तर्गत ग्राम सभा सिरासौल के प्रधान द्वारा परती एवं आबादी हेतु सुरक्षित भूमि को अवैध रूप से विक्रय किये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य

* ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री रविकान्त गर्ग)–

माननीय विधायकगण द्वारा दिये गये .....

श्री उपाध्यक्ष–

पढ़ा हुआ माना गया ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री रविकान्त गर्ग–

पत्र दिनांक 28-4-1992 एवं उसके साथ प्राप्त श्री हरपाल सिंह आदि काश्तकारों द्वारा दिये गये दिनांक रहित प्रार्थना पत्र में उल्लिखित आरोपों के संबंध में जांच करायी गयी जो बिन्दुवार निम्नवत है :–

(अ) ग्राम प्रधान श्री राजवीर सिंह पुत्र श्री रूप सिंह द्वारा चक नं० 365 में गांव सभा की भूमि नं० 305 को अपने चक में मिलाकर जोतने की शिकायत की गयी है । इस संबंध में जांच से पाया गया कि प्रधान का चक नं० 365 तथा गांव सभा की भूमि नं० 305 एक दूसरे से मिली हुई है । पैमाइश कराने के आदेश दिये गये हैं । यदि गाटा सं० 365 में पाया गया तो प्रशासनिक आधार पर अथवा उ० प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122(बी) के अन्तर्गत कार्यवाही कर गाटा सं०–305 के क्षेत्रफल को पूरा करके प्रधान के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

(ब) प्रधान द्वारा भूमि नं० 305 में से रु० 20,000 (रुपया बीस हजार) प्रति बीघा बेचने तथा कब्जा कराने की शिकायत की है । स्थलीय जांच से पाया गया कि गाटा सं० 305 क्षेत्रफल 329 हेक्टेयर जो श्रेणी–6(2) में आबादी हेतु सुरक्षित है, के 3 विस्वा (0-038 हे०) क्षेत्रफल पर दो व्यक्तियों सर्वश्री उमराय लाल पुत्र श्री भजन लाल व सोहन लाल पुत्र श्री अंगनू, निवासीगण सिरासौल ने पक्के मकानों का निर्माण कराना प्रारम्भ कर दिया है । यह दोनों काश्तकार पिछड़ी जाति के मुराव हैं । इस संबंध में प्रधान ने दिनांक 9-5-1992 को बताया है कि भूमि नं० 365 उसकी है, जिसमें से सोहन लाल व उमराय लाल को उसने घर बनाने हेतु बेची है । उसके गाटा सं० 365 के बराबर में पश्चिम की ओर भूमि नं० 305 ग्राम समाज की है । पैमाइश के बाद ही यह ज्ञात हो सकेगा कि प्रधान के चक नं० 365 तथा गांव सभा के आबादी वाले गाटा सं० 305 में से कितना क्षेत्रफल प्रधान ने अपने चक में मिला लिया है । तत्पश्चात् अनाधिकृत कब्जा को हटवाने तथा प्रधान के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी । पैमाइश के लिये सम्बन्धित भूलेख निरीक्षक तथा लेखपाल को निर्देश दिये गये हैं । प्रधान ने उपरोक्त

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

दोनों व्यक्तियों को भूमि देकर अनुचित लाभ उठाया है किन्तु रुपयों के सही लेन-देन की बावत जानकारी प्राप्त की जा रही है । प्रधान ने उन दोनों काश्तकारों को भूमि बैनामा करके नहीं बेची है ।

(स) शिकायत है कि गाटा सं० 207, 271 व 301 हरिजन आबादी हेतु सुरक्षित हैं किन्तु प्रधान ने हरिजनों को न देकर अन्य व्यक्तियों को बेच दिया है । माननीय विधायकगण के पत्र दिनांक 28-4-1992 में गाटा सं० 270 के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार का आरोप लगाया गया है । इस सम्बन्ध में जांच में यह पाया गया है कि गाटा सं० 270 [illegible] की सम्पत्ति नहीं है वरन् श्री मोहर सिंह पुत्र श्री जगन्नाथ सिंह की संक्रमणीय भूमि है । गाटा सं० 270, 271 व 301 श्रेणी-5 में नवीन परती दर्ज है, जिसका क्षेत्रफल क्रमशः 0-156, 0-164 तथा 0-047 हेक्टेयर है । इन गाटाओं का कोई आवंटन कृषि तथा आवास स्थल हेतु नियमानुसार नहीं किया गया है वरन् प्रधान की मिली-भगत से गाटा सं० 270 के 0-006 हे० क्षेत्रफल पर श्री मटरू पुत्र रग्घू ने कच्चा मकान बना लिया है तथा गाटा सं० 271 के 0-013 हे० क्षेत्रफल पर श्री कैलाश पुत्र श्री राम नाथ ने कच्चा मकान छप्पर डालकर बना लिया है तथा गाटा सं० 301 के 0-013 हे० पर सर्वश्री किशोरी लाल व सूरज पाल ने कच्चा मकान बना लिया है गाटा सं०-270 व 271 के अनाधिकृत काबिजदार पिछड़ी जाति के मल्लाह तथा गाटा सं० 301 के काबिजदार अनुसूचित जाति के जाटव हैं । उपरोक्त के अतिरिक्त उपरोक्त नम्बरान पर अन्य किसी ने भी कब्जा करके मकान नहीं बनाये हैं । उपरोक्त सभी काबिजदारों को उ० प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–122-बी के अन्तर्गत कार्यवाही कर गांव सभा की भूमि से बेदखल कर दिया जायेगा ।

(द) हरिजन आबादी की पैमाइश कराकर आवंटित करने का अनुरोध किया गया है । इस संबंध में सम्बन्धित तहसीलदार, नायब तहसीलदार, भूलेख निरीक्षक तथा लेखपाल को निर्देशित कर दिया गया है कि वे तुरन्त हरिजन आबादी की पैमाइश उनकी उपस्थिति में करें और यदि मौके पर कोई अनाधिकृत काबिजदार पाया जाय तो उसे तत्काल बेदखल कर दिया जाय ।

उपरोक्त मामले में लिप्त ग्राम प्रधान, भूलेख निरीक्षक तथा लेखपाल के विरुद्ध अनुशासनात्मक/दण्डात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये जा रहे हैं ।]

जनपद फैजाबाद में टांडा तापीय शक्ति परियोजना, टांडा से प्रभावित किसान परिवारों के सदस्यों को राजकीय सेवा में समायोजित किये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य

*ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री रविकान्त गर्ग)–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से.....

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष–

पढ़ा हुआ माना गया ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री रविकान्त गर्ग–

[अतारांकित प्रश्न संख्या–173 के अन्तर्गत परिषदीय उत्तरालेख्य में यह उल्लेख किया गया था कि परगनाधिकारी, टाण्डा द्वारा प्रभावित कृषकों की सूची में से 62 कृषकों का चैकित्सकीय परीक्षण तथा चरित्र पूर्ववृत्त भी पुलिस द्वारा इस आशय से कराया गया था कि परियोजना के लिये जब भी अतिरिक्त पद स्वीकृत होंगे तो इनकी नियुक्ति पर विचार किया जायेगा । इस संबंध में उल्लेखनीय है कि सेवायोजन दिये जाने पर विचार किये जाने का ही उल्लेख किया गया है न कि सेवायोजन दिये जाने के संबंध में स्पष्ट आश्वासन ।

इसी सम्बन्ध में अवगत कराना है कि परिषद् के ज्ञापन संख्या–417–ज० श० ग०–08/रा० वि०प०/92-100-एन० जी०/78. दिनांक 8 अप्रैल, 1992 द्वारा टाण्डा तापीय परियोजना टाण्डा के भूमि विस्थापितों में से निर्माण हेतु स्वीकृत 20 पदों को भरने की अनुमति प्रदान की गयी है । इस हेतु साक्षात्कार की तिथि पहले 5. 6. 7 मई, 1992 निर्धारित की गयी थी परन्तु अपरिहार्य कारणों से साक्षात्कार की तिथि पुनरीक्षित करके क्रमशः 25. 26. 27. 28 एवं 29 मई, 1992 निश्चित की गयी है । उक्त साक्षात्कार की तिथि को 62 प्रभावित कृषकों जिनका पूर्व में स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र एवं चरित्र प्रमाण-पत्र मांगा गया था वे भी साक्षात्कार हेतु 28. 29 मई, 1992 को बुलाये गये हैं साथ ही 25. 26 एवं 27 मई, 1992 को उन भूमि प्रभावित कृषकों को साक्षात्कार हेतु बुलाना निश्चित किया गया है जिनकी 100 प्रतिशत भूमि अधिग्रहीत की गयी है ।]

नियम 51 के वक्तव्यों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण की मांग

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, मद संख्या 22 पर मुझे जानकारी करनी है कि माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसके संबंध में मुझे कहना है मैंने नियम 51 में जो सूचना दी है वह दोहरीघाट से मधुबन तक की सड़क की पूरी सड़क बनाने के बारे में कहा है । माननीय अध्यक्ष जी उस सड़क पर गये थे गोरखपुर से दोहरीघाट तक जाने में कितना समय लगा उतना ही समय दोहरीघाट से मधुबन जाने में लगा जब कि इसका फायदा उससे कहीं ज्यादा है । मैंने कहा था कि इस पूरी सड़क को बनाया जाय । मैं माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से अनुरोध करूंगा इस पर विचार कर उसे पुनः बना दें । वक्तव्य में केवल मधुबन बाजार तक की सड़क की बात कही गयी है ।

* लोक निर्माण मंत्री (डा० सरजीत सिंह डंग)–

मुझे मान्यवर, जितना निवेदन करना था कर दिया । माननीय सदस्य का कहना है कि इसकी बहुत आवश्यकता है उसे पूरा कर दें । तो संसाधनों को देखते हुए कितना किया जा सकता है वह हम देख लेंगे ।

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

माान्यवर, मैंने नियम 51 के अन्तर्गत जो सूचना दी है मद संख्या 23 में .....

*ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री रविकान्त गर्ग)–

यह केवल वक्तव्य के लिये है ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने नाम ले लिया है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि विद्युत चोरी हो रही है वहां पर अवर अभियन्ता द्वारा चोरी कराई जा रही है जिसमें [x x x] इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं कहना है ।

जनपद आगरा में यातायात की समस्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मेरी चर्चा ले लें क्योंकि कल भी यही समस्या होगी ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय दीक्षित जी का प्रस्ताव आया उसे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्वीकार किया ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, प्रस्ताव आते रहते हैं सभी स्वीकार नहीं होते हैं दावत खाने के लिये इसे स्वीकार न करें।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है आप शुरू करें ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, आगरा जिले में सड़क यातायात की भयंकर समस्या है । आगरा जिला आप जानते हैं और मंत्री जी भी जानते हैं उत्तर प्रदेश और देश का एक महत्वपूर्ण स्थान है, इसका ऐतिहासिक, आर्थिक, राजनीतिक और पर्यटन की दृष्टि से भी अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है । पूरे विश्व में इसका महत्व है । मान्यवर, आगरा की भौगोलिक स्थिति भी कुछ ऐसी है कि उत्तर प्रदेश आगरा होकर शेष भारत से जुड़ता है –हरियाणा, पंजाब, बम्बई और मद्रास तक रास्ते यहीं से होकर जाते हैं । इसलिये यहां पर 3 राष्ट्रीय मार्ग हैं । राष्ट्रीय मार्ग नम्बर–2. राष्ट्रीय मार्ग नुम्बर–1 और राष्ट्रीय मार्ग नम्बर 11 । एक राष्ट्रीय मार्ग सी० ए० टी० तथा कुछ अन्य राज्य मार्ग हैं और 6 प्रमुख मार्ग हैं । तो मान्यवर, इस भौगोलिक परिस्थिति में जो समस्या है वह यह है कि पूरे देश के यातायात को आगरा होकर जाना होता है । उस सम्पूर्ण यातायात को शहर के संकीर्ण मार्गों से होकर गुजरना होता है, जहां पर यातायात सम्भव नहीं है इसलिये शासन ने यहां पर एक रोक लगाई हुई है कि बाहर से आने वाला सम्पूर्ण यातायात

नोट :— [x x x] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

शहर की सीमा पर रोक दिया जाता है और निर्धारित समय के बाद ही वह यातायात शहर से होकर बाहर निकल पाता है । जो दूर-दूर से यातायात आता है, वह दिन भर शहर के उस पार शहर की सीमा पर खड़ा रहता है । इसलिये मैंने शुरू से ही यह मांग रखी है कि आगरा के ऊपर एक रिंग रोड या बाईपास निकाला जाये । इस संबंध में कन्सलटेटिंग इंजीनियर ने भी एक रिपोर्ट दी है सारी बातों की जांच करके । उसकी जांच रिपोर्ट आ गयी है और जांच रिपोर्ट में सभी बातों को स्वीकार कर लिया गया है, जो हमने उसमें दी थीं । कंसलटिंग इंजीनियर की रिपोर्ट की कापी हमारे पास मौजूद है । मैं कहना चाहता हूं कि एक इसमें लिखा है :--"आगरा डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड एडजेसेंट टू दि बाउण्ड्रीज आफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश 'एण्ड राजस्थान स्टेट्स. इयू टू इट्ज स्ट्रेटेजिंग लोकेशन एण्ड बीइंग दि कवरजिंग प्वाइंट आफ वेरियस नेशनल हाइवे एण्ड स्टेट हाईवेज, आगरा हैज इमर्ज्ड एज ए मेजर सेंटर फार इंटरसिटी ट्रैफिक. तो मान्यवर, उन्होंने स्वीकार किया है कि आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय ट्राफिक गुजरता है और यहां पर यातायात की बड़ी समस्या है, और आगे रिपोर्ट में यह भी कहा है :--

"मिस्टर विजय सिंह राणा, एम० एल० ए०, फर्स्ट इनीसियेटिड दि प्रपोजल आफ कंस्ट्रक्टिंग ए बाईपास सिस्टम आफ आगरा सिटी एण्ड इन्डीकेटिड एन एलीगमेंट टु यू० पी०, पी० डब्लू० डी सब्सीक्वेंटली यू० पी० पी० डब्लू डी फारवर्डेड एनादर एलीगमेंट टु दि कंसलटेंट फार एक्जामिनेशन आफ फैसिबिलिटी एण्ड रिलेटिव सुटेबिलिटी फार एडप्सन फ्राम टेक्नीकल एण्ड कास्ट कंसीड्रेशन्स."

तो मान्यवर, वहां पर मैंने अपने ही प्रयासों से, प्रदेश सरकार का बिना एक पैसा खर्च हुए गवर्निंग बाडी द्वारा जिला योजना की धनराशि से हमने आगरा के ऊपर हाकर सारी मुख्य 6 सड़कों को जोड़ते हुए एक बाईपास सिस्टम दिया है । जब आगे योजना आयेगी तो उसमें इसे बाई-पास का नाम दे दिया जायेगा । उस पर केवल एक पुल बनाये जाने की बड़ी आवश्यकता है । हम अपने लोक निर्माण मंत्री जी से निवेदन करते हैं कि केवल एक पुल निर्माण की वहां परम आवश्यकता है और उसके न होने से यह सारा कार्य भी व्यर्थ हो रहा है । मैं उसके लिये बराबर शासन को पत्र लिख रहा हूं । 16 अप्रैल, 83 को जे० एस० माथुर को, 30 जनवरी, 84 को डा० अम्मार रिजवी को, 21 फरवरी, 84 को जगदीश चन्द्र तायल को, 30 मई, 84 को आई० पी० गुप्ता को, 5 दिसम्बर और 18 मई, 1985 को श्री लाल जी सिंह को, 10 जून, 85 को श्री प्रवीण कुमार शर्मा को, 28 अप्रैल, 86 को श्री बी० एस० पाण्डेय को, 9 जनवरी, 87 को श्री बृजेन्द्र पाल को मैंने पत्र लिखे हैं । इतना ही नहीं 14 अप्रैल और 11 जून, 1986 को श्री राजेश पायलट जी को भी लिखा है, जो केन्द्रीय मंत्री हैं । उनको लिखे गये पत्र की प्रति भी मेरे पास मौजूद है । वहां पर एक पुल बना दिया जाय तो जनता के लिये बड़ा लाभकारी होगा इसलिये मेरी मांग है कि वहां पैन्टून पुल के स्थान पर पक्का पुल बनाया जाय ।

मान्यवर, वहां सिंचाई विभाग की ओर से एक छोटा बैराज स्थापित किया गया और यदि उस धनराशि को पुल बनाने में इस्तेमाल किया जाता तो अधिक अच्छा होता मान्यवर, श्री अम्मार रिजवी और उसके पहले बेनी प्रसाद वर्मा जी ने इस पुल बनाने का साढ़े सात करोड़ रुपये का इस्टीमेट बना था जो यहां आ गया है और यह पुल बन जाने के बाद जनता को बड़ा लाभ होगा । इस्टीमेट की प्रतिलिपि मेरे पास है और श्री अम्मार रिजवी जी ने आदेश दिया था कि 7 दिनों के अन्दर इस्टीमेट भेजा जाय जिसकी प्रतिलिपि मेरे पास है । मान्यवर, सारे पेपर और सारी स्वीकृतियां आ गयी हैं और अब केवल उस पुल को बनाये जाने की ही बात रह गयी है । आगरा की आवश्यकता को देखते हुए मंत्री जी वहां पुल बनाने की मेरी मांग आप स्वीकार कर लें यह आगरा की जनता के लिये बड़ा उपकारी काम होगा इसके लिये मैं आपका आभारी रहूंगा ।

लोक निर्माण मंत्री (डा० सरजीत सिंह डंग)-

मान्यवर, मैं पहले तो प्रशंसा करता हूं अपने विद्वान मित्र राणा जी की । उन्होंने बड़े ही विद्वता पूर्ण भाषा में मुख्य बात को छिपाते हुए अपनी सारी समस्या को यहां रखा और एक बात पर अध्यक्ष महोदय के लिये व्याख्यात्मक टिप्पणी श्री राणा जी ने भेजा था जिसके प्रस्तर दो में एक वाक्य है जिसमें लिखा है – लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय मार्ग नम्बर-2 यमुना नदी में जवाहर पुल के बगल में दूसरा पुल बनाने का मूर्खता पूर्ण निर्णय लिया था । मान्यवर, पुल बनाने का निर्णय वहां के जनप्रतिनिधियों के अनुरोध पर लिया गया था । लेकिन आपने कमेन्ट किया मान्यवर, मैं आगरा के तत्कालीन जनप्रतिनिधियों को मूर्ख कहने का साहस नहीं कर सकता । मान्यवर, शासन इस बात से सहमत है कि आगरा की सीमा मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली से जुड़ी है और वस्तुस्थिति यह है कि यातायात के लिये पुल ट्रकों के लिये जो लोडेड हैं उनको नगर में घुसने के लिये अनुमति नहीं दी जाती है । प्रातः 8 बजे से सायं 6 बजे तक लोडेड ट्रक और अनलोडेड ट्रक आगरा शहर में घुसने की अनुमति नहीं है लेकिन राष्ट्रीय मार्ग दो-तीन और ग्यारह इन सब पर निर्वाध गति से यातायात चलता है लेकिन आगरा नगर में चूंकि मार्ग और गलियां सकरी हैं इसलिये यातायात पर उल्लिखित प्रतिबन्ध है । दूसरी ओर मैं यह भी बताना चाहता हूं कि रेलवे में लोडिंग और अन लोडिंग करने के लिये स्पेशल परमिट लेकर स्पेशल रूट से वाहन जा सकते हैं ।

श्री राणा जी ने जो चर्चा में कहा है कि उस पुल के बन जाने से पुराने पुल पर यातायात जो बढ़ा है नया पुल बन जाने से यातायात में सुविधा होगी । जहां तक नये पुल के इस्टीमेट का सवाल है तो लगभग 100 करोड़ रुपये का इस्टीमेट होगा ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, साढ़े सात करोड़ रुपये का इस्टीमेट आया है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, यमुना नदी पर इलाहाबाद में पुल बन रहा है जिसका इस्टीमेट 90 करोड़ रुपये का है और श्री राणा जी आगरा में जो पुल बनाने की बात कह रहे हैं उसका इस्टीमेट साढ़े सात करोड़ रुपये ही बता रहे हैं, तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती है । इसलिये मेरी सूचना सही है । मैं सम्मानित सदन के सामने गलत सूचना नहीं दूंगा । 100 करोड़ रुपये का रिफली इस्टीमेट बनाया गया है ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, कन्सल्टिंग इन्जीनियर सर्विसेज का इस्टीमेट 141 करोड़ का है जिसमें 72 किलोमीटर लम्बी सड़क, 8 फ्लाई ओवर और दो पुल बनाना सम्मिलित हैं । आप इतना बता दें कि पुल का इस्टीमेट कितना होगा ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मैं वर्तमान बता रहा हूं । कन्सल्टिंग इन्जीनियर सर्विसेज का इस्टीमेट पुराना है ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैंने बताया कि इसमें 72 किलोमीटर लम्बी सड़क, 8 फ्लाई ओवर, दो पुल हैं । अगर यह पुराना इस्टीमेट है तो आप आज के अनुपात.में ही बता दे ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मैं यह बताना चाहता हूं कि जिस स्थान पर जहां यह पुल बना है गढ़ी महावन का कच्चा पुल बना है, उसको पक्का बनाये जाने की बात रखी है । इसके साथ जो मार्ग जुड़े हैं वह सारे सिंगल लेन के हैं और स्वाभाविक है कि सिंगल लेन के हैं तो हैवी ट्रैफ्रिक उसके ऊपर से नहीं जायेगा और यातायात की समस्या हल होने से रही । आज भी निर्बाध गति से अन्तर्राज्यीय मार्ग 2, 3 और राज्य मार्ग-11 पर से यातायात चल रहा है । नगर में प्रातः नो एन्ट्री है ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, नगर में नो एन्ट्री लगा रखी है ।

श्री उपाध्यक्ष–

राणा जी, इस पर चर्चा हो गयी है । अब कृपा करके समाप्त करें ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं समझता था कि मंत्री जी इस पर कोई सहानुभूतिपूर्ण जवाब देंगे । आगरा की जिस समस्या पर सन् 1984 से आज तक हम बात कर रहे हैं । आज तक यहां पर इस विषय में तीन बार चर्चा हो चुकी है । इस पर माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने जितना नीरस और रूखा उत्तर दिया है आज तक ऐसा उत्तर नहीं आया कम से कम उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया है । आज तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि मंत्री जी आगरा से रुष्ट हुए बैठे हैं । मुझे कुछ नहीं कहना है । आप हमारे प्रभारी मंत्री भी हैं । आपने कोई सहानुभूति नहीं दिखायी है । यह आपका डिपार्टमेंट है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता । मैं दो-तीन सुझाव रखना चाहता हूं यदि उनमें से कोई मान्य हो तो आप मान लें न मानें तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है । नेशनल हाईवे की स्वीकृति 88-89 में मिल गई थी परन्तु आज तक पैसा स्वीकृत नहीं हुआ है । मैंने इस बारे में अनेकों प्रश्न भी लगाये हैं । आपसे वायदा हुआ था हो सके 88-89 में स्वीकृत राज्य मार्ग–2-3 को जोड़ने वाले मार्ग के लिये धन अवमुक्त कराने की कृपा करें ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, दो तीन बात कह कर समाप्त कर रहा हूं । दूसरी बात मान्यवर, यह है कि नेशनल हाई वे यमुना से गढ़ी महावन के पूरे के पूरे अन्दर से जाती हैं उसके लिये 300 मीटर की दूरी की जमीन अध्यापित करने की आवश्यकता पड़ेगी । इसके लिये चार लाख रुपये का खर्चा है । इसे स्वीकृत कर सकें तो कर दें । दूसरी बात यह है कि मैंने जैसा कि पुल बना हुआ है, उस पर टोल टैक्स लगाने की बात कही थी । मान्यवर, उसमें आपको क्या आपत्ति है । इससे तो आपको आय का स्रोत बढ़ता । दूसरी एक अन्तिम बात यह है कि यमुना पर वीयर बनाने का प्रस्ताव चल रहा है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से बात कर लें यह वीयर और पुल का ऐडजेस्टमेंट कैसे हो सकता है इसको आप दिखा लें ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

माननीय राणा जी ने मुझे सम्वेदनशील, हृदयहीन बताने की चेष्टा की है । मैं दो वाक्यों में निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे लिये इस उत्तर प्रदेश का कोई भी जनपद उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि मेरे

अपने जिले का अपना निर्वाचन क्षेत्र । यह मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरी पूरी ममता प्रत्येक क्षेत्र के साथ उतनी ही है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय राणा जी ने दो बार इस विषय को तारांकित प्रश्न संख्या–7 और पांचवें बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या–14 के माध्यम से यह प्रश्न उठाया। मैंने जो सदन में उत्तर दिया उसकी इन्हें भी जानकारी है और मुझे भी जानकारी है । इसके बाद माननीय राणा जी ने मुझसे पहले ही सदन के बाहर वचन ले लिया था और मैंने कहा था कि करवा दूंगा, फिर सदन में इसको उठाने का कोई औचित्य नहीं है, जिन बातों को पहले कहा जा चुका है वह हो जायेंगी, लेकिन जो नये पुल बनाने की बात है उसका औचित्य नहीं है ।

भारतीय चिकित्सा परिषद्, लखनऊ, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित आयुर्वेदिक एवं यूनानी प्रशिक्षणार्थियों की वर्ष 90-91 की परीक्षा न कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

श्री किशोरी लाल यादव–

मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न है भारतीय चिकित्सा परिषद्, लखनऊ द्वारा संचालित विद्यालयों से 1990-91 में 1200 विद्यार्थियों का चयन किया गया, जो विभिन्न जिलों के थे । उनको विभिन्न जिलों में प्रशिक्षण केन्द्रों में भेजा गया । उनका प्रशिक्षण पूरा हो गया उनका परीक्षा फार्म भरवा दिया गया लेकिन आज तक उनकी परीक्षायें निश्चित नहीं की गयी हैं । पूरे उत्तर प्रदेश से 1200 विद्यार्थियों का संबंध है । उनके अभिभावकगण ने कैसे-कैसे पेट काटकर यह कराया होगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपकी बात आ गयी है ।

* वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

जिस विषय की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है मैं इनसे पूरी जानकारी करके दिखवा लूंगा । विधिक व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष–

मद संख्या-28 में चर्चा हो चुकी है उसको पर्याप्त मान लिया जाये ।

जनपद आगरा के पश्चिमी क्षेत्र में सीवर की समस्या तथा खराब हैण्ड पम्पों को तुरन्त ठीक कराने विषयक दिनांक 28-2-92 के अता० प्रश्न संख्या 50 के संबंध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री किशन गोपाल–

मान्यवर, मेरा विशेष अनुरोध है मुझे दो मिनट दे दें । मान्यवर, आगरा में नगर विकास से संबंधित यह सवाल है उसमें सीवर की समस्या है हैण्ड पम्प की समस्या है । हैण्ड पम्प से पानी की समस्या जुड़ी है । विधान सभा में चर्चा चल रही है विधान परिषद् में चर्चा चल रही है प्रदेश का कोई समाचार पत्र ऐसा नहीं है जहां पानी से संबंधित चर्चा न हो रही हो । मान्यवर, जिस प्रकार प्रदेश से आगरा सुशोभित होता है उसी तरह से आगरा से प्रदेश सुशोभित होता है इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है । आगरा की पेयजल की समस्या चालीस साल से है आगरा की जनता जहर पी रही है करोड़ों रुपये के जो हैण्ड पम्प लगे हैं वह खराब पड़े हैं तो चालीस साल से जो आगरा की जनता जहर पी रही है इसमें व्यवस्था कर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दें। एक बार हरिद्वार का गंगाजल का प्रवेश करा दें यही परमानेंट समस्या का समाधान है । हैण्डपम्प में वाटर लेबिल हर वर्ष नीचे जाता रहता है इसमें आप करोड़ों रुपया लगवा दें कुछ होने वाला नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष–

मंत्री जी को सुन लें ।

श्री किशन गोपाल–

मान्यवर, अभी तो एक मिनट हुआ है आपने मुझे दो मिनट का समय दिया है मुझे सुन लें, क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं है । मैं समझता हूं आप मेरे साथ न्याय करेंगे । माननीय मंत्री जी ने बताया है हैण्ड पम्प लगने वाले हैं । मान्यवर, 4 फरवरी को हैण्ड पम्प ठीक कराने के लिये 4 करोड़ रुपये दिये गये हैं । फरवरी में रुपया दिया गया है लेकिन एक भी हैण्ड पम्प ठीक नहीं हुआ है । मुख्य मंत्री जी ने आदेश दिया था कि विधायक की संस्तुति पर हैण्ड पम्प लगायें लेकिन मुख्य नगर अधिकारी, निकम्मे अधिकारी ने विधायक की राय न लेकर डी० एम० को लिस्ट दे दी और डी० एम० ने भी विधायक की राय नहीं ली मुख्य मंत्री के आदेश के विपरीत कार्य कर रहे हैं । मेरा आपसे अनुरोध है कि आगरा की पेयजल समस्या का समाधान करायें । मेरा यह भी निवेदन है कि अगले सत्र में मुझे इस मामले को पुनः न उठाना पड़े इसलिये ध्यान देकर आगरा की पेयजल समस्या का समाधान करवा दें ।

* श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, आगरा की पेयजल समस्या भयंकर हो गयी है और वहां पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। वहां का पानी सड़ा गला और जहर भरा है । एक वहां पर कीथम झील है उसको पक्का करके जलाशय के रूप में विकसित करायें । इसी तरह से एक महल बादशाही जगह पर झील है उस झील को ठीक कराया जाय जिससे उसमें जल भराव होगा और आगरा की पेयजल समस्या का समाधान होगा तथा वहां का वाटर लेविल ऊंचा होगा । मान्यवर, आप आगरा एक बार जरूर जायं आपको एक बाल्टी पानी के लिये पूरे शहर का चक्कर काटना पड़ेगा । इतनी गम्भीर वहां पानी की समस्या हो गयी है ।

श्री किशन गोपाल–

मान्यवर, आप आगरा जरूर आयें लेकिन आगरे का पानी पीने योग्य नहीं है । इसलिये आप अपने साथ यहां से पानी लेकर आगरा आयें । मैं आपसे हाथ जोड़कर यह निवेदन करूंगा । आप आपको सेहत का जरूर ध्यान रखें और आगरा पानी लेकर आयें ।

नगर विकास मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कटियार)–

मान्यवर, आगरा के परिपेक्ष्य में बिना किसी भूमिका के मैं कहना चाहती हूं कि वहां पर पानी के गन्दे होने की शिकायतें अनवरत रूप से प्राप्त होती रही हैं । इसके लिये सरकार की ओर से व्यवस्था भी हुई है । मैं संक्षेप में और शीघ्रता से आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगी । पानी का संबंध बिजली से होता है और बिजली का संबंध पानी से होता है । बिजली की व्यवस्था को ठीक करने के लिये 33 के० वी० ए० का एक सब स्टेशन विद्युत परिषद् द्वारा बनाये जाने के संबंध में 9 लाख रुपये का प्रादिधान किया गया है और उससे निश्चित रूप से जल सप्लाई में सुधार होगा । नगर पालिका की सीमा में 2500 हैण्ड पम्प लगाये जायेंगे । 200 खराब हैण्ड पम्पों को ठीक कराने के लिये 16 लाख

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रुपया दिया गया है । 200 नये हैण्ड पम्पों के लिये 32 लाख रुपया दिया गया है जोनल पम्पिंग स्टेशन की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिये 12 लाख रुपये स्वीकार किये गये हैं । यह कार्य जल निगम और जल संस्थान से कराने के लिये अधिकारियों को निर्देशित किया गया है । पूर्व, पश्चिम एवं छावनी विधान सभा क्षेत्रों के सभासदों से संबंधित क्षेत्रों के कुएं जो खराब पड़े हैं उनकी सूची प्राप्त कर ली गयी है और उनमें से जितने भी 64-61-45 में से, जिनमें पेयजल उपलब्ध होगा उन्हें ठीक कराया जायेगा । पेयजल की शुद्धता के लिये रसायनों के लिये पहले ही कहा कि रुपयों की व्यवस्था कर दी है । तत्काल पेय जल की समस्या के लिये 1.18 करोड़ रुपये उपलब्ध करा दिये गये हैं ।

जनपद मऊ के कस्बा मधुबन को टाउन एरिया बनाये जाने के प्रस्ताव पर शासन की स्वीकृति विषयक दिनांक 21-2-92 के अता० प्रश्न संख्या 170 के संबंध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के दूसरे शुक्रवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 170 के उत्तर के संदर्भ में मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा कि मैंने प्रश्न किया था कि क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के कस्बा मधुबन को टाउन एरिया बनाये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है । इसके उत्तर में कहा गया कि "जी हां ।" फिर मैंने पूछा कि यदि हां तो मधुबन को टाउन एरिया बनाने की स्वीकृति शासन से कब तक मिल जायगी, यदि नहीं, तो क्यों ? इसके उत्तर में कहा गया है कि "निर्धारित शर्तें और प्रक्रिया पूर्ण न करने के कारण इसे टाउन एरिया बनाना सम्भव नहीं है । इसलिये एक तरफ कहा कि "जी हां," यानी टाउन एरिया बनना प्रस्तावित है, शासन के विचाराधीन है । दूसरी तरफ कहा कि कोई विचार नहीं किया जायेगा । इस संबंध में मैंने नियम 301 के अन्तर्गत सूचना भी दी थी । उसमें भी माननीय नगर विकास मंत्री ने यह उत्तर दिया कि यह भी सूच्य है कि जनपद मऊ के कस्बा मधुबन को टाउन एरिया गठन के संबंध में निर्गत शासनादेश में निर्धारित मानकों की परिधि में न आने के कारण इस क्षेत्र को टाउन एरिया बनाया जाना सम्भव नहीं है । इसमें मधुबन का हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण स्थान रहा है । माननीय अध्यक्ष जी, 12 जनवरी को मधुबन गये थे । पूरे मधुबन शहर को क्रास करते हुए गये थे । पूरा तीन किलोमीटर का एरिया है । मैं तो चाहता था कि माननीय अध्यक्ष जी रहते तो उनकी गवाही रहती । तीन किलोमीटर में फैले मधुबन में सभी सड़कें तीन बैंक, थाना, मधुबन ब्लाक हेडक्वार्टर है । मधुबन में हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई में 36 लोगों ने एक साथ शहादत दी थी । इस तरह से यह सभी शर्तें पूरी करता है जो टाउन एरिया बनाने में आवश्यक हैं । मधुबन को टाउन एरिया बनाना जनहित में है और पूरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के हित में है जो हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़े । वह सभी शर्तों को पूरी करता है ।

नगर विकास मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कटियार)–

मान्यवर, माननीय सदस्य को दिये गये उत्तर में किसी भी तरह से न तो उत्तर को गलत देने का आशय था, न किसी तरह से गुमराह करने का मंतव्य था । मात्र स्थिति को स्पष्ट करने का केवल आशय था और वह यह है कि प्रस्ताव जो औपचारिक रूप से प्राप्त हुआ था, उसे निरस्त नहीं किया गया, इसलिये जी हां लिखा गया और मानक पूरे नहीं होते हैं इसलिये बना नहीं सकते, ऐसी व्यवस्था दी। इससे माननीय सदस्य को मानसिक क्लेश हुआ हो तो खेद व्यक्त करती हूं । साथ ही यह भी स्पष्ट करना चाहती हूं कि हमारे मानकों में व्यवस्था है कि जहां चकबन्दी प्रस्तावित होती है वहां पर इस तरह के स्थानीय निकाय बनाना सम्भव नहीं होता । मऊ के जिलाधिकारी के अनुसार वर्तमान वर्ष के

अन्त तक चकबन्दी की प्रक्रिया चलेगी । यह भी एक कारण है कि मार्च में आये पत्र के आधार पर सूचना दे रही हूं । अभी इस वर्ष के अन्त तक चकबन्दी की प्रक्रिया चलेगी । इस नाते हम निर्णय करने की स्थिति में नहीं हैं । अन्य मानकों की चर्चा करना चाहूंगी । हमारे मानकों के अनुसार 20 हजार की आबादी तक मैदानी क्षेत्र में और 10 हजार तक पर्वतीय क्षेत्र में (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

चकबन्दी की प्रक्रिया के बाद विचार कर लीजियेगा ।

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

यह तो अण्डरस्टुड है ।

जनपद मेरठ के बरनावा क्षेत्र में जल स्तर अत्यन्त नीचे चले जाने की समस्या विषयक दिनांक 28-2-92 के नत्थी 'घ' के तारांकित प्रश्न संख्या 4 के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

* श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, ऐसा है कि मैं इस चर्चा को शुरू कर रहा हूं, लेकिन माननीय प्रोफेसर महक सिंह जी उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, बरनावा क्षेत्र में मुख्य समस्या है, वहां पर जल स्तर नीचे जा रहा है और 80 फुट पानी नीचे चला गया है, इसलिये किसानों के सामने बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गयी है । वहां पर कृष्णा नदी और हिन्डन नदी पर जल भ्रराव का काम बराबर जल स्तर ऊंचा करा दिया जाय, तो उसमें सुधार होगा । मान्यवर, इसके बारे में प्रो० महक सिंह जी विस्तार में चर्चा करेंगे ।

श्री महक सिंह–

मान्यवर, मेरठ जनपद के बरनावा विधान सभा क्षेत्र में हिन्डन व कृष्णा नदी के दो आब क्षेत्र में जल स्तर तीव्र गति से गिरता जा रहा है । आजकल यह 80 से 90 फुट नीचे तक पहुंच गया है । गांव में पीने के पानी की कमी हो गयी है, ट्यूबवेलों से पानी की मात्रा कम प्राप्त हो रही है और पर्याप्त सिंचाई की सुविधाओं के अभाव में फसलों की उत्पादन क्षमता गिरती जा रही है । किसानों को ट्यूबवेल बनाने में अधिक व्यय करना पड़ता है और पानी सिंचाई के लिये कम प्राप्त होता है, यदि यही परिस्थितियां कुछ वर्षों तक जारी रहने दी गयीं, तो प्रदेश का एक महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र रेगिस्तान में परिवर्तित हो जायेगा । इस क्षेत्र में हिंडन कृष्णा दो आब योजना के नाम से एक योजना बनायी गयी थी, परन्तु अधिकारेयों के लापरवाही व विभिन्न सरकारों द्वारा उसे गम्भीरता से न लिये जाने से यह योजना महज कागजों तक सिमट कर रह गयी । प्रारम्भ से अन्त तक इस योजना की प्रगति निम्न प्रकार है :––

पहला हिन्डन कृष्णा दो आब लिफ्ट नहर परियोजना 1979 में तत्कालीन सिंचाई मंत्री श्री बलवीर सिंह जी द्वारा प्रारम्भ की गयी, उसके द्वारा कृष्णा व हिन्डन दोनों नदियों का पानी लिफ्ट करके लोई ब्रांच को आगे बढ़ाकर चोगा क्षेत्र में 100 दिन के लिये बरसाती नहर योजना बनायी गयी थी ।

दूसरा 1960 में श्री वीर बहादुर सिंह तत्कालीन सिंचाई मंत्री के समय यह योजना स्थगित हो गयी थी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे व्यक्तियों की भूमि जाती थी, जो इससे लाभान्वित नहीं थे । बुढ़ाना में 70

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

टन स्टील व हजारों कट्टे सीमेन्ट सामान आया था, वह विभागीय अधिकारियों की मिली भगत से चोरी हो गया था ।

तीसरा सन 1985 में श्री वीर बहादुर सिंह द्वारा सिंचाई मंत्री के रूप में इस योजना को पुनः प्रारम्भ किया गया, परन्तु अधिकारियों ने यह कह दिया कि हिंडन नदी से चौगामा क्षेत्र की सिंचाई के लिये पानी नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि 1956 में आगरा मण्डल के अधिकारियों से एक समझौता हुआ था जिसके अनुसार हिंडन नदी का पानी आगरा क्षेत्र में सिंचाई के लिये प्रयोग किया जायेगा ।

चौथा 1989-90 में अधिकारियों ने एक ग्रेविटी चेनल की योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया जिसमें 35 कि०मी० लम्बी नहर बनाकर लोई ब्रांच से सिंचाई करना प्रस्तावित था, परन्तु इसके लिये भी भूमि उपलब्ध नहीं हुई ।

पांचवां आश्वासन समिति में यह मामला लम्बित है । अन्त में यह योजना बनाई गई कि ओलरा स्केप से कृष्णा नदी में पानी डालकर लायेंगे और फिर कृष्णा नदी से पानी लिफ्ट करके लोई ब्रांच के माध्यम से चौगामा क्षेत्र की सिंचाई करेंगे । यह योजना 25 मई तक बनाकर देना प्रस्तावित है । इस योजना का 85 लाख रुपया देना भी प्रस्तावित है तथा इस योजना को जून के महीने तक पुनरीक्षण कराकर मेरठ में माननीय मंत्री जी द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के समक्ष घोषणा की जायेगी ।

अन्त में मेरा सरकार से अनुरोध है कि योजना के लिये तुरन्त धन की व्यवस्था की जाये । इस योजना का अतिशीघ्र पुनर्निरीक्षण करके तथा जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर एक स्थायी परियोजना की घोषणा की जाये । कृष्णा एवं हिंडन दो आब के क्षेत्र में ट्यूबवेल के लिये प्रति हार्स पावर बिजली की दर अन्य क्षेत्रों के मुकाबले घटाई जाये । उन अधिकारियों को, जिन्होंने 1979 व 1985 में उपरोक्त योजना को बनाते समय आगरा मण्डल के साथ 1956 में हुए समझौते को ध्यान में नहीं रखा दण्डित किया जाये । क्योंकि इस कारण से योजना में देरी हुई । 1980 में बुढ़ाना में आये सामान की जो चोरी हुई थी उसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जाये ।

श्री विजय सिंह राणा–

माननीय सदस्य ने जो योजनायें अभी आपके सामने रखी हैं, वह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, माननीय मंत्री जी इनको पूरा कराने की कृपा करें ।

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्री हरवंश कपूर)-

मान्यवर, यह सही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में पानी का स्तर गिर रहा है और शासन इसके प्रति सजग है और जिन-जिन विकास खण्डों के अन्तर्गत यह क्षेत्र आते हैं, उनको डार्क घोषित किया जाता है । इसी परिप्रेक्ष्य में डार्क श्रेणी के विकास खण्डों में जहां भूगर्भ जल का दोहन 85 प्रतिशत से अधिक है, सिंचाई संसाधनों के निर्माण हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक, संस्थागत वित्तीय संसाधन द्वारा ऋण की सुविधा रोक दी गयी है । जो निःशुल्क बोरिंग योजना है, उसको समाप्त कर दिया जाता है । जो विचार माननीय सदस्यों ने रखे हैं, उनके प्रति शासन निश्चित रूप से सजग है और विभिन्न कैनालों के निर्माण द्वारा इस बात का प्रयास किया जायेगा कि पेय जल उपलब्ध हो सके और भूजल स्तर ऊपर आ सके । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगरा कैनाल सिस्टम, यह ओखला से मथुरा तक, अपर गंगा कैनाल सिस्टम, हरिद्वार से अलीगढ़ तक, लोअर गंगा कैनाल, नरौरा से इलाहाबाद तक, अफजलगढ़ कैनाल हैं, जिनके द्वारा पानी की व्यवस्था की गयी है और पूर्वी गंगा कैनाल, मध्य गंगा कैनाल और पूर्वी मध्य गंगा कैनाल और हिंडन कृष्णा कैनाल निर्माणाधीन हैं । मथुरा में यमुना नदी पर, कानपुर में गंगा नदी पर

और आगरा में यमुना नदी पर बैराज बनाया जाना प्रस्तावित है । तो शासन इस समस्या के प्रति काफी सजग है और जैसे ही संसाधन उपलब्ध होंगे इन योजनाओं का कार्यान्वयन किया जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब चर्चा समाप्त की जाती है ।

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 8 बजकर 49 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :
12 मई, 1992

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अता० प्र० सं० 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 30 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के 7वें मंगलवार के लिए पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–2 के उत्तर हेतु सामग्री

गाड़ियों के नाम	हजरतगंज		चौक		आलमबाग		बक्शी का तालाब		एस० जी० पी० जी० आई०	
	स्वीकृत	उपलब्ध	स्वीकृत	उपलब्ध	स्वीकृत	उपलब्ध	स्वीकृत	उपलब्ध	स्वीकृत	उपलब्ध
1–मोटर फायर इंजिन	6	2	5	2	2	3	1	2	1	1
2–जीप/फायर इंजिन	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1
3–बोइंग/जीवन रक्षा वाहन	1	1	–	1	1	1	–	–	1	–
4–फोम टेण्डर	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
5–स्नार्किल	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–

नोट :–जनपद लखनऊ के फायर स्टेशनों में 5 मोटर फायर इंजिन कम हैं जिनमें से 4 निष्प्रयोज्य हो गयी हैं तथा 1 गाड़ी प्रशिक्षण हेतु अग्निशमन प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को अस्थायी रूप से भेजी गयी है ।

नत्थी 'ख'

(देखिए अता० प्र० सं० 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 31 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के 7 वें मंगलवार के लिये निर्धारित श्री राम कुमार शुक्ल, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–3 का संलग्नक

थाना का नाम	उप निरीक्षक, ना० पु०		हेड कान्स० ना० पु०		कान्स० ना० पु०	
	स्वीकृत नियतन	रिक्तियां	स्वीकृत नियतन	रिक्तियां	स्वीकृत	रिक्तियां
1	2	3	4	5	6	7
नगर क्षेत्र						
1–सिटी चौक	26	11	30	6	201	--
2–सआदतगंज	9	2	11	--	76	--
3–हसनगंज	13	2	12	--	80	--
4–वजीरगंज	17	4	18	1	118	--
5–कैसरबाग	21	3	30	11	218	--
6–हजरतगंज	35	12	39	9	253	--
7–आलमबाग	11	2	12	2	75	--
8–कैन्ट	8	3	11	--	68	--
9–कृष्णानगर	9	1	12	--	76	--
10–बाजार खाला	12	--	12	--	76	--
11–महानगर	11	2	12	--	77	--
12–अमीनाबाद	19	6	30	10	184	--
13–हुसैनगंज	12	2	12	--	78	--
14–नाका हिंडोला	15	7	16	--	99	--
15–अलीगंज	1	--	1	--	7	--
16–तालकटोरा	1	--	1	--	7	--
17–सरोजनीनगर	1	--	1	--	7	--
18–गोमतीनगर	2	--	1	--	14	--
19–ठाकुरगंज	2	--	1	--	14	--
20–गुडम्बा	2	--	3	2	31	--
21–गाजीपुर	1	--	1	--	5	--

1	2	3	4	5	6	7
ग्रामीण क्षेत्र						
1–बन्थरा	6	1	2	–	22	–
2–इटौंजा	4	–	1	–	19	–
3–काकोरी	5	–	2	–	24	–
4–मोहनलालगंज	6	–	2	–	23	–
5–गोसाईगंज	7	–	3	–	27	–
6–मड़ियांव	6	–	2	–	22	–
7–मलिहाबाद	5	–	4	1	33	–
8–माल	5	2	1	–	18	–
9–चिनहट	6	–	2	–	21	–
10–नगराम	4	2	1	–	17	–
11–बक्शी का तालाब	1	–	2	–	9	–
12–निगोहा	2	–	1	–	14	–
रिपोर्टिंग चौकी						
1–निगोहा	–	–	1	–	6	–
2–संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट	1	–	1	–	7	–
योग ••	286	62	291	42	2026	–

नत्थी 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं० 40 का उत्तर पीछे पृष्ठ 45 पर)

विधान सभा के 7वें मंगलवार के लिये निर्धारित श्री नरेश अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–40 का संलग्नक

जिन आवासों में वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 में पुताई कराई गई है, उसका विवरण :—

राजकीय कालोनी दिलकुशा

वर्ष 1989-90

आवास संख्या–ए-1, ए-2, ए-3, ए-5, ए-6

आवास संख्या–बी-1,बी-2, बी-3,बी-4, बी-7, बी-8

आवास संख्या–सी-1,सी-3, सी०-4, सी-7, सी-8, सी-10,सी-12, सी-14, सी-15, सी-16, सी-22, सी-23, सी 24, सी-27, सी-29, सी-30, सी-31, सी-32

आवास संख्या–ई० एच०-3, 4, 7, 12, 13, 14

आवास संख्या–पी० डब्लू०–3, 5, 6

वर्ष 1990-91

आवास संख्या–ए-1, ए-2, ए-3, ए-4

आवास संख्या–बी-1, बी-2, बी-3, बी-4, बी-5, बी-6, बी-7

आवास संख्या–सी-2, सी-3, सी-4, सी-5, सी-7, सी-10, सी-11, सी-13, सी-15, सी-17,सी-18, सी-19, सी-20, सी-24, सी-29

आवास संख्या–ई० एच०-1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16

आवास संख्या–पी० डब्लू०–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

राजकीय कालोनी बादशाहनगर

वर्ष 1989-90

आवास संख्या–एल-1 टाइप-1, 2, 3, 5, 6, 9

एल-2 टाइप-3, 6, 8, 10

एल-3 टाइप-4, 8, 10

एल-4 टाइप–3, 4, 5, 6, 7, 9

एल-5 टाइप-7, 10

एल-6 टाइप-4, 5, 10

एल-7 टाइप-1, 2, 4, 5, 6, 7, 9

उत्तर प्रदेश विधान सभा

एल-9 टाइप-5

एल-11 टाइप-1. 7. 10

एल-12 टाइप-1. 3. 9. 10

एल-13 टाइप-3. 6. 7. 8. 10

एल–14 टाइप-1. 3. 5.7. 9. 10

एल–15 टाइप-1. 3. 7. 8. 10

एल–16 टाइप-6

एल-17 टाइप-3. 4. 7. 8

एल–18 टाइप-3. 4. 6. 8

न्यू ब्लाक

आवास संख्या–एन० बी०–1–1. 3. 4

एन० बी०–2-3

एन० बी–3-2. 3. 4. 6. 7. 8

एन० बी–4–2. 4. 6. 7. 8

एन० बी०–5–1. 2. 3. 4. 6. 8

एन० बी०–6–3. 5. 6. 7. 8

एन० बी०–7–1. 2. 4. 6. 8

वर्ष <u>1990-91</u>

एल टाइप आवास–

एल–1– 1. 4. 5. 7. 9. 10

एल–2– 1. 3. 5. 6. 9. 10

एल–3– 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10

एल–4– 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10

एल–5– 1.4. 7. 8. 9

एल–6– 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10

एल–7– 2. 3. 4. 5. 10

एल–8– 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10

एल–9– 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10

एल–10– 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10

एल–11– 1. 3. 6. 7. 9

एल–12– 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10

एल–13– 1. 2. 4. 6. 8. 9

एल–14– 1. 2. 3. 4. 5. 7. 9

एल–15– 1. 3. 4. 7. 8. 9. 10

एल–16– 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10

एल–17– 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10

एल–18– 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10

यू क्लाक

एन० बी०–1– 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8

एन० बी०–2– 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8

एन० बी०–3– 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8

एन० बी०–4– 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8

एन० बी०–5– 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8

एन० बी०–6– 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8

एन० बी०–7– 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8

यू० टाइप आवास

यू०–1– 1. 2. 3. 4

यू०–2– 2. 3. 4

यू०–3– 1. 2. 3. 4.

यू०–4– 4. 5

यू०–5– 1. 2. 3. 4

यू०–6– 1. 2. 3. 5.

यू०–7– 1. 2. 3. 4. 5

यू०–8– 1. 2. 3. 4. 5

यू०–9– 1. 2. 5

यू०–10– 1. 2. 3. 4. 5

यू०–11– 1. 2. 3. 4. 5

यू०–12– 1. 2. 3. 4. 5

यू०–13– 1. 2. 5

यू०–14– 1. 2

यू०–15– 1. 2. 3. 4. 5

यू०–16– 1. 2. 5

यू०–17– 1. 2. 5

यू०–18– 1. 3 . 5

यू०–19– 1. 3

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुबंध 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं० 134 का उत्तर पीछे पृष्ठ 83 पर)

तालिका–I

क्र० सं०	नगर/कस्बा जहां शौचालय निर्माण की योजना है	शौचालय की संख्या	निर्माण संस्था	निर्माण संस्था को भुगतान की गयी धनराशि (लाख रु० में)
1	2	3	4	5
	(1) चमोली–			
1	गुप्तकाशी	1	सुलभ इण्टरनेशनल, लखनऊ	2.71
2	चमोली	1	—	--
3	जोशीमठ	1	—	--
4	रुद्रप्रयाग	1	सुलभ इण्टरनेशनल, लखनऊ	4.00
5	गोपेश्वर	1	..	4.40
6	बद्रीनाथ	1	..	22.00
7	गौरीकुण्ड	3	..	8.40
8	नन्दप्रयाग	1	..	--
9	गोपेश्वर	1	..	--
10	गोविन्दघाट	1	..	2.45
	(2) पौड़ी–			
11	सतपुली	1	..	--
12	श्रीनगर	1	..	3.00
13	कोटद्वार	1	..	2.80
14	पौड़ी	1	..	1.25
	(3) देहरादून–			
15	देहरादून	1	..	4.27
16	हर्बर्बपुर	1	अखिल भारतीय रचनात्मक कार्य संस्थान, लखनऊ	1.00
17	डोईवाला	1	..	–
18	ऋषिकेश	1	..	2.60

1	2	3	4	5
19	विकास नगर	1	–	–
	(4) नैनीताल–			
20	सुल्तानपुर	2	स्थानीय निकाय स्वयं कार्य करा रही है ।	
21	महुआडाबरा	1	–	–
22	केलाखेड़ा	1	–	–
23	महुआखेड़ागंज	1	–	–
24	हल्द्वानी	1	इण्टरनेशनल, लखनऊ	2.10
25	भवाली	1	..	2.40
26	भीमताल	1	..	2.00
27	काशीपुर	1	..	2.40
28	रुद्रपुर	1	..	2.51
29	जसपुर	1	..	2.20
30	बाजपुर	1	..	2.10
31	गदरपुर	1	..	2.10
32	सितारगंज	1	..	1.68
33	कालाढूंगी	1	–	–
34	दिनेशपुर	1	–	–
35	लालकुआं	1	–	–
36	शक्तिगढ़	1	–	–
37	नैनीताल	2	–	–
38	भीमताल	1	–	–
	(5) टिहरी–			
39	नरेन्द्रनगर	3	..	3.50
40	टिहरी	1	..	2.72
41	मुनि की रेती	1	अखिल भारतीय रचनात्मक कार्य संस्थान, लखनऊ ।	2.60
42	कीर्तिनगर	1	–	–
43	देवप्रयाग	1	सुलभ इण्टरनेशनल, लखनऊ	2.50

1	2	3	4	5
	(6) पिथौरागढ़—			
44	चम्पावत	1	सुलभ इण्टर नेशनल, लखनऊ	2.50
45	डीडीहाट	1	,,	2.00
46	चम्पावत	1	–	–
47	लोहाघाट	1	–	–
48	पिथौरागढ़	1	–	–
	(7) अल्मोड़ा—			
49	द्वारहाट	1	,,	3.60
50	अल्मोड़ा	2	,,	5.00
51	रानीखेत	1	–	–
52	बागेश्वर	2	–	–
	(8) उत्तरकाशी—			
53	बड़कोट	1	–	–
54	उत्तर काशी	1	–	–

तालिका–II

शर्तें

(1) अग्रिम धनराशि का कार्य पूर्ण कर दिये जाने के बाद शौचालय निर्माण की स्वीकृति लागत की शेष धनराशि निर्माण संस्था को दी जायेगी ।

(2) शौचालय भवन में एक उपयुक्त गोदाम/कलेक्टिव सेन्टर व दरबान रूम की स्वीकृति प्राप्त करके निर्माण संस्था द्वारा निर्माण किया जा सकता है किन्तु इस पर पानी व बिजली के व्यय का भुगतान संस्था को ही करना होगा ।

(3) निर्माण संस्था स्थल आकृति मानचित्र तथा लोक निर्माण विभाग की प्रचलित दरों पर आगणन प्रस्तुत करेगी और स्वीकृति के उपरान्त कार्य प्रारम्भ करेगी ।

(4) निर्माण संस्था को निर्माण लागत का 15 प्रतिशत सुपरवीजन चार्ज अनुमन्य होगा ।

(5) निर्माण संस्था शौचालय/मूत्रालय भवन का स्थल व अग्रिम धनराशि प्राप्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर निर्मित करेगी ।

(6) शौचालय/मूत्रालय भवन पर निर्माण संस्था का एक टोकेन अधिकार होगा, रख-रखाव करने के उद्देश्य से ।

(7) शौचालय भवन के निर्माण के बाद तकनीकी जांच के उपरान्त अनुमति प्रदान किये जाने पर निर्माण संस्था शौचालय भवन का 30 वर्षों तक रख-रखाव, सफाई व मरम्मत का कार्य करेगी ।

(8) किसी विवाद की दशा में मण्डलायुक्त या शासन का निर्णय अन्तिम होगा ।

नोट :––उपरोक्त शर्तें सामान्य हैं किन्तु पृथक-पृथक निर्माण कार्यों के लिये जिला अधिकारी सम्बन्धित संस्थाओं से जो अनुबन्ध करकें भुगतान करते हैं, उन शर्तों में कुछ अन्तर हो सकता है ।

पी० एस० यू० पी०–एल० 208 विधान सभा (335)–1993–572 (डी० टी० पी०) ।